



THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

सम्मतियाँ :

समयानाव के कारण दूसरा भाग सम्मतियों के लिये नहीं भेज सके, एतदर्थ प्रथम भाग पर प्राप्त सम्मतियाँ यहाँ दी जाती हैं

सङ्कलन सुन्दर हुआ है, विषय को समझाने की शैली भी मनोरम है।

—उपाध्याय श्री हस्तोमलजी म० सा०

पुस्तक विशेषताश्रो मे श्रोतप्रोत है। सग्रहणीय, पठनीय एव पाठ्यक्रमानुकूल है।

—मुनि श्री फूलचन्द्रजी 'श्रमण

पुस्तक की सामग्री बहुत उपयोगी है। सिद्धान्त का निर्वाह करते हुए विषय को सरल बना दिया गया है। समाज मे पाठावलियाँ तो कई छपीं, किन्तु यह सर्वोपरि और अत्यधिक उपयोगी है। विद्यार्थियों को ही नहीं, उन्हें पढाने वाले धर्माध्यापकों के लिये भी समझने योग्य है।

—रतनलालजी डोसो

सम्पादक, 'सम्यग् दर्शन', सैलाना.

पुस्तक मे जैन धर्म विषयक ठोस व प्रामाणिक सामग्री ऐसे सरल ढंग मे दी है कि दुरुह तात्त्विक विषय भी बोधगम्य हो गया है। जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक प्रौढ लोगो के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। मुनिजी ने इस पुस्तक को लिखकर एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है।

—रिखवराज कर्णावट

गण्डवोकेट, मुप्रीममोर्ट जोधपुर

पुस्तक को देखकर पूर्ण सन्तोष हुआ। लेखक की श्रद्धा और समझाने की कला बहुत सुन्दर प्रतीत होती है।

—डॉ० एन० के० गाँधो
राजकोट (मोराष्ट्र)

पुस्तक देय कर अति हर्ष हुआ। जैन विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने के लिये यह सुन्दर व उपयोगी है।

—ठाकरसी करसनजी
यानगढ, (मोराष्ट्र)

‘पठमं नाशं तन्नो दया’

सुबोध जैन पाठमाला

भाग-दूसरा (पूर्वाख्य)

(सूत्र तथा तत्त्व-विभाग)

सम्पादक डॉ. लेखक कुमार
पृ० २० श्री पारस मिश्रजी म०

प्रकाशक

धींगडमल गिडिया

मन्त्री,

श्री स्था० जैन धार्मिक शिक्षण शिबिर समिति, जोधपुर

प्राप्ति-स्थान .

सीरेमल धींगडमल

सराफा बाजार, जोधपुर.

राम नवमी,
विक्रम सं० २०२०
वीर सं० २४६०
सन् १९६४

मूल्य
एक रुपया पचास न० प०

प्रथमावृत्ति
१०००

द्रव्य सहायकों के प्रति

सुबोध जैन पाठमाला भाग दूसरा पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध का प्रकाशन भी श्रद्धालु और धर्मप्रेमी सज्जनो की ज्ञान-तृषा की तृप्ति के लिये आपके हाथ में है। समाज में इस प्रकार के शिक्षणोपयोगी साहित्य प्रकाशन के लिये द्रव्य सहायक बनना समाज में ज्ञान-प्रसार के पुण्य लाभ के साथ निर्जरा का भी कारण है। निम्न सहाय-दाता, धर्मप्रेमी, श्रद्धाशील और जालोर जैन समाज के अग्रगण्य उत्साही कार्यकर्ता हैं। इनकी त्याग-वृत्ति और धर्म-प्रेम का परिचय समाज को सदा मिलता रहा है। आप लोगों ने निम्न रूप से पुस्तकों के लिये अपनी-अपनी तरफ से द्रव्य सहायता प्रदान की, आपका यह कार्य अन्य-शिक्षा-प्रेमियों के लिये अनुकरणीय व आदर्श है।

शिक्षण शिविर समिति आपके इस शुभ सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करती है।

नामावली

१	शाह सकुनमलजी रूपचन्दजी साँखला,	जालोर	५००
२.	,, प्रकाशमलजी नेनमलजी काकरिया	,,	२००
३.	,, नेनमलजी केशरीमलजी बुटा व	,,	
	सुमेरमलजी बुटा		२००
४.	,, साकलचन्दजी उदयचन्दजी मुथा	,,	१००

मन्त्री

स्था० जैन धार्मिक शिक्षण शिविर समिति
जोधपुर (राज०)

प्रस्तावना

स्था० जैन धार्मिक शिक्षण शिविर के पाठ्य-क्रम के रूप में सुबोध जैन पाठमाला द्वितीय भाग के सूत्र तथा तत्त्व-विभाग (पूर्वार्द्ध) और कथा-काव्य विभाग (उत्तरार्द्ध) का धार्मिक शिक्षण के क्षेत्र में स्वागत करते हुए अति हर्ष होता है। प्रथम भाग में जिन-जिन विषयों का समावेश हुआ है, उसके आगे की शृङ्खला इस पाठमाला में देखने को मिलती है।

प्रथम भाग की अपेक्षा इस भाग में अपेक्षाकृत क्रमानुसार गंभीर विषयों का समावेश हुआ है, फिर भी मुख्य विशेषता यह रही है कि विद्वान् लेखक ने भाषा का मूल रूप सरल, सहजबोधक और भावगम्य ही रखा है। वास्तव में किसी विषय को प्रस्तुत करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उसके मर्म और तथ्यों का उद्घाटन करने वाली अभिव्यक्ति का है। अभिव्यक्ति का यह प्रकार ही शैली है, जिससे लेखक लोक में अद्धा, सम्मान और कीर्ति का पात्र बनता है। परम तपस्वी लालचन्द्रजी म० सा० के आज्ञानुवर्ती प० रत्न पारसं मुनिजी म० की ज्ञान-साधना और सयम-आराधना सराहनीय है। २४-२५ वर्ष की इस अल्पायु में ही कठिन श्रम-साधन से आगम आराधना कर जो सार-सिद्धि आपने प्राप्त की, उसका आशिक रूप हम शिविर साहित्य के रूप में पाकर कृतार्थ हैं।

स्था० जैन समाज में विशुद्ध धार्मिक शिक्षण साहित्य की कमी खटवने वाली बात है। दुःख तो उस समय अधिक होता है, जब

लक्ष्मी को विहृत कर अपनी बातों का समावेश जान-बूझ कर या विशुद्ध जानकारी के अभाव में आगमियों की झुझाई देकर लेखक गुड गोबर एक कर बैठे हैं। मेरे मन में यह बात सदा उठती रही थी कि विद्वान मुनिराज यदि आगमानुकूल शिक्षणोपयोगी साहित्य की रचना करें, तो वह अधिक-हीतकर होगा। शिक्षण शिविर गणिकास की आयोजना के अवसर पर मुनि श्री की योग्यता देखकर उनसे इस कार्य को सम्पन्न करने का हमने निवेदन किया। मुनि श्री ने हमारे निवेदन को स्वीकार कर निरन्तर कैठिन परिश्रम द्वारा अल्पावधि में ही सुबोध जैन पाठमाला प्रथम व द्वितीय भाग का लेखन कार्य पूर्ण किया।

इस भाग के सूत्र-विभाग में पं० मुनि श्री ने आवश्यक आवश्यक, जो आवश्यक की दैनिक क्रियाओं के नित्य चिन्तन, आलोचन और प्रत्याख्यान का विधान करता है विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। तत्त्व-विभाग में २५ बोलों के शेष बोल, समिति गुप्ति का स्तोक व उत्कृष्ट पुण्य वध की प्रकृति (तीर्थङ्कर गोत्र) के २० बोल का सरल स्वरूप उपस्थित किया है। कथा-विभाग की सभी कथाएँ जहाँ समित और मर्यादित जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वहीं काव्य-विभाग के स्तवन वरान्त की भाव लहरियाँ जगाते हुए आत्मविमोह कर देती हैं।

शास्त्रकारों ने “पदमं नार्णं तश्चो दया” कहा है। पर समाज में स्थिति कुछ विपरीत दिखती है। वर्षों से नित्य सामायिक आदि क्रियाओं के आराधन करने वाले ज्ञान के नाम पर छः काय नव तत्व आदि के स्वरूप से अनभिज्ञ पाये जाते हैं, इसका प्रभाव यह होता है कि धर्म करना धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित हो जाता है और ध्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग नजर नहीं आता। फलस्वरूप ज्ञान और आचरण में विभेद और विफलता मिलती है। समाज में विशुद्ध धर्म व श्रद्धा के प्रति रुचि जाग्रत करने का व सद् आवश्यक

तैयार करने का यही हृदय उपाय है कि समाज में तीव्र-गति से ज्ञान का प्रचार किया जाय । शिक्षण शिविर-योजना के शुभारम्भ और पाठावलियों के प्रकाशन से उक्त ध्येय की पूर्ति का किञ्चित् आश्वासन मिलता है ।

आशा है, मुनिश्री वर्षों से लगनपूर्वक चिन्तन व मनन किये हुए अपने ज्ञान तथा आदरणीय बहुश्रुत ५० २० मुनि श्री समरथमलजी म०.सा० द्वारा प्राप्ते गूढ धर्म रहस्य की जन-साधारण तक सुगमता से पहुँचा सकेंगे और अपने विशुद्ध निर्मल साहित्य रचना के द्वारा जैन जगत को इसी प्रकार भविष्य में भी लाभान्वित करते रहेंगे ।

सम्पत्तराज डोसी

मन्त्री

साधु-मार्गी जैन धार्मिक पाठशाला

जोधपुर (राजस्थान)



प्रकाशकीय

सुबोध जैन पाठमाला प्रथम भाग का प्रकाशन आप लोगों के हाथों में पहुँच ही चुका है। यह हर्ष का विषय है कि शिक्षण प्रेमी सज्जनो ने इसकी सराहना व्यक्त की है।

अब आपकी सेवा में द्वितीय भाग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाग का मूल्यार्कन विद्वत् सज्जनो एवं जिज्ञासु व्यक्तियों का विषय है फिर भी शिक्षण संस्थाएँ एवं धर्मप्रेमी पाठकगण इससे लाभान्वित हो सकें, तो हम अपना श्रम सार्थक समझेंगे।

शिक्षण शिविर काल नजदीक होने से और समयान्तर से इसकी प्रतियाँ हम विद्वान मुनिराजो एव सुज्ञ श्रावको की सम्मति के लिये और समाचार-पत्रों के समालोचनार्थ नहीं भेज सके।

पुस्तक का कलेवर विस्तृत हो जाने से इसको सूत्र व तत्त्व विभाग (पूर्वाद्ध) कथा व काव्य विभाग (उत्तराद्ध) के रूप में पृथक्-पृथक् पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया है।

१००८ तपस्वी श्री लालचन्दजी म० सा० के आशानुवर्ती वाल-घट्टाचारी पं० र० मुनि श्री पारसमलजी म० सा० ने श्रयक परिश्रम कर अल्प समय में जो यह आगमनाकूल साहित्य तैयार किया है, उसके लिये हम आभार प्रदर्शित करते हैं।

प्रेसादि कार्य में तरुण सुज्ञ श्रावक श्री सपतराजजी डोसी की सेवाएँ सराहनीय रही, उसके लिये वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

अतः मे जालोर समाज के उन उदार हृदय सज्जनों के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकते, जिनके सहयोग के कारण इस पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र सम्भव हो सका।

होराचन्द कटारिया, राणावास,
अध्यक्ष,

धोंगड़मल गिड़िया, जोधपुर,
सत्री,

श्री स्यातकवासी जैन शिक्षण शिविर समिति, जोधपुर.

प्राक्कथन

तपस्वी श्री लालचन्दजी . म० आदि चार सन्तो का सम्बत २०१७ में राणावास में चतुर्मास हुआ । उस समय वहाँ छोटेलालजी अजमेरा प्रचारक अ० भा० साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक सघ आये थे । उन्होंने वहाँ श्री कानमुनिजी को उत्साहपूर्वक बालकों को धार्मिक शिक्षण देते हुए देख कर निवेदन किया कि हमारे स्था० सघ० में आप जैसे धार्मिक शिक्षण में रुचि लेने वाले सत कम हैं । परन्तु ग्रीष्मावकाश में यदि हम शिक्षण शिविर लगायें और आप वहाँ एकत्रित बालकों को धार्मिक शिक्षण दें, तो अधिक बालको को लाभ मिले और उन बच्चों का जो अवकाश का समय प्रमाद में जाता है, वह भी सफल बन जाय ।

काल परिपक्व हुआ और राणावास में हो राणावास सघ के आग्रह और अजमेराजी आदि के प्रयास से स० २०२० में धार्मिक शिक्षण शिविर लगा । उस समय बालको के प्राथमिक तात्कालिक शिक्षण के लिए श्री कानमुनिजी ने विषय सयोजना को और उन्होंने धार्मिक दाचना दो । शिविर समाप्ति पर गठित शिविर समिति के मन्त्रो श्री धीगढमलजी गिडिया, जोधपुर व सदस्य श्री सम्पतराजजी डोसी ने मुझे समिति को और से यह अनुरोध किया कि आप श्री कानमुनिजी द्वारा तात्कालिक विषय को कुछ समय लगा कर सम्पादित कर दें तथा उत्तरोत्तर शिक्षण के लिए अन्य भी क्रमबद्ध चार पुस्तकें लिखकर एक पाठ्यक्रम निर्मित करावे, जिससे शिविरार्थी बालको को क्रमबद्ध शिक्षण मिल सके तथा अल्पकाल में अधिक शिक्षण मिल सके ।

इसके अतिरिक्त शिविर में अधिक बालक उपाश्रित हों, तो हम भी उस सम्पादित पाठ्य क्रम के आधार पर अध्यापकों द्वारा बालकों को शिक्षण दे सकें। यदि अन्यत्र कोई ऐसा शिविर लगाना चाहे, तो वहाँ भी उसका उपयोग हो सके। हमारी स्था० जैन कॉन्फ्रेंस ने जो पाठावलियाँ प्रकाशित की हैं, वह हमारे संघ से विचार और आचार द्वारा बहिष्कृत श्री सन्तबालजी द्वारा लिखवानो पड़ी है। यद्यपि उनका हमारे विद्वान मुनिराजी द्वारा सशोधन अवश्य हुआ है, पर मूल से विकृत पुस्तकों का सशोधन सम्भव नहीं है। उनके लिए तो नये लेखन की आवश्यकता है। अतः उनके स्थान पर यदि कोई आप द्वारा उन नवलिखित पुस्तकों को पढ़ाना चाहें, तो भी पढ़ा सके।

उनके अत्यन्त आग्रह के कारण वर्त्तमान में मेरी इस सम्बन्ध में योग्यता, रुचि और समय की कमी होती हुए सुबोध जैन पाठमाला भाग १ के पश्चात् इस सुबोध जैन पाठमाला भाग २ को लिखा। फिर भी इनसे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति हो सके, यह भावना रखते हुए तदनुकूल जितना मुझ से शक्य हो सका, उतना पुरुषार्थ किया।

इस ग्रन्थ में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वे सब देवगुरु और धर्म की कृपा का फल हैं, जिन्होंने क्रमशः निर्ग्रन्थ प्रवचन जैन धर्म प्रगट किया। मुझे धर्म का साहित्य और शिक्षण दिया और मेरी मति व बुद्धि कुछ निर्मल तथा विकसित की। प्रत्यक्ष में विशेषतया श्री रतनलालजी डोसो, जिन्होंने इसका आद्योपान्त विहगावलोचन कर इसमें सशोधन दिये तथा श्री सम्पतराजजी डोसो, जिन्होंने मुख्यतः इसमें सुभाव दिये, वे इस ग्रन्थ की अच्छाइयों के भागी हैं—एतदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

इसको जहाँ तक हो सका, जिन वचन के अनुकूल बनाने का उपयोग रखने का प्रयास किया है, तथापि इसमें जिन वचन के

विरुद्ध यदि कोई वचन लिखने में आया हो, तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

विद्वान समालोचकों से प्रार्थना है कि वे इसमें रही त्रुटि और स्खलनाओं के प्रति मेरा व प्रकाशक का ध्यान आकर्षित करें, जिससे इसमें भविष्य में परिमार्जन हो सके । इति शुभम् ।

शिक्षकों से :

इस पुस्तक में प्रतिक्रमण में श्रमण-सूत्र भी दिया है । जिनके माता-पिता, गुरुदेव आदि बालको को 'श्रमण-सूत्र' पढ़ाना आवश्यक समझते हों या बालक स्वयं 'श्रमण सूत्र' को आवश्यक समझ कर पढ़ना चाहते हों, उन बालको को 'श्रमण सूत्र' पढ़ाया जाय । जिनके माता पिता गुरुदेव आदि बालको को 'श्रमण सूत्र' पढ़ाना आवश्यक नहीं समझते हो या बालक पढ़ना नहीं चाहते हो, उनके लिए श्रमण सूत्र पढ़ना अनिवार्य नहीं रक्खा जाय ।

छोटे बालको को यह पुस्तक दो वर्ष में पढ़ाना चाहिए । प्रथम वर्ष में १. सूत्र विभाग में 'आवश्यक (प्रतिक्रमण) सूत्र' का मूल और अर्थ समझाना व कठस्थ कराना चाहिए । २. तत्त्व विभाग में 'पञ्चोस बोल' के शेष बोल सार्थ और तीर्थकर गोत्र उपार्जन के २० बोल समझाना व कंठस्थ कराना चाहिए । ३. कथा-विभाग में भगवान् महावीर के २७ भव. २ भगवान् अरिष्ट-नेमि ३ सती राजीमती और ४ अनाथी अणगार—ये चार कथाएँ पढ़ानी चाहिए तथा ४. काव्य-विभाग में तीन मनोरथ, तीन तत्त्व, निर्माण मार्ग, पाक्षिक चौवोसो, क्षमापना और जैनिस्तान की झाँकी — ये छह काव्य समझाना व कठस्थ कराना चाहिए ।

तथा दूसरे वर्ष में १. सूत्र विभाग में प्रतिक्रमण के प्रश्नोत्तर और निबध समझाना और धारण करना चाहिए ।

२. तत्त्व विभाग में पाँच समिति तीन गुप्ति का स्तोक सार्थ कंठस्थ कराना व समझाना चाहिए। ३. कथा विभाग में धर्म रुचि अनगार आदि शेष छ. कथाएँ पढ़ानो चाहिए तथा ४. काव्य विभाग में महावीर गुण कीर्तन, सम्यग्दृष्ट पाऊँ, मानव भव का स्वागत फँसना मत देवाणुप्पिया ! आवश्यक कोजिए और दश श्रावको की स्तुति—ये छह काव्य समझाना व कंठस्थ कराना चाहिए।

स्व० शतावधानी श्री केवल मुनिजी म० का शिष्य
पारस मुनि

१. सूत्र-विभाग

श्री श्रावक आवश्यक सूत्र

१ प्रवेश प्रश्नोत्तरी		१
२ पहला आवश्यक	..	१२
३. 'इच्छामि ठाएमि संक्षिप्त प्रतिक्रमण'		१६
४ दूसरा-तीसरा आवश्यक		१६
५. धर्म की आवश्यकता		२५
६. चौथा आवश्यक		२६
७. 'अरिहतो-महदेवो' वर्णन (सम्यक्त्व) का पाठ	...	३६
८. 'अहिंसा अणुव्रत' व्रत पाठ	..	४५
९ 'सत्य अणुव्रत' व्रत पाठ		५३
१० 'अचौर्य अणुव्रत' व्रत पाठ		५६
११. 'ब्रह्मचर्य अणुव्रत' व्रत पाठ	...	६३
१२ 'अपरिग्रह अणुव्रत' व्रत पाठ	...	६६
१३. 'दिशा व्रत' व्रत पाठ		७४
१४. 'उपभोग परिभोग व्रत' व्रत पाठ		७८
१५. 'अनर्थ दण्ड व्रत' व्रत पाठ	..	८१
१६ 'सामायिक व्रत' व्रत पाठ	..	८६
१७ 'दिशावकासिक व्रत' व्रत पाठ		८७
१८. 'पौषध व्रत' व्रत पाठ	..	१०१
१९. 'अतिथि-सविभाग व्रत' व्रत पाठ		११०
२०. 'संलेखना' तप का पाठ		११६
२१. 'समुच्चय का पाठ'		१२७
२२. 'मद्धारह पाप'		१३२

२३. 'पञ्चीस मिथ्यात्व' का पाठ	...	१३३
२४ 'चौदह सम्मूर्च्छिम' का पाठ		१३६
२५. 'श्रमण सूत्र' चर्चा	..	१४३
२६ 'चत्तारी मंगल' मागलिक का पाठ		१५१
२७ 'पगामसिज्जाए' शय्या के श्रतिचारों का प्रतिक्रमण पाठ		१५३
२८ 'गोयरग्गचरियाए' गौचरी के श्रतिचारों का प्रतिक्रमण पाठ		१५८
२९ चाउक्काल सज्जायस्स' स्वाध्याय और प्रतिलेखना के श्रतिचारों का प्रतिक्रमण पाठ	...	१६२
३०. 'तैत्तीस बोल' विस्तृत प्रतिक्रमण		१६४
३१. 'नमोचउवीसाए' 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' पाठ	-	१७५
३२ पाँच पदों की वन्दनाएँ	..	१८३
३३ 'खामेमि सव्वे जीवा' खमाने का पाठ	...	१९९
३४ पाँचवाँ आवश्यक	-	२०६
३५. छठा आवश्यक	..	२०८
३६. दश प्रत्याख्यानो के पृथक्-पृथक् पाठ		२१७

तत्त्व-विभाग

१ पञ्चीस बोल के स्तोक (थोकड़े) के शेष बोल सार्थ		२२६
२ ५ समिति ३ गुप्ति का स्तोक (थोकड़ा) सार्थ	..	२५१
३. 'तीर्थङ्कर नाम गोत्र उपार्जन के २० बोल'		२७८



‘भाषावस्तय कहे’

पृष्ठ १०

१. सूत्र-विभाग

श्री श्रावक आवश्यक सूत्र

पाठ १ पहला

प्रवेश प्रश्नोत्तरी

प्र० : आवश्यक किसे कहते हैं ?

उ० सभी बातों में जो बातें चतुर्विध सध को सबसे पहले जाननी चाहिएँ और सबसे पहले करनी चाहिएँ, उन्हें आवश्यक कहते हैं।

प्र० ऐसी आवश्यक बातें कितनी हैं ?

उ० जैसे लौकिक क्षेत्र में १ लौकिक विद्या पढ़ना, नीति से रहना, २ गारुदेवी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की पूजा करना, ३ माता-पिता गुरु आदि को प्रणाम करना, ४ नीति-रीति के अतिक्रमण पर पश्चात्ताप करना, ५ उल्लंघन करने वाले को कारावास, ६ हथकड़ी बेड़ी आदि का दण्ड देना आदि आवश्यक माने जाते हैं। वैसे ही धार्मिक क्षेत्र में चतुर्विध सध को १. सामायिक, २ चतुर्विंशति-स्तव, ३ वन्दना,

४ प्रतिक्रमण, ५ कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान करना—ये छह बातें आवश्यक मानी गई हैं।

प्र० : सामायिक किसे कहते हैं ?

उ० : १ सम्यग्ज्ञान (तत्त्वज्ञान) सीखना, २ सम्यग्दर्शन (तत्त्वो पर श्रद्धा) रखना, ३. सम्यक्चारित्र्य स्वीकार करना (जिसमें या तो साधु-धर्म स्वीकार करना या श्रावक-धर्म (व्रत) स्वीकार करना या श्रावक धर्म के नववे व्रत में एक मुहूर्त तक दो करण तीन योग से १८ पापों का त्याग करना) तथा ४. सम्यक्तप स्वीकार करना।

प्र० : हमने तो 'श्रावक के नववे व्रत को सामायिक कहते हैं'—यही सुना और सीखा है। आपने सामायिक के इतने अर्थ कैसे बताये ?

उ० : नाम की दृष्टि से श्रावक के नववे व्रत का नाम 'सामायिक' होने से वही सामायिक के रूप में अति प्रसिद्ध है। पर गुण की दृष्टि से सम्यग्ज्ञान आदि सबसे समभाव की आय होती है, अतः ये सभी सामायिक ही समझने चाहिए।

प्र० : सामायिक अर्थात् सम्यग्ज्ञान दर्शन, चरित्र और तप आवश्यक क्यों हैं ?

उ० : जैसे वन से नगर में पहुँचने वाले को १. मार्ग आदि का सम्यग्ज्ञान आवश्यक है, २. मार्ग आदि के ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है, ३. वन में भटकना छोड़ना आवश्यक है और ४. मार्ग पर चलना आवश्यक है, वैसे ही हम संसार-वन में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि हम मोक्ष-नगर में पहुँचना चाहते हैं, तो हमें १. मोक्ष के मार्ग आदि-रूप नव तत्त्वों का

सम्यग्ज्ञान आवश्यक है, मार्ग-श्रद्धा-रूप नव तत्वों की सम्यक् श्रद्धा आवश्यक है, वन में भटकना छोड़ना-रूप चारित्र्य-आवश्यक है तथा मार्ग में चलना-रूप सम्यक्त्व-आवश्यक है ।

प्र० चतुर्विंशति-स्तव किसे कहते हैं ?

उ० : जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक चौबीस तीर्थंकरों का मन से नाम-स्मरण और गुण-स्मरण करना, वचन से नाम स्तुति और गुण-स्तुति करना, काया से नमस्कार करना, उनकी प्रार्थना करना आदि ।

प्र० वन्दना किसे कहते हैं ?

उ० क्षमा आदि गुणों के धारक (महाव्रत समिति गुप्ति आदि के धारक) साधुओं को प्रदक्षिणावर्तन देना, पञ्चांग वन्दना करना, उनके चरण स्पर्श करना, उनकी चारित्र्य-सम्बन्धी समाधि तथा शरीर, इन्द्रिय, मन-सम्बन्धी सुख-शांता-पूछना, उनकी की गई आघातना का पञ्चात्ताप करना आदि ।

प्र० चतुर्विंशतिस्तव और वन्दना आवश्यक क्यों हैं ?

उ० . जैसे जो पुरुष पहले वन में भटक रहा था, उसे आवश्यक है कि—‘वह नगर का मार्ग बतलाने वाले पुरुष के उपकार को मानकर उसकी स्तुति आदि करे, वन्दना आदि करे ।’ इसी प्रकार जब हम ससार-वन में भटक रहे थे, हमें मोक्ष-नगर के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं था, तब देव गुरु ने हमें शब्द सुना कर मोक्ष-नगर का मार्ग बताया और मोक्ष-मार्ग पर चढ़ाया । अतः हमें भी आवश्यक है हम देव-गुरु की स्तुति आदि करे तथा उनको वन्दना आदि करे ।

प्र० प्रतिक्रमण किसे कहते हैं ?

उ० . १. अब तक यदि ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को स्वीकार न किया हो, तो उसका पश्चात्ताप करना । २. स्वीकृत ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में लगे अतिचारो के प्रति हृदय से पश्चात्तापपूर्वक 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) । ३ अतिचारो से लौटकर आचार में आना । ४ कर्मों के अशुभ उदय-भाव से क्षयोपशम आदि शुभ भावों में आना ।

प्र० प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों हैं ?

उ० १. सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन ग्रहण करते समय अर्थात् सम्यक्त्व ग्रहण करते समय यदि पहले किये हुए पापों का पश्चात्ताप-रूप प्रतिक्रमण नहीं किया जाता, तो पूर्व के पापों का अनुमोदन आता रहता है और ली हुई सम्यक्त्व दृढ नहीं बन पाती । इसी प्रकार चारित्र्य ग्रहण करते समय यदि पूर्व के पापों का पश्चात्ताप-रूप प्रतिक्रमण नहीं किया जाता, तो पूर्व के पापों का अनुमोदन आता रहता है और लिया हुआ चारित्र्य दृढ नहीं बन पाता । अतः प्रतिक्रमण आवश्यक है । २. जैसे मार्ग में चलते हुए अनाभोग, प्रमाद आदि से प्रायः पैर में काँटे लग जाते हैं, उन्हें निकालना आवश्यक होता है । यदि उन्हें न निकाला जाय, तो वे गति में मन्दता उत्पन्न कर देते हैं । कभी-कभी पैरों में विष फैलाते हुए वे पैरों में चलने की शक्ति सर्वथा नष्ट कर देते हैं । वैसे ही सम्यग्ज्ञानादि ग्रहण करने के पश्चात् अनाभोग, प्रमाद आदि से अतिचार-रूप काँटे प्रायः लग ही जाते हैं । उक्त अतिचारों को दूर न किया जाय, तो वे जीव को विराधक बनाकर मोक्ष पहुँचने की गति में मन्दता उत्पन्न कर देते हैं । कभी-कभी तो वे अतिचार, सम्यक्त्व आदि

को पूर्ण नष्ट कर देते हैं। अतः विराधकता और सम्यक्त्वादि के विनाश से बचने के लिए भी प्रतिक्रमण आवश्यक है।

प्र० कायोत्सर्ग किसे कहते हैं ?

उ० १ अज्ञान, मिथ्यात्व, अव्रत आदि की सामान्य शुद्धि के लिए अथवा २. अनजान में लगे हुए अतिचारो की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त के रूप में नियत कुछ समय तक देह की ममता छोड़कर तीर्थंकरो का ध्यान लगाना।

प्र० : कायोत्सर्ग आवश्यक क्यों है ?

उ० मार्ग में चलते हुए जो काँटे पैर में लगकर घाव करके घाव के भीतर रहे रक्त को विषाक्त कर देते हैं, उन काँटो को निकालने के साथ उनके द्वारा किये हुए घाव में रहे हुए विषाक्त रक्त को निकालने के लिए चमडो को इधर-उधर दबाने से होनेवाले दुःख के प्रति ध्यान न देते हुए जैसे चमडी को इधर-उधर दबाना आवश्यक होता है, जिससे वह विषाक्त रक्त निकल कर घाव शुद्ध हो जाय, उसी प्रकार अविवेक असावधानी आदि से लगे अतिचारो से जो ज्ञानादि में घाव पडने के साथ रक्त विषाक्त बन जाता है, उसे निकालने के लिए देह-दुःख की ममता छोड़कर कायोत्सर्ग करना आवश्यक है जिससे वह विषाक्त रक्त निकल कर ज्ञानादि के घाव शुद्ध हो जायँ।

प्र० प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उ० : १. अज्ञान, अव्रत, मिथ्यात्व आदि की कुछ विशेष शुद्धि के लिए अथवा २. जानते हुए लगे अतिचारो की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त के रूप में नमस्कार सहित (नवकारसी) आदि प्रत्याख्यान धारण करना अथवा ३. प्रायश्चित्त न लगने पर भी तप के लाभ के लिए प्रत्याख्यान करना।

प्र० . नित्य उभयकाल आवश्यक से क्या लाभ है ?

उ० . १. सामायिकादि आवश्यकों का ज्ञान (स्मरण) रहता है । २. 'वे अवश्यकरणीय हैं'—यह श्रद्धा रहती है । ३. यदि व्रत ग्रहण किये हो, तो गृहित व्रतों की स्मृति रहती है, जिससे व्रतों का सम्यक्पालन होता रहता है । ४. यदि व्रत ग्रहण न किये हो, तो व्रत-ग्रहण की भावना होती है । ५. दिन-रात्रि में कभी भी देव गुरु का स्मरण आदि न हुआ हो, तो कम-से-कम एक दिन-रात्रि में दो बार स्मरण आदि हो जाता है । ६. सम्यक्त्वादि में लगे अतिचारों की शुद्धि होती रहती है । ७. यदि व्रत ग्रहण न भी किया हो, तो भी पाप के प्रति पश्चात्ताप होता है । ८. स्वाध्याय होता है । इत्यादि नित्य आवश्यक करने में हमें कई लाभ हैं । हम नित्य आवश्यक करें, तो १. दूसरों को भी आवश्यक का महत्व ध्यान में आता है । २. वे भी आवश्यक का ज्ञान करते हैं । ३. इन्हें भी आवश्यक पर श्रद्धा होती है । ४. वे भी देव-स्तव और गुरु-वन्दना करते हैं । ५. वे भी पाप का पश्चात्ताप करते हैं और कदाचित् व्रत धारण भी करते हैं । इत्यादि हमारे नित्य आवश्यक से दूसरों को भी कई लाभ हैं ।

प्र०. जैसे 'दीपावली आदि को घर-दुकान आदि को विशेष साफ किया जाता है, धुलाई-पुताई की जाती है, गत वर्ष के आय-व्यय का मिलान किया जाता है, लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है, घर-दुकान में नई-नई वस्तुएँ बसाई जाती हैं।' वैसे नित्य उभयकाल आवश्यक की अपेक्षा भी कभी विशेष आवश्यक भी किये जाते हैं क्या ? जिससे आत्मा की विशेष शुद्धि हो, धार्मिक हानि-लाभ का ज्ञान हो, देव गुरु की विशेष स्तुति-वन्दना हो । आगामी वर्ष के लिए विशेष प्रत्याख्यान हो ।

उ० : हाँ, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अन्त में अर्थात् अमावस्या और पूर्णिमा (कभी-कभी चतुर्दशी) के दिन के अन्त में, वर्षा, शीत और उष्णकाल के चातुर्मास के अन्त में अर्थात् कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा और आषाढी पूर्णिमा (कभी-कभी चतुर्दशी) के दिन के अन्त में तथा सवत्सर (वर्ष) के अन्त में अर्थात् भाद्रपद शुक्ला पंचमी (कभी-कभी चतुर्थी) के दिन के अन्त में, विशेष आवश्यक किये जाते हैं। कई इन दिनों में दैवसिक प्रतिक्रमण के अतिरिक्त पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावत्सरिक प्रतिक्रमण स्वतन्त्र रूप से करने की भी मान्यता रखते हैं और कई लोग चातुर्मास और सम्बत्सर के अन्त में दो प्रतिक्रमण भी करते हैं।†

प्र० मास वृद्धि होने पर चातुर्मासिक और सांवत्सरिक (प्रतिक्रमण) कब करने चाहिए ?

उ० : जो अधिक मास हो, उसे गौण कर देना चाहिए (गिनना नहीं चाहिए) और गौण करके वर्षा आदि किसी भी चातुर्मास में कोई भी मास क्यों न बढ़ा हो, कार्तिक अथवा द्वितीय कार्तिक पूर्णिमा आदि के दिन के अंत में प्रतिक्रमण करना चाहिए। संवत्सरी के सम्बन्ध में तीन मत हैं—१ श्रावण दो होने पर भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना और भाद्रपद दो होने पर दूसरे भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना, २ श्रावण दो होने पर भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना और भाद्रपद दो होने पर पहले भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना, ३. श्रावण दो होने पर दूसरे

†इस सम्बन्ध में वर्धमान अमण संघ का नियम पालने वालों को एक प्रतिक्रमण करना चाहिए।

प्र० प्रत्याख्यान आवश्यक क्यों है ?

उ० : कुछ काँटे पैर में घाव करके भीतर के रक्त को इतना विषाक्त कर देते हैं कि उस रक्त को निकालने के साथ घाव पर कुछ लेप की पट्टी भी करना आवश्यक हो जाना है। वैसे ही जानते हुए लगे अतिचारो से ज्ञानादि में घाव पड़ने के साथ रक्त अति विषाक्त बन जाता है। अतः उस विषाक्त रक्त को कायोत्सर्ग से निकालने के साथ ज्ञानादि के घावों पर लेप-पट्टी के समान प्रत्याख्यान करना आवश्यक है, जिसे ज्ञानादि के कायोत्सर्ग से शुद्ध हुए घाव पूरे जायँ (वन्द हो जायँ)।

प्र० आवश्यको का क्रम इस प्रकार क्यों रक्खा गया है ?

उ० सामायिक अर्थात् सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र और तप, ही मोक्ष का मार्ग है, अतः वह सबसे मुख्य है—यह बताने के लिए सामायिक को सबसे प्रथम रक्खा गया है।

१ 'मोक्षप्रदायी सामायिक धर्म' को अरिहन्त देव ने प्रकट किया और हमें 'गुरुदेव ने उसे सिखाया।' अतः कृतज्ञता की दृष्टि में 'हम तीर्थंकर-स्तव और गुरु-वन्दना करें'—यह बताने के लिए क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चतुर्विंशतिस्तव और वन्दना रक्खी गई है। २ 'हम अपनी सामायिक आराधना को तीर्थंकर-स्तव और गुरु-वन्दना करके निर्विघ्न मंगलमय बनावे।' इसलिए भी इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया है। ३ 'पापों का पञ्चात्ताप और अतिचारों का प्रतिक्रमण हम अरिहन्त-साक्षी से और गुरुदेव के चरणों में करें।' इसलिए भी इन्हें दूसरा तीसरा स्थान दिया है। अरिहन्त-साक्षी से हमें पाप-गोपन की भावना दूर होती है और गुरु के चरणों से हमें अपने अतिचारों की शुद्धि का मार्ग मिलता है।

१. 'जिम्हने सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन पाया, वही सम्यक्व्रतया पाप और धर्म को समझकर अपने पापों का सच्चा पश्चात्ताप-रूप प्रतिक्रमण कर सकेगा'—यह बताने के लिए प्रतिक्रमण का चौथा स्थान रक्खा है। २ 'सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन पाने के बाद या चारों को पाने के बाद प्रायः उनमें अनाभोगादि से अतिचार लगते रहते हैं।' अतः उन अतिचारों के प्रतिक्रमण के लिए भी प्रतिक्रमण का स्थान चौथा रक्खा है।

अनाभोग आदि से लगने वाले अतिचारों की अपेक्षा अविवेक, असावधानी आदि से लगे बड़े अतिचारों की कायोत्सर्ग शुद्धि करता है। इसीलिए कायोत्सर्ग को पाँचवाँ स्थान दिया है तथा अविवेकादि से लगने वाले अतिचारों की अपेक्षा जानते हुए दप आदि से लगे बड़े अतिचारों की प्रत्याख्यान शुद्धि करता है। अतः प्रत्याख्यान को छठा स्थान दिया है। अथवा प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग के द्वारा अतिचार की शुद्धि हो जाने पर प्रत्याख्यान द्वारा तप-रूप नया लाभ होता है। अतः प्रत्याख्यान को छठा स्थान दिया है।

प्र० . ये आवश्यक कब किये जाते हैं ?

उ० जब भी अनुकूल अवसर (समय) मिले, तभी किये जा सकते हैं। पर-१. दिन के अन्त में अर्थात् सूर्यास्त के पश्चात् और मन्द तारे दिखने लग जायँ, लाली और प्रकाश मिट जायँ—इसके बीच लगभग एक मुहूर्त में, २ रात्रि के अन्त में अर्थात् मन्द तारे दिखने बन्द हो जायँ, लाली और प्रकाश आरम्भ हो जायँ, तब से लेकर सूर्योदय के पहले तक लगभग एक मुहूर्त में, ये छहों आवश्यक अवश्य करने चाहिएँ।

प्र० नित्य उभयकाल आवश्यक से क्या लाभ है ?

उ० १ सामायिकादि आवश्यकों का ज्ञान (स्मरण) रहता है। २ 'वे अवश्यकरणीय हैं'—यह श्रद्धा रहती है। ३. यदि व्रत ग्रहण किये हो, तो गृहित व्रतों की स्मृति रहती है, जिससे व्रतों का सम्यक्पालन होता रहता है। ४. यदि व्रत ग्रहण न किये हो, तो व्रत-ग्रहण की भावना होती है। ५. दिन-रात्रि में कभी भी देव गुरु का स्मरण आदि न हुआ हो, तो कम-से-कम एक दिन-रात्रि में दो बार स्मरण आदि हो जाता है। ६ सम्यक्त्वादि में लगे अतिचारों की शुद्धि होती रहती है। ७ यदि व्रत ग्रहण न भी किया हो, तो भी पाप के प्रति पश्चात्ताप होता है। ८ स्वाध्याय होता है। इत्यादि नित्य आवश्यक करने में हमें कई लाभ हैं। हम नित्य आवश्यक करें, तो १. दूसरों को भी आवश्यक का महत्व ध्यान में आता है। २ वे भी आवश्यक का ज्ञान करते हैं। ३ इन्हें भी आवश्यक पर श्रद्धा होती है। ४ वे भी देव-स्तव और गुरु-वन्दना करते हैं। ५. वे भी पाप का पश्चात्ताप करते हैं और कदाचित् व्रत धारण भी करते हैं। इत्यादि हमारे नित्य आवश्यक से दूसरों को भी कई लाभ हैं।

प्र० जैसे 'दीपावली आदि को घर-दुकान आदि को विशेष साफ किया जाता है, धुलाई-पुताई की जाती है, गत वर्ष के आय-व्यय का मिलान किया जाता है, लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है, घर-दुकान में नई-नई वस्तुएँ बसाई जाती हैं।' वैसे नित्य उभयकाल आवश्यक की अपेक्षा भी कभी विशेष आवश्यक भी किये जाते हैं क्या ? जिससे आत्मा की विशेष शुद्धि हो, धार्मिक हानि-लाभ का ज्ञान हो, देव गुरु की विशेष स्तुति-वन्दना हो। आगामी वर्ष के लिए विशेष प्रत्याख्यान हो।

उ० : हाँ, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अन्त में अर्थात् अमावस्या और पूर्णिमा (कभी-कभी चतुर्दशी) के दिन के अन्त में, वर्षा, शीत और उष्णकाल के चातुर्मास के अन्त में अर्थात् कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा और आषाढी पूर्णिमा (कभी-कभी चतुर्दशी) के दिन के अन्त में तथा सवत्सर (वर्ष) के अन्त में अर्थात् भाद्रपद शुक्ला पंचमी (कभी-कभी चतुर्थी) के दिन के अन्त में, विशेष आवश्यक किये जाते हैं। कई इन दिनों में दैवसिक प्रतिक्रमण के अतिरिक्त पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावत्सरिक प्रतिक्रमण स्वतन्त्र रूप से करने की भी मान्यता रखते हैं और कई लोग चातुर्मास और सम्बत्सर के अन्त में दो प्रतिक्रमण भी करते हैं।†

प्र० मास वृद्धि होने पर चातुर्मासिक और सांवत्सरिक (प्रतिक्रमण) कब करने चाहिए ?

उ० : जो अधिक मास हो, उसे गौण कर देना चाहिए (गिनना नहीं चाहिए) और गौण करके वर्षा आदि किसी भी चातुर्मास में कोई भी मास क्यों न बढ़ा हो, कार्तिक अथवा द्वितीय कार्तिक पूर्णिमा आदि के दिन के अंत में प्रतिक्रमण करना चाहिए। सवत्सरी के सम्बन्ध में तीन मत हैं—१ श्रावण दो होने पर भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना और भाद्रपद दो होने पर दूसरे भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना, २ श्रावण दो होने पर भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना और भाद्रपद दो होने पर पहले भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना, ३. श्रावण दो होने पर दूसरे

†इस सम्बन्ध में वर्धमान अमण संघ का नियम पालने वालों को एक प्रतिक्रमण करना चाहिए।

श्रावण में प्रतिक्रमण करना और दो भाद्रपद होने पर पहले भाद्रपद में प्रतिक्रमण करना ।

इन्में से पहला मत 'चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में जैसे अधिक मास गौण किया जाता है', वैसे ही दूसरा मत 'संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी अधिक मास गौण करना, इस मान्यता को लेकर चलने वालों का है । और तीसरा मत 'वर्षावास आरम्भ होने के पश्चात् ४६-५०वें दिन संवत्सरी करना' इस मान्यता वालों का है ।†

प्र० दूसरों की संध्याआदि में (संध्यापाठ आदि में) और हमारे आवश्यक में क्या अन्तर है ?

उ० दूसरे लोगों की संध्या आदि में केवल ईश्वर-स्मरण और प्रार्थना आदि की मुख्यता रहती है, अपने ज्ञानादि धर्मों की स्मृति तथा अपने पापों के प्रतिक्रमण की मुख्यता नहीं रहती, पर हमारे आवश्यक में अपने ज्ञानादि धर्मों की स्मृति तथा अपने पापों की प्रतिक्रमण की मुख्यता है, जो अन्तरंग दृष्टि से (उपादान दृष्टि से) अधिक आवश्यक है । इसलिए हमारा आवश्यक उपयुक्त और बढ़कर है ।

प्र० : सूत्र किसे कहते हैं ?

उ० : लोक में सूत को सूत्र कहते हैं, जिसमें माली बाग के फूल पिरोता है या मणियार मणि-मोती पिरोता है । पर यहाँ धार्मिक क्षेत्र में गणधरो की शब्द-रचना को 'सूत्र' कहते

† इस सम्बन्ध में वर्धमान अमण संघ का नियम पालने वालों को पहले मत के अनुसार प्रतिक्रमण करना चाहिए ।

हैं, जिसमें गणधर, भगवान् की आज्ञा, उपदेश, मत के रूप-रत्नों को गूँथते हैं।

अथपुर

प्र० : आवश्यक आवश्यक सूत्र किसे कहते हैं ?

उ० जिसमें श्रावक-श्राविकाओं को सर्वप्रथम अवश्य जानने योग्य और नित्य दोनों सध्याओं को अवश्य करने योग्य, तीर्थकरो द्वारा बताए हुए सामायिकादि छह आवश्यक गणधरो ने गूँथे हो, उसे 'आवश्यक सूत्र' कहते हैं।

प्र० : आवश्यक सूत्र का प्रसिद्ध दूसरा नाम क्या है ?

उ० प्रतिक्रमण सूत्र।

प्र० आवश्यक सूत्र को प्रतिक्रमण सूत्र क्यों कहते हैं ?

उ० . क्योंकि आवश्यक सूत्र के छह आवश्यकों में प्रतिक्रमण सूत्र अक्षर प्रमाण में सबसे बड़ा है।

प्र० : वर्तमान में आवश्यक सूत्र से कितने आवश्यक लिए जाते हैं ?

उ० वर्तमान में सामायिक सूत्र और प्रतिक्रमण सूत्र — यों प्रायः आवश्यक दो भागों में बाँटा जाता है। सामायिक सूत्र में १. सामायिक और २. चतुर्विंशतिस्तव—ये दो आवश्यक दिये जाते हैं। शेष ३. बदना, ४. प्रतिक्रमण, ५. कायोत्सर्ग और ६. प्रत्याख्यान—ये चार आवश्यक प्रतिक्रमण सूत्र में दिये जाते हैं।

पहली पाठमाला के सूत्र-विभाग में दो आवश्यक दिये जा चुके हैं, इसमें शेष चार आवश्यक दिये जायेंगे।



पाठ २ दूसरा

पहला आवश्यक

विधि : मुनि-स्थान, पौषधशाला आदि निरवद्य स्थान में पहले सामायिक करे। यात्रा आदि का आगार। फिर क्षेत्र विशुद्धि (चउवीसत्थव) करे, इसकी विधि—‘तिक्खुत्तो से तीन बार वन्दना करे, फिर इच्छाकरेण तस्सउत्तरी बोलकर दो लोगस्स का ध्यान करे। नमस्कार मंत्र से कायोत्सर्ग पार कर ध्यान पारने का पाठ कहे, फिर प्रकट एक लोगस्स कहकर दो ‘नमोत्थुण दे।’ यो क्षेत्र-विशुद्धि करके तिक्खुत्तो से तीन बार गुरुदेव को या पूर्व-उत्तर दिशा में भगवान् को वन्दना करके ‘प्रतिक्रमण आरम्भ करने (ठाने) की आज्ञा है।’ कहकर प्रतिक्रमण आरम्भ की आज्ञा ले। ‘सुनने वाले, सुनानेवाले के प्रति आपकी निश्चा है।’ कहकर निश्चा ग्रहण करे। सुनाने वाला सुननेवालों के प्रति ‘कीजिए।’ कहकर निश्चा की स्वीकृति दे। फिर खड़े रहकर हो यह पाठ कहे—

१. ‘इच्छामि णं भन्ते’ आज्ञा का पाठ

इच्छामि णं	: मैं चाहता हूँ (ण वाक्य अलंकार में)
भन्ते !	: हे भगवन् ! (हे पूज्य !)
तुव्भेहि	: आपके द्वारा
अवभणुण्णाए समाणे	: आज्ञा मिलने पर
देवसियं	: दिन सबधी

‘जहां-जहां ‘वेवसिय’ शब्द आवे, वहाँ वहाँ रात्रिक (प्रातः) प्रतिक्रमण में ‘राइयं’, पाक्षिक प्रतिक्रमण में ‘वेवसियं पक्खियं’, चातुर्मासिक

पडिक्कमण : प्रतिक्रमण (आवश्यक) को
ठाएमि । : करता हूँ ।

कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा

देवसिय । : दिन सबधो
१-२. एणण-दंसण ज्ञान-दर्शन (सम्यक्त्व)
३. चरित्ताचरित्त चारित्राचारित्र (श्रावक का देश-
चारित्र)
४ तव : और तप के (सब ६६)
अइयार : अतिचारो का
चिन्तवणत्थं : चिन्तन करने के लिए
करेमि काउसग । : करता हूँ, कायोत्सर्ग को

प्रश्नोत्तर

प्र० क्षेत्र-विशुद्धि किसे कहते हैं ?

उ० किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले उसके लिए भूमिका का शुद्धि करना । जैसे घोड़ी वस्त्र धोने से पहले

प्रतिक्रमण मे 'देवसिय चाउम्मासियं' तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण मे 'देवसिय-सवच्छरिय' बोलें । दो प्रतिक्रमण करने वाले चातुर्मासान्त के दिन पहले प्रतिक्रमण मे 'देवसिय' तथा दूसरे प्रतिक्रमण मे 'चाउम्मासियं' बोलें । इसी प्रकार सवत्सरान्त मे पहले मे 'देवसियं' तथा दूसरे मे 'संवत्सरिय' बोलें । इसी प्रकार 'देवसिय', देवसिओ और 'देवसियाए' के स्थान पर 'राइय' 'राइओ' और 'राइयाए' आदि बोलें ।

शिला की शुद्धि करता है, वैसे ही प्रतिक्रमण करने से पहले चउवीसत्थव करके 'क्षेत्र-विशुद्धि' की जाती है ।

प्र० निश्चा किसे कहते हैं ?

उ० . जिन्हें प्रतिक्रमण कउस्थ न हो, जो उसके भाव व विधि आदि को न जानते हो, वे, (जानते भी हों, तो भी) 'हमारे पाप निष्फल हो'—इस भावना को लेकर प्रतिक्रमण करने वाला 'जो कुछ शब्दोच्चारण करे, वह हमारे लिए भी हो ।' इस आशय से प्रतिक्रमण करने वाले का आश्रय ग्रहण करे, उसे निश्चा कहते हैं ।

प्र० श्रावक के देश-चारित्र को चारित्राचारित्र क्यों कहते हैं ?

उ० वह कुछ चारित्र ग्रहण करता है, और कुछ नहीं—इसलिए ।

प्र० . आलोचना किसे कहते हैं ?

उ० 'मेरे धर्म में कोई अतिचार लगा या नहीं ? यदि लगा हो, तो उसे दूर करूँ ।' इस विचार से १. अपने अतिचारों को, २. शुद्ध भाव से, ३. सम्यक्तया (धीरे-धीरे गहराई पूर्वक) देखने को यहाँ 'आलोचना' कहा है ।

प्र० : अतिचार किसे कहते हैं ?

उ० : धर्म में कुछ दोष लगाने को । १. दर्प (विना कारण जान-बूझकर व्रत तोड़ने की बुद्धि) से, २. प्रमाद (व्रत के प्रति अनादर, अविवेक, विषय-भोग में रुचि आदि) से तथा ३. प्रद्वेष (कपाय की तीव्रता) से धर्म में कुछ दोष लगाना तीव्र अतिचार है और पूरा दोष लगा देना अनाचार है ।

१. अनाभोग (प्रत्याख्यान की स्मृति न रहना, 'ऐसा करने से व्रत में दोष लगता है'—इसका ज्ञान न होना, मैंने जो प्रत्याख्यान लिया है, 'उसमें इसका भी त्याग सम्मिलित है'—इसका भान न होना आदि) से तथा २ सहसाकार (प्रत्याख्यान की रक्षा करने की भावना और प्रवृत्ति होते हुए भी अकस्मात् बिलोत्कार हो जाना आदि) से व्रत में केवल मन्द अतिचार लगता है। इन दोनों से अनाचार नहीं होता।

शेष १ आतुरता (भूख-प्यास आदि से अत्यन्त पीड़ित हो जाने) से, २ आपत्ति (रोग आदि) से, ३ शंका (ऐसा करने से मेरे प्रत्याख्यान में अतिचार लगेगा या नहीं—ऐसे संदेह) से, ४ भय (देवादि के भय) से तथा ५ विमर्श (किसी की परीक्षा के लिए अपने प्रत्याख्यान के प्रति गौरवता आ जाने से) प्रत्याख्यान में कुछ दोष लगाना मध्यम अतिचार है और पूरा दोष लगा देना कभी तीव्र अतिचार होता है, तो कभी अनाचार भी हो जाता है।

प्र० . अतिचारो का प्रायश्चित्त बताइये।

उ० . मन्द अतिचार का प्रायश्चित्त 'हार्दिक पश्चात्तोष' 'मिच्छो मि ठुक्कड' है। मध्यम और तीव्र अतिचारों का प्रायश्चित्त नवकारसी (नमस्कार सहित) आदि है। अनाचार के पश्चात् पुनः व्रत लेना पड़ता है।



पाठ ३ तीसरा

‘इच्छामि ठामि संक्षिप्त प्रतिक्रमण’

विधि : ‘इच्छामि णं भने’ के पश्चात् वदना करके—‘पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा है’—कहकर पहले आवश्यक की आज्ञा ले। फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप सबंधी सभी प्रत्याख्यानो की स्मृति के रूप में ‘करेमि भते’ पढ़ें। यहाँ पहला आवश्यक समाप्त हो जाता है, पर आगामी चौथे आवश्यक की भूमिका के लिए इसी आवश्यक में निम्न ‘इच्छामि ठामि’ का पाठ पढ़ें। फिर ‘तस्स उत्तरी’ कहकर कायोत्सर्ग करे। जैसे धोबी वस्त्र धोने से पहले ‘वस्त्र में कहाँ-कहाँ मैल लगा है’—यह ध्यानपूर्वक देखता है, जिससे वस्त्र-शुद्धि उत्तम होती है, वैसे ही आगामी प्रतिक्रमण के लिए ‘दिन आदि में क्या-क्या अतिचार लगे हैं’—यह जानने के लिए कायोत्सर्ग में ६६ अतिचार और समुच्चय १८ पाप का चिन्तन करे। अतिचार-चिन्तन के लिए चौथे आवश्यक के ‘आगमे तिविहे’ से लेकर ‘सलेखना’ तक के १५ पाठों में अतिचार अश वाले पाठ कहे। मिश्रित प्रतिक्रमण करने वाले कायोत्सर्ग में अर्थ-प्रधान अतिचार में पाठ पढ़ते हैं और चौथे आवश्यक में अन्तिम बार मूल-प्रधान अतिचार पाठ पढ़ते हैं। मूल-प्रधान प्रतिक्रमण वाले सर्वत्र मूल-प्रधान अतिचार पाठ पढ़ते हैं और अर्थ-प्रधान प्रतिक्रमण वाले सर्वत्र अर्थ-प्रधान अतिचार पाठ पढ़ते हैं। (१८ पाप के पश्चात् कई ‘इच्छामि ठामि’ भी ज विराहिय’ तक पढ़ने हैं) जिन्हें पाठ कठस्थ न हो, वे ८ लोगस्म या प्रति लोगस्म ४ नमस्कार मंत्र के गणित से ३२ नमस्कार

मंत्र पढ़ें, उसके पश्चात् नमस्कार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग पारें और प्रकट एक नमस्कार मंत्र और ध्यान पारने का पाठ कहे ।

इति पहला आवश्यक समाप्त ।

कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा

इच्छामि	: मैं चाहता हूँ
ठाएमि (ठाइडं)	: करना
काउत्सर्ग ।	: कायोत्सर्ग ।

अतिचार आलोचना

जो मे	: (निम्न अतिचारों में से) मुझे जो कोई
वेवसिओ	: दिन संबंधी
अइयारो कओ	: अतिचार लगा हो (तो आलोड)
१ काइओ	: काया संबंधी अतिचार लगा हो
२ वाइओ	: वचन संबंधी अतिचार लगा हो
३. माणसिओ	: मन संबंधी अतिचार लगा हो
२ उस्सुत्तो	: वचन से उत्सूत्र (सूत्र-विरुद्ध) कहा हो
उम्मगो	: उन्मार्ग (जैन-मार्ग-विरुद्ध) कहा हो
१ अकप्पो	: (काया से) अकल्पनीय कार्य किया हो
अकरणिओ	: अकरणीय (नहीं करने योग्य) किया हो
३. दुजभाओ	: (मन से सतत) आर्त्त रौद्र ध्यान ध्याया हो
दुत्विचितिओ	: कभी-कभी दुष्ट चिन्तन किया हो, (यों
अणायारो	: वचन काया से) अनाचार किया हो

अणिच्छियव्वो : (मन से) 'अनिच्छनीय' इच्छा की हो
 असावग-पाउंगो : (यो) श्रावक 'धर्म' विरुद्ध 'काम'
 किया हो

१. एणो तह २. दसणे : (करके) ज्ञान तथा दर्शन मे
 ३. चरित्ताचरित्ते : चारित्र्याचारित्र्य (श्रावक व्रत) मे
 १. सुए : (दूसरे शब्दों मे) श्रुत (ज्ञान) मे
 २. ३. सानाइए : सामायिक (दर्शन तथा श्रावक व्रत) में
 अतिचार लगाया हो ।

तिण्हं गुत्तीणं : तीन गुणियों न की हो
 चउण्हं कसायाणं : चार कृपायों की हो ।
 पंचण्हमणुव्वयाणं : पाँच अणुव्रतों का
 तिण्हं गुणव्वयाणं : तीन गुणव्रतों का
 चउण्हं : चार शर्धाव्रतों का
 सिक्खावयाणं (इस प्रकार ५ + ३ + ४ = १२)
 वारस-विहस्म : वारह प्रकार के
 सावग-धम्मस्स : श्रावक धर्म की
 ज खंडिय : जो (कुछ) खडना की हो
 जं विराहियं : जो (अधिक) विराधना की हो

अतिचार प्रतिक्रमण

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ३३ उसका मेरा पाप निष्फल हो ।

प्रश्नोत्तर

प्र० : अणुव्रत किसे कहते हैं ?

उ० : जो महाव्रतों की अपेक्षा अणु अर्थात् छोटे हों ।

प्र० : गुणव्रत किसे कहते हैं ?

उ० : जो अणुव्रतो को गुण अर्थात् लाभ पहुँचाते हो ।

प्र० : शिक्षाव्रत किसे कहते हैं ?

उ० जो बारबार शिक्षा अर्थात् अभ्यास करने योग्य हो ।



पाठ ४ चौथा

दूसरा-तीसरा आवश्यक

-विधि : पहले आवश्यक की समाप्ति पर वंदना करके 'पहला सामायिक आवश्यक पूरा हुआ । दूसरे 'चतुर्विंशतिस्तव' आवश्यक की आज्ञा है'—कहकर दूसरे आवश्यक की आज्ञा ले । आज्ञा लेकर १ बार चतुर्विंशतिस्तव का पाठ 'लोगस्स' कहे ।

इति दूसरा आवश्यक समाप्त ।

-समाप्ति पर वंदना करके 'पहला सामायिक तथा दूसरा चतुर्विंशतिस्तव—ये दो आवश्यक पूरे हुए । तीसरे वंदना आवश्यक की आज्ञा है'—कहकर तीसरे आवश्यक की आज्ञा ले । आज्ञा लेकर दो बार निम्न पाठ पढ़ें ।

इति तीसरा आवश्यक समाप्त ।

'इच्छामि खमासमणो' पढ़ने की विधि-

-गुरु के समक्ष या पूर्व, उत्तर या ईशान् कोण में अपने आसन को छोड़कर, खड़े रहकर, हाथ जोड़कर और शीश

भुकाकर 'निसीहि' तक पाठ पढ़े तथा यदि गुरुदेव हो, तो निसीहि उच्चारण के साथ उनकी चारों ओर की देहप्रमाण ३॥ हाथ भूमि में प्रवेश करे। फिर दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों घुटनों के बीच दोनों हाथों को जोड़े। यो—गर्भस्थ शिशु के समान विनीत वज्रासन से बैठकर 'अ' का उच्चारण मन्द स्वर से करते हुए दोनों हाथों को लम्बा करके—गुरु-चरणों को क्लामना न पहुँचे—इस प्रकार विवेक से गुरु के चरणों का स्पर्श करे। यदि गुरुदेव न हो, तो चरण-स्पर्श की भावना करते हुए भूमिस्पर्श करे। फिर 'हो' का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए दोनों हाथों से अपने शिर का स्पर्श करें। इसी प्रकार 'का—य' तथा 'का—य' में उच्चारण और चरण-शिर स्पर्श करे। 'सफास' कहते हुए गुरु के चरणों में मस्तक का भी स्पर्श करें। इस प्रकार तीन आवर्तन और एक शिर का भुकाव हुआ।

उसके पश्चात् 'खमणिज्जो' से 'दिवसो वड्ढकतो' तक सामान्यतया पाठ पढ़ें। फिर १. ज-त्ता-भे, २. ज-व-णि, ३. ज्ज-च-भे, में इन तीन अक्षर-समूह में से पहले-पहले अक्षर का पहले के समान मन्द स्वर से उच्चारण करते हुए गुरु-चरणों स्पर्श करे। दूसरे-दूसरे अक्षर का मध्यम स्वर से उच्चारण करते हुए हाथों को भूमि और शिर के बहुमध्य में पल भर रोके। फिर तीसरे-तीसरे अक्षर का उच्चस्वर से उच्चारण करते हुए स्वयं का शिर स्पर्श करे। पश्चात् गुरु के चरणों में मस्तक भुकावे। यो दूसरे तीन आवर्तन और दूसरा शिर का भुकाव हुआ।

उसके पश्चात् 'खामेमि' से 'पडिक्कमामि' पाठ सामान्यतया पढ़ें। 'आवस्सियाए पडिक्कमामि' कहते हुए खड़े हो जायें

और गुरु की भूमि में प्रवेश किये हुए हो, तो बाहर निकल जायँ ।

दूसरी बार भी इसी प्रकार पढ़े । मात्र अन्तर यही है कि दूसरी बार में 'आवस्सियाए पडिक्कमामि' न कहे, खडे न हो, बाहर भी न निकले ।

दोनों खमासमणो में सब आवर्तन बारह, शिर भुकाव चार, प्रवेश दो और निकलना एक बार होता है ।

३ 'इच्छामि खमासमणो' उत्कृष्ट वन्दन का पाठ

वन्दन अनुमति

इच्छामि	: मैं चाहता हूँ ।
खमासमणो !	: हे, क्षमा (आदि १० धर्म युक्त) श्रमण !
वंदिउं	: (उत्कृष्ट) वन्दना करना ।
जावणिज्जाए	: (घुटने आदि की) शक्ति के अनुसार ।
निसीहियाए ।	: अपने योगी को पाप-क्रिया से हटा कर (आपकी परिमित भूमि में प्रवेश करके ।)
अणुजाणह मे	मुझे आज्ञा (स्वीकृति) दीजिए ।
मिउग्गह ।	: आपकी परिमित भूमि में प्रवेश की ।

चरण-स्पर्श, क्षमा-याचना व शांता-समाधि प्रश्न

निसीहि	: पाप-क्रिया से हट कर (तथा परिमित भूमि में प्रवेश करके वज्रासन से) ।
--------	---

अहो-कायं	: आपके (दोनों) चरणों का मैं अपने
काय-सफासं	: मस्तक और हाथों से स्पर्श करता हूँ ।
खमणिज्जो, मे	: क्षमा करे, जो आपको
किलामो	: (मेरे स्पर्श से) क्लामना हुई ।
अप्पाकलंताणं	: बिना देहग्लानि रहे
१ बहु सुभेणं	: बहुत शुभ (सयमी क्रियाओं) से
मे दिवसो वड्ढकन्तो	: आपका दिन बीता ?
२ जत्ता मे ?	: आपकी (सयम) यात्रा (निर्वाध) है ?
३ जवणिज्जं च मे ?	: और आपका शरीर व इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं ?
खामेमि	: खमाता हूँ (क्षमा-याचना करना हूँ)
खमासमणो !	: हे क्षमा-श्रमण !
देवसिअ वड्ढकमं	: दिन सम्बन्धी अपराध को ।
आवस्सियाए	: आपकी परिमित भूमि से बाहर
पडिक्कमामि	: निकलता हूँ (और खड़े होकर)

आशातना की क्षमा-याचना व प्रतिक्रमण

खमासमणारणं	: आप क्षमा-श्रमण की
देवसियाए	: दिन सम्बन्धी
आसायणाए	: आशातना द्वारा

† रात्रि प्रतिक्रमण मे 'राइवड्ढकता' पाक्षिक 'प्रतिक्रमण' मे 'दिवसो पक्खो वड्ढकतो', चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे एकवाले 'दिवसो वड्ढकतो चाउम्मास वड्ढकन्तो' दो वाले दूसरे मे मात्र 'चाउम्मास वड्ढकन्तो' सांवत्सरिक प्रतिक्रमण मे एक वाले दिवसो सत्रच्छरो वड्ढकन्तो तथा दो वाले दूसरे मे मात्र 'सत्रच्छरो वड्ढकतो' कहें ।

तित्तीसन्नयराए	: तैतीस में से किसी भी
ज किंचि	: जो जिस किसी
मिच्छाए	: मिथ्या-भाव से की हुई
मण-दुक्कडाए	: मन से दुष्ट विचार से की हुई
वय-दुक्कडाए	: वचन से दुष्ट कथन से की हुई
काय-दुक्कडाए	: काया से दुष्ट आसन से की हुई
कोहाए मारणाए	: क्रोध से की हुई, मान से की हुई
मायाए लोहाए	: माया से की हुई, लोभ से की हुई
सव्वकालियाए	: (इसी प्रकार) सब काल में की हुई
सव्व मिच्छोवयरोए	: सब मिथ्या आचरणों से पूर्ण
सव्वधम्मा —	: सभी (क्षमादि धर्म) वाले की विनय
इक्कमणाए	: सूर्यादा) का अतिक्रमण करने वाली
आसायणाए	: आशातना से
जो मे देवसिग्रो	: मुझे जो कोई दिन सम्बन्धो
अइयारो कओ	: अतिचार लगा हो तो
तस्स खमासमणो !	: उसका, हे क्षमा-श्रमण !
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
निंदामि	: निन्दा करता हूँ
गरिहामि	: विशेष निन्दा करता हूँ
अप्पाणं वोसिरामि ।	: (अपनी आशातना करनेवाली पापी) आत्मा को वोसिराता (त्यागता) हूँ ।

शिक्षाएँ

१ वन्दन करते समय कोई पाप-क्रिया न करते हुए पाँच अभिगमन संहित वन्दन करना चाहिए । २. शरीर में शक्ति व धुटनो में बल आदि रहते हुए विधिवत् अंग झुकाते हुए

वन्दन करना चाहिए । ३ यदि निकट जाकर वन्दन करने की आवश्यकता न हो, तो साढ़े तीन हाथ शरीर-प्रमाण दूरी से वन्दना करना चाहिए । ४. वन्दना के साथ अनुकूलता रहते हुए गुरुदेवों के चरणों का हाथ और मस्तक से स्पर्श अवश्य करना चाहिए । ५. वन्दन या चरण-स्पर्श आदि इस प्रकार करना चाहिए, जिसमें गुरुदेव का कष्ट न पहुँचे । भीड़ के समय धक्का-मुक्की करने हुए वन्दन करने से गुरुदेव को कष्ट पहुँच जाता है, अतः ऐसे समय बहुत शांति और धैर्य रखना चाहिए । ६ थोड़ा भी कष्ट पहुँचने ही तत्काल क्षमा-याचना करनी चाहिए । ७. वन्दना करने के पश्चात् उनके संयम और शरीरादि सुख-दुःख की जानकारी करनी चाहिए—जैसे उन्हें गोचरी-पानी सुलभ हुई या नहीं ? आहार-पानी पारणा आदि किया या नहीं ? उपवास आदि उपव्रत आदि में हो रही है या नहीं ? उनका शरीर स्वस्थ है या नहीं ? औषधि आदि का सयोग मिला या नहीं ? इत्यादि बातें भी पूछनी चाहिए तथा जो स्वयं से वन्दन करके, वह स्वयं को करना भी चाहिए । यदि स्वयं से कोई कार्य न बन सके, तो जो उसके लिए समर्थ हो, उसे सूचित कर गुरुदेव की सेवा की दाली का लाभ उठाना चाहिए । ८ दिवस में या किसी भी समय किसी भी प्रकार से गुरुदेव की आशातना हुई हो, तो उसकी क्षमा-याचना करनी चाहिए । ९ गुरुदेव के सामने मिथ्या-उपचार आदि नहीं करना चाहिए ।

प्र० तीन वन्दना बताओ ।

उ० 'मन्यएण वदामि'—यह लघु वन्दना है । क्योंकि इसमें शब्द थोड़े हैं तथा यह केवल हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर की जाती है । यह वन्दना प्रायः गुरु-दर्शन होते समय सबसे पहले की जाती है । 'तिक्खुत्तो' मध्यम वन्दना है, क्योंकि

इसमें शब्द मध्यम तथा यह पचांग भुकाकर की जाती है। 'इच्छामि खमासमणो' दोनों से शब्द और क्रिया दोनों में बढ़कर है। इसलिए उसे उत्कृष्ट वन्दना कहते हैं।



पाठ ५ पाँचवाँ

धर्म की आवश्यकता

अज्ञान से मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व से राग-द्वेष उत्पन्न होता है। राग-द्वेष से आत्मा के साथ कर्म बन्ध होता है। कर्म से आत्मा के साथ देह-संयोग होता है और देह के जन्म-मरण से आत्मा को दुःख होता है। उस दुःख को नाश करना धर्म का उद्देश्य है और उस दुःख का नाश होकर आत्मा को अनेक और एकांत सुखमय मोक्ष की प्राप्ति होना धर्म का फल है।

दुःख-विनाश के लिए आत्मा के साथ संयुक्त देह का आत्मा से वियोग होना आवश्यक है। देह-वियोग के लिए कर्म-बन्धन का छूटना आवश्यक है। कर्म-बन्धन छूटने के लिए राग-द्वेष का नाश होना आवश्यक है। राग-द्वेष के नाश के लिए मिथ्यात्व का दूर होना आवश्यक है और मिथ्यात्व को दूर करने के लिए अज्ञान को हटाना आवश्यक है।

इस कार्य को धर्म अपने चार भेद—१. सम्यग्ज्ञान, २. सम्यग्दर्शन, ३. सम्यक्चारित्र और ४. सम्यक्तप द्वारा पूर्ण करता है। सम्यग्ज्ञान अज्ञान को हटाता है और सम्यग्दर्शन

मिथ्यात्व को दूर करता है। सम्यक्चारित्र राग-द्वेष को नष्ट करता है और सम्यक्कर्म कर्म-बन्धन को तोड़ता है। कर्म-बन्धन के सर्वथा क्षय से तत्काल आत्मा देह से पृथक् होती जाती है और उस दुःख मूल देह से पृथक् होकर अनन्त और एकांत सुखमय मोक्ष को प्राप्त कर लेती है।

इसीलिए जो भी प्राणी दुःख का नाश करके अनन्त सुख और एकांत सुख चाहते हैं, उनके लिए धर्म आवश्यक है। उसी धर्म का ही आगामी चौथे आवश्यक में वर्णन किया जायेगा।

मोक्षअनन्त सुखमय कैसे है और एकांत सुखमय कैसे है ?— यह बताना देना अधिकतः प्राणी से परे की बात है। फिर भी जिनेश्वरों ने उपमा आदि के द्वारा उसके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश दिया है। इतना होते हुए भी यदि किन्हीं को मोक्ष-सुख समझ में न आवे और वे भीतिक सुख में ही सुखानुभव करें, तो उनके लिए भी धर्म क्रिया लाभदायी ही है। क्योंकि वह ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म को दूर करके ज्ञान-शक्ति देती है। अमाता वेदनीय को दूर करके विषय-सुख और मन-वचन-काया के सुख देती है। मोहनीय को मन्द करके पुरुषत्व देती है। अशुभ आयुष्य दूर करके शुभ और दीर्घ आयुष्य (जीवन) देती है। अशुभ नाम दूर करके श्रेष्ठ गरीर देती है। अशुभ गोत्र दूर करके घनादि-ऐश्वर्य प्रदान करती है और अन्तराय दूर करके ऐश्वर्यादि की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। धर्मक्रिया के प्रताप से आत्मा भावी जन्म में इन्द्र और चक्रवर्ती आदि के सुख प्राप्त करती है। इस प्रकार जो प्राणी भीतिक सुख चाहते हैं, उनके लिए भी धर्म की क्रिया आवश्यक है।

यद्यपि हमारे सामने प्रत्यक्ष ही एक दूसरा तिर्यञ्च लोक और कर्मों के फल-रूप जीवों की विभिन्नता तो विद्यमान है ही, फिर भी यदि किन्हीं को परलोक के अस्तित्व पर और कर्मवाद पर विश्वास न हो, तो उनके लिए भी स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण आदि लाभदायी हैं ही। जिस लोकनीति या राज्यनीति में इनका समावेश नहीं होता, वे लोकनीतियाँ तथा राजनीतियाँ इस लोक का सुख नहीं दे पाती। युद्ध, अविश्वास, चोरी, बलात्कार और विषम सामाजिक स्थिति आदि के दुःख और भय को दूर करने के लिए लोकनीति और राज्यनीति में भी स्थूल अहिंसा आदि की आवश्यकता है ही। अतः जो प्राणी इहलौकिक सुख चाहते हैं, उनके लिए भी धर्मक्रिया आवश्यक है।

भगवान् महावीर ने अपना धर्म मुख्यतः मोक्ष-प्राप्ति के लिए ही प्रकट किया और मोक्ष-प्राप्ति के लिए धर्म करने वालों को ही धार्मिक माना है, परन्तु भगवान् ने, जो लोग पारलौकिक या इहलौकिक भौतिक सुख चाहते हैं, उनको भी आह्वान किया है कि प्राणिनो ! जिस हिंसा आदि अधर्म से आप सुख पाना चाहते हो, वह आपको सुख नहीं दे सकता। अतः आप धर्म को शरणा आओ ! वह आपको इच्छित सुख देगा।

मेरा पाठकों से आग्रह है कि—‘वे आगामी चौथा आवश्यक का अध्ययन तो करे ही, साथ ही धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझकर धर्म को स्वीकार भी करे।’

यदि आप धर्म के वास्तविक उद्देश्य को न समझ सकें, तो भी आप चाहे पारलौकिक या इहलौकिक सुख के लिए सही,

मिथ्यात्व को दूर करता है। सम्यक्चारित्र राग-द्वेष को नष्ट करता है और सम्यक्तप कर्म-बन्धन को तोड़ता है। कर्म-बन्धन के सर्वथा क्षय से तत्काल आत्मा देह से पृथक् हो जाती है और उस दुःख मूल देह से पृथक् होकर अनन्त और एकांत सुखमय मोक्ष का प्राप्त कर लेती है।

इसीलिए जो भी प्राणी दुःख का नाश करके अनन्त सुख और एकांत सुख चाहते हैं, उनके लिए धर्म आवश्यक है। उसी धर्म का ही आगामी चौथे आवश्यक में वर्णन किया जायेगा।

मोक्ष अनन्त सुखमय कैसे है और एकांत सुखमय कैसे है ? — यह बता देना अधिकतः वाणी से परे की बात है। फिर भी जिनेश्वरों ने उपमा आदि के द्वारा उसके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश दिया है। इतना होते हुए भी यदि किन्हीं को मोक्ष-सुख समझ में न आवे और वे भौतिक सुख में ही सुखानुभव करें, तो उनके लिए भी धर्म क्रिया लाभदायी ही है। क्योंकि वह ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म को दूर करके ज्ञान-शक्ति देती है। अमाता वेदनीय को दूर करके विषय-सुख और मन-वचन-काया के सुख देती है। मोहनीय को मन्द करके पुरुषत्व देती है। अशुभ आयुष्य दूर करके शुभ और दीर्घ आयुष्य (जीवन) देती है। अशुभ नाम दूर करके श्रेष्ठ शरीर देती है। अशुभ गोत्र दूर करके घनादि-ऐश्वर्य प्रदान करती है और अन्तराय दूर करके ऐश्वर्यादि की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। धर्मक्रिया के प्रताप से आत्मा भावी जन्म में इन्द्र और चक्रवर्ती आदि के सुख प्राप्त करती है। इस प्रकार जो प्राणी भौतिक सुख चाहते हैं, उनके लिए भी धर्म की क्रिया आवश्यक है।

यद्यपि हमारे सामने प्रत्यक्ष ही एक दूसरा तिर्यञ्च लोक और कर्मों के फल-रूप जीवों की विभिन्नता तो विद्यमान है ही, फिर भी यदि किन्हीं को परलोक के अस्तित्व पर और कर्मवाद पर विश्वास न हो, तो उनके लिए भी स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमार्ण आदि लाभदायी है ही। जिस लोकनीति या राज्यनीति में इनका समावेश नहीं होता, वे लोकनीतियाँ तथा राजनीतियाँ इस लोक का सुख नहीं दे पाती। युद्ध, अविश्वास, चोरी, बलात्कार और विषम सामाजिक स्थिति आदि के दुःख और भय को दूर करने के लिए लोकनीति और राज्यनीति में भी स्थूल अहिंसा आदि की आवश्यकता है ही। अतः जो प्राणी इहलौकिक सुख चाहते हैं, उनके लिए भी धर्मक्रिया आवश्यक है।

भगवान् महावीर ने अपना धर्म मुख्यतः मोक्ष-प्राप्ति के लिए ही प्रकट किया और मोक्ष-प्राप्ति के लिए धर्म करने वालों को ही धार्मिक माना है, परन्तु भगवान् ने, जो लोग पारलौकिक या इहलौकिक भौतिक सुख चाहते हैं, उनको भी आह्वान किया है कि प्राणियो ! जिस हिंसा आदि अधर्म से आप सुख पाना चाहते हो, वह आपको सुख नहीं दे सकता। अतः आप धर्म को शरण आओ ! वह आपको इच्छित सुख देगा।

मेरा पाठको से आग्रह है कि—‘वे आगामी चौथा आवश्यक का अध्ययन तो करे ही, साथ ही धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझकर धर्म को स्वीकार भी करे।’

यदि आप धर्म के वास्तविक उद्देश्य को न समझ सकें, तो भी आप चाहे पारलौकिक या इहलौकिक सुख के लिए सही,

२. अत्थागमे : अर्थ (रूप) आगम
 ३. तदुभयागमे : (सूत्र अर्थ) उभय (रूप) आगम

ऐसे तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई
 अतिचार लगा हो, तो आनोउं

अतिचार पाठ

१. जं वाइद्ध : यदि व्याविद्ध पढा हो,
 २. वच्चा-मेलियं : व्यत्ययाम्नेडित पढा हो,
 ३. हीणक्खरं : हीनाक्षर पढा हो,
 ४. अच्चवखरं : अति अक्षर पढा हो,
 ५. पयहीणं : पदहीन पढा हो,
 ६. विणयहीणं : विनयहीन पढा हो,
 ७. जोग-हीण : योगहीन पढा हो,
 ८. घोस-हीणं : घोषहीन पढा हो,
 ९. सुट्ठु(ऽ)दिण्णं : सुष्ठु ? (न) दिया हो,
 १०. दुट्ठु पडिच्छियं : दुष्ठु लिया हो,
 ११. अकाले कओ
 सज्झाओ : अकाल में स्वाध्याय की हो,
 १२. काले न कओ
 सज्झाओ : काल में स्वाध्याय न की हो,
 १३. असज्झाए
 सज्झाइयं : अस्वाध्याय में स्वाध्याय की हो,
 १४. सज्झाए न
 सज्झाइयं : स्वाध्याय में स्वाध्याय न की हो,

भेषतां : वाचना, पृच्छना और धर्म कथा करते हुए

गुणता विचारतां : परिवर्तना करते (फेरते) हुए तथा अनुप्रेक्षा (चिंतन) करते हुए,

ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषो की अविनय आशातना की हो, तो

प्रतिक्रमण पाठ

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

'आगमे तिविहे' प्रश्नोत्तरी

प्र० . आगम किसे कहते हैं ?

उ० . जिससे जीवादि नव तत्वो का सम्यग्ज्ञान हो ।

प्र० सूत्रागम किसे कहते हैं ?

उ० तीर्थंकरो ने अपने श्रीमुख से जो भाव कहे, उन्हें अपने कानों से सुनकर गणधरो ने जिन आचाराग आदि आगमो की रचना की, उस शब्दरूप आगम को ।

प्र० अर्थगम किसे कहते हैं ?

उ० तीर्थंकरो ने अपने श्रीमुख से जो भाव प्रकट किये, उस भावरूप आगम को ।

प्र० : व्याविद्ध पढना किसे कहते हैं ?

उ० सूत को तोडकर मणियो के बिखरने के समान,

आपकी जितनी रुचि हो, जैसी योग्यता हो और जैसी परिस्थिति हो, उतना ही सही, परन्तु धर्म अवश्य स्वीकार करें।

इसके साथ ही कुछ बातें और लिख दूँ—१. जो धर्म के वास्तविक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, वे भी मोक्षप्राप्ति के मध्यकाल में पारलौकिक सुख भी अवश्य ही प्राप्त करते हैं तथा इहलोक में भी प्रायः उन्हें शान्ति उपलब्ध होती है। २ धर्म प्रारम्भ करते ही अज्ञान और राग-द्वेषजन्य दुःख में तो तत्काल कमी आ जाती है, पर भौतिक सुख तत्काल उपलब्ध होना नियमित नहीं है, क्योंकि जितने भी भौतिक सुख हैं, उनकी प्राप्ति के पुरुषार्थ में प्रायः पहले अपनी भौतिक सुख की पूंजी लगानी पड़ती है और कालान्तर में कहीं अधिक भौतिक-सुख मिलता है। अतः भौतिक सुखदृष्टा को धर्म को धैर्य के साथ पालना आवश्यक है। ३. यह गाँठ बाँध रख लेना चाहिए कि— यदि इस मानव-भव में धर्माराधन नहीं किया, तो अन्य भवों में धर्म प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। सम्पूर्ण चारित्र्य तो मानवभव से अन्य किसी योनि में नहीं मिल सकता। देश चारित्र्य भी मानव (और कुछ पशु, जो प्रायः पहले धर्म पाल चुके हैं, उन्हें छोड़कर) अन्य को नहीं मिलता। सम्यग्ज्ञान व दर्शन भी सज़ी पञ्चेन्द्रिय छोड़कर अन्य को उपलब्ध नहीं होता। अतः धर्म में थोड़ा भी प्रमाद करना श्रेयस्कर नहीं है।

सूक्त—१. अहिंसा संयम और तप रूप धर्म ही श्रेष्ठ मंगल है। जिसका मन भी धर्म में सदा ही अनुरक्त रहता है, उसे (मनुष्य तो क्या) देव भी नमस्कार देते हैं। २. शुद्ध हृदय वाले प्राणी में ही धर्म स्थिर रहता है। ३. देह छोड़ दो, पर धर्म शासन को मत छोड़ो।

४. विषयभोग में सतत मूढ बने हुए प्राणी धर्म को नहीं जान सकते ।



पाठ ६ छठा

चौथा आवश्यक

विधि : 'तीसरे आवश्यक की समाप्ति पर वदना करके 'पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विंशतिस्तव तथा तीसरी वदना— ये तीन आवश्यक पूरे हुए, चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक की आज्ञा है।' कहकर चौथे आवश्यक की आज्ञा ले । आज्ञा लेकर 'श्रावक सूत्र' पढ़ने वाले खड़े-खड़े निम्न 'आगमे तिविहे' से लेकर 'सलेखना' तक के १५ पाठ व्रत अश वाले पाठ छोड़कर अतिचार और प्रतिक्रमण अश वाले पाठ पढ़े । 'श्रमणसूत्र' पढ़ने वाले आगमे तिविहे से १२ वे अणुव्रत तक १४ पाठ संपूर्ण खड़े-खड़े कहे और सलेखना का पाठ बैठकर सम्पूर्ण कहे ।

४. 'आगमे तिविहे' 'ज्ञान का पाठ'

आगमे	: आगम
तिविहे पण्णत्ते	: तीन प्रकार का कहा है ।
तंजहा	: वह इस प्रकार—
१. सुत्तागमे	: सूत्र (रूप) आगम

२. अत्थागमे : अर्थ (रूप) आगम
 ३ तदुभयागमे : (सूत्र अर्थ) उभय (रूप) आगम

ऐसे तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो, तो आनोउं

अतिचार पाठ

१. जं वाइद्ध : यदि व्याविद्ध पढा हो,
 २. वच्चा-मेलियं . व्यत्ययाम्नेडित पढा हो,
 ३ हीणक्खरं : होनाक्षर पढा हो,
 ४. अच्चक्खर : अति अक्षर पढा हो,
 ५. पयहीणं : पदहीन पढा हो,
 ६. विणयहीण : विनयहीन पढा हो,
 ७ जोग-हीणं : योगहीन पढा हो,
 ८. घोस-हीणं : घोषहीन पढा हो,
 ९. सुट्ठु(ऽ)दिग्ग : सुट्ठु ? (न) दिया हो,
 १०. दुट्ठु पडिच्छियं : दुष्टु लिया हो,
 ११. अकाले कम्मो : अकाल मे स्वाध्याय की हो,
 सज्झाओ
 १२. काले न कम्मो : काल मे स्वाध्याय न की हो,
 सज्झाओ
 १३. असज्झाए : अस्वाध्याय मे स्वाध्याय की हो,
 सज्झाइयं
 १४. सज्झाए न : स्वाध्याय मे स्वाध्याय न की हो,
 सज्झाइयं

भेषतां : वाचना, पूछना और धर्म कथा करते हुए

गुणतां विचारतां : परिवर्तना करते (फेरते) हुए तथा अनुप्रेक्षा (चिंतन) करते हुए,

ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो, तो

प्रतिक्रमण पाठ

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

'आगमे तिविहे' प्रश्नोत्तरी

प्र० . आगम किसे कहते हैं ?

उ० : जिससे जीवादि नव तत्त्वों का सम्यग्ज्ञान हो ।

प्र० . सूत्रागम किसे कहते हैं ?

उ० . तीर्थंकरों ने अपने श्रीमुख से जो भाव कहे, उन्हें अपने कानों से सुनकर गणधरो ने जिन आचाराग आदि आगमों की रचना की, उस गब्दरूप आगम को ।

प्र० . अर्थगम किसे कहते हैं ?

उ० . तीर्थंकरों ने अपने श्रीमुख से जो भाव प्रकट किये, उस भावरूप आगम को ।

प्र० : व्याविद्ध पढना किसे कहते हैं ?

उ० . सूत को तोड़कर मण्डियों के बिखरने के समान,

सूत्र के अक्षर, मात्रा, व्यञ्जन, अनुस्वार, पद, आलापक आदि उलट-पलटकर पढ़ने को ।

प्र० : व्यत्यय करके पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० : सूत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर आये हुए पाठों को एक स्थान पर लाकर पढ़ने को, विरामादि लिये बिना पढ़ने को, अथवा अपनी बुद्धि से सूत्र के समान सूत्र बनाकर आचारांगादि सूत्र में डालकर पढ़ने को ।

प्र० : हीनाक्षर पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० : जैसे 'नमो आयरियाण' के स्थान पर 'य' अक्षर कम करके 'नमो आरियाण' पढ़ने को ।

प्र० : अति अक्षर पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० : जैसे 'नमो उवज्झायाण' में 'रि' मिलाकर 'नमो उवज्झारियाण' पढ़ा हो ।

प्र० : पंद्हीन (या अति करके) पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० : जैसे 'नमो लोए सव्व साहूण' में 'लोए' पद कम करके 'नमो सव्व साहूण' पढ़ने को ।

प्र० : ये पाँचों किसके अतिचार हैं ?

उ० : उच्चारण सबधी अतिचार हैं ।

प्र० : उच्चारण की अशुद्धि से क्या हानि है ?

उ० : कई बार १. अर्थ सर्वथा नष्ट हो जाता है । कई बार २. विपरीत अर्थ हो जाता है । कई बार ३. आवश्यक

अर्थ मे कमी रह जाती है। ४. कई बार अधिकता हो जाती है।
 ५. कई बार सत्य- किन्तु अप्रासंगिक अर्थ हो जाता है। इस प्रकार कई हानियाँ हैं। जैसे 'ससार' मे से एक बिन्दु कम बोलने पर 'ससार' 'स-सार' (सार सहित) हो जाता है या 'शास्त्र' मे से एक मात्रा कम कर देने से 'शास्त्र' 'शस्त्र' हो जाता है। अत उच्चारण अत्यन्त शुद्ध करना चाहिए।

प्र० उच्चारण शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए ?

उ० उच्चारण शुद्धि के लिए १ सूत्र के एक-एक अक्षर; मात्रादि को ध्यान से पढ़ना चाहिए, २ ध्यान से कठस्थ करना चाहिए और ३ ध्यान से फेरना चाहिए। ऐसा करने से उच्चारण प्रायः शुद्ध होता है।

प्र० विनयहीन पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० ज्ञान और ज्ञान-दाता के प्रति १. ज्ञान लेने से पहले, २ ज्ञान लेते समय तथा ३. ज्ञान लेने के पीछे विनय (वदनादि) न करके या सम्यग् विनयान करके पढ़ने को।

प्र० योगहीन पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० १. मन लगाकर न पढ़ने को, कायोत्सर्ग, २ अति-रात्रि आदि कारणों को छोड़कर मन-मन मे पढ़ने को, अनादरपूर्ण स्वर मे पढ़ने को व ३. काया को स्थिर न रखकर पढ़ने को।

प्र० घोषहीन पढ़ना किसे कहते हैं ?

उ० ज्ञानदाता जैसा मन्द स्वर, मध्यम स्वर, उच्च स्वर से उच्चारण करावे या जिस छन्द-पद्धति से उच्चारण करावे, वैसा उच्चारण करके नही पढ़ने को।

प्र० ये तीनों किसके अतिचार हैं ?

उ० . पढ़ने की अविधि संवधी अतिचार हैं ।

प्र० . इनसे क्या हानि होती है ?

उ० . विनयहीनता से प्राप्त ज्ञान यथासमय काम नहीं आता—सफल नहीं होता, स्तुति-वदनादि क्रियाएँ सफल नहीं होती । योग-हीनता से ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती । शुद्ध आवर्तन नहीं होता, आलोचना-प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ सफल नहीं होती । घोष-हीनता से सूत्र का आत्मा पर पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता । अतः इन तीनों अतिचारों को दूर करना चाहिए और विनय के साथ योगों को एकाग्र करके यथाघोष अध्ययन करना चाहिए ।

प्र० : सुष्ठु ! (न) देना किये कहते हैं ?

उ० . शिष्य की ग्रहण-स्मरण आदि की जितनी शक्ति हो, उससे उसे न्यूनाधिक ज्ञान देने को, शुद्ध भाव से न देने को, अपात्र को ज्ञान देने को, पात्र को द्वेष आदि से न देने को ।

प्र० . दुष्ठु ग्रहण करना किसे कहते हैं ?

उ० . अपनी ग्रहण-स्मरण आदि की जितनी शक्ति हो, उससे न्यूनाधिक ज्ञान लेने को, शुद्ध भाव से न लेने को, कुगुरु से लेने को, सुगुरु से द्वेषादि से न लेने को ।

प्र० . इनसे क्या हानि होती है ?

उ० : शक्ति से कम ज्ञान लेने से प्राप्त ज्ञान-शक्ति व्यर्थ जाती है । अधिक लेने से उस ज्ञान का पाचन नहीं होता । अपात्र को ज्ञान देने से सर्प को दूध पिलाने के समान

ज्ञान का दुरुपयोग होता है। कुगुरु से ज्ञान लेने में स्वच्छ जल अशुद्ध पात्र से भर कर पीने के समान हानि होती है तथा द्वेष बुद्धि से ज्ञान न देने-लेने से सुगुरु और सुपात्र की आशातना होती है। अतः ये दोनों अतिचार त्याज्य हैं। इन अतिचारों को त्याग कर यथा शक्ति सुगुरु से शुद्ध भाव से ज्ञान लेना चाहिए तथा सुपात्र को यथा शक्ति शुद्ध भाव से ज्ञान देना चाहिए।

प्र० : अकाल स्वाध्याय किसे कहते हैं ?

उ० जिस काल में (चार सध्याओं में) सूत्र स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए या जो सूत्र जिस काल (दिन-रात्रि के दूसरे-तीसरे प्रहर में) नहीं पढ़ना चाहिए, उस काल में स्वाध्याय करने को।

प्र० . अकाल स्वाध्याय और काल अस्वाध्याय से क्या हानि है ?

उ० जैसे जो राग या रागिनी जिस काल में गाना चाहिए, उससे भिन्न काल में गाने से अहित होता है, वैसे ही अकाल स्वाध्याय से अहित होता है तथा यथाकाल स्वाध्याय न करने से ज्ञान में हानि तथा अव्यवस्थितता का दोष उत्पन्न होता है। इसलिए ये अतिचार भी वर्ज्य हैं। इन अतिचारों का वर्जन करके यथा समय व्यवस्थित रीति से स्वाध्याय करना चाहिए।

प्र० : अस्वाध्याय स्वाध्याय किसे कहते हैं ?

उ० मृतदेहादिक अशुचि के क्षेत्र में तथा चन्द्रग्रहणादिक विषम समय में स्वाध्याय करने को।

प्र० . अस्वाध्याय में स्वाध्याय और स्वाध्याय में अस्वाध्याय से क्या हानि है ?

उ० : अशुद्धि आदि में स्वाध्याय करने से ज्ञान के प्रति अनादर होता है, लोकनिन्दा होती है। विषम समय में स्वाध्याय से देवकोपादि हानि होती है। अतः ये अतिचार भी हेय हैं।

प्र० : 'स्वाध्याय करूँगा' इत्यादि व्रत-प्रत्याख्यान लिए बिना 'काल में स्वाध्याय न किया हो' आदि अतिचार लगते ही नहीं, तब उनका प्रतिक्रमण क्यों किया जाय ?

उ० : प्रतिक्रमण केवल अतिचार-शुद्धि के लिए ही नहीं, वरन् अतिचारों के ज्ञान, उनके सम्बन्ध में शुद्ध श्रद्धा, उन्हें टालने की भावना आदि के लिए भी किया जाता है—यह प्रवेश प्रश्नोत्तरी में विस्तार से बताया जा चुका है। मुख्य रूप से यह पुनः दुहराया जाता है कि जैसे 'मैं चोरी नहीं करूँगा'—इस व्रत को लेने पर, जैसे चोरी करने से पाप लगता है, वैसे ही चोरी का व्रत न लेने वाले को भी चोरी करने पर पाप लगता ही है—भले ही वह व्रत के अतिचार रूप से न लगे। वह पाप से मुक्त नहीं रहता। अतः जैसे व्रत-धारी और अव्रती दोनों को चोरी के पाप का प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, वैसे ही स्वाध्याय आदि का नियम न लेने वाले को भी कालस्वाध्याय आदि न करने का प्रतिक्रमण करना ही चाहिये। क्योंकि उसे भी काल-स्वाध्याय न करने आदि का पाप लगता ही है। यह उत्तर उन सभी अतिचारों के लिए समझना चाहिए, जिनके सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रश्न उठता हो।

प्रत्याख्यान—

मैं नित्य सूत्र अर्थ स्तोत्र (थोकडा)
कंठस्थ करूँगा तथा सूत्र अर्थ स्तोत्र

थोकड़ा की स्वाध्याय करूँगा । समय ज्ञानियो की उपासना सेवा करूँगा ।

सम्यग्ज्ञान निबन्ध

१. सूक्त : '१. पढमं नाण-तओ दया' पहले सम्यग्ज्ञान होने पर ही पीछे सम्यक्चारित्र आ सकता है, पहले सम्यग्ज्ञान आने पर पीछे सम्यक्चारित्र अवश्य आयेगा । —दशव० ।
 २. जैसे सूत सहित सूई गिर जाने पर भी नहीं गुमती है, वैसे ही सम्यग्ज्ञान आकर चले जाने पर भी जीव ससार में भटकता नहीं है (एक दिन पुनः सम्यग्ज्ञान दर्शन व चारित्र प्राप्त कर मोक्ष में चला जाता है) । —उत्तरा० । ३. ज्ञान अंधे के लिए आँख के समान और नेत्रवाले के लिए सूर्य-प्रकाश के समान है । —उत्तरा० ।

२. उद्देश्य : अज्ञान (ज्ञानाभाव और मिथ्याज्ञान) को नष्ट करके सम्यग्ज्ञान का उदय करना ।

३. स्थान : सभी दुखों का आदि मूल कारण अज्ञान है, अतः उसको नष्ट करना सबसे पहले आवश्यक है । इसलिए उसके नाशक सम्यग्ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है । सूक्त में दी गई ज्ञान की उपयोगिताओं के कारण भी ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है ।

४ फल : सम्यग्ज्ञान से नव तत्वों का ज्ञान होता है ।

१. जीव और २. अजीव तत्व के ज्ञान से आत्मा को अमर, देह को नश्वर, देह-आत्मा को पृथक् और देहात्म संयोग को दुःख का कारण समझ कर पुरुष जन्म, जरा, व्याधि और मरणादि के दुःख में शान्त रहता है । ३. पुण्य तत्व के ज्ञान से पुण्य को

क्षणस्थायी, भौतिक तथा खुजाल के समान अवास्तविक सुख रूप जानकर पुरुष पुण्य-फल में गग नहीं करता । ४ पाप तत्व के ज्ञान से पाप को क्षणस्थायी तथा स्वकृत समझकर पुरुष वेद और दुःख देनेवाले निमित्तों पर द्वेष नहीं करता । ५ अज्ञान, मिथ्यात्व और रागद्वेष (अव्रत, प्रमाद, कषाय) को दुःख का कारण समझ कर पुरुष इन से हटता है । ६ आश्रव के ज्ञान से सवर के ज्ञान से सम्यक्त्वज्ञान और वैराग्य (व्रत अप्रमाद, अकषाय) को मोक्ष का कारण समझकर पुरुष ज्ञान, श्रद्धा व वैराग्य को अपनाता है । ७ निर्जरा के ज्ञान से आत्मा के साथ कर्म के संयोग को नष्ट करने के उपायों को जानकर पुरुष अनशन, पूर्व के पापों का पश्चात्ताप और स्वाध्यायादि कार्यों को अपनाता है । ८ ९ वध-मोक्ष के ज्ञान से अपनी वर्तमान वध दशा को जानकर पुरुष मोक्ष-प्राप्ति की ओर सन्मुख होता है । भवान्तर में उस फल के साथ तीक्ष्ण बुद्धि, चिरस्मरण शक्ति, शीघ्र ग्रहणशीलता आदि प्राप्त होती है ।

५. कत्तव्य . विनय, योगों की एकाग्रता, गुरु-चरण से ज्ञान-प्राप्ति, ज्ञान-प्राप्ति में अनालस्य व अप्रमाद, ज्ञान-दान में उदारता, काल और स्वाध्याय में नियमित स्वाध्याय, शुद्ध उच्चारण, ज्ञान का पुनः पुनः आवर्तन, अनुप्रेक्षा आदि ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । 'मुझे कब केवल ज्ञान होगा ?' यह मनोरथ करना, ज्ञान की अपूर्णता का खेद करना, अज्ञान में अब तक चतुर्गति में पाये हुए दुःख का विचार करना, ज्ञान के लिए सतत जागृत रहने वाले श्री गौतम गणधर आदि के चरित्र पर ध्यान देना ।



पाठ ७ सातवाँ

५ 'अरिहंतो-महदेवो' दर्शन (सम्यक्त्व) का पाठ

(१. अरिहतो महदेवो	: (अरिहन्त मेरे देव है ।
जावज्जीवाए	: (और) जब तक जीवन है
२. सुसाहुणो गुरुणो	: सच्चे साधु गुरु हैं ।
जिण पणत्त	: अरिहत द्वारा कहा हुआ
तत्त	: तत्त्व (उपदेश, धर्म) है ।
इअ सम्मत्त	: इस प्रकार सम्यक्त्व
मए गहिय) ॥१॥	: मैंने ग्रहण की है ।)
१ परमत्थ	परमार्थ का (नव तत्वों का)
सथवो वा	: सस्तव (ज्ञान) करना
२. सुदिट्ठ-परमत्थ	: परमार्थ (नव तत्व) के अच्छे
	जानकारों की
सेवणा वावि	: सेवा (प्रशंसा-परिचय) करना
३ वावण्ण	: व्यापन्न (सम्यक्त्व भृष्ट) और
४ कुदसणा	: कुदर्शन (अन्यमति) की
वज्जणा य	: सगति (प्रशंसा-परिचय) वर्जना
सम्मत्त	: ये चार कार्य सम्यक्त्व के
सद्दहणा ॥२॥	: श्रद्धान (दर्शक, उत्पादक व रक्षक) हैं ।

अतिचार पाठ

इअ सम्मत्तस्स	: इस प्रकार श्री समकित रत्न पदार्थ
	के विषय में

पंच अइयारा पेयाला : (पाँच प्रधान अतिचार
जाणियव्वा : जो जानने योग्य हैं, किन्तु
न समायरियव्वा : आचरण करने योग्य नहीं है-।
तंजहा : वे इस प्रकार हैं—उनमे से)
ते आलोउं : जो कोई अतिचार लगा हो तो
आलोउ—

१. संका : श्री जिन-वचन मे शंका की हो,
२. कंखा : पर-दर्शन की आकाक्षा की हो,
३. वितिगिच्छा : धर्म के फल में सदेह किया हो, (या
त्याग-वृत्ति के कारण शरीर-वस्त्र-
पात्र आदि मलिन देख कर संत-
सतियो की घृणा की हो)
४. परपासंड-पसंसा : पर-पाखण्डी (अन्य मती) की प्रशंसा
की हो,
५. परपासंड-संयवो : पर-पाखण्डी का परिचय किया हो,

प्रतिक्रमण पाठ

जो मे देवसिओ : मेरे सम्यक्त्व-रूप रत्न पर (दिन-
अइयारो कओ : सम्बन्धी) मिथ्यात्व-रूपी रज मैल
लगा हो, तो

तत्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘अरिहन्तो महदेवो’ प्रश्नोत्तरो

प्र० . तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानियो की सेवा क्यों करनी चाहिए ?

उ० : इसलिए कि ये दोनों बोल १. नूतन ज्ञान-प्राप्ति,
२ प्राचीन सदेह-निवारण, ३ सत्यासत्य निर्णय, ४. अतिचार-शुद्धि

और ५ नव प्रेरणा आदि करके हमारे सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को दृढ, शुद्ध और घन बनाते हैं ।

प्र० : सम्यक्त्व-भ्रष्ट की और अन्यमतों की संगति आदि क्यों छोड़नी चाहिए ?

उ० : इसलिए कि—'ये दोनों बोल सम्यग्ज्ञानादि की हानि को रोकते हैं, क्योंकि जो स्वयं सम्यक्त्वादि से भ्रष्ट होता है, उसकी संगति करने पर वह दूसरों को भी सम्यक्त्वादि से गिराता है और जिसकी मिथ्यादृष्टि होती है, उसकी संगति करने पर वह दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि बनाता है ।

प्र० : क्या इनका परिचय सबको छोड़ना चाहिए ?

उ० : नहीं, जो ज्ञानादि में परिपक्व हो, वह सम्यक्त्वादि में लाने के लिए भ्रष्ट और मिथ्यात्वी को अपने परिचय में लावे, तो कोई बाधा नहीं है ।

प्र० : जिन-वचन में शंका क्यों होती है और उसे कैसे दूर करनी चाहिये ?

उ० : श्री जिन-वचन में कई स्थानों पर सूक्ष्म तत्वों का विवेचन हुआ है, कई स्थानों पर नय और निक्षेप के आधार पर चर्चा हुआ है । वह स्थूल बुद्धि से समझ में न आने के कारण शंका हो जाती है कि—'ये वचन सत्य कैसे हो सकते हैं ।' तब अरिहतो के केवल ज्ञान और वीतरागता का विचार करके तथा अपनी बुद्धि की मन्दता का विचार करके ऐसी शंका दूर करनी चाहिये ।

प्र० : क्या जिज्ञासा-रूप शंका अतिचार है ?

उ० : नहीं । पर हाँ, उसका भी ज्ञानियों से शीघ्र

समाधान कर लेना आवश्यक है, अन्यथा वह जिज्ञासा-रूप शंका भी अतिचार-रूप शंका बन सकती है।

प्र० : परमत ग्रहण की इच्छा क्यों होती है ?

उ० : अन्यमतियों के तप-त्याग, आर्द्धवर-चमत्कार, पूजा आदि देखकर तथा उनकी कथा-विवेचना आदि सुनकर परमत ग्रहण करने की आकांक्षा होती है।

प्र० : तप-त्याग को देखकर तप-त्याग की इच्छा होना अतिचार क्यों ?

उ० : उनके तप-त्यागादि को देखकर यह इच्छा होना कि—‘जिन्हें अपूर्ण, अशुद्धिमिश्रित धर्म मिला है, वे भी इहलौकिक भौतिक सुख छोड़कर आत्मा के लिए, पारलौकिक सुख के लिए (या राष्ट्र आदि के) लिए इतना तप-त्याग करते हैं, तो हमें पूर्ण और शुद्ध धर्म मिला, ‘हम में तप-त्यागादि कितना होना चाहिए ?’ ऐसे विचार अतिचार नहीं हैं। पर उन्हें देखकर, मिले हुए पूर्ण और शुद्ध धर्म को छोड़कर अपूर्ण व अशुद्ध धर्म ग्रहण करने की इच्छा करना, अतिचार है।

प्र० : जब अन्यमत में भी तप-त्यागादि कुछ गुण हैं, तब उसकी प्रशंसा करना अतिचार क्यों ?

उ० : अन्यमत में रही अपूर्णता और अशुद्धता को बतलाने के साथ यदि अन्यमतियों के गुणों को भी कहा जाय, तो अतिचार नहीं है, पर अन्यमत की ऐसी प्रशंसा करना, जिससे सुननेवाला पूर्ण और शुद्ध धर्म से हटकर हानि प्राप्त करे, वह अतिचार है।

प्रत्याख्यान :

मैं नित्य नमस्कार मंत्र माला
आनुपूर्वी मागलिक .. वार गिनूंगा । नित्य उठते
ही भावपूर्वक देव को .. गुरु को वार वंदना करूंगा ।

जानकारी, शरीर मे सुखशांता तथा अन्य अनुकूलता के
रहते हुए, जहाँ भी रहूँ, उस ग्राम, नगर मे विराजित साधु
साध्वीजी के प्रतिदिन या मास मे वार दर्शन करूंगा ।

सर्वथा/ व्यसन सेवन नहीं करूंगा । सर्वथा/
रात्रि-भोजन नहीं करूंगा । सर्वथा/ उपरांत अनन्तकाय
नहीं खाऊँगा ।

देवाभियोगादि छह आगारों को छोड़ कर अन्यमती
देव, गुरु तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्यमती बने हुए
जैनी की संगति नहीं करूंगा ।

सम्यग्दर्शन निबन्ध

१. सूक्तः १. सद्धा परम दुल्लहा, (कदाचित् सम्यग्ज्ञान
सुनने को मिल सकता है, पर उस पर) श्रद्धा होना परम दुर्लभ
है—उत्तरा० । २ जिसे सम्यग्दर्शन (श्रद्धा) नहीं है, उसका ज्ञान
'सम्यग्ज्ञान' नहीं है—नन्दी० । ३ सम्यग्दर्शन, चारित्र धर्म का
मूल है, द्वार है, नीव है, पृथ्वी है, भाजन और पेटी है ।
४. सम्यग्दर्शन से ससार परित्त (सीमित) हो जाता है—प्रज्ञा० ।

२ उद्देश्यः मिथ्यात्व (श्रद्धा का अभाव और
मिथ्याश्रद्धा) को नष्ट करके सम्यक्त्व का उदय करना ।

३. स्थानः अज्ञान के पश्चात् मिथ्यात्व को नष्ट करना
आवश्यक है । इसलिए उसके नाशक सम्यग्दर्शन को मोक्ष के

उपायो मे दूसरा स्थान दिया गया है। उक्त सूक्तो के अनुसार यद्यपि सम्यग्दर्शन ही पहला है, पर व्यावहारिक दृष्टि से सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति और रक्षा सम्यग्ज्ञान से होती है, अतः सम्यग्ज्ञान को पहला स्थान देकर सम्यग्दर्शन को दूसरा स्थान दिया है।

४. फल . देव, गुरु, धर्म सबधी दृष्टि की शुद्धि होती है। सम सवेगादि सद्गुणो की प्राप्ति होती है। श्रुत धर्म व देव गुरु के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। तत्त्वज्ञान मे नि शकता और धर्म-क्रिया मे धैर्य उत्पन्न होता है। स्याद्वादपूर्णा अनेकात दृष्टि उपलब्ध होती है। धार्मिक मिथ्या अभिनिवेश दूर होता है। भवान्तर मे उक्त फल अधिक पुष्ट और दृढ होता है।

५. कर्त्तव्य : सम्यक्त्व की पुष्टि के लिए परमार्थ सस्तवादि ४ बोल करना। सम्यक्त्व शुद्धि के लिए शकादि ५ बोल वजंता। सम्यक्त्व रक्षा के लिए वदनादि छह यतना पालना। सम्यक्त्व टिकाव के लिए 'जीव है' आदि छह बोल पर चिन्तन करना। सम्यक्त्वयो की वृद्धि के लिए धर्म-कथादि आठ प्रभावना करना।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना। 'मुझे क्षायिक सम्यक्त्व कब प्राप्त होगी ?' यह मनोरथ करना, श्रद्धा की कमी का खेद करना। मिथ्यात्व के दुख और मिथ्यात्व सहित क्रिया की विफलता का विचार करना। सम्यक्त्व भ्रष्ट 'नद मणिकार' आदि के तथा सम्यक्त्वपालक 'श्रेणिक', 'सुलसा' आदि के चरित्र पर ध्यान देना।



पाठ ८ आठवाँ

६. 'अहिंसा अणुव्रत' व्रत पाठ

पहला अणुव्रत	. पहला अणुव्रत
'थूलाओ	: स्थूल (बड़ी)
पाणाइवायाओ	: प्राणातिपात (जीव-हिंसा से)
वेरमणा	: विरमणा (विरति करना, हटना)
त्रस जीव	: दुःख से बचने के लिए चलने फिरने वाले
बेइन्द्रिय	: द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रिय वाले),
तेइन्द्रिय	: त्रीन्द्रिय (तीन इन्द्रिय वाले),
चउरिन्द्रिय	: चतुरिन्द्रिय (चार इन्द्रिय वाले),
पचिन्द्रिय	: पञ्चेन्द्रिय (पाँच इन्द्रिय वाले इन्हे)

१. जान के पहिचान के, २. संकल्प करके उसमे १ सगे सम्बन्धी तथा स्व शरीर के भीतर मे पीड़ाकारी तथा ३. सापराधी को छोड़ निरपराधी को, ४. आकुटो से हनने का पञ्चवखाण (करता हूँ) ।

जावज्जीवाए	: जब तक जीवन है
दुविह ति विहेणं	: दो करण और तीन योग से
१. न करेमि	: हिंसा न करूँ
२. न कारवेमि	: तथा न कराऊँ (इन दो करणों से)
१. मणसा २. वयसा	: मन से, वचन से (तथा)

‘धूमंग मत्ते । पाणाइवायं पञ्चवखामि’ इत्तमा धोर ।

१. कायसाधन : काया से (इन तीन योगों से)

अतिचार पाठ

इसे पहले स्थूल प्राणातिपात पहला स्थूल प्राणातिपात
वेरमण व्रत के पच अइयारा विग्मण व्रत के विषय
मयाला जाणियव्वा न समायरिव्वा मे जो कोई अतिचार लगा
त जहा—ते आलोड— हो, तो आलोड—

१. बघे : गोपवश गाढ बन्धन बाँधा हो,
२. चहे : गाढ घाव घाला हो,
३. छविच्छेए अवयव (चाम आदि का) छेद किया हो,
४. अइभारे : अधिक भार भरा हो,
५. भत्तपाण-विच्छेए : भात पानी का दिच्छेद किया हो,
(खाने-पीने में रुकावट डाली हो)

प्रतिक्रमण पाठ

जो मे देवसिओ इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई
अइयारो कओ दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हो, तो
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘अहिंसा अणुव्रत’ प्रश्नोत्तरी

प्र० : सूक्ष्म प्राणातिपात किसे कहते हैं ?

तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निद्रामि गरिहामि अप्पण्ण वोसिरामि ।’
इतना और ।

उ० स्थावर जीवों की हिंसा को ।

प्र० प्राणातिपात किसे कहते हैं ?

उ० : जीव को मिले हुए प्राणों के वियोग करने को ।

प्र० : जीव-हिंसा के लिए 'प्राणातिपात' शब्द का प्रयोग क्यों किया ?

उ० : 'जीव नित्य है । वह न जन्मता, न मरता है' । इस सिद्धान्त को बताने के लिए ।

प्र० जीव का जन्म-मरण किस अपेक्षा से माना गया है ?

उ० : प्राणों के संयोग से नये आरम्भ होने वाले भव की अपेक्षा जन्म माना जाता है और प्राणों के वियोग से होने वाले पुराने भव की समाप्ति की अपेक्षा मरण माना जाता है ।

प्र० जीव अपने कर्मानुसार मरते और दुःख पाते हैं, फिर मारने वाले को पाप क्यों लगता है ?

उ० . १. मारने की दुष्ट भावना और २ मारने की दुष्ट प्रवृत्ति से ।

प्र० : श्रावक असजीव की हिंसा का त्याग क्यों करता है ?

उ० : उस हिंसा से पाप अधिक होता है, इसलिए ।

प्र० : असहिंसा से पाप अधिक क्यों होता है ।

उ० . १. असजीवों का जीवत्व प्रत्यक्ष है तथा वे मरते हुए बचने का प्रयास करते हैं । ऐसी दशा में जीवत्व प्रत्यक्ष होते हुए वलात् मारने से क्रूरता अधिक आती है, इसलिए तथा २. असंख्य-अनन्त स्थावर जीवों को जितने पुण्य से असंख्य

अनंत प्राण मिलते हैं, उससे भी कहीं अधिक पुण्य कमाने पर एक त्रसजीव को एक जिह्वा वचन आदि प्राण मिलता है। उस अनंत पुण्य से प्राप्त प्राण का वियोग होता है, इसलिए।

प्र० : जान के पहचान के हिंसा करना किसे कहते हैं ?

उ० . 'जहाँ पर या जिस पर मैं प्रहार कर रहा हूँ, वहाँ या वह त्रस जीव है।' यह जानते हुए हिंसा करना।

प्र० : सकल्प करके हिंसा करना किसे कहते हैं ?

उ० : जैसे 'मैं इस अन्य धनी राज्य को जीतूँ, इस सबल मनुष्य को मारूँ, इन सिंह, हरिण आदि का शिकार करूँ, सर्प, चूहे, मच्छर आदि का नाश करूँ, मछली, अडे आदि खाऊँ।' ऐसा विचार करके हिंसा करना।

प्र० : शरीर के भीतर में पीड़ाकारी का उदाहरण दीजिए।

उ० : जैसे कृमि नेहरू आदि।

प्र० : श्रावक संकल्पी हिंसा का ही त्याग क्यों करता है ?

उ० : क्योंकि अन्य आरम्भ करते हुए श्रावक की मारने की बुद्धि न रहते हुए उसमें त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है। जैसे पृथ्वीकाय खोदते हुए भूमिगत त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है, वाहन पर चलते हुए वाहन से कीड़ी आदि मर जाती है। ऐसी आरम्भी त्रस-हिंसा का श्रावक त्याग करने में समर्थ नहीं होता।

प्र० : सापराधी किसे कहते हैं ?

उ० : जैसे आक्रमणकारी शत्रु, सिंह, सर्प आदि को

धनापहारी चोर, डाकू आदि को, शील को लूटने वाले, जार आदि को या उचित और आवश्यक राष्ट्रनीति, राजनीति, समाजनीति आदि का भग करने वाले राष्ट्रद्रोही आदि को ।

प्र० : श्रावक सापराधी की हिंसा क्यों नहीं छोड़ देता ?

उ० : १. जिसमे निरपराध त्रस जीवो की हिंसा हो, इस प्रकार नयी अविद्यमान स्त्रो, सपत्ति, भोगोपभोग सामग्री आदि का त्याग-भाव श्रावक मे आ जाता है । परन्तु पुरानी विद्यमान वस्तुओ का त्याग-भाव उसमे नही आ पाता, अतः उसे सापराधियो पर मारने का द्वेष आ जाता है तथा २ लोक मे रहने के कारण उस पर आश्रितो की रक्षा का भार आदि भी रहता है, इसलिए वह सापराधी हिंसा नही छोड़ पाता ।

प्र० निरपराध किसे कहते हैं ?

उ० . जैसे आक्रमण न करने वाले, गांति-प्रेमी मनुष्य, राज्य आदि को, धन शीलादि को न लूटने वाले साहूकार, सुशील आदि को, अपने मार्ग से जाते हुए सिंह, सर्प आदि को, किसी को कष्ट न पहुँचाने वाले गाय, हरिण, तीतर, मछली अण्डे आदि को ।

प्र० 'आकुट्टी' मे मारना किसे कहते है ?

उ० . 'यह जीवित भी रहेगा या नही ।' इसका ध्यान न रखते हुए कषायवश निर्दयतापूर्वक मारने को ।

प्र० : अहिंसा अणुव्रत क्या यावज्जीवन के लिए ही लिया जा सकता है, न्यूनाधिक समय के लिए नही लिया जा सकता ?

उ० : अधिक समय के लिए तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि आगामी जन्म कहाँ किस रूप में होगा और वहाँ व्रत-पालन होगा या नहीं ? यह जान लेना असम्भव है। इसके अतिरिक्त कही भी जन्म से ही व्रत-पालन सम्भव भी नहीं है। हाँ, जो यावज्जीवन व्रत लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं (यद्यपि लेना कठिन नहीं है) या जो पहले कुछ समय व्रत निभा कर फिर यावज्जीवन के लिए व्रत लेना चाहते हैं, वे दस वर्ष, पाँच वर्ष, वर्ष आदि कम समय के लिए व्रत अवश्य ले सकते हैं। यह उत्तर प्रारम्भ के आठो व्रतों के लिए समझना चाहिए।

प्र० : अहिंसा अणुव्रत का पालन कितने करण योग से होता है ?

उ० : यद्यपि अहिंसा का अणुव्रत दो करण तीन योग से लिया जाता है, पर इसका तीन करण तीन योग से पालन का विवेक रखना चाहिए, अर्थात् कोई निरपराध त्रस जीव को सकल्पपूर्वक मारे, तो उसका मन-वचन-काय से अनुमोदन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी दो करण तीन योग के व्रतों को तीन करण तीन योग से पालने का ध्यान रखना चाहिए।

प्र० : 'गाढ़ बन्धन' किसे कहते हैं ?

उ० : जो गले आदि का बन्धन पशु, मनुष्यादि के लिए फाँसी-रूप बन जाय या अग्नि, बाढ़ आदि का भय उपस्थित होने पर अन्य पुरुष उसे खोल न सके, ऐसे बन्धन को।

प्र० : 'बड़े' के अन्य प्रकार बताइए।

उ० : घूँसा, लात, चावुक, आर आदि से मर्म स्थान आदि पर प्रहार करना।

प्र० 'छविच्छेद' अतिचार कब लगता है ?

उ० . रोगादि कारणों के न होते हुए सजीव चमड़ी छेदने पर, डाम देने पर तथा अवयवादि काटने पर ।

प्र० अतिभार किसे कहते हैं ?

उ० । जो पशु जितने समय तक जितना भार ढो सकता हो, उससे भी अधिक समय तक उस पर भार लादना या जो मनुष्य जितने समय तक जितना कार्य कर सकता हो, उससे भी अधिक समय तक उससे कार्य कराना ।

प्र० भक्त-पाण-विच्छेद अतिचार कब लगता है ?

उ० रोगादि कारणों के न होते हुए यथा समय पूरा भोजन-पान न देने पर ।

प्र० 'कषायवश गाढ बन्धन बाँधना' आदि अतिचार है या अनाचार ?

उ० : कुछ तीव्र (प्रत्याख्यानावरणीय की सीमा तक) कषायवश गाढ बन्धन-बाँधना आदि अतिचार है तथा अति तीव्र (अप्रत्याख्यान की सीमा-में जाने वाली) कषायवश-गाढ बन्धन आदि अनाचार है । अतः श्रावक को तीव्र कषाय से बचना चाहिए । पर जब तक उसके तीव्र कषाय का व्यवहार से निर्णय न हो, तब तक उसे अतिचार ही कहा जाता है, अनाचार नहीं ।

यह उत्तर सहस्राभ्याख्यान आदि उन सभी अतिचारों के लिए समझना चाहिए, जो अतिचार कषायवश होकर लगाये जाते हो ।

निबंध

१. सूक्त : १. एयं खु नाणिणो सारं, 'जं न हिंसाइ कं च णं।' ज्ञान का सार यही है कि 'किसी की हिंसा न करे।'—सूत्र० । २. सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए प्राणि-वध घोर पाप है ।—दशवै० । ३. सब जीवों को अपने समान समझो ।

२. उद्देश्य : प्राणि-हिंसा को रोकना और प्राणि-रक्षा करना ।

३. स्थान : मोक्ष प्राप्ति के लिए अज्ञान और मिथ्यात्व नष्ट होने के पश्चात् राग-द्वेष (अव्रत, प्रमाद, कषाय) नष्ट होना आवश्यक है । राग-द्वेष का विनाश करना ही सम्यक्चारित्र का उद्देश्य है, इसलिए सम्यक्चारित्र को तीसरा स्थान दिया है ।

जब प्राणी को प्राण, स्त्री, और परिग्रह के प्रति तीव्र राग उत्पन्न होता है, तब वह उनकी प्राप्ति और रक्षा-रूप अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरे के मूल्यवान प्राण तक लूट लेता है तथा उनकी प्राप्ति व रक्षा में बाधा और हानि पहुँचाने वालों के प्रति तीव्र द्वेष करके उनके भी प्राण लूट लेता है । यह प्राणों की लूट जहाँ प्राणी के तीव्र राग-द्वेष का पोषण करती है, वहाँ वह दूसरों के लिए भी पूर्ण रूप से महान् दुःख उत्पन्न कर देती है । अतः चारित्र में दोनों के लिए हानिप्रद प्राणि-हिंसा को रोकना मुख्य है । इसलिए चारित्र में अहिंसा को सबसे पहला स्थान दिया है । 'हिंसा छोड़ने योग्य है।' यह शीघ्र ध्यान में आ जाता है, इसलिए भी हिंसा-विरति को प्रथम स्थान दिया है ।

४. फल : स्थूल हिंसा सम्बन्धी सकल्प-विकल्प से मुक्ति, परस्पर वैर का त्याग, युद्ध-शांति, सह-अस्तित्व, निर्भयता, मित्रता, सहयोग, भवान्तर में अहिंसक स्वभाव, शुभ दीर्घायुष्य, सर्वत्र जीवन-रक्षा, विष शस्त्र, मन्त्र आदि का अप्रभाव । अन्त में सदा के लिए अमरत्व, मोक्ष-प्राप्ति ।

५. कर्त्तव्य : द्रव्य क्षेत्र, काल-भाव के अनुसार मरते हुए प्राणी की रक्षा करना, सापराधी अपराध-वृत्ति त्यागे, शत्रु मित्र बने—इसका पुरुषार्थ करना, अनाक्रामक सर्प, सिंहादि को न मारना, आक्रामक को मारे बिना काम चले—ऐसा विवेक रखना, आश्रितों के अपराध पर तीव्र कषाय न करना, गुरुदण्ड न देना, निर्भय रहना इत्यादि ।

६. भावना : अहिंसा की पुष्टि के लिए सूक्तादि पर विचार करना । एकेन्द्रिय की हिंसा भी कब छूटेगी ? यह मनोरथ करना । अहिंसा की अपूर्णता पर खेद करना । हिंसा के कारण, दुःख राने पाले मृगालोढादि का तथा अहिंसा के पालक नेमिनाथ, महावीर, मेघमुनि, धर्मरुचि आदि के चरित्र पर ध्यान देना ।



पाठ ६ नववाँ

७. 'सत्य अणुव्रत' व्रत पाठ

दूसरा अणुव्रत

'शूलाश्रो

मुसावापाश्रो

दूसरा अणुव्रत

: स्थूल (अति दुष्ट विचारपूर्वक)

: मृषावाद् (भूठ बोलने) से

- वेरमणां : विरमणा, (हटना) ।
१. कन्नालीए : कन्या (वर आदि मनुष्य)-सम्बन्धी भूठ
२. गोवालीए : गाय (भैस आदि पशु) सम्बन्धी भूठ
३. भोमालीए : भूमि (घन आदि जेप द्रव्य) सम्बन्धी भूठ
४. एणासावहारो (थापणमोसो) : धरोहर दवाने के लिए भूठ
: धरोहर सम्बन्धी भूठ
५. कूड-सविखज्जे : कूडी साख (भूठी साक्षी)
- इत्यादिक मोटा भूठ खोलने का पञ्चवखाण (करता हूँ) ।
जावज्जीवाए । दुविहं ति विहेण—१. न करेमि, २. न
कारवेमि, १. मणसा २. वयसा ३. कायसा ।†

अतिचार पाठ

- ऐसे दूसरे मृषावाद विरमणा दूजा-स्थूल मृषावाद विरमणा
व्रत के पंच अइयारा व्रत के विषय में जो कोई
जाणियव्वा न समायरियव्वा अतिचार लगा हो, तो
तं जहा—ते आलोउं— आलोउ—
- १ सहस्रसम्भवखाणे : सहसा कार से किसी के प्रति कूडा
आल (भूठा दोष) दिया हो,
२. रहस्सम्भवखाणे : एकान्त में गुप्त बातचीत (आदि)
करते हुए व्यक्तियों पर भूठा आरोप
लगाया हो,

† 'पूलगं, भंते' । 'मुसावायं पञ्चवखामि ।' इतना और ।

‡ 'तस्स भते ! पण्डित्थं मामि' (४) '.....' । इतना और ।

३. सदार-मत-भेए : अपनी स्त्री (आदि) के मर्म प्रकाशित
किये हो, (गुप्त-वात प्रकाशित की हो),
४. मोसोवएसे : मृषा (भूठा) उपदेश दिया हो,
५. कूड-लेह-करणे : कूडा (भूठा) लेख (आदि) लिखा हो;

प्रतिक्रमण पाठ

जो मे देंवसिओ : इन अतिचारो मे मे मुझे जो कोई
अइयारो कओ दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हो, तो
तस्स मिच्छा मि-दुक्कडं ।

'सत्य अणुव्रत' प्रश्नोत्तरी

प्र० भूठ के प्रकार-बताइए ।

उ० भूठ के दो प्रकार है—१. द्रव्य और २. भाव ।
१ भूठ की भावना से, जैसे गुणहीन कन्या को गुणवती कहना,
द्रव्य और भाव दोनों से भूठ है तथा २. भूठ की ही भावना से,
जैसे गुणहीन कन्या के सबध में कहना कि—'मैं उसके गुण
क्या बताऊँ ?'—उसके गुण अवर्णनीय हैं ।' यह द्रव्य से तो भूठ
नहीं है, पर भाव से भूठ है । ये दोनों प्रकार के भूठ त्याज्य हैं ।

प्र० . इत्यादि शब्द से कौनसे भूठ समझना चाहिये ?

उ० : जैसे भूठा आरोप लगाना, विश्वासघात करना,
भगवान आदि की भूठी वपथ करना, मृषा उपदेश करना,
राजकीय-सामाजिक-व्यापारिक-सेवाहीन-साहित्यिक वी भूठ
बोलना आदि ।

प्र० . यदि किसी से राजकीय आदि भूठ न-छूटे, तो क्या
वह व्रत ग्रहण नहीं कर सकता ?

उ० • यथा सभव आत्मबल बढाकर सभी बडी भूठ त्याग कर यह व्रत लेना चाहिए । यदि किसी से विशेष आत्मबल के अभाव मे ऐसा न हो सके, तो जितनी भूठ त्याग सके, उनका ही सही, व्रत अवश्य ले । आगे भी यही समझना ।

प्र० रक्षा के लिए भूठी साक्षी देना या नही ?

उ० रक्षा की भावना उत्तम है, पर रक्षा के लिए भी सापराधी की भूठी साक्षी देना नही चाहिए । कदाचित् इससे अन्य निरपराध की मृत्यु भी हो सकती है । निरपराध को बचाने के लिए भी कूट साक्षी देना अतिचार है । इससे भविष्य के लिए साक्षीत्व का विश्वास उठ जाता है । उसे सत्य से बचा लेने मे समर्थ न होने से यदि कूट साक्षी दी हो, तो उस मन्द अतिचार का भी तत्काल प्रायश्चित्त करना चाहिए ।

प्र० 'सहसाब्भक्खाणे' के अन्य प्रकार बताइए ।

उ० जैसे १ क्रोधादि कषाय के आवेश मे आकर बिना विचारे किसी पर हत्या, भूठ, चोरी, जाली आदि आरोप लगाना । सन्देह होने पर भी कुछ भी प्रमाण मिले बिना, सुनी सुनाई बात पर या शुत्रुता निकालने के लिए या अपने पर आये आरोप को टालने के लिए आरोप लगाना आदि भी 'सहसाब्भक्खाणे' हैं ।

प्र० : 'रहस्साब्भक्खाणे' की व्याख्या कीजिए ।

उ० रहस्य-मन्त्रणा आदि किसी भी अधूरे प्रमाण पर एक या अनेक पुरुषों पर आरोप लगाना ।

प्र० : सदारमतभेए की व्याख्या कीजिए ।

उ० - स्त्री, मित्र, जाति, राष्ट्र आदि किसी की भी कोई भी लज्जनीय या गोपनीय बात अन्य के समक्ष प्रकट करना ।

प्र० : सच्ची बात अकट करूना अतिचार कैसे ?

उ० : इसलिए कि, ऐसा करने से स्त्री आदि का विश्वासघात होता है, वह लज्जित होकर मर सकती है या राष्ट्र पर अन्य राष्ट्र का आक्रमण आदि हो सकता है, अतः विश्वासघात और हिंसा की अपेक्षा सत्य बात अकट करूना भी अतिचार है ॥

प्र० : झूठा उपदेश किसे कहते हैं ?

उ० : बिना पूछे या पूछने पर भी ऐसा असत्य परामर्श देना, जिससे श्रोता हिंसादि बड़े आशयों से या व्यसनों में लगे जाय ॥

प्र० : कूट लेख से और क्या समझना चाहिए ?

उ० : अनाकंठी हस्ताक्षर का सिक्के का मोहरे का विघात कनाता आदि ॥

निबन्ध

१. सूक्त - १. सादेव्वाणि व्यदेव्याओ करेति सच्चवयो
रुतराणि, सत्यवचन मे रत पुरुषो कीदेवता सहाय करते हैं ॥
—प्रश्न० ॥ २. लोक में जितने भी मन्त्र, योग, जप, विद्या, अस्त्र, शास्त्र, कला आगम आदि हैं, वे सब सत्य पर प्रतिष्ठित हैं ॥
—प्रश्न० ॥ ३. 'सभी साधुओं ने मृषावाद की गहरी भी है, यह प्राणियों में अविश्वास कर कारण है' ॥ —उत्तर० ॥ इसलिए मृषावाद त्यागो ॥

२. उद्देश्य : झूठ को रोकना और सौत-वृत्ति तथा सत्य का स्थापन करना ॥

३. स्थान : 'हिंसा तीव्र राग-द्वेष से होती है। प्रत्यक्ष दुःख देती है, तत्काल दुःख देती है और प्राणों का नाश करके बहुत दुःख देती है। परन्तु भूठ अपेक्षाकृत मन्द राग-द्वेष से होता है, उसका दुःख प्रायः पीछे भूठ का ज्ञान होने पर, परोक्ष में होता है और प्रायः प्राण-नाश न होने से हिंसा की अपेक्षा कम दुःख होता है। इसलिए हिंसा के त्याग से भूठ का त्याग गौण है। अतः प्राणातिपात विरमण के पश्चात् मृषावाद विरमण को तीसरा स्थान दिया है।

४. फल : स्थूल भूठ सबधी सकल्प-विकल्प से मुक्ति, सब लोगों में विश्वास, विरोधी भी वचन को प्रमाण माने। न्यायाधीश आदि पद की प्राप्ति। व्यापार आदि में सफलता। भूठजन्य वैर नहीं बँधता आदि। जन्मान्तर में उक्त फल के साथ सत्यवादिता, मधुर कंठ, प्रभावशाली वाणी, वचन-सिद्धि आदि की प्राप्ति।

५. कर्तव्य : 'मेरे इस वचन का क्या फल होगा ?' इसका विचार। गोपनीय बातों को पचाना। आरोपादि आने पर चैर्य रख कर नीति से निवारण करना। बिना प्रमाण कोई कथन न करना। हित-मित वाणी कहना। वचन का पालन करना। समय पर सत्य वचन कहना।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना। पूर्ण सत्य कब प्राप्त हो ? यह मनोरथ करना। सत्य की अपूर्णता का खेद करना। सत्य-त्याग का अशुभ फल पाने वाले महाबल (मल्लोनाथ) आदि की और सत्य के लिए शरीर अर्पण करने वाले सत्यवादी हरिश्चन्द्र आदि की कथाओं पर ध्यान लगाना।



पाठ १० दशवां

८. 'अचौर्यं अणुव्रत' व्रत पाठ

तीसरा अणुव्रत 'थूलाश्रो'

अदिष्णा दाणाश्रो : अदत्तादान (चोरी से) विरमणं ।†
 १. खात खींचकर, २. गाँठ खोलकर, ३. ताले पर कुंजी लगा कर, ४. मार्ग में चलते को लूट कर, ५. पड़ी हुई धरियाती (किसी के अधिकार की) मोटी वस्तु जानकर लेना, इत्यादि मोटा अदत्तादान का पञ्चवखाण, (करता हूँ) । १. सगे संबंधी, २. व्यापार संबंधी तथा ३. पड़ी निम्नमो (शंकारहित) वस्तु के उपरान्त अदत्तादान का पञ्चवखाण (करता हूँ) । जावज्जीवाए दुविहेणं तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा ।‡

अतिचार पाठ

ऐसे तीसरे स्थूल अदत्तादान तीसरे स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत के पंच अहयारा विरमण व्रत के विषय में जाणियव्वा न सामायरियव्वा जो कोई अतिचार लगा तंजहा—ते आलोउ— हो, तो आलोउ—

१. तेनाहडे : चोर को चुराई वस्तु ली हो,
२. तक्करप्पश्रोणे : चोर को सहायता (आदि) दी हो,
३. विरुद्ध-रज्जाइवकमे : राज्य-विरुद्ध काम किया हो,
४. कूड-तुल्ल-कूडमारो : कूड़ा (खोटा) तोल, कूड़ा माप किया हो,

† 'थूलग भंते ! अदिष्णादाणं पञ्चवखामि ।' इतना और ।

‡ तस्स भंते ! पडिक्कमामि ४ । इतना और ।

५. तत्पडिरुवम्ववहारैः : वस्तु में भेल सभेल (आदि) की हो,
 जौ सौ देवसिओ : इना अतिचारो मे से मुर्गे जौ कोई
 अइयारो कओ दिना सावधी अतिचार दोष लमा ह्ये, तो
 तस्सा मिच्छा मि दुवकडं ।

अदत्तादान प्रश्नोत्तरी

प्र० : अदत्तादान किसे कहते हैं ?

उ० : स्वामी की आज्ञा आदि न होते हुए दुष्ट
 क्रिचारपूर्वक उसकी वस्तु लेना ॥

प्र० : यहाँ चोरी के पाँच प्रकारों से क्या बताया है ?

उ० : लोकप्रसिद्ध चोरी के कुछ प्रकार बताये हैं ॥

प्र० : 'इत्यादि' शब्द से कौनसी चोरियाँ समझनी
 चाहिएँ ?

उ० : राज्य, समाज, स्वामी आदि की उचित नीति के
 विरुद्ध काम करना, जैसे अधिक कर लगाना, उचित कर न
 देना, न्यायाधिक तालना-माफना, घूस लेना-देना, वेतन न देना,
 श्रम न कराना, अन्य का साहित्य चुराना, नाम चुराना, धरोहर
 देवाना, भूमि देवाना आदि ।

प्र० : इस अत में 'सर्ग-सम्बन्धी' आदि का आशय क्यों
 रक्का गया है ?

उ० : मिलजुल कर रहने वाले सर्ग-सम्बन्धी यदि परस्पर
 के घर का ताला खोलना आदि करते हैं या व्यापार में २१ माल
 दिखाकर १६ माल दिया जाता है या 'इस वस्तु का यह स्वामी
 है' इसकी सामान्यतः जानकारी यह खोज होना कठिन होने

पर किसी वस्तु को ली जाती है, तो ये चोरियाँ हैं, पर बड़ी चोरियाँ नहीं। अतः इनका आगार सम्भरने की दृष्टि से रक्खा गया है।

प्र० : 'तेनाहडे' की व्याख्या कीजिए।

उ० : चोर की चुराई वस्तु, पूरी या उसके कुछ भाग को बिना मूल्य, पूरा मूल्य या कुछ मूल्य देकर लेना।

प्र० : 'लक्करप्पओगे' में और क्या सम्मिलित हैं ?

उ० : चोर को चोरी की प्रेरणा देना, संकट में बचाना या बचाने का आश्वासन देना आदि।

प्र० : राज्य-विरुद्ध काम किसे कहते हैं ?

उ० : सुराज्य-नीति के अनुकूल शासकों ने जो भी आवश्यक और उचित नियम लगाएँ हो, उनका भङ्ग करना। जैसे निषिद्ध वस्तुएँ बेचना-खरीदना, निषिद्ध राज्यों में बेचना-खरीदना, कर न देना आदि।

प्र० : कूट तौल-माप किसे कहते हैं ?

उ० : देने के हल्के और लेने के भारी, पृथक्-पृथक् तौल-माप रखना या देते समय कम तौलकर देना, कम माप कर देना, इसी प्रकार कम गिनकर देना या खोटी कसौटी लगाकर कम देना। लेते समय अधिक तौलकर, अधिक मापकर, अधिक गिनकर तथा स्वर्णादि को कम बताकर लेना आदि।

प्र० : 'तप्पडिस्वण-ववहारे' की व्याख्या बताइए।

उ० : अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना। उत्तम वस्तु को दिखलाकर निकृष्ट वस्तु

देना । इसी प्रकार अल्प मूल्य वाली या वनावटी वस्तु को बहुमूल्य जैसी और वास्तविक जैसी बनाकर बेचना या ऊपर लेवल अच्छा लगाकर भीतर खोटी वस्तु रखकर बेचना आदि ।

निबंध

१ सूक्त : १. लोभाविले आययइ अदत्तं, लोभी चोरी करता है ।—उत्तरा० । २. साधु-मुनि दाँत-शोधन के लिए तृण भी विना आज्ञा नहीं उठाते ।—दशर्व० । ३ पराया धन मिट्टी के समान समझो ।

२. उद्देश्य : चोरी को हटाकर साहूकारी स्थापन करना ।

३. स्थान : सामान्यतया भूठ बोलना अपेक्षाकृत विशेष राग-द्वेष से होता है । भूठ सब ही द्रव्यों के विषय में अधिक स्थान में जब कभी बोला जा सकता है और उसका परिणाम भी अधिक लोगो के लिए दुःखदायी होता है तथा सामान्यतया भूठ की अपेक्षा चोरी मन्द राग-द्वेष से होती है, भूठ के योग्य द्रव्य, क्षेत्र और काल बहुत कम होते हैं और चोरी अपेक्षाकृत कम लोगो के लिए दुःखप्रद बनती है । अतः भूठ के त्याग से चोरी का त्याग गौण है । इसलिए अदत्तादान विरमण को तीसरा स्थान दिया है ।

४. फल : स्थूल अदत्तादान सम्बन्धी सकल्प-विकल्प से मुक्ति । लोग चोरी की आशकों न करे, चोरी का आरोप न लगावें । व्यापार में प्रतिष्ठा, नौकरी की सुलभता । भंडार आदि में प्रवेश, भण्डारी आदि पद की प्राप्ति ।

भवान्तर में उक्त फल के साथ अचौर्यवृत्ति हो, असुरक्षित स्थान में भी निजी सम्पत्ति की सुरक्षा हो, राजा की सम्पत्ति

पर कुदृष्टि न हो, चोर का हाथ न लगे, अग्नि जलादि का सकट न आवे ।

५. कर्त्तव्य : लोभ पर अकुश रखना, अभाव को जीतना, आय के अनुसार जीवनयापन करना, हाथ का सच्चा रहना ।

६. भायना : सूक्तादि पर विचार करना । 'पूर्ण अचौर्य कर्त्तव्य'—यह मनोग्रथ करना । अचौर्य की अपूर्णता का खेद करना । चोरी करने वाले विजय चोर, सुलसा आदि की तथा चोरी न करने वाले 'श्रीपति' आदि की कथा पर ध्यान लगाना ।



पाठ ११ ग्यारहवाँ

१. 'ब्रह्मचर्य अणुव्रत' व्रत पाठ

चोरी अणुव्रत 'थूलाश्रो'

मेढुरणाश्रो, वैरमणां : मैथुन (अब्रह्मचर्य) से हटना.
सदार : अपनी विवाहिता स्त्री में
(स्त्री के लिये सभत्तार) : (अपने विवाहित पति में)
सतोसिए : सतोष करता (करती) हूँ ।

† 'थूलग भन्ते ! मेढुरां पच्चक्खामि ।'

अवसेस	: अन्य स्त्रियों (पुरुषों) से
(सव्व)	: (सभी से, सव्व शब्द ब्रह्मचारी 'सदाचर' सतोसिए अवसेस' के स्थान पर कहें)
मेहुण-विहिं	: मैथुन-सेवन का
पच्चक्खामि	: प्रत्याख्यान करता (करती) हूँ
जावज्जीवाए । देव-देवी सम्बन्धी कुविहं तिघिहेरणं, न करेमि न कारवेमि, नरएत्तर वयसा कायसा । तया मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी	
एगविहं एगविहेरणं	: एक करण एक योग से (मैथुन-सेवन)
न करेमि	: नहीं करूँगा
कायसाः	: काया से (सूई डोरे के न्याय से)

अतिचार पाठ

ऐसे चौथे स्थूल मैथुन विरमण चौथा स्थूल स्वदार (पति)
व्रत के पच अइयारा जाणि- संतोष परदार (जेप स्त्रो-पुरुष)
यव्वा न समायरियच्चर तंजहर विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत
—ते अग्लोड— के विषय मे जो कोई अतिचार
सगा हो, सो अग्लोडें,

१. इत्तरिय परिण- : इत्तर परिगृहीता (अल्प वय वाली
हिय-गमरो स्वस्त्री या वेज्या) से गमन किया हो,
२. अपरिणहिय- : अपरिगृहीता (सगाई की हुई स्वस्त्री या
गमरो अनाथ कन्यादि) से गमन किया हो,

इतस्त मन्ते ! ये दोनों पाठ मिलाकर इस पष्ठ से ब्रह्मचर्य व्रत
लेना चाहिए ।

३. अनंगक्रीडा : अनंग क्रीडा की हो,
 ४. पर-विवाह-करणे : पराये का विवाह नाता कराया हो,
 ५. कामभोगतिष्ठा भिलासे : काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो,
 जो मे देवसिद्धो : इन अतिचारों में से मुझे जो कोई
 अइयारो कओ दिन सबधी अतिचार लगा हो, तो
 तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

'ब्रह्मचर्य अणुव्रत' प्रश्नोत्तरी

प्र० : स्व-स्त्री सतोष कितने प्रकार से हो सकता है ?

उ० नाना प्रकार से हो सकता है । जैसे—एक विवाह उपरान्त या वर्तमान विवाहित स्त्री से अन्य विवाह नहीं करूंगा । वर्तमान स्त्री स्वर्गवास हो जाने पर या इतने वर्ष के उपरान्त स्वर्गवास हो जाने पर अन्य विवाह नहीं करूंगा । वर्ष में या मास में दिन से अधिक अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा । इतने वर्ष के हो जाने पर सर्वथा ब्रह्मचारी रहूंगा । दिवा ब्रह्मचारी रहूंगा । पक्ष में ब्रह्मचारी रहूंगा । तिथियों को पर्वों को तथा श्रावण-भाद्रपद मास में ब्रह्मचारी रहूंगा । आदि ।

प्र० वेश्यागमन अतिचार है या अनाचार है ?

उ० किसी अन्य षड्यन्त्रकारी के प्रलोभन से वेश्या स्वस्त्री के समान बन जाय और ऐसे समय कोई भुलावे में आकर वेश्या का आभोग न होने से उससे गमन कर ले, तो उसे अतिचार लगता है, अनाचार नहीं या वेश्यागमन की भावना में वेश्या से आलाप-सलाप-रूप व्रत का देश-भ्रम करना, 'वैगमनय'

की दृष्टि से वेश्यागमन है। वह भी अतिचार है, अनाचार नहीं। व्यवहार से वेश्यागमन करना तो अनाचार ही है।

अन्यत्र भी जहाँ कोई ऐसे अतिचार, जो अनाचार दिखाई दे, वहाँ उन्हें अनाभोग, देश-भङ्ग आदि की अपेक्षा अतिचार समझना चाहिए।

प्र० : अल्प-वय-वाली किसे कहते हैं ?

उ० : जिसे अभी ऋतुधर्म आरम्भ नहीं हुआ हो। (स्त्री के लिए, 'जिसका वीर्य पका नहीं'—ऐसा पति अल्प वय वाला है। उसे वीर्योत्तेजक औषधियाँ खिलाकर गमन करने से स्त्री को यह अतिचार लगता है।)

प्र० : अनंग-क्रीड़ा किसे कहते हैं ?

उ० : काम-सेवन के जो प्राकृतिक अंग हैं, उनसे अन्य अंगों के द्वारा स्वस्त्री से या पुरुष से या अन्य स्त्रियों से या पुतली आदि से गमन करना। इसी प्रकार पराई स्त्रियों से या पुरुषों से आलिङ्गन-चुम्बनादि करना। वीर्य-स्खलन के पश्चात् भी स्वस्त्री से गमन करना, हस्तकर्म करना।

प्र० : 'पर-विवाह-करणे' की व्याख्या कीजिये।

उ० : अपना और अपनी सत्तान और इसी प्रकार जिनका विवाह करने का कार्यभार स्वयं पर आ पड़ा हो, उनके अतिरिक्त दूसरों का विवाह करना, इसी प्रकार विधवा-विवाह कराना, वर्त्तमान पत्नी उपरात् अन्य विवाह का त्याग होने पर अन्य स्त्री से विवाह करना। अपने पुत्रादि का एक बार विवाह करके फिर विवाह करने का त्याग ले लेने के पश्चात् उनका विवाह करना। जिस कन्या का पर-पुरुष के साथ

विवाह हो रहा हो, उसके साथ स्वयं विवाह कर लेना आदि ।

प्र० : कामभोग की तीव्र अभिलाषा में और क्या सम्मिलित हैं ?

उ० : विशेष कामभोग की भावना से बाजीकरण, वीर्य-वर्धन करना आदि ।

निबन्ध

१. सूक्तः : १ तत्रेसु वा उत्तमं बन्धचेरं, सब प्रकार के तपो में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है ।—सूत्र० । २. एक ब्रह्मचर्य का आराधन करने से सभी गुणों का आराधन हो जाता है ।—प्रश्न० । ३. अब्रह्मचर्य को जीता हुआ समुद्र पार कर चुका, केवल नदी शेष है—उत्तरा० । ४. इन्द्र, चक्रवर्ती, वासुदेव, राजा, युगलिक आदि सभी काम-भोग से अतृप्त ही मरते हैं ।—प्रश्न० ।

२. उद्देश्य : अब्रह्मचर्य के खुजली के समान विकृत और तुच्छ सुख से हटाकर आत्मा को ब्रह्मचर्य के नीरोगता के समान श्रेष्ठ अविकार सुख की प्राप्ति कराना ।

३. स्थान : १ हिंसा, २ भूठ और ३ चोरी—ये तीनों ही पाप १ प्राणों के प्रति राग, २ स्त्री के प्रति राग और ३ धन आदि के प्रति राग के कारण होते हैं और जहाँ राग होता है, वहाँ द्वेष अवश्य होता है और रागद्वेष ही त्याज्य है । उनमें भी राग का त्याग मुख्य है, पर राग पाप है—यह समझ में आना कठिन होता है, अतः शास्त्रकारों ने राग के त्यागरूप व्रत को तीनों के पश्चात् स्थान दिया है । दूसरी बात यह भी है कि हिंसा, भूठ और चोरी के त्याग के पश्चात् इन तीनों का राग बहुतांश से प्रायः मन्द पड़ जाता है । इसलिए भी इनका त्याग

किसी अपेक्षा गौण हो जाता है। अतएव भी इनके त्याग को पीछे स्थान दिया है।

इन तीनों में प्राणों पर राग सबसे अधिक, उससे कम स्त्री पर और उससे कम धनादि पर होता है। अतः प्राणों के राग का त्याग सबसे ही मुख्य है। पर प्राण मोक्ष-आराधना भी उपयोगी हैं, अतः व्यावहारिक दृष्टि से उनका त्याग सम्भव नहीं। अतः उसके पश्चात् शेष दोनों रागों में स्त्री-राग का त्याग मुख्य होने से धनादि के राग के त्याग से पहले 'मैथुन विरमण' को चौथा स्थान दिया गया है।

४. फल : स्थूल मैथुन सम्बन्धी सकल्प-विकल्प से मुक्ति। स्वदार में अधिक आसक्ति की मन्दता। शरीर नोरोग, हृदय बलवान, इन्द्रियाँ सतेज, बुद्धि तीक्ष्ण और चित्त स्वस्थ। अल्पायु न हो, दुराचार की आशंका व आरोप न हो। भवान्तर में उक्त फल के साथ नपुंसक या स्त्री न बने, नपुंसक न बनाया जाये, स्त्री-प्राप्ति में कठिनता, स्त्री-वियोग या स्त्री-मृत्यु न हो, स्वतः ब्रह्मचर्य पालन की भावना हो।

५. कर्तव्य : अन्य स्त्री की आवश्यक कथा न करना, शब्द न सुनना, रूप न देखना, परिचय न करना, साथ में गमन, भोजन, गान आदि न करना। अश्लील साहित्य, चित्र, नाटकादि से परे रहना। रात्रि-भोजन, गरिष्ठ भोजन आदि से बचना।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना। पूर्ण 'ब्रह्मचारी कब बनूंगा?' यह मनोरथ करना। ब्रह्मचर्य की अपूर्णता पर खेद करना। भोग्य स्त्री-देह की अशुचिता का, अनित्यता का और स्त्री की स्वार्थपरता का चिन्तन करना। ब्रह्मचर्य के

अपालक रावण, जिनरक्ष, सूरिकान्ता आदि का तथा ब्रह्मचर्य के पालक जम्बूकुमार, मल्लीनाथ, राजीमति आदि के जीवन-चरित पर ध्यान देना ।



पाठ १२ बारहवाँ

१०. 'अपरिग्रह अणुव्रत' व्रत पाठ

पाँचवाँ अणुव्रत 'श्रुलाओ'

परिग्रहाओ 'वेरमण ।'† : परिग्रह (सग्रह तथा मूर्च्छा) सेहटना

१ खेत : खुली भूमि (खेत आदि)

२ वत्थु : ढकी भूमि (घर आदि)

का यथा परिमाण

४ ५ हिरण्य-मुवण्ण : चाँदी-सोना (मणि, मोती आदि)

का यथा परिमाण : (जैसे आभूषण, पाट, गिन्नी आदि)

५. दुपय : दो पैर वाले (मनुष्य, पक्षी आदि)

६. चउप्पय : चार पैर वाले (गाय, भैंस आदि)

का यथा परिमाण : दुधारू या बैलादि वाहन योग्य)

७. धन : रोकड पूंजी (मुद्रा, हुडी आदि)

८. धान्य : गहूँ (ईख, नारियल, बादाम) आदि

का यथा परिमाण

† 'श्रुलणं भते । परिग्रहं पच्चवत्तामि ।'

पक्षी नहीं रक्खूंगा । ६. इतने से अधिक दुधारू पशु, इतने से अधिक वाहन के पशु नहीं रक्खूंगा । ७. इतने से अधिक मुद्रावाला रोकड धन नहीं रक्खूंगा । ८. इतने से अधिक धान्य, इतनी से अधिक वनस्पति नहीं रक्खूंगा । ९. इतने से अधिक कड़ाई आदि, इतने से अधिक मोटर आदि, इतने से अधिक पलग आदि, इतने से अधिक वस्त्रादि नहीं रक्खूंगा । इनका परिमाण घर और व्यापार की दृष्टि से बाँट कर भी रक्खा जा सकता है ।

प्र० : किये हुए क्षेत्रादि के परिमाण का उल्लंघन कैसे होता है ?

उ० : जैसे १० खेत रक्खे हो, उनके स्थान पर २० खेत कर लेना आदि प्रकार तो स्पष्ट है ही, अन्य कुछ प्रकार यो हैं—१. अपने खेत के पास अन्य खेत मिलने पर दोनो खेतों की एक वाड बना कर एक खेत गिनना । २. दस ही खेत और दस ही घर रक्खे हो, पर घर की अधिक आवश्यकता दिखने पर दो-चार खेत घटा कर दो-चार घर बढ़ा लेना । ३. दस खेत से अधिक मिलने पर उसे केवल दूसरो के नाम करना, पर अधिकार मन में अपना रखना । ४. जितनी अवधि का व्रत लिया, है, उससे पहले अधिक धन की प्राप्ति होने पर धनदाता के पास जमा के रूप में वह धन रखना आदि ।

‘अपरिग्रह’ निबंध

१. सूत्र : १. ‘इच्छा हु आगास समा अणंतिया’ इच्छा (परिग्रह की भावना) आकाश के समान अनंत है, उसका अंत नहीं आ सकता ।—उत्तरा० । २. ज्यो लाभ होता है, त्यो संतोष

महीं होता, वरन् लोभ बढ़ता है।—उत्तरा० । ३. सम्पूर्ण लोक में सभी जीवों के लिए परिग्रह (प्राण, स्त्री और शेष) से बढ़कर और कोई पाश (बन्धन) नहीं हैं।—प्रश्न० । ४. मरते समय यहाँ से कोई साथ नहीं चलता।—उत्तरा० ।

२. उद्देश्य : धनादि की मूर्च्छा के दुःख को मिटाना और इच्छा-रहितता के सुख को प्रकट करना ।

३. स्थान : स्त्री-राग (मोह) की अपेक्षा घनादि का राग (मोह) मन्द होने से स्त्री-त्याग की अपेक्षा घनादि का त्याग गौण है, अतः मैथुन विरमण के पश्चात् परिग्रह विरमण को पाँचवाँ स्थान दिया है ।

४. फल : असीम तृष्णाजन्य सकल्प-विकल्प से मुक्ति । विद्यमान धन में आसक्ति की मन्दता । अभव में सन्तोष । निद्रा सुख से आवे, यात्रा का कष्ट न हो, नीच की सेवा करनी न पड़े । जन्मान्तर में उक्त फल के साथ निर्धनता और आवश्यक सद्गार्थों की कमी न हो । स्वतः धन-त्याग की भावना हो ।

५. कर्सेव्य : अपने से अधिक धनवानों की वेश-भूषा, अलंकार, भोजन पान, घन, भवन, उत्सवादि की ओर ध्यान न देना । राज्यादि का अनुग्रह, व्यापार वृद्धि, गुप्त धन प्राप्ति आदि से धन वृद्धि होने पर उसे मिट्टी के समान समझ कर त्याग देना या धर्म आदि के निमित्त लगा देना । यदि मर्यादा उपरान्त धन सबधियों को दे, तो उस पर अपना अधिकार न रखना ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । सम्पूर्ण अपरिग्रही कब बनूँगा ? यह मनोरथ करना । अपरिग्रह की

६. कुविय : मोना, चाँदी से भिन्न धातु आदि
का, यथा परिमाण (घर का सारा विस्तार)

इस प्रकार जो परिमाण किया है, उसके उपरान्त अनाकरके परिग्रह रखने का पच्चक्खाण (करता हूँ) जावज्जीवाए । एगविहं ति विहेण, न करेमि, मणसा वयसा कायसा ।†

अतिचार पाठ

- ऐसे पाँचवे स्थूल परिग्रह : पाँचवाँ स्थूल परिग्रह
परिमाणव्रत के पच अइयारा परिमाण व्रत के विषय मे
जाणियव्वा न ममायरियव्वा जो कोई अतिचार लगा
तजहा—ते आलोउं— हो, तो आलोउ—
- १ खेत्त-वत्थुप्पमाणाइक्कमे : क्षेम वस्तु के परिमाण का
अतिक्रमण किया हो,
२. हिरण्ण-सुवण्णप्पमाणा : हिरण्य-सुवर्ण के परिमाण का
इक्कमे अतिक्रमण किया हो,
३. धण-धण्णप्पमाणाइक्कमे : धन-धान्य के परिमाण का
अतिक्रमण किया हो,
४. दुपय-चउप्पयप्पमाणा- : दो पद, चौपद के परिमाण का
इक्कमे अतिक्रमण किया हो,
५. कुवियप्पमाणाइक्कमे : कुविय धातु के परिमाण का
अतिक्रमण किया हो,
- जो मे देवसिओ अइयारो कओ : इन अतिचारो मे मुझे जो कोई
दिन सबधी अतिचार लगा हो,
तो

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘अपरिग्रह अणुव्रत’ प्रश्नोत्तरी

प्र० . स्थूल अपरिग्रह विरमण कितने प्रकार का है ?

उ० . तीन प्रकार का है । १. ‘जितना परिग्रह वर्त्तमान मे स्वयं के पास है, उससे डेढे-दूने आदि से अधिक परिग्रह नहीं रक्खूंगा । यदि उससे अधिक प्राप्त भी हुआ, तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा या धर्म आदि मे व्यय कर दूँगा ।’ आदि रूप मे विरमण करना जघन्य (निम्न प्रकार) का स्थूल परिग्रह विरमण है । २ जितना पास मे है, उतने से अधिक का विरमण करना मध्यम प्रकार का विरमण है । ३ जितना पास मे है, उसमे भी घटा कर अधिक का विरमण करना, उत्तम प्रकार का विरमण है । शीघ्र मोक्षार्थी को उत्तम प्रकार का विरमण अपनाना चाहिए । जिसकी प्राप्ति असम्भव है, उसका त्याग करना तो मात्र बाहरी त्याग है । ऐसा त्याग फलदायी नहीं है ।

प्र० : क्षेत्र आदि का परिमाण कैसे किया जाता है ?

उ० . जैसे १. मैं धान्यादि आदि के इतने से अधिक खेत, इतनी से अधिक गोचर भूमि, इतने से अधिक क्रीडांगण आदि खुली भूमि नहीं रक्खूँगा । २. इतने से अधिक तलघर, इतने से अधिक माल खड, इतने से अधिक पर्वतीय घर आदि ढकी भूमि नहीं रक्खूँगा । ३ -४. इतने तोले से अधिक चाँदी-सोना के घडे हुए आभूषण, इतने तोले से अधिक पाट, गिन्नी आदि के रूप में बिना घडी चाँदी, सोना नहीं रक्खूँगा । इसी प्रकार इतने से अधिक मणि-रत्नादि नहीं रक्खूँगा । ५. इतने से अधिक नौकर, इतने से अधिक

पक्षी नहीं रक्खूंगा । ६. इतने से अधिक दुधारू पशु, इतने से अधिक वाहन के पशु नहीं रक्खूंगा । ७ इतने से अधिक मुद्रावाला रोकड़ धन नहीं रक्खूंगा । ८. इतने से अधिक धान्य, इतनी से अधिक वनस्पति नहीं रक्खूंगा । ९. इतने से अधिक कड़ाई आदि, इतने से अधिक मोटर आदि, इतने से अधिक पलग आदि, इतने से अधिक वस्त्रादि नहीं रक्खूंगा । इनका परिमाण घर और व्यापार की दृष्टि से बाँट कर भी रक्खा जा सकता है ।

प्र० : किये हुए क्षेत्रादि के परिमाण का उल्लंघन कैसे होता है ?

उ० : जैसे १० खेत रक्खे हो, उनके स्थान पर २० खेत कर लेना आदि प्रकार तो स्पष्ट है ही, अन्य कुछ प्रकार यों हैं—१. अपने खेत के पास अन्य खेत मिलने पर दोनों खेतों की एक बाड़ बना कर एक खेत गिनना । २. दस ही खेत और दस ही घर रक्खे हो, पर घर की अधिक आवश्यकता दिखने पर दो-चार खेत घटा कर दो-चार घर बढ़ा लेना । ३. दस खेत से अधिक मिलने पर उसे केवल दूसरो के नाम करना, पर अधिकार मन में अपना रखना । ४. जितनी अवधि का व्रत लिया, है, उससे पहले अधिक धन की प्राप्ति होने पर धनदाता के पास जमा के रूप में वह वन रखना आदि ।

‘अपरिग्रह’ निबंध

१. सूत्र : १ ‘इच्छा हु आगास समा अणंतिया’ इच्छा (परिग्रह की भावना) आकाश के समान अनंत है, उसका अंत नहीं आ सकता ।—उत्तरा० । २. ज्यो लाभ होता है, त्यो संतोष

महीं होता, वरत्न लोभ बढ़ता है।—उत्तरा० । ३. सम्पूर्ण लोक में सभी जीवों के लिए परिग्रह (प्राण, स्त्री और शेष) से बढ़कर और कोई पाश (बन्धन) नहीं है।—प्रश्न० । ४. मरते समय यहाँ से कोई साथ नहीं चलता।—उत्तरा० ।

२. उद्देश्य : धनादि की मूर्च्छा के दुःख को मिटाना और इच्छा-रहितता के सुख को प्रकट करना ।

३. स्थान : स्त्री-राग (मोह) की अपेक्षा धनादि का राग (मोह) मन्द होने से स्त्री-त्याग की अपेक्षा धनादि का त्याग गौण है, अतः मैथुन विरमण के पश्चात् परिग्रह विरमण को पाँचवाँ स्थान दिया है ।

४. फल : असीम तृणाजन्य सकल्प-विकल्प से मुक्ति । विद्यमान धन में आसक्ति की मन्दता । अभव में सन्तोष । निद्रा सुख से आवे, यात्रा का कष्ट न हो, नीच की सेवा करनी न पड़े । जन्मान्तर में उक्त फल के साथ निर्धनता और आवश्यक पदार्थों की कमी न हो । स्वतः धन-त्याग की भावना हो ।

५. कर्तव्य : अपने से अधिक धनवानों की वेश-भूषा, अलंकार, भोजन पान, घन, भवन, उत्सवादि की ओर ध्यान न देना । राज्यादि का अनुग्रह, व्यापार वृद्धि, गुप्त धन प्राप्ति आदि से धन वृद्धि होने पर उसे मिट्टी के समान समझ कर त्याग देना या धर्म आदि के निमित्त लगा देना । यदि मर्यादा उपरान्त धन सबधियों को दे, तो उस पर अपना अधिकार न रखना ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । सम्पूर्ण अपरिग्रही कब बनूँगा ? यह मनोरथ करना । अपरिग्रह की

अपूर्णता का खेद करना । 'परिग्रह की प्राप्ति में व्यापारादि का कष्ट, रक्षा में चोरादि की चिन्ता का कष्ट और व्यय में वियोग का कष्ट है ।' यो उसके सदा दुःख का चिन्तन करना, परिग्रह में गृद्ध, दुर्योधन, कौणिक आदि का तथा परिग्रह त्यागी भरत चक्रवर्ती, धन्ना मुनि, अर्हन्तक आदि के जीवन चरित पर ध्यान देना ।



पाठ १३ तैरहवाँ

११. 'दिशा व्रत' व्रत पाठ

छठा दिशिव्रत १- उठ्ठ दिशि का यथा परिमाण, २- अहोदिशि का यथा परिमाण, ३ तिरियदिशि का यथा परिमाण । इस प्रकार जो परिणाम किया है, उसके उपरान्त स्वैच्छा काया से आगे जाकर पाँच आश्रव सेवन का पञ्चवखारण (करता हूँ) । जावज्जीवाए । ँएगविह तिविहेणं, न करेमि, मणसा वयसा कायसा ।

अतिचार पाठ

ऐसे छठे दिशि व्रत के पंच छठे दिशिव्रत के विषय में अद्वयारा जाणियव्वा न समाय जो कोई अतिचार लगा हो, रियव्वा तंजहा—तै आलोउं—तौ आलोउ—

‘कोई ‘दुविहं तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा’ बोलते हैं ।

१. उड्डुदिसि- - : उड्डु (ऊँची) दिशा का परिमाण
अतिक्रमण किया हो,
२. अहोदिसि- : नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण
किया हो,
३. तिरियदिसि : तिरछी दिशा का परिमाण
अतिक्रमण किया हो,
४. खित्त-बुड्ढी : (एक दिशा का क्षेत्र घटाकर अन्य
दिशा का) क्षेत्र बढ़ाया हो,
५. सइ अन्तरद्धा : क्षेत्र परिमाण के भूल जाने से पथ
का सन्देह पडने पर आगे चला हो,
- जो मे देवसिओ : इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई
अइयारो कओ दिन सबधी अतिचार लगा हो, तो

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

प्रश्नोत्तरी

प्र० : दिशा परिमाण कितने प्रकार का है ?

उ० : जिस दिशा में जितना जाना पडे, उससे १. अधिक, २. उतना और ३. उससे कम का परिमाण करना—यो जघन्य, मध्यम, उत्तम तीन प्रकार का है ।

प्र० : ऊर्ध्व आदि दिशाओ का परिमाण कैसे किया जाता है ?

उ० : १. जैसे मैं निवास स्थान या स्थान की भूमि से इतने हाथ से अधिक ऊपर बने स्तभादि पर नहीं चढ़ूँगा, इतने हाथ से अधिक ऊँचे पर्वत पर नहीं

जाऊँगा । इतने हाथ से अधिक वायुयाने आदि से आकाश में ऊपर नहीं उड़ूँगा । २. ... इतने हाथ से अधिक गहरे कूएँ, खान आदि में नहीं जाऊँगा । पूर्व में इतने कोस या मीटर से आगे, पश्चिम में इतने से आगे, उत्तर में इतने से आगे और दक्षिण में इतने से आगे नहीं जाऊँगा । भूमि की स्वतः ऊँचाई-नीचाई का आगार ।

प्र० . क्षेत्र-वृद्धि क्यों की जाती है ?

उ० : 'पूर्वादि दिशा की मर्यादित भूमि से आधी भूमि में भी मुझे जाना नहीं पड़ता और पश्चिमादि भूमि में मर्यादित भूमि से अधिक भूमि में जाना मुझे घनादि की दृष्टि से लाभप्रद है' इत्यादि सोचकर ।

प्र० दिशाव्रत से मर्यादित क्षेत्र के बाहर कौनसे पाँच आश्रव रुकते हैं ?

उ० जो पहले के पाँच अणुव्रत धारण करके पश्चात् छठा व्रत धारण करता है, उसके १ हिंसा, २ भूठ, ३ चोरी, ४ मैथुन और ५ परिग्रह—ये पाँच आश्रव, जो सूक्ष्म रूप से शेष रहे हैं, वे रुकते हैं तथो जिसने पहले अणुव्रत धारण किये बिना छठा अणुव्रत धारण किया है, उसे ये पाँचो आश्रव स्थूल और सूक्ष्म व सर्व प्रकार से रुकते हैं ।

‘दिशाव्रत’ निबन्ध

१. सूक्त : इस सम्पूर्ण लोक को एक भी प्रदेश (कोना) ऐसा शेष नहीं, जहाँ जीव पहुँचा न हो या रहा न हो । सर्वत्र जीव ने अनन्त काल व्यतीत किया है, पर कभी अमरण से मृति

नहीं हुई, न ही भविष्य में वैराग्य के बिना तृप्ति हो सकती है ।

—भग० ।

२. उद्देश्य : दिशा की मर्यादा करके स्थावर हिंसा आदि को भी घटाना ।

३. स्थान : श्रावक अपनी शक्ति की कमी के कारण पाँच अणुव्रतों में बड़ी हिंसा आदि बड़े पाँच आश्रवों का ही त्याग करता है । स्थावर हिंसा, सापराध तथा आरम्भी त्रस हिंसा, सूक्ष्म भूठ, सूक्ष्म चोरी, स्वस्त्रोगमन, विवाह, मर्यादित-परिग्रह पर ममता आदि छोटे आश्रवों का त्याग नहीं कर पाता, पर जितना सम्भव हो, उतना उनका भी त्याग आवश्यक है । दिग्व्रत दिशा की मर्यादा करके उनका अधिकांश क्षेत्र में त्याग करा देता है, अतः सूक्ष्म पञ्चाश्रव का त्याग कराने वाले तीन गुणव्रतों में मुख्य होने के कारण दिग्व्रत को गुणव्रतों में पहला स्थान दिया है तथा स्थूल पञ्चाश्रव त्याग की अपेक्षा सूक्ष्म पञ्चाश्रव का त्याग गौण होने से इसे पाँच अणुव्रतों के पश्चात् छठा स्थान दिया है ।

४. फल : मर्यादित क्षेत्र से बाहर के पाँचों आश्रवों के सकल्प-विकल्प से मुक्ति । स्वजन, स्वदेश, स्वधर्म का वियोग न हो, यात्रा-दुर्घटना आदि न हो । परराष्ट्र को आक्रमण, हस्तक्षेप आदि का दुःख न हो । जन्मान्तर में वह ऐसे स्थान और स्थिति में उत्पन्न हो कि उसे अन्यत्र कहीं भटकना न पड़े । प्राप्त स्थान और स्थिति में भी विरक्त रहे । अन्त में मोक्ष प्राप्त करके अचल उच्च स्थिति प्राप्त कर ले ।

५ कर्त्तव्य : पर्यटन की वृत्ति आदि कम करना, राज्य-वृद्धि, व्यापार-वृद्धि आदि की भावना मन्द करना, विदेश-स्त्री-कथा आदि न सुनना ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । दिशा परिमाण न करने वाले सुभूम पद्मनाभ आदि के चरित्र का चिन्तन करना ।



पाठ १४ चौदहवाँ

११. 'उपभोग परिभोग व्रत' व्रत पाठ

सातवाँ व्रत

उपभोग : उपभोग (एक बार ही भोगा जा सके, जैसे अन्न)

परिभोग : परिभोग (अनेक बार भोगा जा सके, जैसे वस्त्र)

विहि : विधि का (ऐसे पदार्थों की जाति का)

पञ्चवक्त्रायमाणे : प्रत्याख्यान करते हुए (सख्या, भार, वार, आदि से)

१. उत्लण्णिया-विहि : (पोछने के) अगोछे की विधि (जाति)

२. दंतण-विहि : दंतौन की विधि

३. फल-विहि : (केशादि के उपयोगी) फल की विधि

४. अभ्यगण-विहि : अभ्यगन (योग्य तैलादि) की विधि

५. उन्वट्टण-विहि : उवटन (योग्य पीठी आदि) की विधि
 ६. मज्जण-विहि : स्नान (योग्य जल) की विधि
 ७. वत्थ-विहि : (पहनने योग्य) वस्त्र की विधि
 ८. विलेवण-विहि : विलेपन (योग्य चन्दन आदि) की विधि,
 ९. पुप्फ-विहि : फूल (तथा फूलमाला आदि) की विधि
 १०. आभरण-विहि : (अगूठी आदि) आभरण की विधि
 ११. धूव-विहि : (अगर तगरादि) धूप की विधि

भोजन में काम आने वाले

१२. पेज्ज-विहि : (दूध आदि) पेय की विधि
 १३. भक्खण-विहि : (धेवर आदि) मिठाई की विधि
 १४. ओदण-विहि : (राँधे हुए) ओदन (चावल आदि) की विधि
 १५. सूप-विहि : (मूग, चना आदि) सूप (दाल) की विधि
 १६. विगय-विहि : (दूध-दही आदि) विकृति की विधि
 १७. साग-विहि : (भिण्डी आदि सूखे या हरे) शाक की विधि
 १८. मेहुर-विहि : (सूखे हरे) मधुर (फल) की विधि
 १९. जीमण-विहि : (रोटी, पूरी आदि) जीमने के द्रव्यों की विधि
 २०. पाणीय-विहि : (पीने योग्य) पानी की विधि
 २१. मुखवास-विहि : (लौंग, सुपारी आदि) मुखवास विधि
 २२. वाहण-विहि : (घोडा, मोटर आदि) वाहन की विधि

२३. उवाहरण-विहि : जूते, मौजे आदि की विधि
 २४. सयण-विहि : (सोने बैठने योग्य) वस्त्र पलंगादि की विधि
 २५. सचित्त-विहि : (नमक पानी आदि) सचित्त की विधि
 २६. दब्ब-विहि : (भिन्न नाम व स्वाद वाले) पदार्थों की विधि
 इत्यादि का : तथा घडी, पात्र आदि शेष रहे हुए द्रव्यों
 यथा परिमाण का परिमाण करता हूँ
 किया है

इसके उपरान्त उपभोग परिभोग वस्तुओं को भोग निमित्त से भोगने का पच्चक्खाण (करता हूँ) जावज्जीवाए । एगविहं तिबिहेणं, न करेमि, मणसा वयसा कायसा ।

अतिचार पाठ

- ऐसा सातवाँ उपभोग : सातवाँ उपभोग परिभोग
 परिभोग
 दुविहे, पणत्ते : (दो प्रकार का कहा गया है
 तंजहा — : वह इस प्रकार
 १. भोयणाओ य : भोजन की अपेक्षा से और
 २. कम्मओ य । : कर्म की अपेक्षा से ।
 भोयणाओ : भोजन की अपेक्षा)
 समणोवासएणं पंच : परिमाण धृत के विषय में जो कोई
 अइयारा जाणियव्वा न अतिचार लगा हो, तो आलोड—
 समायरियव्वा तंजहा—
 ते आलोड—

१. सचित्ताहारे : पञ्चक्वाराण उपरात सचित्त का आहार किया हो,
२. सचित्त-पडिबद्धा हारे : सचित्त (वृक्षादि से) प्रतिबद्ध (लगे हुए अचित्त गोद आदि) का आहार किया हो
३. अप्पउलि-ओसहि-भक्खणया : अपक्व (अचित्त न बने हुए) का आहार किया हो
४. दुप्पउलि-ओसहि-भक्खणया : दुप्पक्व (अधपके या अविधि से पके उबी भुट्टे आदि का) का आहार किया हो
५. तुच्छोसहि-भक्खणया : तुच्छ औषधि (अल्प सार वाले, सीताफल, गन्ना आदि) का आहार किया हो
- कम्मओराणं : (तथा कर्म की अपेक्षा)
- समणोवासएणं : आवक को
- पणारस कम्मादाणाइं : पन्द्रह कर्मदान
- जाणियव्वाइ : जो जानने योग्य हैं, किन्तु
- न समायरियव्वाइं : आचरण करने योग्य नहीं हैं,
- तजहा—ते आलोउ : उनके विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो, आलोउ—
- १ इंगालकम्मे : अंगार का काम किया हो,
- २ वणकम्मे : वन का काम किया हो,
३. साडीकम्मे : गाड़ी आदि का काम किया हो,
- ४ भाडीकम्मे : भाडे का काम किया हो,
- ५ फोडीकम्मे : फोड़ने का काम किया हो,
६. दंत वारिणज्जे : दाँत आदि का वारिणज्य किया हो,
७. लवखवारिणज्जे : लाख आदि का वारिणज्य किया हो,

८. रस-वाणिज्जे	: रस का वाणिज्य किया हो,
९. विस-वाणिज्जे	: विष आदि का वाणिज्य किया
१०. केश-वाणिज्जे	: केश वालों का वाणिज्य किया
११. जेत-पीलण-कम्मै	: यन्त्रों का काम किया हो,
१२. निल्लछण-कम्मै	: नपुंसक बनाने का काम किया है
१३. दवगि-दावणया	: खेतादि में आग लगाई हो,
१४. संर-दह-तलाय- सोसणया	: सरोवर, द्रह, तालाब आदि सुख हो,
१५. असई-जण पोसणया	: वेश्या आदि का पोषण किया है
जों मे देवसिओ	: इन अतिचारों में से मुझे जो
अइयारो कओ	: दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हों
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।	

‘उपभोग-परिभोग व्रत’ प्रश्नोत्तरी

प्र० - जब सचित्त को पका कर खाने में सचित्त हिंसा तो होती ही है, पकाने से अग्नि और उससे त्रस व की भी हिंसा होती है, तब सचित्त को बिना पकाये सीधा न खाया जाय, पका कर बयो खाया जाय ?

उ० - ‘सचित्त पकाने के लिए’ सूत्रकार आदेश नहीं दें यह पहले ध्यान में ले लेना उचित है । अब उत्तर यह है १ पका कर खाने में हिंसा, जीवों की गणना की अपेक्षा आ होती है, किन्तु सचित्त को सीधे मुंह में डाल कर खाने में की दृष्टि से हिंसा अधिक होती है, क्योंकि सीधे सचित्त को मुंह खाने में दया का भाव मन्द माना गया है । २- दूसरी बात है कि सचित्त को अचित्त बनाकर उपभोग में लेने के लिए

अग्नि से पकाना ही एक मात्र मार्ग नहीं है। गृहस्थ कई सचित्त वस्तुओं में अन्य वस्तुएँ मिलाकर उन्हें अचित्त बनाते हैं, जैसे धोवन आदि। कई सचित्त वस्तुएँ पीस कर उन्हें अचित्त बनाते हैं, जैसे जीरा आदि। कई सचित्त वस्तुएँ सुखाकर अचित्त बनाते हैं, जैसे मोठे नीम के पत्ते आदि। ऐसा करने में अग्नि की हिंसा टल जाती है, अतः गरुना की दृष्टि से भी हिंसा अधिक नहीं बढ़ती। ३. तीसरी बात यह है कि सचित्त के आहार प्रत्याख्यान लेने वाला पकाने के आरम्भ का प्रत्याख्यान नहीं करता। अतः बिना पकाये भी उसे पकाने की क्रिया आती ही रहती है। इसलिए पकाने से उसे पकाने का सर्वथा नया पाप लगता हो—यह बात भी नहीं है। ४. चौथी बात यह है कि सचित्ताहार के त्यागी को स्वयं पकाने का या अन्य मार्गों से सचित्त को अचित्त बनाने का आरम्भ करना ही पड़े—यह अनिवार्य नहीं है। यदि वह चाहे, तो स्वयं इनके आरम्भ का दो करण तीन योग आदि से त्याग भी कर सकता है और साधु के समान प्राप्त अचित्त और पक्व पदार्थों का उपयोग कर सकता है। ५. पाँचवी बात यह है कि सचित्त को जानकर, ही सदा अचित्त बनाया नहीं जाता, कई बार वे स्वतः ही अचित्त बनते हैं, जैसे रोटी, सहज निष्पन्न धोवन, स्नानार्थ बचा शेष, बचा गरम जल आदि। यदि विवेक रक्खा जाय, तो सचित्त का त्यागी नये आरम्भ का त्याग कर सहज-निष्पन्न, अचित्त और पक्व पदार्थों से काम चला सकता है।

प्र० : सचित्त त्याग के अन्य लाभ बताइए।

उ० : १. स्वाद विजय, २ जहाँ अचित्त बनाकर खाने की सुविधा न हो, वहाँ सतोष, ३. खरबूजा आदि अधिकांश पदार्थ, जिन्हें पकाकर नहीं खाये जाते, उनका सर्वथा त्याग,

४. पर्व-तिथियो को घर में आरम्भ कम होना (हरी त्याग की दृष्टि से) । इत्यादि कई लाभ हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से पक्व खानेवाले को रोग कम होता है ।

प्र० : 'मचित्ताहारे' आदि पाँच अतिचारो से क्या समझना चाहिए ?

३ उपभोग-परिभोग सम्बन्धी जितने भी बोलो की मर्यादा की हो, उनके अतिक्रमण के भी सभी अतिचार समझने चाहिए ।

प्र० : कर्मादान किसे कहते हैं ?

उ० : जिनसे ज्ञानावरणीयादि कर्मों का अधिक बन्ध हो, ऐसे कार्य या व्यापार को ।

प्र० : १. इगाल-कम्मे (अगार कर्म) किसे कहते हैं ?

उ० . जिसमें अग्निकाय का, उसके आश्रित जीवों का और उससे मरने वाले त्रस जीवों का महारम्भ हो, ऐसे काम को । जैसे कोयला, ईंट आदि बना कर बेचना, विजली उत्पादन करके बेचना, लुहार, सुनार, भडभूँजे आदि काम करना ।

प्र० : २ वणकम्मे (वनकर्म) किसे कहते हैं ?

उ० : जिसमें वनस्पतिकाय का और उसके आश्रित त्रस जीवों का महारम्भ हो, ऐसे काम को । जैसे वनों का ठेका लेकर वृक्षादि काट कर बेचना, वृक्ष, फल, फूल, पत्ते हरी घास आदि काट कर बेचना, दालें बनाना, आटा पीसना, चाँवल निकालना आदि ।

प्र० : ३. साडीकम्मे (शकट कर्म) किसे कहते हैं ?

उ० : यन्त्रों के काम को । जैसे गाड़ी आदि वाहन के, हलादि खेती के, चर्खे आदि उत्पादन के, इत्यादि प्रकार के यन्त्रों को बनाना, खरीदना, बेचना ।

प्र० : ४ भाडीकम्मे (भाटोकर्म) के उदाहरण दीजिए ।

उ० : जैसे दासादि मनुष्य, बैलादि पशु, घर, यन्त्र आदि भाडा लेकर देना । भाडे के लिए घर आदि बनाना, भाडा लेकर माल का स्थानान्तरण करना आदि ।

प्र० . ५. फोडी कम्मे (स्फोटी कर्म) किसे कहते हैं ?

उ० : जिसमें पृथ्वीकाय का और उसके आश्रित जीवों का महारभ हो—ऐसे काम को । जैसे हल से भूमि फोडना (खेती करना), कुदालादि से मिट्टी, पत्थर, लोहा, आदि निकालना, पत्थर आदि घडना, जलाशय के लिए या पेट्रोल आदि के लिए या सड़के बनाने के लिए पृथ्वी खोदना आदि ।

प्र० : ६. दंत वाणिज्जे (दन्तवाणिज्य) किसे कहते हैं ?

उ० : त्रसकायिक जीवों के अवयवों का व्यापार करने को । जैसे दाँत, शख, केश, चमड़ा आदि खरीदना-बेचना ।

प्र० ७. लवखवाणिज्जे (लाक्षा वाणिज्य) किसे कहते हैं ?

उ० : जिसमें त्रस जीवों की बहुत विराधना हो—ऐसा व्यापार करने को । जैसे लाख, चपड़ी, अधिक काल का धान्य आदि का क्रय-विक्रय करना ।

प्र० : ८. रसवाणिज्जे (रस वाणिज्य) किसे कहते हैं ?

उ० . रसवाले या प्रवाही पदार्थ, जिससे मद वढे व त्रस जीवो की हिंसा आदि हो, उनका क्रय-विक्रय करने को । जैसे मदिरा, मधु, घी, तेल, गुड, घासलेट, पेट्रोल आदि का क्रय-विक्रय करना ।

प्र० . ६. विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य) किसे कहते हैं ?

उ० : त्रस-स्थावर के घातक पदार्थों का व्यापार करने को । जैसे सख्यादि विष, खड्गादि शस्त्रास्त्र, टिड्डी आदि को मारने वाले पाउडर आदि का क्रय-विक्रय करना ।

प्र० . १०. केसवाणिज्जे (केश वाणिज्य) किसे कहते हैं ?

उ० : त्रस जीवो का व्यापार करने को । जैसे चमरीगाय, हाथी, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, आदि पशु, मयूर कबूतर आदि पक्षी, दासादि मनुष्य आदि का क्रय-विक्रय करना ।

प्र० : ११. जन्तपीलणकम्मे (यन्त्र-पीड़न कर्म) किसे कहते हैं ?

उ० . वनस्पतिकायादि को यन्त्र मे पीलने का महारभी काम और जिन यन्त्रो को चलाते हुए त्रस जीव भी पिल जायँ-ऐसे काम को । जैसे कोल्हू, घानी, भीन आदि मे गन्ना, तिल, रुई आदि पीलना, पनचक्को चलाना, मिल चलाना आदि ।

प्र० : १२. निल्लंछणकम्मे (निलञ्छन कर्म) किसे कहते हैं ?

उ० : मनुष्य, पशु आदि को नपुसक बनाने का, उनके अंगोपांग छेदने का, या डाम लगाने का काम करना ।

प्र० १३. दवग्नि-दावणया (दवाग्नि दापनता) किसे कहते हैं ?

उ० विशेष और उत्तम खेती के लिए खेत में या सिंह, सर्पादि विनाश के लिए वन में आग लगाना आदि को ।

प्र० : १४. सर-द्रह-तलाय-सोसणया (सर-द्रह-तडाग-शोषणता) किसे कहते हैं ?

उ० जिसमें अण्काय तथा उनके आश्रित अस जीवों का महा आरम्भ हो—ऐसे काम को । जैसे सरोवर, द्रह, तालाब, आदि जलाशयों का पानी निकाल कर उनकी भूमि में खेती करने के लिए उन्हें सुखाना या आय के लिए उनका पानी नहर आदि से खेत आदि में किसान आदि को बेचना ।

प्र० १५. असईजणपोसणया (असतीजन पोषणता) किसे कहते हैं ?

उ० असत् कार्य करने वालों का व्यापारार्थ पोषण करना । जैसे वेश्यावृत्ति के लिए अनाथ कन्या आदि का पोषण करना । शिकार के लिए शिकारी कुत्तों आदि का पोषण करना । उन्हें शिकारादि के योग्य प्रशिक्षण देना । उनसे वैसे कार्य कराकर आजीविका चलाना या उनका वैसा पोषण-प्रशिक्षण करके उन्हें बेचना । (अनुकम्पा की दृष्टि से किसी का पोषण करना निषिद्ध नहीं है ।) इस कर्मादान का 'असयति (साधु से अन्य) का पोषण करना ।' यह अर्थ अशुद्ध है ।

प्र० क्या कर्मादान पन्द्रह ही होते हैं ?

उ० : नहीं, जो सातवे व्रत में १५ कर्मादान बताये हैं, उनसे दण्डपाल (जेलर का काम) बड़ा जुग्रा खेलना आदि जितने

भी महा आरम्भी काम हैं, वे सब कर्मादान में समझने चाहिए ।

प्र० जो कुम्हार, सुतार, किसान आदि अङ्गारकर्म आदि करते हैं, क्या वे कर्मादानों की अपेक्षा सातवाँ व्रत नहीं अपना सकते ?

उ० पन्द्रह कर्मादानों में जो असतिजन-पोषणता आदि अत्यन्त ही निन्दनीय कर्म हैं और स्पष्ट ही व्रसादि जीवों की बड़ी हिंसा के व वेदया-मैथुन आदि महापाप के कारण हैं, उन्हें यथासम्भव छोड़ ही देना-चाहिए । शेष जिनमें पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीवों की हिंसा हो, उनका परिमाण कर लेना चाहिए । परिमाण करने वाले कुम्हार, किसान आदि कर्मादानों की अपेक्षा भी सातवें व्रतधारी ही माने जाते हैं ।

विशेष धन कमाने की भावना छोड़कर मुख्य रूप से कुटुम्ब निर्वाह आदि की भावना से अत्यन्त अल्प खेती आदि करने वाले श्रावक कर्मादानी होते हुए भी महारम्भी नहीं समझे जाते ।

प्र० : पाँचवाँ, छठा और सातवाँ व्रत प्रायः एक करण तीन योग से क्यों लिये जाते हैं ?

उ० : क्योंकि श्रावक अपने पास मर्यादा उपरान्त परिग्रह हो जाने पर, जैसे वह उसे धर्म-पुण्य में व्यय करता है, वैसे ही वह अपनी पुत्री आदि को भी देने का ममत्व त्याग नहीं पाता ।

इसी प्रकार जिसका अब कोई स्वामी नहीं रह गया हो, ऐसा कहीं गडा हुआ परिग्रह मिल जाय, तो भी वह उसे अपने स्वजनो को देने का ममत्व त्याग नहीं पाता ।

अथवा अपने पुत्रादि, जिन्हे परिग्रह बाँटकर पृथक् कर दिया हो, उनके परिग्रह-वृद्धि में परामर्श देने का उसे प्रसंग आ जाता है।

इसी प्रकार छठे सातवे व्रत की भी स्थिति है। जैसे श्रावक अपनी की हुई दिशा की मर्यादा के उपरांत स्वयं तो नहीं जाता, पर कई बार उसे अपने पुत्र आदि को विद्या, व्यापार, विवाह आदि के लिए भेजने का प्रसंग आ जाता है।

ऐसे ही उपभोग परिभोग वस्तुओं की या कर्मादानों की जितनी मर्यादा की है, उसके उपरांत तो वह स्वयं भोगोपभोग या कर्म नहीं करता, परन्तु उसे अपने पुत्रादि को भोगने के लिए या करने के लिए कहने का अवसर आ जाता है।

इसलिए श्रावक पाँचवे, छठे और सातवे व्रत का प्रायः 'मैं नहीं करूँगा'। इतना ही व्रत ले पाता है, परन्तु 'मैं नहीं कराऊँगा'—यो भी व्रत नहीं ले पाता। विशिष्ट श्रावक इन व्रतों का दो करण तीन योग आदि से भी प्रत्याख्यान कर सकते हैं।

'उपभोग-परिभोग व्रत' निबन्ध

१. सूक्त : इस विश्व के प्रत्येक परमाणु को आत्मा शुभ-अशुभ सभी प्रकारों से अनन्त धार भोग चुका। पर अब तक भोग से तृप्ति नहीं हुई, न ही भविष्य में वैराग्य के बिना तृप्ति हो सकती है। २. भोगी ससार में परिभ्रमण करता है, अभोगी मुक्त हो जाता है।

२. उद्देश्य : उपभोग-परिभोग की तृष्णा मर्यादित और मन्द करना तथा कर्म-व्यापार में महा आरम्भ घटाना।

३ स्थान : सूक्ष्म पञ्चाश्रव १ एक तो अर्थ (प्रयोजन) से होता है और २. दूसरा अनर्थ (निष्प्रयोजन) होता है। अर्थ दो प्रकार का है—१ एक तो भोगोपभोग और २. दूसरा भोगोपभोग की प्राप्ति के लिए कर्म या व्यापार (या सेवा, नौकरी आदि)। मर्यादित क्षेत्र में जो अनर्थ से पञ्चाश्रव होता है, वह तो सर्वथा त्यागा जा सकता है, पर अर्थ से होने वाला पञ्चाश्रव सर्वथा त्यागा नहीं जा सकता। पर उसमें से जो मद्यपान, मासाहार आदि भोगोपभोग और जो असतिजन पोषणता आदि कर्म या व्यापार, स्थूल पञ्चाश्रव के अधिक निमित्त बनते हैं, उनका सर्वथा त्याग किया जा सकता है तथा शेष का परिमाण किया जा सकता है।

इनमें अनर्थ पञ्चाश्रव की अपेक्षा अर्थ पञ्चाश्रव का त्याग कठिन है, अतः उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत को अनर्थदण्ड विरमण से पहले स्थान दिया है और दिग्ब्रत की अपेक्षा इस व्रत से सूक्ष्म पञ्चाश्रव का त्याग कम होता है, अतः इसे गुणव्रतों में दूसरा स्थान दिया है।

४. फल : मनुष्य के भोगोपभोग और कर्म एवं व्यापार में आर्यता उत्पन्न होती है। अनार्य भोगोपभोगादि के तथा अमर्याद भोगोपभोगादि के संकल्प-विकल्प से मुक्ति होती है। आवश्यकताएँ घटती हैं। जीवन त्यागमय बनता है। धर्म के लिए अधिक समय वचता है। जन्मान्तर में उक्त फल के साथ आत्मा आर्य भोगोपभोग में समृद्ध तथा आर्य कर्म एवं आर्य व्यापारयुक्त कुल में जन्म लेता है। वहाँ उसकी भोगोपभोगादि में तथा व्यापारादि में अरुचि होती है। वह सतोषप्रधान होता है। अन्त में वह मुक्त बनकर भोगोपभोग

की इच्छा और कर्म व्यापार सम्बन्धी आवश्यकता के बन्धन से रहित हो जाता है ।

५. कर्त्तव्य : सादा रहन-सहन, सादा भोजन-पान, धूमपानादि व्यसन का त्याग, इन्द्रिय और मन पर अकुश, अल्प आय मे सन्तोष इत्यादि ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । भोगोपभोग से दुःख पाने वाले हरिण, पक्षि, सर्प, मत्स्य, महिष आदि के दृष्टान्तों पर तथा भोगोपभोग के त्यागी धन्ना मुनि, काली महारानी आदि के चरित्रों पर ध्यान देना ।



पाठ १५ पन्द्रहवाँ

१३. 'अनर्थ दण्ड व्रत' व्रत पाठ

आठवाँ	: आठवाँ
अण्डादण्ड	: अनर्थ दण्ड (बिना काम का पाप)
विरमण व्रत ।	: विरमण व्रत
चउव्विहे	: चार प्रकार का
अण्डादण्डे	: अनर्थ दण्ड
पणत्ते-तंजहा	: कहा गया है, वह इस प्रकार
१. अवज्झाणाचरिए	: अप (आर्त रौद्र) ध्यान करना
२. पमायाचरिए	: प्रमाद करना
३. हिंसप्पयाणे	: हिंसा आदि पापों के साधन देना

४. पावकम्मोचएसे : पापयुक्त काम का उपदेश देना

एवं आठवाँ अणद्वि-दण्ड-सेवण का पञ्चवखाण जिसमें आठ आगार

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| १. आए वा | : अपने (स्वयं अकेले के) लिए अथवा |
| २. राए वा | : राजा (आदि शासको) के लिए अथवा |
| ३. नाए वा | : जाति (जाति आदि) के लिए अथवा |
| ४. परिवारे वा | : सेवक भागीदार आदि के लिए अथवा |
| ५. देवे वा | : वैमानिक-ज्योतिषी देवों के लिए |
| ६. नागे वा | : भवनपति देवों के लिए अथवा |
| ७. भूए वा | : भूत आदि अथवा |
| ८. जवखे वा | : यक्ष आदि व्यन्तर देवों के लिए अथवा |
| एत्तिएहिं | : इत्यादि के लिए किया जाने वाला |
| आगारेहिं | : अर्थ दण्ड रखकर |
| अन्नत्थ | : शेष अनर्थ दण्ड का पञ्चवखाण |

जावज्जीवाए । दुचिह तिबिहेणं, न करेमि न कारवेमि,
मणसा वयसा कायसा ।

अतिचार पाठ

ऐसे आठवें अनर्थ दण्ड विरमण आठवें अनर्थ दण्ड विरमण
व्रत के पंच अइयारा जाणियच्चा व्रत के विषय में जो कोई
न समायरियच्चा तंजहा—ते अतिचार लगा हो, तो
आलोउं— आलोउ—

- | | |
|-------------|---|
| १. कंदप्पे | : काम विकार पैदा करने वाली (या
वढ़ाने वाली) कथा की हो, |
| २. कुक्कुइए | : भण्ड (ज्यो काम) कुचेष्टा की हो, |
| ३. मोहरिए | : मुखरी (निरर्थक) वचन बोला हो, |

४. संजुत्ताहिगरणे : अधिकरण (हिंसा के साधन) जोड़ रक्खा हो,
 ५. उपभोग-परिभोग : उपभोग-परिभोग (के द्रव्य) अधिक बढ़ाया हो,
 अहरित्ते : इन अतिचारों में से मुझे जो कोई
 जे मे देवसिओ : इन अतिचारों में से मुझे जो कोई
 अइयारो कओ : दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हो, तो

तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

'अनर्थ दण्ड व्रत' प्रश्नोत्तरी

प्र० : 'अपध्यान' किसे कहते हैं ?

उ० : रौद्र ध्यान करना, बिना कारण आर्तध्यान करना तथा सकारण तीव्र आर्तध्यान करना ।०

प्र० . 'पमायाचरिए' किसे कहते हैं ?

उ० . जैसे घर, व्यापार, सेवा आदि के कार्य करते समय बिना प्रयोजन हिंसादि पाप न हो, सप्रयोजन विशेष न हो— इसका ध्यान न रखना । हिंसादि के साधन या निमित्तों को जहाँ-तहाँ, ज्यों-त्यों रख देना । घर, व्यापार, सेवा आदि से बचे हुए अधिकांश समय को इन्द्रियों के विषयों में (सिनेमा, शतरंज आदि में) व्यय कर देना ।

प्र० : शिक्षा, अनुभव आदि देने वाले नाटक या सिनेमा आदि देखना भी अनर्थदण्ड है क्या ?

उ० : 'इन्हे देखना सदा सबके लिए अनर्थ दण्ड होता है ।' ऐसा एकान्त तो नहीं है, पर नाटक, सिनेमा आदि अधिकतया विषय, कथा, विक्था आदि के साधन होते हैं ।

अतः व्यवहार-रक्षा के लिए इन्हें अनर्थ दण्ड समझ कर न देखना उपयुक्त है। पर यदि कोई देखना ही चाहे, तो उसे व्यवहार-रक्षा के लिए इनकी मर्यादा करके अनर्थ दण्ड में आगार के रूप में रख लेना उचित है।

प्र० 'हिंसप्याणो' किसे कहते हैं ?

उ० : हिंसा आदि पापों के साधन अस्त्र-शस्त्रादि या तत्सम्बन्धित साहित्य (जासूसी उपन्यास आदि) दूसरों को देना।

प्र० . पाप कर्मोपदेश के दृष्टान्त दीजिए।

उ० . जैसे किसी को कहना—'कदमूल, मद्य, मांस आदि का सेवन करने से स्वास्थ्य और शक्ति बढ़ती है (हिंसा), या न्यायालय में इस प्रकार झूठ बोलने से तथा झूठी साक्षी देने से तुम सदोष होते हुए भी बच जाओगे (झूठ), या सरकारी पद पाये हो, तो कुछ घूस आदि करके पैसा बनाओ (चोरी), या जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए दूसरा विवाह कर लो (मैथुन), या एक दुकान या एक मिल नई खोल लो (परिग्रह) इत्यादि'।

प्र० 'सजुत्ताहिगरणे' किसे कहते हैं ?

उ० : पृथक्-पृथक् स्थानों पर पड़े हुए शस्त्रों के अवयव, जैसे शिला और शिलापुत्र (लोढ़ी), धनुष्य और तीर, बन्दूक और गोली—इनको मिला कर एक स्थान पर रखना, शस्त्रों का विशेष संग्रह रखना।

प्र० : कन्दर्पादि से कौन-कौनसे अनर्थदण्ड होते हैं ?

उ० . कन्दर्प और कौत्कुच्य से अपध्यानाचरण और प्रमादाचरण होता है। मौख्य से पापकर्मोपदेश हो सकता

है। सयुक्ताधिकरण से हिंसा प्रदान हो सकता है। उपभोग-परिभोगातिरिक्त से हिंसा प्रदान और प्रमादाचरण होता है।

‘अनर्थ दण्ड व्रत’ निबन्ध

१. उद्देश्य : अनर्थ दण्ड के प्रति विवेक उत्पन्न करके अनर्थदण्ड रोकना।

२. स्थान : अर्थदण्ड की अपेक्षा अनर्थदण्ड का त्याग सरल होने का कारण अनर्थदण्ड विरमण का उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के पश्चात् गुणव्रतो में तीसरा स्थान रखा गया है। विवेक की अपेक्षा देखा जाय, तो यह व्रत दिग्ब्रत और भोगोप-भोग व्रत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अतः एक स्थान पर इसे गुणव्रतो में पहला स्थान भी दिया है।

३. फल : सम्पत्ति, समय और शक्ति की बचत हो। बुद्धि व जीवन निर्मल रहे, अविवेकजन्य अकस्मात् दुर्घटना, अग्निकांड आदि न हो। वचन से महाभारत जैसे वैर-विरोध, गृह-युद्ध आदि न हो। लोक, विवेक की प्रशंसा करे। जन्मान्तर में उक्त फल के साथ अकारण शत्रु न बने, अकारण असत्य आपेक्ष आदि न लगावे, अकारण अन्य कोई छोटी-मोटी आपत्तियाँ न आवें।



पाठ १६ सोहलवाँ

१४. 'सामायिक व्रत' व्रत पाठ

नववाँ	: नववाँ
सामायिक व्रत ।	: समभाव की आय वाला व्रत ।
सावज्ज जोग	: साव्रज्य (पापसहित) योग का
पच्चवखामि	: प्रत्याख्यान करता हूँ ।
जावनियमं	: यावत् (एक मुहूर्त आदि) नियम तक
पज्जुवासामि	: (इस व्रत का) पालन करता हूँ

दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा
कायसा ।†

मनोरथ पाठ*

ऐसी मेरी सद्वृत्ता	: 'सामायिक का यह स्वरूप है और यह करने योग्य है ?' ऐसी मेरी श्रद्धा है
प्रसण्या तो है	: अन्य के समक्ष भी ऐसा ही कहता हूँ

सामायिक का अवसर आये सामायिक कहूँ, तब फरसना (पालन) करके शुद्ध (निर्मल) होऊँ ।

† 'करेमि मन्ते । सामाद्वय' ।

‡ तत्स मन्ते । . . . ४ । दोनों स्थानों पर इतना पाठ और मिलाकर इस व्रत पाठ से सामायिक ली जाती है ।

* प्रायः सामायिक लेकर प्रतिक्रमण किया जाता है, अतः उस समय यह मनोरथ पाठ नहीं बोलना चाहिये ।

अतिचार पाठाः

ऐसे नववें सामायिक व्रत के पंच नववे सामायिक व्रत के विषय
अइयारा जाणियव्वा न मे जो कोई अतिचार लगा
समायरियव्वा तंजहा-ते हो, तो आलोउ—
आलोउं—

१. मण-दुप्परिहाणे : मन ”
२. वय-दुप्परिहाणे : वचन ”
३. काय-दुप्परिहाणे : काया के अशुभ योग प्रवर्तये हों
४. सामाइयस्स सइ : सामायिक की स्मृति (कब ली ?
अकरणया आदि) न की हो,
५. सामाइयस्स अण- : समय पूर्ण हुए बिना सामायिक
वट्टियस्स करणया पारी हो,
- जो मे देवसिओ : इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई
अइयारो कओ दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हो, तो
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।



पाठ १७ सत्रहवाँ

१५. 'दिशावकासिक व्रत' व्रत पाठ

दसवाँ देसावगासिक व्रतः दिन-दिन प्रति प्रभात से प्रारम्भ
करके पूर्वादिक छहों दिशा मे जितनी भूमिका की मर्यादा रखी

इस अतिचार व प्रतिक्रमण पाठ से सामायिक पाली जाती है ।
ऐकरेमि भते । देसावगासिय ।

है, उसके उपरान्त आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पञ्चक्खाण, जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि दुावह तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा, जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है, उसमें जो द्रव्यादिक की मर्यादा की है, उसके उपरान्त उपभोग परिभोग निमित्त से भोग भोगने का पञ्चक्खाण, जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि, एगविहं तिविहेणं, न करेमि, मणसा वयसा कायसा†*

अतिचार पाठा†

ऐसे दशवें दिशावकाशिक व्रत दशवे दिशावकाशिक व्रत के के पंच अइयारा जाणियेव्वा विषय में जो कोई अतिचार न सेमायेरियेव्वा तंजहा—तै लगा हो, तो आलोउ—
आलोउ—

१. आणवणप्पओगे : नियमत सीमा से बाहर की वस्तु मँगवाई हो
२. पेसवणप्पओगे : (नौकर आदि से) भिजवाई हो
- ३ सदाणुवाए : (खाँसी आदि) शब्द करके चेताया हो

†तस्स भन्ते ४ । दोनों स्थानों पर इनना पाठ और मिलाकर इस व्रत पाठ से दिशावकाशिक व्रत लिया जाता है । शेष लेने की विधि सामायिक लेने की विधि के समान है ।

*आवक प्राय प्रतिदिन १४ नियम आदि से अहोरात्र दिशावकाशिक व्रत करता रहता है, अतः इसके लिए भावना पाठ नहीं बोला जाता ।

†इस अतिचार तथा प्रतिक्रमण पाठ से दिशावकाशिक व्रत पाला जाता है । शेष विधि सामायिक पालने की विधि के समान है । भिन्नता यह है कि सम्म काएण । आदि के पहले 'दिशावगगसिय' बोलना चाहिए ।

४. रूवाणुवाए : रूप (या अंगुली आदि) दिखाकर अपने भाव प्रकट किये हो
५. बहिया-पुगल-प्रवलेवे : ककर आदि (बाहर) फेककर दूसरो को बुलाया हो
- जो मे देवसियो : इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई
- अइधारो कओ : दिन सम्बन्धी अतिचार लगा हो, तो
- तरस मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘दिशावकाशिक व्रत’ प्रश्नोत्तरी

प्र०. दिशावकाशिक व्रत किसे कहते हैं ?

उ०. छोटे व्रत मे, यावज्जीवन, वर्ष, चातुर्मास आदि के लिए जो दिशा को मर्यादा की थी, उसका पक्ष, दिन, मुहूर्तादि के लिए और भी अधिक अवकाश (संक्षेप) करना तथा जो दिशा मर्यादा एक-करण एक योग से की थी, उसे दो-करण तीन योग से करना ‘दिशावकाशिक व्रत’ है। इसी प्रकार अन्य भी पहले से लेकर आठवे व्रत तक मे जो भी हिंसा आदि की मर्यादा की, उसे कम करना भी ‘दिशावकाशिक व्रत’ मे है।

प्र०. आठो ही व्रतो के संक्षेप का उदाहरण बताइए।

उ०. जैसे—‘आज मैं सम्पूर्ण दिन या मुहूर्त दो मुहूर्त आदि तक सापराधो व्रत पर भी हाथ भी नही चलाऊंगा (अहिंसा), छोटी भूठ भी नही बोलूंगा, मौन रखूंगा (सत्य), किसी का तिनका भी बिना पूछे-मांगे नही लूंगा (अचौर्य), स्त्री का स्पर्श भी नही करूंगा (ब्रह्मचर्य), अमुक परिमाण से अधिक परिग्रह मिलने पर अपना करके नही रखूंगा (परिग्रह परिमाण व्रत) अपने गाँव-नगर से बाहर नही जाऊंगा, गाँव-

नगर में भी अपने घर दुकान या नौकरी के स्थान से अन्य स्थलों पर नहीं जाऊँगा (दिग्व्रत), 'पच्चीस द्रव्य' से उपरांत नहीं लगाऊँगा—इत्यादि जो द्रव्यादि उपभोग-परिभोग पदार्थों की मर्यादा की है, उन्हें घटाकर आज १०. आदि से अधिक द्रव्य भोग में नहीं लूँगा। अमुक परिमाण में आय हो जाने के पश्चात् कर्म या व्यापार नहीं करूँगा (उपभोग परिभोग व्रत) देवादि के लिए अर्थदण्ड भी नहीं करूँगा (अनर्थ दण्ड व्रत), इत्यादि प्रकार से प्रतिदिन आठ व्रतों का संक्षेप किया जा सकता है।

प्र०. वर्तमान में व्रत संक्षेप कैसे किया जाता है ?

उ० : वर्तमान में चौदह नियमों से कुछ व्रतों का प्रतिदिन संक्षेप किया जाता है। वे नियम इस प्रकार हैं।

१. सचित्त—पृथ्वीकायादि की मर्यादा। २. द्रव्य—खान-पान सम्बन्धी द्रव्यों की मर्यादा। ३. विगय—की मर्यादा। ४. पत्नी—पगरखी आदि की मर्यादा। ५. ताम्बूल—मुखवास की मर्यादा। ६. वस्त्र—की मर्यादा। ७. कुसुम—पुष्प, इत्र की मर्यादा। ८. वाहन—की मर्यादा। ९. शयन—योग्य पदार्थों की मर्यादा। १०. विलेपन—द्रव्यों की मर्यादा। ११. ब्रह्मचर्य—की अधिक मर्यादा। १२. दिग्—दिशा की अधिक मर्यादा। १३. स्नान—की संख्या और जल की मर्यादा। १४. भक्त—एक बार, दो बार आदि भोजन की मर्यादा। इन चौदह वोलों में ११वें वोल से चौथे व्रत का, १२वें वोल से छठे व्रत का और शेष वोलों से सातवें व्रत का संक्षेप किया जाता है।

कई श्रावक १. असि (खड्ग), २. मपी (स्याही) और कृषि (खेती) की भी मर्यादा करते हैं, अर्थात् मैं इतनी आय हो जाने के पश्चात्, १. मूल वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण या

२ वस्तुओं का क्रय-विक्रय या ३ मूल वस्तुओं का उत्पादन नहीं निर्मित करूँगा ।' ऐसे प्रत्याख्यान भी लेते हैं ।



पाठ १८ अट्टारहवाँ

१६. 'पौषधव्रत' व्रत पाठ

ग्यारहवाँ	: ग्यारहवाँ
पडिपुण्ण	: प्रतिपूर्णा (चउव्विहाहार, निराहार)
पौषधव्रत	: आत्मा का विशेष पोषक व्रत
†१. असण	: अशन (अन्नाहार और विगय)
पाण	: पान (धोवन या गरम जल)
खाइम	: खाद्य (फल, मेवा, औषधि आदि)
साइमं	: स्वाद्य (लोग सुपारी आदि इन चारो आहार)
का पच्चक्खाण	: का प्रत्याख्यान करता हूँ
२ अबंभ सेवन	: मैथुन सेवन
का पच्चक्खाण	: का प्रत्याख्यान करता हूँ
३ मणि-सुवण्ण	: मणि, सोना आदि के आभूषण
का पच्चक्खाण	: पहनने का प्रत्याख्यान करता हूँ
माला-	: फूलमाला पहनने का
वण्णग-	: (कस्तूरी आदि के) वर्ण-रंग का तथा
विलेवण-	: (चन्दनादि के) विलेपन का

†'करेमि भते ! पडिपुण्ण पोसह' ।

का पच्चवखाण : प्रत्याख्यान करता हूँ
 ४. सत्थ-मुसलादि : अस्त्र, जैसे मूशल आदि को काम मे
 सावज्ज-जोग-सेवन : लेने रूप सावध योग सेवने का
 का पच्चवखाण : प्रत्याख्यान करता हूँ
 जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि । दुविह तिविहेणं न करेमि, न
 कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा,† ।

मनोरथ पाठ

ऐसी मेरी श्रद्धाहणा प्ररूपणा है, पौषध का अवसर आये,
 पौषध करूँ, तब फरसना करके शुद्ध होऊँ ।

अतिचार पाठ‡

ऐसे ग्यारहवें प्रतिपूर्ण पौषध ग्यारहवें प्रतिपूर्ण पौषध व्रत
 व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा के विषय मे जो कोई अतिचार
 न समायरियव्वा तं जहा—ते लगा हो, तो आलाउ—
 आलोउं—

१. अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय : पौषध मे गय्या-सथारा न देखा
 सेज्जा-संथारए (न प्रति लेखा) हो या अच्छी
 तरह (विधिसे) न देखा हो ।
२. अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय : पूजा न हो या अच्छी तरह
 सेज्जासथारए (विधि) से पूजा न हो ।

†तस्स भते । .. ४. । दोनों स्थानों पर इतना पाठ और
 मिलाकर इस व्रत पाठ से पौषध लिया जाता है । शेष विधि
 सामायिक के समान ।

‡इस अतिचार व प्रतिक्रमण पाठ से पौषध पाला जाता है । शेष
 विधि सामायिक पालने के समान है । निम्नता यह है कि 'सम्म
 काएणं ... ' के पहले (पडिपुण्ण) पोसह' बोलना चाहिए ।

३. अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय- : उच्चार-प्रश्रवण की भूमि न देखी (न प्रतिलेखी) हो या अच्छी तरह (विधि से) न देखी हो
- उच्चार-पासवण-भूमि
- अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय : पूंजी न हो या अच्छी तरह (विधि से) पूंजी न हो
- उच्चारण-पासवण-भूमि
- पोसहस्स सम्म : उपवासयुक्त पौषध का सम्यक् प्रकार से पालन न किया हो ।
- अणणुपालणया
- जो मे देवसिओ अइयारो कओ इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई दिन सबधी अतिचार लगा हो, तो

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘पौषध व्रत’ प्रश्नोत्तरी

प्र० : पौषधमे १ आहार, २ अब्रह्म, ३ शरीर-सत्कार और ४. सावद्ययोग्य—ये चारो बोल छोड़ना आवश्यक है क्या ?

उ० आहार को छोड़कर शेष तीनों बोल छोड़ना आवश्यक हैं । आहार मे चारो आहार छोड़े भी जा सकते हैं, तीनों आहार भी छोड़े जा सकते हैं कदाचित् चारो आहार किये भी जा सकते हैं ।

प्र० पौषध का न्यूनतम काल कितना है ?

उ० (उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार) न्यूनतम काल चार प्रहर है । चार प्रहर रात्रि के भी हो सकते हैं, तथा दिन के भी हो सकते हैं, पर आहार-न्याग के चार प्रहर केवल दिन के नहीं हो सकते । अर्थात् दिन को आहार न करके रात्रि भोजन करे ।—ऐसा नहीं हो सकता ।

प्र० पौषध के कितने प्रकार हैं ?

उ० : दो प्रकार हैं—१ प्रतिपूर्ण और २ देश । जिसमें चारो आहार सर्वथा छोड़े जायँ, वह 'प्रतिपूर्ण पौषध' है तथा जिसमें पानाहार या चारो आहार किये जायँ, वह 'देश पौषध' है ।

प्र० वर्तमान में देश पौषध को क्या कहते हैं ?

उ० : जिसमें मात्र पानी पीया जाता है, ऐसे तिविहार उपवासयुक्त को दसवाँ (यह 'देश' का अपभ्रंश दिखता है) पौषध कहते हैं । जिसमें चारो आहार किये जाते हैं, ऐसे दिन के या दिन रात्रि के पौषध को दया कहते हैं । जिसमें चारो आहार किये जाते हैं, ऐसे रात्रि के पौषध को संवर कहते हैं ।

प्र० : आठ प्रहर से कम पौषध करने वाले का और दया रूप पौषध करने वालो का शास्त्रीय उदाहरण दीजिए ।

उ० : जेमे 'जखजी' ने प्रारम्भ में आठ प्रहर से कम का पौषध ग्रहण किया था तथा पृष्कली आदि ने खाते पीते आठ प्रहर से कम का पौषध किया था ।

प्र० पानी पीकर देश (दसवाँ) पौषध करने वाले को क्या पाठ बोलना चाहिए ?

उ० : 'करेमि, भंते । देस पोसहं, असणं, खाइमं साइमं का पञ्चवखाण कहकर 'अवभ सेवण का पच्चवखाण' आदि शेष पाठ प्रतिपूर्ण पौषध के समान कहना चाहिए ।

अतिचार पाठ

ऐसे बारहवें अतिथि संविभाग बारहवें अतिथि संविभाग व्रत
 व्रत के पंच अइयारा के विषय मे जो कोई अतिचार
 जाणियव्वा न समायरियव्वा लगा हो, तो आलोउ—
 तजहा—ते आलोउ—

१. सचित्त- : अचित्त (अशनादि) वस्तु, सचित्त
 निखेवणया (जलादि) पर रक्खी हो,
२. सचित्त-पिहणया : अचित्त वस्तु सचित्त से ढँकी हो,
३. कालाइवकमे : साधुओ को भिक्षा देने का समय
 टाल दिया हो,
४. परोवएसे : आप सूभता (शुद्ध) होते हुए भी
 दूसरो से दान दिलाया हो,
५. मच्छरियाए : मत्सर (इर्ष्या) भाव से दान दिया हो
 जो मे देवसिओ : इन अतिचारो से मुझे जो कोई दिन
 अइयारो कओ संबधी अतिचार लगा हो, तो

तस्स मिच्छा मि दुवकड ।

प्रश्नोत्तरी

प्र० : क्या साधु-साध्वियाँ ही दान के पात्र है ?

उ० : 'साधु-साध्वियाँ दान के उत्कृष्ट (उत्तम) पात्र है ।'

अतः उनको बारहवें व्रत मे उल्लेख किया है । परन्तु उस उल्लेख से 'प्रतिमाधारी श्रावक, व्रतधारी श्रावक और सामान्य स्वधर्मी सम्यक्त्वी भी दान के पात्र है ।' यह समझना चाहिए । प्रतिमाधारी श्रावक दान के उत्तम पात्र की गणना मे आता

निगंगे,	: निर्ग्रन्थो (स्त्री और परिग्रह के त्यागियो) को
फासुय-	: प्रासुक (जीवरहित, अचित्त)
एसणिज्जेणं	: एषणीय (आधा कर्म आदि दोष-रहित)
१.-२. असण-पाण-	: भोजन-पानी
३.-४. खाइम-साइम-	: खाद्य स्वाद्य
५. वत्थ-	: (सफेद रंग का मूती) वस्त्र
६. पडिगहू-	(लकडा, तुम्बा और मिट्टी के) पात्र
७. कंबल-	: (ऊनी सफेद) कम्बल
८. पाय-पुच्छेणेणं	: रजोहरण (ओघा) (तथा)
पडिहारिय	: प्रातिहार्य (जिन्हे साधु, लौटा देते हैं)
९.-१० पीढ-फलग	: (ऐसे) चौकी, पट्टा
११. सेज्जा-	: पौषधशाला-घर
१२. संथारएण	: (तृण आदि का) आसन
१३. ओसह—	: औषधि (एक द्रव्य वाली, जैसे हरडे)
१४. भेसज्जेणं	: भेषज (अनेक द्रव्य वाली, जैसे त्रिफला)
पडिलाभेमाणे	: बहराता (गुरु-बुद्धि से देता) हुआ
विहरामि	: विहार करता हूँ (रहता हूँ)

मनोरथ पाठ

ऐसी मेरी श्रद्धाहणा प्रवृत्ति तो है, साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूँ, तब फरसना करके शुद्ध होऊँ।

समिति पालना । पौषध मे उभयकाल प्रतिलेखन करना । दिशावकाश के व्रत मे दिन-रात्रि तक अपने परिमाण का ध्यान रखना । विशेष इच्छा या आवश्यकता होने पर आत्मा पर अकुश लगाना ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । 'धन्य हैं, वे मुनि जो यावज्जीवन १ सामायिक २ पौषध ग्रहण किये हुए हैं और ३. धर्म के लिए आवश्यक उपकरण और भोजन-पान के अतिरिक्त सब त्यागे हुए हैं । मैं ऐसा कब बूंगा ?' यह मनोरथ करना । अपूर्णता का खेद करना । सामायिक पौषध आदि को दृढता से पालने वाले कामदेव, शख, कुण्डकोलिक आदि के चरित्रों पर ध्यान लगाना ।



पाठ १६ उन्नोसवाँ

१७. 'अतिथि-संविभाग व्रत' व्रत पाठ

बारहवाँ 'अतिथि	: अतिथि (जिनके आने को तिथि नियत नहीं)
संविभाग	: उन्हें विधि से अशन आदि का कुछ भाग देना
व्रत ।'	: रूप व्रत
समरो	: श्रमण (मोक्षानुकूल तप-श्रम करने वाले)

३. स्थान : पहले ८ आठ व्रतो मे जो व्रत मुख्य था, उसे पहले और जो व्रत गौण था, उसे पीछे स्थान दिया था, पर इन तीनों मे जो व्रत गौण है, उसे पहले और जो मुख्य है, उसे पीछे स्थान दिया है। इस कारण ८ व्रतो के पश्चात् अल्पकाल का होने से सामायिक को ९ वाँ स्थान दिया है। सामायिक से अधिक काल का होने से दिशावकाशिक को १० वाँ स्थान दिया है तथा दिशावकाशिक से अधिक सवरयुक्त होने से पौषध को ११ वाँ स्थान दिया है।

४. फल : १. सामायिक से एकेन्द्रियादि जीवो को भी अभयदान मिलता है। सर्वजगज्जीव-मैत्री का पालन होता है। सामायिक के प्रभाव से पूर्व के आठ व्रत अधिक निर्मल, अधिक बलवान् और अधिक विकसित बनते हैं। २ दिशावकाशिक पूर्व के आठ व्रतो का सक्षेप रूप होने से उन आठ व्रतो से जो फल हैं, वे और भी अधिक रूप मे मिलते हैं। ३. 'पौषध' सामायिक व्रत का ही लम्बे काल का विशिष्ट रूप होने से उससे सामायिक के ही फल विशेष रूप मे मिलते हैं।

५. कर्त्तव्य : सामायिक और पौषध के काल तक जागृत अवस्था मे मन मे धर्म-विचार करना, आहार, काम-भोग, शरीर-सत्कार, घर-व्यापार आदि के विचार न करना। मुख से धर्म-कथा, शास्त्र-स्वाध्याय, स्तुति आदि करना, घर, व्यापार, स्त्री, भोजन, देश, राज्य आदि की विकथाएँ न करना। काया को उचित आसन से रखना और रात्रि को यतना से सोना। इस प्रकार तीन गुप्ति का पालन करना। यतना से चलना, विवेक से बोलना, यदि गौचरी की दया की हो, तो निर्दोष गौचरी करना और राग-द्वेष रहित परिमित आहार करना, यतना से उठाना-रखना, देख पूज कर परठना। इस प्रकार पाँच

३ जाति-स्मरण, ४ देव-दर्शन और ५ अवधिज्ञान तक हो सकता है।

२. उद्देश्य : १. श्रावक गृहस्थी को त्यागने में असमर्थ होने के कारण 'गृहस्थ जीवन कैसे अधिक-से-अधिक निष्पाप बने ?' यह बताने के लिए पहले के आठ व्रतों का कथन किया है। पर 'गृहस्थ सामान्यतया प्रतिदिन एक मुहूर्त भर के लिए तो गृहस्थी का त्याग करके साधु के समान आराधना कर सकता है।' अतः उस उद्देश्य-पूर्ति के लिए सामायिक व्रत का कथन किया है।

२ 'पहले के आठ व्रत प्रायः यावज्जीवन आदि लम्बे समय के लिए धारण किये जाते हैं। अतः श्रावक लम्बे समय को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण पापों की अपेक्षा तो बहुत कम पाप शेष रखता है, पर प्रतिदिन लगाने वाले पापों की अपेक्षा बहुत अधिक पाप शेष रखता है। वे सब ही पाप सामायिक के द्वारा तो मुहूर्त भर के लिए दो करण तीन योग से रुक जाते हैं, पर शेष दिन भर के लिए वे पाप खुले हो रहते हैं। 'उनमें से उस दिन की अपेक्षा जितना पाप करना है, उसे रख कर शेष का त्याग किया जाय।' इस उद्देश्य से दिशावकाशिक व्रत का कथन किया है।

३ प्रतिमास या प्रति वर्ष में श्रावक कुछ दिन-रात ऐसे भी निकाल सकता है, जिस दिन-रात को वह ३० ही मुहूर्त (२४ ही घटे) पापों का सर्वथा त्याग कर दे। इसलिए ऐसे उन दिनों को पूर्ण धर्ममय बनाने के उद्देश्य से ग्यारहवें व्रत का कथन किया है।

प्र० : पहले सामायिक ली हुई हो और पीछे पौषध की भावना जगे, तो सामायिक पाल कर पौषध लें या सीधे ही ?

उ० : सीधे ही । क्योंकि पालकर लेने से बीच में अव्रत लगता है, कदाचित् पालते-पालते उसकी भावना मन्द भी हो सकती है ।

प्र० : पौषध लेने के पश्चात् सामायिक का काल आ जाने पर सामायिक पालें या नहीं ?

उ० : सामायिक विधिवत् न पाले, क्योंकि पौषध चल रहा है । पर सामायिक-पूर्ति की स्मृति के लिए नमस्कार मंत्र गिन लें, जिससे फिर निद्रा, आहार, निहारादि कर सके ।

प्र० : पौषध में सामायिक करें या नहीं ?

उ० : करना सामान्यतः विशेष लाभप्रद नहीं है । परन्तु यदि कोई 'निद्रा आहार, निहार, आलवन आदि इतने समय नहीं करूँगा ।' आदि के रूप सामायिक करे, तो वह सामायिक कर सकता है ।

‘शिक्षाव्रत’ निबंध

१. सूक्त : श्रावक जितने मुहूर्त तक सामायिक करता है, उतने मुहूर्त के लिए वह साधु के समान हो जाता है ।
२. प्रतिदिन दिशावकाशिक करने से (१४ नियम करने से मेरु जितना पाप घटकर राई जितना पाप रह जाता है ।
३. प्रतिमास निरतिचार छह पौषध करने पर श्रावक को १. अपूर्व धर्म-चिन्तन, २ अपूर्व सुफलवान् शुभ स्वप्न-दर्शन,

और यदि इनकी छूट सामायिक में दी जायगी, तो सामायिक में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की कोई आराधना नहीं हो सकेगी तथा पौषध विशेष काल का है, अतः वह इन छूटों के बिना सामान्य लोगों को पालन करना कठिन होता है और बिना इन छूटों के सामान्य लोगों की ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना में समाधि नहीं रहती तथा २. उदाहरणमय उत्तर यह है कि जैसे व्यापारी बड़े ग्राहक को विशेष सुविधाएँ देता है, छोटे ग्राहक को नहीं देता। इसी प्रकार भगवान् ने पौषध वाले को बहुत धर्म का ग्राहक होने से विशेष सुविधाएँ दी हैं तथा सामायिक वाले को अल्प धर्म का ग्राहक होने से सुविधाएँ नहीं दी हैं।

प्र० : प्रतिलेखन-प्रमार्जन किसे कहते हैं ?

उ० : 'मुखवस्त्रिका' आदि में कोई जीव है या नहीं ? इस दृष्टि से शीघ्रता आदि न करते हुए तथा शब्दादिक विषय-विकार या धर्मकथादिक कार्य न करते हुए 'उन्हे लगन से देखना प्रतिलेखन है तथा जीवादिक देखने पर 'उन्हे कष्ट न हो' ऐसी यतना से उन्हे कोमल पूंजनी से हल्के हाथों से पूंजना तथा एकात सुरक्षित स्थान में ले जाकर छोड़ना प्रमार्जन है। जीव न देखने पर भी रात्रि को रजोहरण से आगे चलने की भूमि शुद्ध करना तथा दिन को पौषधशाला की सचित्त रज साफ करना आदि भी प्रमार्जना है।

प्र० : प्रतिलेखन-प्रमार्जन किस क्रम से करना चाहिए ?

उ० : उभयकाल पहले मुखवस्त्रिका, फिर पूंजनी, फिर वस्त्र, फिर सस्तारक, फिर पौषधशाला, फिर मल-मूत्र भूमि और गौचरी के पात्र हो, तो फिर उन पात्रों का प्रतिलेखन करना चाहिए।

प्र० : चारो आहार करके देश पौषध संवर या (दया) करने वाले को क्या पाठ बोलना चाहिए ?

उ० : करेमि, भंते ! देस-पोसहं अबंभसेवण का पच्चवखाण इत्यादि । शेष पाठ पूर्ववत् बोलना चाहिए । जो संवर या दया एक करण एक योग से करना चाहे, उन्हें 'दुविह तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा' के स्थान पर 'एगविह एगविहेण न करेमि कायसा' पाठ बोलना चाहिए ।

प्र० : सामायिक और पौषध में क्या अन्तर है ?

उ० : एक सामायिक केवल एक मूर्हर्त (४८ मिनट) की होती है, जब कि पौषध कम-से-कम भी चार प्रहर का (लगभग १२ घंटे का) होता है । सामायिक में निद्रा और आहार का त्याग करना ही होता है, जब कि पौषध चार और उससे अधिक प्रहर का होने से उसमें निद्रा भी ली जा सकती है और आहार भी किया जा सकता है, इत्यादि सामायिक और पौषध में कुछ अन्तर हैं । जैसे दिशवकाशिक व्रत पहले के आठ व्रतों का विशिष्ट बड़ा रूप है । इसी प्रकार पौषध व्रत सामायिक व्रत का विशिष्ट बड़ा रूप है ।

प्र० : जब कि ग्यारहवाँ व्रत सामायिक व्रत से बड़ा है और सामायिक का विशिष्ट रूप है, तब उसमें निद्रा, आहार, निहार (गौच) आदि की इतनी छूट क्यों ? और जब कि सामायिक व्रत ग्यारहवें व्रत से छोटा है, तब उसमें इनकी छूट क्यों नहीं ?

उ० : १. सामान्य उत्तर तो यह है कि 'सामायिक अल्पकाल की है, अतः वह इन छूटों के बिना हो सकती है

है। व्रतधारी मध्यम पात्र है और स्वधर्मी (सम्यक्त्वी) जघन्य निम्न पात्र है।

प्र० : दीन-दुःखियो को दान देना इस व्रत में आता है या नहीं ?

उ० : दीन-दुःखी अनुकम्पा-दान के पात्र हैं। अनुकम्पा से पुण्य कर्म का बंध होता है। धर्म का उद्देश्य कर्मबन्ध को तोड़ना है, अतः जिन्हें दान देने से मुख्यतया निर्जरा होती है, उन साधु-सोष्ठी आदि को दान देना ही इस व्रत में लिया है।

प्र० : आधाकर्म आदि दोष किसे कहते हैं ?

उ० : साधु के लिए अशनादि बनाना, उनके लिए खरीदना आदि को। विशेष के लिए 'समिति गुप्ति का स्तोक' देखो।

प्र० : क्या प्रासुक एषणीय दान ही देना चाहिए ?

उ० : जो जैसा पात्र हो, उसके अनुसार उसे दान दिया जाता है। निर्दोष अशनादि लेने वाले को निर्दोष ही देना चाहिए।

प्र० : क्या देय वस्तुएँ चौदह ही हैं ?

उ० : ये चौदह वस्तुएँ प्रायः काम में आती हैं, अतः इनका उल्लेख किया है। इनसे अन्य भी धर्मोपयोगी सूई, कैंची, पुस्तक आदि समझ लेने चाहिए।

प्र० : 'सचित्त निक्षेप' के उदाहरण दीजिए।

उ० : जैसे रोटी-पात्र को लवण-पात्र पर रखना, धोवन-पात्र को सचित्त जल के घड़े पर रखना, खिचड़ी आदि को चूल्हे पर रखना, मिठाई आदि को हरी पत्तल पर रखना आदि।

प्र० : 'सचित्त निक्खेवणाया और पिहणाया' से और क्या समझना चाहिए ?

उ० : साधु दान के योग्य पदार्थों को जहाँ पर, जिस स्थिति में रखने से साधु उन्हें न ले सके, ऐसे स्थान और स्थिति में रखना । जैसे अचित्त अशनादि को सचित्त पदार्थों से छुआकर या सचित्त पदार्थों में मिलाकर रखना, ताले में या ऊँचे आले में रखना आदि ।

प्र० : कालाड्वकमे में और क्या सम्मिलित हैं ?

उ० : भोजन के समय द्वार बन्द रखना, स्वयं घर के बाहर रहना, रात्रि के समय दान की भावना भाना, साधुओं को सडी हुई वस्तुएँ देना आदि ।

प्र० : 'परोवएसे' में और क्या सम्मिलित है ?

उ० : अपनी वस्तु पराई बताना, कोई दान का उपदेश दे, तो उसे कहना—आप ही दीजिए—इत्यादि ।

प्र० : मत्सरदान किसे कहते हैं ?

उ० : अपने सँ अधिक दानी के प्रति जलते हुए दान देना, विशिष्ट दानी कहलाने के लिए दान देना, दान देकर पछताना आदि को ।

‘अतिथि संविभाग व्रत’ निबन्ध

१. सूक्त : वेश और गुणयुक्त साधु-श्रावक को दान देने वाला उन्हें समाधि उत्पन्न करता है, फलस्वरूप वह भी भविष्य में समाधि प्राप्त करता है—भग० । २ वेश और गुणयुक्त साधु-श्रावक को दान देने वाला सम्यक्त्व प्राप्त करता है, यावत् सब दुःखों का

अन्त करता है—अग० । ३. वेश और गुणयुक्त साधु-श्रावक को दान देना उत्तम खेत में अपना बीज बोना है—उत्तरा० ।

२. उद्देश्य : वेश और गुणयुक्त साधु-श्रावक को दान देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व अनुमोदना प्रकट करना, उनके धर्म पालन में सहायक बनना तथा धर्मदान गुण को जीवनगत बनाना ।

३. स्थान : पहले के ग्यारह व्रत कठिन हैं, क्योंकि उनको धारण करने में स्वयं को हिंसादि का त्याग करना होता है । परन्तु यह व्रत सरल है, क्योंकि इसमें स्वयं को कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता, केवल त्यागियों को दान ही देना पड़ता है । अतः सबसे सरल होने के नाते इस व्रत को सभी व्रतों के अन्त में बारहवाँ स्थान दिया है ।

४. कर्त्तव्य : साधुओं को कौनसी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं ? वे शुद्ध (सुभक्ती) कैसे रह सकती हैं ? साधुओं का योग कैसे मिल सकता है ? आदि बातों का ध्यान रखना । योग मिलने पर स्वागत करके निर्दोष वस्तुएँ स्वयं उलट भाव से देना । उन्हें चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, माता-पिता आदि के समान समझना । श्रावक-श्राविकाओं को भाई-बहन ज्यों समझना । चतुर्विध सघ के प्रति पूरा अनुराग रखना ।

५. भावना : सूक्तादि पर विचार करना । 'धन्य हैं, वे जो ससार त्याग कर आत्म-साधना कर रहे हैं । मैं अधन्य हूँ कि ससार-कीच में फँसा हूँ । कम-से-कम मुझे उन्हें दान देने का स्वर्ण अवसर कब मिलेगा ? इसका मनोरथ करना ।

साधुदान का योग न बँटे, तो उसका खेद करना। दान देने वाले सुबाहुकुमार, शालीभद्र आदि के चरित्र पर ध्यान देना।



पाठ २० बी

१८ 'संलेखना' 'तप का पाठ'

अह, भते-	: अब, हे भगवन् ।
अपच्छिम-	: इस जीवन में सबसे पश्चात्
मरणान्तिय-	: मरण-रूप अन्तिम समय में
सलेहणा	: संलेखना, (शरीर व कषाय को कुश बनाने वाले, आलोचना सहित तप) को
कूसणा	: (स्वीकार कर) सेवन करता हूँ (तथा)
प्राराहणा ।	: अन्तिम समय तक पालन करता हूँ ।

संलेखना विधि

पौषधशाला	: पौषधशाला का
एजकर	: (रजोहरणादि से) प्रमार्जन कर
उच्चार-पासवण	: मल-मूत्र (परठना पड़े, इसलिए
भूमिका	: उसकी) भूमि
डिलेहकर	: का प्रतिलेखन कर
मणागमणे	: इर्यापथिक का प्रतिक्रमण कर,
डिवकम कर	(तिक्खुत्तो, नमस्कार मंत्र, 'इच्छा- कारेण' 'तस्सउत्तरी' 'इच्छाकारेण' या 'लोगस्स' का ध्यान तथा प्रकट लोगस्स कह कर

दर्भादिक	: दर्भ (तृण विशेष) आदि से बना
संधारा संधार कर	: बिछौना बिछाकर
दर्भादिक संधारा	: उस दर्भादि के संधारे पर
दुरूहकर	: चढकर

पूर्व या उत्तर (या ईशानकोण) सन्मुख पत्यंकादिक
आसन से बैठकर

करयल	: दोनो हथेलियो को
संपरिग्राह्यं	: (विधिपूर्वक) जोडकर
सिरसावत्तं	: शिर पर तीन प्रदक्षिणावर्त लगा कर
मत्थए अंजलि कट्टु	: मस्तक पर अञ्जलि को स्थापन करके
एव वयामि	: इस प्रकार कहता हूँ ।

सलेखना के लिए नमस्कार मगल

नमोत्थुणं	: नमस्कार हो
अरिहताणं	: अरिहन्त
भगवताणं	: भगवन्तो को
जाव सपत्ताणं	: यावत् मोक्ष-प्राप्त हुआ को

ऐसे अनन्त सिद्ध भगवान् को नमस्कार करके 'नमोत्थुणं
अरिहताण भगवताणं

जाव संपाविउकामाणं' : यावत् मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वालो को

ऐसे जयवन्त वर्त्तमान काल मे महाविदेह क्षेत्र मे विचरते
हुए तीर्थकर भगवान् को नमस्कार करके

नमोत्थुणं मम	: नमस्कार हो, मेरे
धम्मायरियस्स	: धर्माचार्य
धम्मोवदेसगस्स	: धर्मोपदेशक (साधुजी) को

ऐसे अपने धर्माचार्यजी को नमस्कार करता हूँ । साधु-प्रमुख चारो तीर्थ को खमा (क्षमायाचना) कर सर्व जीव-राशि को खमा कर, पहले जो व्रत आदरे हैं, उनमे जो (आज तक) अतिचार दोष लगे है, वे सर्व आलोच (न) कर, पडिक्कम (प्रतिक्रमण) कर, निन्दकर, निःशल्य हो कर

अनशन का व्रत पाठ

सव्वं पाणाइवायं	: सब (सम्पूर्ण) १ प्राणातिपात (हिंसा)
पच्चक्खामि	: पच्चक्खता हूँ (प्रत्याख्यान करता हूँ)
सव्व मुसावायं	: सब २ मृषावाद (भूठ)
पच्चक्खामि	: पच्चक्खता हूँ
सव्वं अदिण्णादाण	: सब ३ अदत्तादान (चोरी)
पच्चक्खामि	: पच्चक्खता हूँ
सव्वं मेहुणं	: सब ४. मैथुन (अब्रह्मचर्य)
पच्चक्खामि	: पच्चक्खता हूँ
सव्वं परिग्रहं	: सब ५ परिग्रह (नव प्रकार का)
पच्चक्खामि	: पच्चक्खता हूँ
सव्वं कोहं माणं जाव	: सब ६ क्रोध, ७ मान, यावत्
मिच्छा-दंसण-सल्लं	: १८ मिथ्यादर्शन शल्य (मिथ्यात्व) यो
सव्वं अकरणिज्जं	: सभी अकरणीय (सावद्य)
जोग पच्चक्खामि	: योगो का प्रत्याख्यान करता हूँ
जावज्जीवाए	: यावज्जीवन के लिए
तिविह तिविहेणं	: तीन करण तीन योग से
न करेमि	: (अट्टारह ही पाप स्वयं) न करता हूँ
न कारवेमि	: न कराता हूँ

कर्तृपि अन्नं : करते हुए अन्य का
न समणुजाणामि : अनुमोदन भी नहीं करता हूँ ।
ऐसे अट्टारह पाप पच्चक्ख कर

सव्व असणं : सब अशन
पाण खाइमं साइमं : पान, खाद्य और स्वाद्य—यो
चउव्विहपि : चारो ही
आहार पच्चक्खामि : आहार पच्चक्खता हूँ
ऐसे चारो आहार पच्चक्ख कर

जि पि य इमं : और जो यह
सरीरं, इट्ठं : शरीर (मुझे) इष्ट (इच्छनीय) था
कत : कान्त (कमनीय) था
पिय : प्रिय (प्रेम का करण) था
मणुणं : मनोज्ञ (मनोहर) था
मणामं : मनाम (मनोरम) था
धिज्ज : (मुझे इससे) धैर्य
विसासियं : (मुझे ईश्वर पर) विश्वास था
संमय : (मेरे लिए यह) समत (माननीय) था
अणुमयं : अनु (दोष दिखने पर भी) मत
(माननीय) था
बहुमयं : बहुमत (बहुत ही माननीय) था
भण्डकरण्डसमाणं : आभूषण के करण्डिये समान था

↑यहाँ से लेकर 'तिकट्टु' तक पाठ पादोपगमन (वृक्षमूल के समान एक निश्चल आसन से किये जाने वाले अनशन) से अन्य अनशन करते समय न पढ़ें ।

रयण-करण्डगभूयं	: रत्नो के करण्डिये (पेटी के) समान था
मा एं सीयं	: (कही इसे) गीत (सर्दी) न हो
मा एं उण्हं	: उष्णता (गर्मी) न हो
मा एं खुहा	: भूख न लगे
मा ए पिवासा	: प्यास न लगे
मा एं वाला	: सर्प (आदि) न काटे
मा एं चोरा	: चोर आदि का भय न हो
मा एं दंस-मसगा	: डास, मच्छरादि न सतावे
मा एं वाइयं	: न वात (वायु) रोग हो
पित्तियं, कफियं,	: न पित्त रोग हो, न कफ रोग हो
संभीम	: न भयकर
सण्णवाइयं	: सन्निपात (दो या तीन दोष) हो
विविहा	: (यो) अनेक प्रकार के
रोगायका	: (विलम्ब से या शीघ्र मारने वाले) रोगातक
परीसहा	: (तथा भूख-प्यास के) परीसह
उवसग्गा	: (और देव आदि के) उपसर्ग (कष्ट)
फासा फुसन्नु	: स्पर्श न करे। (ऐसा मैं चाहता था ऐसे उस शरीर को भी)
चरमेहि	: अन्त के
उस्सासनिस्सासेहि	: उच्छ्वास निच्छ्वास (श्वासोच्छ्वास) तक
वोसिरामि	: त्याग करता हूँ
त्तिकट्ठु	: ऐसे शरीर को वोसिरा के
कालं, अणवकंखमाणे,	: मृत्यु की चाह (तथा भय) न करते
विहरामि	: हुए विहार करता हूँ (विचरता हूँ)

मनोरथ पाठ

ऐसी मेरी सद्दहणा प्ररूपणा तो है, संलेखना का अवसर आये, सलेखना कहूँ, तब फरसना करके शुद्ध होऊँ ।

अतिचार पाठ

ऐसे अपच्छिम मारणांतिय सले- अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना,
हणा भूसणा आराहणाए पंच भूषणा, आराधना के विषय मे
अइयारा जाणियच्चा न जो कोई अतिचार लगा हो, तो
समायरियच्चा तंजहा ते- आलोउ —

आलोउ —

१. इह-लोगा- : इस (मनुष्य) लोक के राजा चक्रवर्ती
ससप्प ओगे आदि सुखो की इच्छा की हो,
- २ परलोगा- : पर (मनुष्य से अन्य) लोक के देवता
ससप्पओगे इन्द्र आदि सुखो की इच्छा की हो,
३. जीविघा-संसप्पओगे : (शाता और सेवा-प्रशसा देखकर)
बहुत काल जीने की इच्छा की हो,
४. मरणा-ससप्पओगे : (अशाता और असेवा-अकीर्ति देखकर)
शीघ्र मरने की इच्छा की हो,
५. काम-भोगा- : (आहार आदि की या देवप्रदत्त । काम
सस पओगे भोगो की इच्छा की हो,
- जो मे देवसिओ : इन अतिचारों मे से मुझे जो कोई
अइयारो कओ दिनि संबंधी अतिचार लगा हो, तो
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

'सलेखना' प्रश्नोत्तरी

- प्र० : यहाँ सलेखना के व्रत पाठ से क्या समझना चाहिये ?
उ० 'सलेखन' सब तपो मे मुख्य है, तथा उसका श्रावक

को नित्य मनोरथ करना चाहिए । इसलिए उसका यहाँ उल्लेख किया है । उससे यहाँ सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र के पश्चात् उपवास आदि सभी प्रकार के सम्यक्तप समझ लेने चाहियें । उपवासादि के प्रत्याख्यान-पाठ छोटे 'प्रत्याख्यान आवश्यक' में आयेगे ।

प्र० : तप के अतिचार बताइए ।

उ० : जो सलेखना के अतिचार हैं, प्रायः वे ही तप के अतिचार हैं—जैसे १. इस लोक के सुख की इच्छा करना २. परलोक के सुख की इच्छा करना ३. प्रशंसा के लिए अधिक तप करना ४. अशांता देखकर (तप क्यों किया ? तप शीघ्र पूरा हो, आदि) चिन्ता करना ५. (आहारादि की या देव प्रदत्त) कामभोगों की इच्छा करना ।

प्र० : तप के फल बताइए ।

उ० : इहलोक दृष्टि से बाह्य तप से शरीर के रोग तथा विकार नष्ट होते हैं, शरीर दृढ बनता है । आभ्यन्तरतप से लोगो में प्रीति, आदर, विनय आदि होता है । आध्यात्म दृष्टि से आत्मा के कर्म रोग तथा कर्म विकार नष्ट होकर आत्मा सशक्त बनती है, लब्धियाँ प्राप्त होती हैं, देव सेवा करते हैं, इत्यादि तप के कई फल हैं ।

प्र० नित्य रात्रि को सलेखना कैसे करनी चाहिए ?

उ० - उसकी विधि भी मारणान्तिक सलेखना के समान ही है । विशेष 'विहरामि' इस पाठ से आगे 'यदि उठूँ, तब तक जीऊँ, तो मुझे अनशन पारना कल्पता है अन्यथा यावज्जीवन अनशन है ।' इतना और कहना चाहिए । तथा प्रातः

काल उठने के पश्चात् सामायिक पालने के समान विधि करके 'एयस्स नवमस्स' के स्थान पर 'सलेखना के अतिचार का पाठ' कहना चाहिए।

कई 'आहार शरीर उपाधि, पञ्चक्खुं पाप अठार। मरण आवे तो वोसिरे, जीउ तो आगार। १। इस एक दोहे से सथारा लेते हैं और नमस्कार मंत्र गिन कर पार लेते हैं।

प्र० : मारणान्तिक सलेखना के समय के लिए कुछ विशेष विधि बताइए।

उ० : सलेखना के योग्य अवसर पर सलेखना की भावना होने पर जहाँ तक संभव हो, साधु-साध्वियों की सेवा में या उनके अभाव में जानकारी अनुभवी श्रावक-श्राविका के पास जाना चाहिए अथवा उन्हें अपने स्थान पर निमन्त्रण देना चाहिए। उन्हें वन्दन कर अपने व्रत में लगे अतिचारों की निष्कपट आलोचना करके उनसे प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए। फिर उनसे भावना और अवसर के अनुसार यावज्जीवन के लिए या कुछ काल के लिए आगार सहित अनशन लेना चाहिए। यदि किसी का भी योग न बैठे, तो स्वयं आलोचना कर के 'जितना इसका प्रायश्चित्त होता है, वह मुझे स्वीकार है।' यह कहना चाहिए तथा स्वयं अनशन लेना चाहिए। यदि तिविहाहार अनशन करना हो, तो 'पाण' शब्द नहीं बोलना चाहिए तथा 'ऐसे तीनो आहार पचक्ख कर' यो बोलना चाहिए। यदि गादी पलग आदि पर सोना पड़े, खुले गृहस्थों से वैयावृत्य करानी पड़े, सम्मूर्च्छिम विराधना टल न सके या और भी जो पाप न छूट सकें, उनका आगार रखना चाहिए।

प्र० : उपसर्ग के समय संलेखना कैसे करनी चाहिए ?

उ० जहाँ उपस्थित हो, वहाँ की भूमि का प्रतिलेखन कर 'नमोत्थुण से ('जपि' से त्तिकट्टु का पाठ छोड़कर) विहरामि' तक पाठ बोलना चाहिए। आगे 'यदि उपसर्ग से बचूँ, तो मुझे अनशन पारना कल्पता है अन्यथा यावज्जीवन अनशन है।' इतना पाठ और कहना चाहिए। पालने की विधि पूर्ववत् है। पूर्ववत् दोहे से अनशन ग्रहण और नमस्कार मन्त्र से पारण भी किया जाता है।

प्र० . सलेखनायुक्त अनशन आत्मघात है क्या ?

उ० पहले तो यह समझ लेना आवश्यक है कि 'शरीरघात और आत्मघात दोनों पृथक्-पृथक् हैं।' जिससे शरीर का अन्त हो, वह देहघात है तथा जिससे आत्मा की अधोगति हो, अवनति हो, ससार-चक्र बढता हो, वह आत्मघात है।' इतनी बात समझ लेने पर यह समझना सरल है कि सलेखनायुक्त समाधिमरण से शरीरघात होता है, आत्मघात नहीं होता, क्योंकि सलेखनायुक्त समाधिमरण में आत्मा की उच्चगति होती है, उन्नति होती है तथा ससार-चक्र घटता है। जिस प्रकार राष्ट्रवादी के लिए स्वराष्ट्र के लिए देहोत्सर्ग करना अपराध नहीं, वरन् श्रेष्ठतम गौरव है, उसी प्रकार आत्मवादी के लिए, आत्मा के लिए शरीर-त्याग करना विराधना नहीं, वरन् श्रेष्ठतम आराधना है।

अब यदि शरीरघात भी देखें, तो शरीर एक दिन अवश्य ही नष्ट होने वाला है और कइयो की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि 'वे औषध आदि किसी भी उपाय से बचते हुए दिखाई नहीं देते।' ऐसी स्थिति में पाप करते हुए, औषधि लेते हुए, इहलोक तथा शरीर-विदाई के प्रति आँसू बहाते हुए शोकाकुल

अवस्था में ही मरना क्या कोई बुद्धिमान है ? बुद्धिमान नास्तिक भी उस समय औषधि आदि छोड़कर शोकरहित होकर शान्त भाव से मरना उचित समझेगा । अतः समाधिमरण किसी भी दृष्टि से अनुपयुक्त नहीं, वरन् सर्वथा उ०युक्त है ।

‘सलेखना’ निबन्ध

१. सूक्त : १ एक बार बाल मरण से मरने वाला जीव चार गति सम्बन्धी भावी अनन्त मरण की परम्परा खड़ी करता है और एक बार सलेखनायुक्त समाधिमरण से मरने वाला जीव चार गति सम्बन्धी भावी अनन्त मरण परम्परा से आत्मा को बचा लेता है ।—भग० । २. समाधिमरण के मनोरथ मात्र से जीव पूर्व कर्मों की महा निर्जरा करता है और ससार का महा अन्त करता है ।—स्थानाग । ३. एक घड़ी का सधारा कोटि-कोटि वर्ष के समय से भी बढ़कर है । ४. इस विश्व में तीर्थंकर भी अमर नहीं रहे, अतः अवश्यभावी मृत्यु से भय क्या खाते हो ? पुनर्जन्म से भय खाओ, जो मरण को अवश्यभावी बनाता है ।

२. उद्देश्य : आराधना के अन्तिम मुख्य मरण अवसर को शान्ति और वीरतापूर्वक सफल बनाना ।

३. स्थान : सम्यग्ज्ञान द्वारा अज्ञान, सम्यग्दर्शन द्वारा मिथ्यात्व और सम्यक्चारित्र्य द्वारा राग-द्वेष (अव्रत) को नष्ट करने के पश्चात् आत्मा के साथ बँधे हुए कर्मों को नष्ट करना आवश्यक है । सम्यक्तप कर्मबन्ध को नष्ट करता है । सलेखना सम्यक्तपो में सबसे शीर्ष स्थानीय है (और यह जीवन के भी शीर्ष समय में की जाती है) । अतः इसे आगमे-तिविहे दर्शन-सम्यक्त्व और १२ व्रतों के पश्चात् अन्तिम चौथा स्थान दिया है ।

४. फल : मृत्यु का दुःख न हो । मृत्यु के समय शान्ति बनी रहे । देह, स्त्री, परिवार, परिग्रह छूटने का शोक न हो । 'आगे कैसी योनि मिलेगी ?' इसकी चिन्ता न हो । यहाँ से काल करके वैमानिक देव बने । जन्मान्तर में अपमृत्यु न हो । बोधि तथा धर्म-प्राप्ति में विरह न पड़े । शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो ।

५. कर्त्तव्य : सलेखना करने के पश्चात् पाप के फल का, आत्मा की अनाहारिकता का, देह और आत्मा की पृथक्ता का तथा 'सभी सयोगों का वियोग निश्चित होता है।' इसका चिन्तन कर । सलेखना के पाँच आचारों का वर्जन करे । मरण को जीवन की सम्पूर्ण आराधना की सफलता-विफलता का प्रश्न समझ कर सलेखना में अत्यन्त शान्त, वीर, दृढ़ और सावधान रहे ।

६. भावना : सूक्तादि पर विचार करे । 'मैं कब समाधिमरण मरूँगा ?' इसका मनोरथ करे । अब तक हुए बालमरण का खेद करे । समाधिमरण से मरने वाले गज-सुकुमाल, धर्मरुचि, थावच्चा पुत्र आदि का स्मरण करे ।



पाठ २१ इक्कीसवाँ

विधि : श्रावक सूत्र पढ़ने वाले सलेखना का अतिचार पाठ (छोटी सलेखना) पढ़कर 'अट्टारह पाप' (इच्छामि ठामि) और 'तस्स सव्वस्स' का पाठ पढ़े ।

श्रमण सूत्र पढ़ने वाले (बड़ी) सलेखना पढ़कर यह समुच्चय का पाठ, अट्टारह पाप, पच्चीस मिथ्यात्व और सम्मूर्च्छिम मनुष्य का पाठ पढ़े ।

श्रावक सूत्र और श्रमण सूत्र की विधि आगे देखे ।

'समुच्चय का पाठ'

इस प्रकार १४ चौदह ज्ञान के, ५ पाँच दर्शन (सम्यक्त्व) के, ६० साठ बारह व्रतो के, १५ पन्द्रह कर्मदानों के (कुल ७५ चारित्र के) और ५ पाँच सलेखना (तप) के, इन ९६ निन्यानवे अतिचारों में से किसी अतिचार का जानते-अजानते मन-वचन-काया से सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए को अनुमोदन दिया हो, (भला जाना हो), तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

'समुच्चय' प्रश्नोत्तरी

प्र० . सम्यग्ज्ञान दर्शन, चारित्र और तप जिस क्रम से कहे हैं, क्या उन्हें उसी क्रम से अपनाना चाहिए ?

उ० इस लोक के लाभ या परलोक के लाभ की दृष्टि से आरम्भ में ही चारित्र और तप को अपनाया जा सकता है,

पर मोक्षार्थी को सबसे पहले सम्यग्दर्शन, (सम्यक्त्व) अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तीनों मिलकर भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। सम्यग्दर्शन अपनाने के पश्चात् तीनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। जैसे अर्जुनमाली के समान किसी से ज्ञान विगेष न हो सके, तो वह ज्ञानी की निश्चा में बिना ज्ञान सीखे सीधे ही व्रत अपना सकता है अथवा किसी से व्रतो का पालन कठिन हो और वह सीधे ही कदाचित् अनशन जैसे महातप को भी अपनाना चाहे, तो भी वह अर्हन्तक मुनि के समान सीधे ही तप भी अपना सकता है (तप अपनाने वाले में चारित्र भी होता तो है, पर उसकी गौणता और तप की मुख्यता होती है, अतः ऐसा कहा है) पर यथा सम्भव ज्ञान, चारित्र और तप तीनों साथ में अपनाना चाहिए, जिससे आत्म-विकास में सुविधा रहे।

प्र० . वारह व्रत जिस क्रम से बताये हैं, क्या उन्हें उसी क्रम से अपनाना चाहिए ?

उ० . सभी को साथ में क्रम से अपनाना अधिक उत्तम है। पर यदि किसी को कोई मध्य का व्रत अपनाने में कठिनता हो या उसे पूरा अपनाने में कठिनता हो, तो वह उस व्रत को छोड़कर या उसे अग से अपना कर अगला व्रत अपना सकता है।

प्र० . उदाहरण देकर समझाइए।

उ० . जैसे कई लोग, जो वारह व्रत क्रम से नहीं अपनी पाते, वे सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। जिसमें सबसे पहले १ मासाहर और २. मद्यपान छोड़ते हैं, जो सातवें व्रत के उपभोग-परिभोग का आगिक त्याग है तथा ३ शिकार छोड़ते हैं,

जो पहले अणुव्रत का अश से प्रत्याख्यान है। फिर बिना दूसरा व्रत लिए खात खनन आदि से की जाने वाली मात्र प्रसिद्ध ४ चोरी छोड़ते हैं, जो तीसरे अणुव्रत का अश से प्रत्याख्यान है। फिर ५ जुआ छोड़ते हैं, जो सातवें व्रत के कर्मादान का आंशिक त्याग है तथा ६. वेर्या, ७. परस्त्री छोड़ते हैं, जो चौथे व्रत का आंशिक प्रत्याख्यान है। इस प्रकार सप्त व्यसन के त्यागी दूसरा, पाँचवा, छठा—ये तीन व्रत सर्वथा छोड़कर पहले से सात व्रत अश मात्र अपनाते हैं। यदि कोई राजपुत्र आदि सप्त व्यसन भी न त्याग सके और साधु को निवास दानादिक रूप सीधा बारहवाँ व्रत ही अश से अपनाना चाहे, तो वह सीधे बारहवाँ व्रत को भी अश से मार्गानुसारी के रूप में संपन्न सकता है।

प्र० : तो, क्या ये व्रत कक्षा या सीढ़ी के समान क्रम चरने नहीं हैं ?

उ० : नहीं, यदि ये कक्षा या सीढ़ी के समान होंते, तो पहले-पहले के व्रत अपनाये बिना कोई पिछला-पिछला व्रत अपना नहीं पाता। पर पहले भी इस प्रकार लोगो ने व्रत अपनाये है और वर्तमान में भी ऐसे अपनाने वाले मिलते हैं।

प्र० : तब व्रतों का ऐसा क्रम क्यों रक्खा गया ?

उ० : १. कौन व्रत मुख्य है और कौन व्रत गौण है ?
२. कौन व्रत अपनाने से किस व्रत को सहायता मिलती है ?
३. कौन व्रत अपनाने में सरल और कौन व्रत अपनाने में कठिन है ? ४. कौन व्रत अल्पकाल का और कौन व्रत दीर्घकाल का है ? इत्यादि बताने के लिए।

प्र० : बारह व्रतो मे मूल व्रत कितने और उत्तर व्रत कितने ?

उ० : पाँच अणुव्रत मूल व्रत है, क्योंकि वे बिना समिश्रण से बने हुए हैं। शेष व्रत उत्तर व्रत है, क्योंकि वे मूल व्रतों के सम्मिश्रण से या उन्हीं के विकास से बने हैं ?

प्र० : उदाहरण देकर बताइए।

उ० : जैसे सामायिक व्रत पाँचो अणुव्रतों के सम्मिश्रण से बना है, क्योंकि उसमे सभी अणुव्रतों का पालन होता है। तथा पाँचो अणुव्रतों के विकास से बना है, क्योंकि उसमे स्थूल हिंसादि के साथ सूक्ष्म हिंसादि भी त्याग होता है।

प्र० : व्यसन किसे कहते हैं ?

उ० : जो स्वभाव एक बार लगने पर पुनः कठिनता से छूटता हो, ऐसा अशुभ स्वभाव 'व्यसन' कहलाता है। उससे पाप मे अत्यन्त गृद्धि रहती है और इस भव तथा परभव में बहुत कष्ट होते हैं।

प्र० : व्यसन से इस भव परभव के कष्ट बताइए।

उ० : यदि पूर्व का पुण्य न हो, तो इन व्यसनो से इस भव मे प्रायः १. प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है। २. स्वभाव बिगड़ जाता है। ३. घर के स्त्री-पुत्रों को दुरवस्था हो जाती है। ४. व्यापार चौपट हो जाता है। ५. धन का सफाया हो जाता है। ६. घर द्वार नीलाम हो जाते हैं। ७. प्रतिष्ठा धूलमे मिल जाती है। ८. राज्य से दण्डित होते हैं। ९. कारा-गृह मे जीवन निकलता है। १०. फाँसी पर लटकना पडना है। ११. आत्मघात करना पडता है। आदि कई इहलौकिक

कष्ट भोगने पड़ते हैं। परभव मे भी वह नरक निगोद आदि मे उत्पन्न होता है। वहाँ उसे नरक तिर्यञ्च दशा मे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। यदि कदाचित् वहाँ से मनुष्य बन भी जाय, तो हीन जाति कुल मे जन्म लेता है। अशक्त, रोगी, हीनाग, नपुंसक और कुरूप बनता है। वह मूर्ख, निर्धन, शासित और दुर्भागी रहता है। अतः, इन सप्त व्यसनो का त्याग करना अतीव लाभप्रद है।

प्र० : बिना व्रत लिए भी पाप तो लगता ही है, पर 'व्रत लेकर तोड़ना महापाप है' और प्राय व्रत मे कोई न कोई अतिचार लग ही जाता है, अतः व्रत लिया ही क्यों जाये ?

उ० : महापाप तब लगता है, जब वही का वही व्रत बार-बार लेकर उस व्रत के प्रति अनादर और प्रमाद रखकर उसे तोड़ा जाय। परन्तु जो व्रत लेकर व्रतके प्रति आदर रखता है तथा उसे पालने की सावधानी रखता है, परन्तु परिस्थितिवश कुछ अतिचार लग जाता है, उसे महापाप नहीं लगता। वरन् वह व्रत धारण न करने वाले से महालाभ मे रहता है। लिए हुए व्रत मे अतिचार न लगे, इसके लिए पाप का भय रखना उचित है, क्योंकि इससे व्रत की सुरक्षा होती हैं। परन्तु अतिचार के भय से व्रत ही नहीं लेना बालकपन है। जैसे वस्त्र पहनने के पश्चात् उसमे मैल न लगे, इसके लिए सावधानी रखना उचित है, क्योंकि इससे वस्त्र अधिक शुद्ध रहता है परन्तु मैल लग जाने के भय से वस्त्र धारण ही न करें, तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा ?



पाठ २२ बाईसवाँ

१९. अट्टारह पाप

१. प्राणतिपात २. मृषावाद ३. अदत्तादान ४. मैथुन
 ५. परिग्रह ६. क्रोध ७. मान ८. माया ९. लोभ
 १०. राग : प्रेम, (माया और लोभजन्य परिणाम)
 ११. द्वेष : वैर, (क्रोध और मानजन्य परिणाम)
 १२. कलह : क्लेश, भगडा (वचन से होने वाला)
 १३. अभ्याख्यान : (मुह के सामने) कलग लगाना
 १४. पैशुन्य : (पीठ पीछे) चुगली खाना
 १५. परपरिवाद : दूसरे की (अहितकर) निन्दा करना
 १६. रति : शुभ विषयो मे आनन्द होना
 अरति : अशुभ विषयो मे खेद होना,
 १७. माया-मृषा : कपट सहित झूठ बोलना (एक साथ दो पाप करना)
 १८. मिथ्या-दर्शन-शक्त्य : देव गुरु, धर्म, सबधी श्रद्धा का अभाव होना या मिथ्या श्रद्धा होना; जो मोक्ष मार्ग के लिए काँटे के समान है।

ऐसे अट्टारह प्रकार के पाप मे से किसी पाप का सेवन कियो हो, करायो हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, तो दिन सम्बन्धी तस्से मिच्छो मि दुष्कडं।

तस्स सव्वस्स का पाठ

- तस्स, सव्वस्स : उन सभी
 देवसियस्स, अइयारस्स : दिन सबधी अतिचारोका

दुष्भासिय-दुर्चितिय-	: जो दुष्ट भाषण, दुष्ट चिन्तन और
दुर्चिद्वियस्स,	: दुष्ट काय प्रवृत्ति से लगे है,
आलोयन्तो-	: आलोचना करता हुआ—
पडिक्कमामि ।	: उनसे प्रतिक्रमण करता हूँ ।

तस्स धम्मस्स का पाठ

तस्स धम्मस्स	: उस (जैन) धर्म की
केवलि-पणत्तस्स	: जो केवली प्ररूपित है,
अम्भुट्ठिमि	: उठ कर खड़ा होता हूँ
आराहणाए,	: आराधना करके लिए ।
विरमिमि	: विरत होंता (हटता) हूँ
विराहणाए	: विराधना (करने) से ।
तिविहेण पडिक्कतो	: अब तक हुई विराधना का मन-वचन-
	काया से प्रतिक्रमण करता हुआ
वदामि	वन्दना करता हूँ
जिएण चउव्वीस	: चौबीस तीर्थकरो को ।



पाठ २३ तेईसवां

२०. 'पञ्चीस मिथ्यात्व' का पाठ

१. जीव को अजीव : जीव तत्त्व न माना हो, या जड़ से
अद्धे तो मिथ्यात्व उत्पन्न माना हो, या स्थावर जीव
न माने हो,
२. अजीव को जीव : विश्व को भगवद्रूप माना हो, सूर्यादि

- श्रद्धे तो मिथ्यात्व को मूर्ति, चित्रादि को भगवान माना हो,
३. धर्म को अधर्म : जैन धर्म को धर्म अर्थात् केवली भाषित शास्त्र को सुशास्त्र न माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व : अन्य धर्मों को धर्म अर्थात् अज्ञानी भाषित शास्त्र को सुशास्त्र माना हो,
४. अधर्म को धर्म
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
५. साधु को असाधु . ५. महाव्रत ५. नमिति ३ गुप्तिधारी साधु को सुसाधु न माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
६. असाधु को साधु महाव्रतादि रहित स्त्री परिग्रह सहित साधु को सुसाधु माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
७. मोक्ष के मार्ग को : सम्यग्ज्ञान दर्शन, चारित्र, तप को या संसार का मार्ग संवर-निर्जरा को या दानशील तप भाव को संसार-मार्ग माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
८. संसार के मार्ग को : मिथ्याश्रुत, मिथ्यादृष्टि, अव्रत और मोक्ष मार्ग माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
९. मुक्त को अमुक्त : अरिहत-सिद्ध को कर्ममुक्त सुदेव न माना हो या, मोक्षतत्त्व न माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
१०. अमुक्त को मुक्त : कुदेवो को सुदेव माना हो, मोक्ष से पुनरागमन या अवतार माना हो,
- श्रद्धे तो मिथ्यात्व
११. आभिग्रहिक : गुण-दोष की परीक्षा किये बिना, किसी मिथ्या देवादि का पक्ष किया हो,
- मिथ्यात्व
१२. अनाभिग्रहिक : गुण-दोष की परीक्षा किये बिना सभी देव गुरु धर्मों को समान समझे हो,
- मिथ्यात्व
१३. आभिनिवेशिक : अपने देवादि को असत्य जानते हुए

- मिथ्यात्व भी उनका दुराग्रह या स्थापना की हो,
१४. साशयिक मिथ्यात्व : 'न जाने ये सच है या दूसरे ?' यों सच्चे देवादि मे सन्देह किया हो,
१५. अनाभोगिक मिथ्यात्व : विशेष ज्ञान-विकलता से देवादि सबधी विचार ही न किया हो,
१६. लौकिक मिथ्यात्व : लौकिक देव, नक्षत्री आदि, गुरु, राजा आदि व धर्म-विवाह आदि को सच्चे देवादि माने हो,
१७. लोकौत्तर मिथ्यात्व : गोशाला, प्रतिमा आदि को तीर्थकर, मात्र जैन वैश से जैन साधू या उत्सूत्र प्ररूपणा को धर्म माना हो.
१८. कुप्रावचनिक मिथ्या व : अन्य सवोप देव, गुरु, धर्म को सच्चे देव, गुरु, धर्म माने हो,
१९. जिन मार्ग से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व : जैन देव, गुरु, धर्म मे थोड़ी भी कमी मानो हो, एक अक्षर पर भी अश्रद्धा की हो या रक्षा आदि की कम प्ररूपणा की हो,
२०. जिन मार्ग से अधिक श्रद्ध तो मिथ्यात्व : इतर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म मे थोड़ी भी विशेषता समझी हो, या दिगंबरत्व आदि को अधिक प्ररूपणा की हो,
२१. जिन मार्ग से विपरीत श्रद्धे मिथ्यात्व : जैन देव, गुरु, धर्म से किंचित् भी विपरीत श्रद्धा की हो या अपवाद आदि की विपरीत प्ररूपणा की हो,
२२. अक्रिया मिथ्यात्व : क्रिया व्यर्थ है, जडता या दभ है आदि श्रद्धा या कंहा हो,

२३. अज्ञान : 'ज्ञान व्यर्थ है, जाने वह ताने, भोले
मिथ्यात्व का भगवान है' आदि श्रद्धा या
कहा हो,
२४. अविनय : विनय को दासता मानी हो, आज्ञा
मिथ्यात्व भग की हो, वचन उत्थापे हों,
२५. आशातना : सुदेवादि की हीलना, निन्दना की हो
मिथ्यात्व उन्हें 'चूक गये' आदि कहा हो ।

ऐसे पच्चीस प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी मिथ्यात्व का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, तो दिन सत्रंधी तस्स मिच्छा मि दुक्कउं ।

‘मिथ्यात्व’ प्रश्नोत्तरी

प्र० मिथ्यात्व प्रतिपादन का उद्देश्य क्या है ?

उ० : जैसे वन से नगर का मार्ग बतलाने वाला मार्गज पथिक को यह बताता है कि, 'तुम्हारा नगर पूर्व की ओर है, इसलिए इन पश्चिमादि दिशाओं को जाने वाले मार्ग छोड़ दो तथा ये पूर्व दिशा को जाने वाले तीन मार्ग हैं। जिसमें यह पहला मार्ग बहुत कठिनयुक्त है और पुनः पूर्व से अन्य दिशा में घूम जाने वाला है, उसे भी छोड़ दो, और यह पूर्व दिशा को जाने वाला दूसरा मार्ग प्रायः कटकरहित तो है, परन्तु वह भी पुनः अन्य दिशा में घूमने वाला है, उसे भी छोड़ दो। यह तीसरा पूर्व में जाने वाला मार्ग पूर्ण शुद्ध है, राजमार्ग है और ठेठ नगर तक पहुँचता है, मेरे कथन पर विश्वास रख कर इस मार्ग से जाओ।' और हाँ, इस मार्ग को उचित रूप न

जानने वाले तथा कुछ स्वार्थी लोग पथिको को अशुद्ध मार्ग बता देते हैं। उनके लक्षण ये हैं। उनके कहने में भी न आना।' और अशुद्ध मार्ग से चलने वालों का भी विश्वास मत करना।

ऐसा बताने या कहने में जैसे उस मार्गज्ञ के हृदय में पथिक को नगर में सुखपूर्वक पहुँचाने का एकान्त हितमय उद्देश्य है, वैसे ही अरिहन्तो ने जो मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, उसका यही उद्देश्य है कि 'भक्ष्य जीव सुखपूर्वक मोक्षनगर में पहुँचे। १. हिसादि मय कुमार्ग, २. हिसामिश्रित कुमार्ग या ३. लौकिक सुखप्रद पुण्यमार्ग में भटक न जावे या अन्य इन्हे भटका न दे।' मिथ्यात्व प्रतिपादन का इससे अन्य कोई उद्देश्य नहीं है।

प्र० : मिथ्यात्व प्रतिपादन से जीवों में एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अतः इसका प्रतिपादन उचित कैसे ?

उ० 'मिथ्यात्व प्रतिपादन के पहले जीव वीतराग हों और मिथ्यात्व प्रतिपादन से बाद जीव राग-द्वेषयुक्त बनते हों, यह धारणा शुद्ध नहीं है। उनका राग किसी न किसी ओर रहता अवश्य है या राख से दबी अग्नि के समान दबा हुआ हो सकता है पर रहता अवश्य है। मिथ्यात्व प्रतिपादन से जीवों के राग-द्वेष को एक नई मोड़ मात्र मिलती है। वे मोक्ष-प्रद सच्चे देव गुरु धर्म के रागी बनते हैं और मोक्ष देने में असमर्थ अशुद्ध देव गुरु धर्म के प्रति विमुख बनते हैं। परन्तु यह मोड़ प्रशस्त (शुभ) ही है, क्योंकि उस मोड़ से वे मन्द राग-द्वेष वाले होते हुए एक दिन वीतराग ही बनते हैं। अतः मिथ्यात्व प्रतिपादन करना उचित ही है।

प्र० . देखा यह जाता है कि 'मिथ्यात्व प्रतिपादन से कुछ लोगो मे राग-द्वेष तीव्र बनते हैं ।

उ० : जिनमें ऐसा हुआ है, उनको मिथ्यात्व प्रतिपादन का वास्तविक उद्देश्य बता कर उन्हें अशुद्ध देवादि के प्रति सहिष्णु बनाना चाहिए व वैर-विरोध व असत्य निन्दा आदि से बचाना चाहिए । अच्छे-से-अच्छे पदार्थ का दुरुपयोग हो सकता है, उसका सुधार ही एक मात्र उपाय है । दुरुपयोग के भय से अच्छे पदार्थ छोड़े नहीं जा सकते या उनके प्रतिपादन को त्यागा नहीं जा सकता ।

प्र० : मिथ्यात्व प्रतिपादन के द्वारा राग-द्वेष को नई मोड़ मिले बिना सीधे ही राग-द्वेष को नष्ट करने का अन्य उपाय नहीं है क्या ?

उ० : नहीं, क्योंकि जीव अनादि काल से राग-द्वेषग्रस्त रहा है, अतः सीधे ही उसका राग-द्वेष नष्ट होना संभव नहीं ।

प्र० : व्यवहार मे सत्य के प्रति राम और असत्य के विमुखता होने को राग-द्वेष की सज्ञा दी जा सकती है क्या ?

उ० : नहीं, जैसे सोना और पीतल, केतकी और कर्णिकार, सूर्य और पतंगिये मे यदि लोगो का स्वर्ण, केतकी और सूर्य के प्रति अनुराग तथा पीतल, कर्णिकार और पतंगिये के प्रति विमुखता हो, तो उसे व्यवहार मे राग-द्वेष न कह कर गुणज्ञता ही कही जाती है ।

प्र० . मिथ्यात्व कितने हैं ?

उ० : वैसे तो मिथ्यात्व एक ही है और वह है 'मिथ्या श्रद्धा', परन्तु 'मिथ्या श्रद्धा' किन बातों पर और किस प्रकार

होती है ?' यह समझना कठिन है, पर इसे समझना अत्यन्त आवश्यक भी है। क्योंकि मिथ्यात्व अट्टारह ही पापों में सबसे बड़ा व भयकर पाप है। यदि इस मेरु पर्वत के समान अकेले पाप के सामने हिसादि १७ ही पाप मिलाकर रख दिये जायँ, तो भी वे इसके तुल्य नहीं हो सकते, राई-वत् ही रहते हैं। अतः इसे स्पष्ट समझाने के लिए पहले 'जीव को अजीवश्चद्धे' इत्यादि मिथ्यात्व के दश भेद किये हैं, फिर आभिग्रहिक आदि पाँच भेद किये हैं, फिर लौकिक आदि तीन, पुनः न्यूनादि तीन और पुनः अक्रिया, अज्ञान ये दो और पुनः अविनय, आशातना ये दो भेद किये हैं। इस प्रकार सब भेद २५ किये हैं।



पाठ २४ चौबीसवाँ

२१. 'चौदह सम्मूर्च्छिम' का पाठ

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| १ उच्चारेसु वा | : (मनुष्य के) उच्चार (विष्टा) में |
| २. पासवरोसु वा | : प्रश्रवण (सूत्र) में |
| ३. खेलेसु वा | : खेल (मुख के खेकार) में |
| ४ सिंघारोसु वा | : सिंघारण (नाक के सेडे) में |
| ५. वंतेसु वा | : वमन (सामान्य उल्टी) में |
| ६. पित्तेसु वा | : पित्त (की विशिष्ट उल्टी) में |
| ७. सोणिएसु वा | : शोणित (सामान्य रक्त, लोही) में |
| ८. पुइएसु वा | : पू (सडे हुए लोही) में |
| ९. शुक्केसु वा | : शुक् (रज-वीर्य) में |

- १० सुक्क-पुग्गल-परिसाडिएसु वा : (रज) वीर्य के मूत्रे पुद्गल पुनः आले होवे, उसमे
११. विगय-जीव-कलेवरेसु वा : मरे हुए मनुष्य के कलेवर (शव) मे
- १२ इत्थी-पुरिस संजोगेसु वा : स्त्री-पुरुष के (रज तथा वीर्य इन : दोनो के) संयोग मे
१३. नगर-निधमणेसु वा : नगर की नालियो मे (जहाँ उच्चारादि के साथ अन्य द्रव्य भी मिल जाते हैं)
१४. सत्वेसु चेव अमुइ-ठारोसु वा : और सभी अशुचि स्थानो मे (जहाँ केवल ये या अन्य द्रव्य भी मिलते हो)

इन चवदह स्थानों मे उत्पन्न होने वाले सम्मूर्च्छिम मनुष्यो की विराधना की हो, तो दिन संबंधी तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

‘सम्मूर्च्छिम’ प्रदनोत्तरी

प्र० . मनुष्य सम्मूर्च्छिम की जानकारी दीजिए ।

उ० : शरीर से मल-मूत्र आदि पृथक् होने के पश्चात् शारीरिक उष्णता के अभाव मे जघ वे शातल हो जाते है और गीले रहते हैं, तब उनमे कभी-कभी एक मुहूर्त (४८ मिनिट) से भी पहले मनुष्य की ही जाति और मनुष्य की ही आकृति के, पर अगुल के असख्य भाग जितनी अवगाहना (लम्बाई-चौड़ाई-जाडाई) वाले असख्य छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं । वे बिना मन के होने से सम्मूर्च्छिम कहलाते है । उनका आयुष्य अन्तर्मुहूर्त जितना छोटा होता है ।

प्र० . उनकी रक्षा के लिए मल-मूत्रादि कहीं डालने चाहिए ?

उ० : १. खुली २. धूप वाली, ३. रेत आदि वाली ४. जो पाना आदि से भीगी हुई न हो ५. पहले जहाँ मल-मूत्रादि न किया हो तथा ६. एकात हो, ऐसी भूमि में डालना चाहिए ।

प्र० ऐसी भूमि में क्यों डालना चाहिए ?

उ० : १ खुली भूमि में वायु लगने से, २. धूपवाली में धूप लगने से, ३ रेत आदि वाली में रेत आदि मिल जाने से तथा ४ सूखी भूमि में गीलापन न मिलने से, वे मल-मूत्र आदि शीघ्र सूख जाते हैं, अतः उनमें जीवोत्पत्ति नहीं होती । ५ अन्य मल-मूत्रादि पर न डालने से पहले के मल-मूत्र के जीवों की विराधना नहीं होती तथा उन्हें सूखने में बाधा नहीं पड़ती । ६. एकात में डालने से लोगों के स्वास्थ्य में बाधा तथा विचारों में घृणा उत्पन्न नहीं होती । अन्य का उस पर पैर भी नहीं पड़ता ।

प्र० : उन्हें कैसे डालना चाहिये ?

उ० : मूत्रादि के पात्र में मूत्र करके उसे फैलाकर डालना चाहिए । स्थंडिल भूमि में बार-बार आगे बढ़ते हुए मल त्यागना चाहिए । कफादि त्यागने के पश्चात् उन पर राख, धूल आदि डालनी चाहिए ।

प्र० : थूक आदि में सम्मूच्छिम मनुष्य जीव उत्पन्न होते हैं या नहीं ?

उ० : नहीं, जैसे आँख का मल, कान का मल, पसीना आदि मनुष्य की अशुचि होते हुए भी शरीर से पृथक् होकर दूर हो जाने पर उन में अन्य जीव भले ही उत्पन्न होते हैं, पर सम्मूच्छिम मनुष्य उत्पन्न नहीं होते । जैसे ही थूक में भी वे उत्पन्न नहीं होते ।

प्र० : तब 'सब अशुचि स्थान मे सम्मूर्च्छिम जीव उत्पन्न होते हैं।' इस कथन का उद्देश्य क्या है ?

उ० : स्त्री-योनि, नगर नाली आदि के समान जितने भी उकरडे आदि अशुचि स्थान हैं, चाहे वहाँ केवल मल-मूत्रादि ही परस्पर सयुक्त होते हो या अन्य सामान्य सैकड़ो वस्तुओं का सयोग हो जाता हो, वहाँ भी सम्मूर्च्छिम जीवोत्पत्ति होती है। परन्तु जैसे अन्य कुछ सचित्त पदार्थ परस्पर मिल जाने से या उनमे तीसरी वस्तु मिल जाने से वे सचित्त भो अचित्त हो जाते है, तो 'ये मूल से अचित्त परस्पर मिल जाने से या उनमे तीसरी वस्तु मिल जाने से सचित्त नही बनते होंगे, यह धारणा अशुद्ध है। यह बताना इस कथन का उद्देश्य है।

प्र० : 'मुह पर 'मुख-वस्त्रिका' बाँधने से बोलते समय उस पर थूंक लग कर उसमे मनुष्य सम्मूर्च्छिम जीवो की उत्पत्ति होती है।' इस पक्ष का उत्तर क्या है ?

उ० : वर्तमान मे यह पक्ष रखने वालो के पूर्वज 'मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधते थे' और 'बाँधना चाहिए' ऐसी आम्नाय भी रखते थे। ऐमा कुछ ऐतिहासिक चित्रो, लेखो और ग्रन्थो से सिद्ध है। यह तो प्रासंगिक जानकारी है। वैसे उत्तर यह है कि—१. 'चाहे कोई मुखवस्त्रिका मुख पर न बाँधे, चाहे कोई मुख पर न भी रखे, पर सिद्धान्त से 'वायुकाय को यतना के लिए मुखवस्त्रिका मुह पर रहनी चाहिए।' यह तो वे भी मानते ही हैं। उसे मुह पर रखने पर यदि वक्ता का इस सबध मे स्वास्थ्य उत्तम नही है, तो मुखवस्त्रिका पर थूंक लगेगा ही। थूंक लगने पर यदि उसमे 'मनुष्य-सम्मूर्च्छिम जीवो की उत्पत्ति होती है।' ऐसा माना जाय, तो सूत्रो मे जो मुखवस्त्रिका को

उपकरण अर्थात् जीवरक्षा और सयमरक्षा आदि का साधन माना गया है, उस मान्यता में आपत्ति पहुँचैगी। अतः थूक से मनुष्य सम्मूर्च्छिम जीवोत्पत्ति का पक्ष सगन नहीं लगता।

२ दूसरे में जब सूत्रकार ने मनुष्य सम्मूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति के स्थान बताते हुए नाक का सेडा मुख का श्लेष्म आदि, जो थूक की अपेक्षा कम और देरी से होते हैं, उन्हें भी बताया है। रज-वीर्य के संयोग और नगर की नालियों में भी मनुष्य सम्मूर्च्छिम पैदा होते हैं, इतनी स्पष्टता को है, तो यदि थूक से मनुष्य सम्मूर्च्छिम जीवोत्पत्ति होती, तो वे अवश्य ही थूक में उनकी उत्पत्ति का कथन करते। क्योंकि थूक अधिक और शीघ्र होता है और मुखवस्त्रिका पर लगने की अपेक्षा वह विशेष सावधानी का विषय भी बन जाता है। पर उन्होंने कथन नहीं किया, इस कारण भी उक्त पक्ष वास्तविक नहीं लगता।



पाठ २५ पञ्चोसर्वा

'श्रमण सूत्र' चर्चा

प्र० श्रमण सूत्र किसे कहते हैं ?

उ० १. इच्छामि एा भंते २ नमस्कारमत्र ३. करेमि भंते ४. चत्तारि मगलं ५ इच्छामि ठाएमि (पडिक्कमिउ) ६ इच्छाकारेणं (इरियावहियाए) ७ पगामसिज्जाए ८ त्तेयरग-चारियाए ९ चाउक्कालं मज्झायस्स १०. तंतीस

बोल (एगविहे असजमे) ११. नमो चउवीसाए—इन ग्यारह पाठ और 'खामेमि सव्वे जीवा' आदि गाथाओं को 'श्रमण सूत्र' कहते हैं।

किन्तु आजकल कई स्थानों पर १. पगामसिज्जाए २. गोयरग-चरियाए ३. चाउक्काल सज्जायस्स ४. तैत्तिस बोल और ५. नमो चउव्वीसाए—इन पाँच पाठों को श्रमण सूत्र कहा जाता है।

प्र० • श्रमण सूत्र पढ़ने वाले और श्रावक सूत्र पढ़ने वाले किन्हे कहते हैं ?

उ० जो श्रावक, प्रतिक्रमण मे 'पगामसिज्जाए' आदि पाँच पाठ पढ़े, उन्हें श्रमण सूत्र पढ़ने वाले कहते हैं तथा जो इन स्थानों पर आगमे तिविहे, दसण सम्मत्त, वारह व्रत अतिचार सहित, (बड़ी) सलेखना, समुच्चय का पाठ, अट्टारह पाप (इच्छामि ठामि) व तस्स धम्मस्स का पाठ पढ़ते हैं, उन्हें श्रावक सूत्र पढ़ने वाले कहते हैं।

प्र० • प्रतिक्रमण मे कौन से श्रावक श्रमण सूत्र पढ़ते हैं और कौन नहीं पढ़ते हैं ?

उ० . मारवाड की सम्प्रदाये, पञ्जाब की सम्प्रदाये, और गुजरात की दरियापुरी सम्प्रदाय के श्रावक, प्रतिक्रमण मे श्रमण सूत्र बोलते नही है।

काठियावाड गुजरात की सब छह कोटि सप्रदाये, मालवा के पूज्य धर्मदासजी की सप्रदाये, मारवाड के पूज्य ज्ञानचन्दजी की सप्रदाय, मालवा तथा दक्षिण की ऋषि सम्प्रदाय के श्रावक प्रतिक्रमण मे श्रमणसूत्र बोलते है।

प्र० : श्रावको को प्रतिक्रमण मे श्रमणसूत्र पढना या नहीं ? इस सम्बन्ध में पक्ष विपक्ष के तर्क बतलाइये ।

उ० : पक्ष-विपक्ष इस प्रकार है—

विपक्षकार—‘श्रमणसूत्र’ का अर्थ—‘साधु का सूत्र’ होता है, अतः श्रमणसूत्र ‘साधु’ को ही पढना चाहिए, श्रावक को नहीं पढना चाहिए ।

पक्षकार—प्रायः ‘श्रमण’ का अर्थ ‘साधु’ ही होता है, परन्तु कहीं-कहीं ‘श्रमण’ का अर्थ ‘श्रावक’ भी होता है । जैसे भगवती शतक २० उद्देशक ८ में, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका चारो को ‘श्रमण’ मानकर चारो के सघ को ‘श्रमण-सघ’ कहा है । इसी प्रकार यहाँ भी ‘श्रमणसूत्र का’ अर्थ ‘साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इन चारो का सूत्र’ है । अतः श्रमणसूत्र श्रावक का भी सूत्र होने से, उसे भी प्रतिक्रमण मे श्रमणसूत्र पढना चाहिए ।

विपक्षकार—भगवती मे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इन चारो को ‘श्रमण’ मान कर चारो के सघ को ‘श्रमण सघ’ नहीं कहा है, परन्तु भगवान् महावीर को ‘श्रमण’ मान कर उनके सघ को ‘श्रमण-सघ’ कहा है ।

पक्षकार—‘श्रमण-सघ’ का अर्थ ‘भगवान् महावीर का सघ’ ऐसा कहीं नहीं किया गया है । सर्वत्र ‘श्रमण-सघ’ का अर्थ ‘साधु-सघ’ ‘मुनि-सघ’ आदि ही किया है, जिससे किसी अपेक्षा श्रावक भी ‘श्रमण’ है, यही सिद्ध होता है ।

विपक्षकार—‘श्रमण-सूत्र’ साधुओ को बोलना उपयोगी है, श्रावको को नहीं । अतः श्रमण-सूत्र श्रावको को प्रतिक्रमण मे नहीं बोलना चाहिए ।

पक्षकार—श्रमण-सूत्र श्रावकों को भी उपयोगी है। जिसका प्रबल प्रमाण यह है कि—‘श्रमण-सूत्र के ११ पाठ में ६ पाठ और श्रमण-सूत्र की ‘खामेमि सब्बे जीवा’ आदि की गाथाएँ तो श्रमण-सूत्र का निषेध करने वाले भी बोल ही रहे हैं। जिसमें नमस्कार मन्त्र, मांगलिक और इच्छाकारेण-श्रमण-सूत्र के ये तीन पाठ और खामेमि सब्बे जीवा आदि गाथाएँ तो ज्यों के त्यों बोली जाती हैं और शेष इच्छामिणं भते, करेमि भते व इच्छामि ठाण्मि—ये श्रमण-सूत्र के तीन पाठ श्रावक योग्य कुछ ही परिवर्तन करके बोले जाते हैं। शेष पाँच पाठ, जिन्हें नहीं बोलते हैं, वे भी श्रावकों को उपयोगी हैं ही।

प्र० : पगामसिज्जाएँ का पाठ किसलिये उपयोगी है ?

उ० श्रावक जब पौषध करता है, तब रात्रि को सोता है। उस समय गय्या में लगे अतिचारों के प्रतिक्रमण के लिए यह पाठ उपयोगी है।

विपक्षकार—गय्या के अतिचार का प्रतिक्रमण ‘पोसहस्स सम्म अणणुपालणया’ के ध्यान से हो सकता है।

पक्षकार—नहीं, जैसे - पौषध में गमना-गमन के अतिचारों का प्रतिक्रमण ‘इच्छाकारेणं’ के पाठ के ध्यान से किया जाता है, ‘पोसहस्स सम्म अणणुपालणया’ के ध्यान से नहीं। इसी प्रकार पौषध में गय्या के अतिचारों का प्रतिक्रमण ‘पोसहस्स सम्म अणणुपालणया’ के ध्यान से नहीं हो सकता, उसके लिए पगामसिज्जाएँ के ध्यान की पृथक् आवश्यकता है।

प्र० : गोयरग्गचरियाएँ का पाठ किसलिए उपयोगी है ?

उ० . श्रावक जब गौचरी की दया करता है, तब भिक्षा में लगे अतिचारों के प्रतिक्रमण के लिए यह पाठ उपयोगी है।

विपक्षकार—ग्यारहवीं प्रतिमा के धारी श्रावक से अन्य श्रावक को गौचरी करना ही नहीं चाहिए ।

पक्षकार—ऐसा सूत्र में कहीं निषेध नहीं है, पर उपासक दशाग सूत्र में यह उल्लेख अवश्य है कि 'आनन्द श्रावक ने पहली प्रतिमा भी धारण नहीं की थी कि उससे भी पहले से वे गौचरी करने लग गये थे ।

इसके अतिरिक्त दो करण तीन योग (आठ कोटि) की दया से गौचरी स्पष्ट सिद्ध होती है, क्योंकि दो करण तीन योग (आठ कोटि) से दया करने वाला अपने लिए बना हुआ भोजन कर नहीं सकता । कारण यह है कि 'अपने लिए भोजन भोगने से उसे 'पाप का काया से अनुमोदन' का दोष लगता है ।' अतः वह गौचरी करके ही आहार करता है ।

प्र० . 'चाउक्कालं सज्जायस्स' का पाठ किसलिए उपयोगी है ?

उ० : श्रावक जब पौषध करता है, तब उसे चारों प्रहर स्वाध्याय करनी चाहिए तथा प्रातः-सध्या उभय-काल प्रतिलेखन करना चाहिए । उस समय स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन में लगे अतिचारो के प्रतिक्रमण के लिए यह पाठ उपयोगी है ।

विपक्षकार—'स्वाध्याय के अतिचार का प्रतिक्रमण' 'आगमे तिविहे' से और 'प्रतिलेखन के अतिचारो का प्रतिक्रमण' 'अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सिज्जासथारए' आदि से हो सकता है ।

पक्षकार—'आगमे तिविहे' का पाठ साधुओं के लिए भी है, फिर भी उसके रहते हुए भी जैसे साधुओं के लिए 'चाउक्काल सज्जायस्स' का पाठ उपयोगी है तथा जैसे साधुओं

को चौथी 'आदान-भाण्ड-निक्षेपणा समिति' होते हुए भी उन्हें यह पाठ उपयोगी है। वैसे ही श्रावको के लिए 'आगमे तिविहे' तथा 'अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सिज्जा संथारए' आदि का पाठ होते हुए यह पाठ श्रावक को उपयोगी है।

प्र० : श्रावको को ये तीनों पाठ प्रायः काम में नहीं आते, अतः ये पाठ श्रावक न बोले, तो क्या आपत्ति है ?

उ० : मारणातिक सलेखना जीवन के अन्तिम समय में एक बार ही की जाती है, अतएव सलेखना पाठ एक बार ही काम आता है। फिर भी जब श्रावक नित्य सलेखना पाठ बोलता है, तो ये तीनों पाठ तो पौषध में अनेको बार काम आते हैं। तब श्रावक इन पाठों को बोलना कैसे छोड़ सकता है ?

प्र० : जिस दिन श्रावक पौषध करे, उसी दिन ये तीनों पाठ बोल लिए जायँ, अन्य दिन न बोले जायँ, तो क्या आपत्ति है ?

उ० : जैसे जिस दिन श्रावक पौषध नहीं करता, उस दिन भी वह पौषध व्रत का पाठ बोलता है, तो वह पौषधोपयोगी इन तीनों पाठों को अन्य दिन क्यों न बोले ?

प्र० : तैत्तिरीय बोल का पाठ किसलिए उपयोगी है ?

उ० : इस पाठ से श्रद्धा प्ररूपणा स्पर्शना में लगे अतिचारो का प्रतिक्रमण किया जाता है। और इससे जानने योग्य, त्यागने योग्य और आदरने योग्य बोलों की जानकारी होती है, अतः यह पाठ श्रावक को ही क्या, अविरत सम्यग्दृष्टि को भी उपयोगी है।

विपक्षकार—तीन गुप्ति, पाँच महाव्रत, पाँच समिति, १२ भिक्षु प्रतिमा आदि, जिसे श्रावक धारण ही नहीं करता, उनका वह क्या प्रतिक्रमण करे ?

पक्षकार—तीन गुप्ति, पाँच समिति तो सामयिक पौषध आदि में श्रावक धारण करता ही है। यदि धारण नहीं करता, तो श्रावक योग्य 'इच्छामि ठाएमि' में 'तिण्ह गुत्तीण' पाठ नहीं रहता। अतः उनका प्रतिक्रमण तो स्पष्ट आवश्यक है ही।

शेष महाव्रत, भिक्षु प्रतिमा आदि का उनकी श्रद्धा प्ररूपणा में दोष लगे हो, उस दृष्टि से प्रतिक्रमण आवश्यक है। जैसे साधु, श्रावक प्रतिमा या कई साधु भिक्षु प्रतिमा धारण नहीं करते, वे भी उनकी श्रद्धा प्ररूपणा में लगे दोषों के निवारणार्थ प्रतिक्रमण करते हैं।

• प्र० : 'नमो चउवीसाए' का पाठ किसलिए उपयोगी है ?

उ० . यह पाठ भी तैत्तिरीय बोल के समान सब के लिए उपयोगी है और विशेष उपयोगी है। क्योंकि इसमें जैन धर्म के प्रवर्तक २४ तीर्थंकरों को नमस्कार, जैन धर्म के गुण, जैन धर्म के फल, जैन धर्म स्वीकृति आदि ऐसी बातें हैं, जो प्रत्येक जैन के लिए बहुत काम की वस्तु हैं। भगवतीसूत्र के जमाली अधिकार से भी यह बात पुष्ट होती है कि इसकी उपयोगिता के कारण इस पाठ को बहुत से जैन श्रावक-श्राविकाएँ जानते थे। इसकी उपयोगिता इस बात से भी सिद्ध है—'तस्स धम्मस्स' तस्स सव्वस्स' आदि पाठ, जो इसी 'नमो चउवीसाए' के कुछ भावों का वहन करते हैं, श्रमणसूत्र की उपयोगिता न स्वीकारने वाले भी पढ़ते हैं।

विपक्षकार—श्रावक, 'श्रावक' है, अतः उसे 'श्रावकसूत्र' पढ़ना चाहिए, श्रमण सूत्र नहीं ।

पक्षकार—साधु प्रतिक्रमण के साथ श्रावक प्रतिक्रमण की तुलना करके इस विषय को सोचा जाय, तो श्रमणमूत्र से भिन्न श्रावक के लिए कोई 'श्रावक सूत्र' रहता नहीं है । साधु सतियाँ कायोत्सर्ग में अतिचार आलोचना करने के पश्चात् चौथे आवश्यक में सीधे ही व्रत, समिति, गुप्ति और अतिचार सम्मिलित पढ़ते हैं । वैसे ही यदि श्रावक भी अतिचार कायोत्सर्ग के पश्चात् चौथे आवश्यक में सीधे ही श्रमणमूत्र पढ़ने वाले श्रावकों के समान व्रत अतिचार सम्मिलित पढ़ ले, तो उनके लिए भिन्न श्रावकमूत्र कहाँ रह जाता है ? इस प्रकार भिन्न श्रावकसूत्र का अभाव भी इस बात को सिद्ध करता है कि श्रावक को श्रमण सूत्र पढ़ना चाहिए । यहाँ यह बात भी ध्यान में लेना योग्य है कि—अतिचारों का तीन बार पाठ करना उपयोगी भी नहीं है ।



पाठ २६ छब्बीसवाँ

विधि : वदना करके 'श्रावक सूत्र' या 'श्रमण सूत्र' पढ़ने की आज्ञा है ।' कहकर श्रावक सूत्र या श्रमण सूत्र पढ़ने की आज्ञा ले । फिर जैसे काँटा निकलवाने वाला अपने पैर को वीरतापूर्वक दूसरे के सामने कर देता है या शल्य क्रिया

यह पक्ष-विपक्ष हमारी जानकारी के अनुसार है । विशेष पक्ष-विपक्ष उन उन पक्ष-विपक्षकारों के जानकारों से जान लेना चाहिए ।

कराने वाला वीरतापूर्वक अपने देह को शल्यकर्त्ता के सामने प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार अपने अतिचारो की आलोचना के लिए वीरतासूचक दाहिने घुटने को मोड़कर खड़ा रखे और बाये घुटने को मोड़कर भूमि पर लगा दे। फिर 'इच्छामि भन्ते ! तुब्भेहि अब्भणुणाए समारो देवसिय णाए देसए चरित्ता-चरित्त तव अइयार आलोएमि' (आलोचना करता हूँ) यह पाठ पढ़े। फिर नमस्कार भन्त और करेमि भन्ते पढ़े। फिर निम्न मांगलिक का पाठ पढ़े। फिर 'इच्छामि पडिक्कमिउ' जो मे देवसिओ' इत्यादि 'इच्छामि ठामि' का पूरा पाठ कहे। फिर 'इच्छामि पडिक्कमिउ इरियावहियाए विराहणाए इत्यादि इच्छाकारेणं का पूरा पाठ कहे।

फिर श्रावक सूत्र पढ़ने वाले आगमे तिविहे, अरिहन्तो महदेवो व बाह्व व्रत कहे। फिर बैठकर (बड़ी सलेखना, रन्धुच्चय का पाठ, अट्टारह पाप व (इच्छामि ठामि) कहे। फिर तस्स धम्मस्स केवलि पणत्तस्स बोलकर अगला पाठ खड़े होकर कहे।

तथा श्रमण सूत्र पढ़ने वाले 'पगाममिज्जाए' आदि चार पाठ पढ़े और वे भी तमो चउवीयाए के तस्स धम्मस्स केवलि पणत्तस्स तक का पाठ बोलकर अगला पाठ खड़े होकर कहे। फिर दोनों हा पूर्ववत् दो बार इच्छामि खमासमणो दे।

२२. 'चत्तारी मंगलं' मांगलिक का पाठ

- चत्तारि मंगल : चार मंगल (विघ्नविनाशक) है।
 १. अरिहता मंगल : सभी अरिहन्त मंगल हैं।

२. सिद्धे सरणं : मैं सभी सिद्धों की शरण ग्रहण
पवज्जामि करता हूँ ।
३. साहु सरणं : मैं सभी (आचार्य उपाध्याय) साधुओं
पवज्जामि की शरण ग्रहण करता हूँ ।
४. केवलि-पण्णत्तं धम्मं : मैं केवली प्ररूपित (जैन) धर्म की
शरण पवज्जामि शरण ग्रहण करता हूँ ।

अरिहन्तों की शरण, -सिद्धों की शरण, साधुओं की
शरण, केवली प्ररूपित दया धर्म की शरण । चार शरण,
कुल हरण, और शरण न करेय । जो भव्य प्राणी अदरे, अक्षय
असुर पद होय ॥१॥



पाठ २७ सत्ताईसवाँ

२३. 'पगामसिञ्जाए' श्रुत्या के अतिचारों का प्रतिक्रमण पाठौ

इच्छामि पडिक्कमिअं : चाहता हूँ, प्रतिक्रमण करना,

प्रतिमाधारी श्रावक तथा पीषध, संवर या दया करने वाले श्रावकों
को रात्रि में सोकर उठने के पश्चात् श्रुत्या के अतिचारों का प्रति-
क्रमण करने के लिए 'इच्छाकारेण' 'तस्स उत्तरी' पढ़कर, १ या ४
'लोगस्स' का तथा इह 'पगामसिञ्जाए' के पाठ का कायोत्सरण
श्रवण करना चाहिए ।

निद्रावस्था के अतिचार

पगाम-सिज्जाए	: मर्यादा (१ से २ प्रहर) उपरांत निद्रा ली हो या गाढी निद्रा ली हो,
निगाम-सिज्जाए	: बार-बार मर्यादा उपरांत निद्रा ली हो या लम्बी-चौड़ी-मोटी मृदु शय्या की हो,

जागृतावस्था के अतिचार

संधारा-उवट्टणाए	: शय्या में बिना पूजे अयतना से एक बार या एक पसवाडा उलटा हो,
परियट्टणाए	: बार-बार या दोनो पसवाडे पलटे हों,
आउंटणाए	: बिना पूजे अयतना से हाथ-पैर आदि सिकोड़े हो या फैलाये हो,
पसारणाए	
छप्पइय-संघट्टणाए	: जू (खटमल, मच्छर आदि) की विराधना की हो,
कुइए	: काया या वाणी से भण्ड कुचेष्टा की हो, या अयतना से खाँसा हो,
कवकराइए	: शय्या सथारे की निन्दा की हो या अयतना से बोला हो,
छीए, जंभाइए	: खुले मुह छीक या जभाई ली हो,
आमोसे	: बिना पूजे खुजाला हो, (सचित्त)
ससरवखामोसे	: रजवाले शय्यादि का स्पर्श किया हो,

अर्धनिद्रावस्था के अतिचार

आउलमाउलाए	: परिचारणादि व्याकुलता के
सुवण-वत्तियाए	: दु स्वप्न देखे हो, जैसे—

इत्थी (पुरिस)- : स्वप्न मे स्त्री (पुरुष) के साथ काय
विप्परियासियाए (या स्पर्श) परिचारणा (काम भोग)
की हो.

दिट्ठि-विप्परियासियाए . दृष्टि (या शब्द) परिचारणा की हो,
मण-विप्परियासियाए : मन परिचारणा की हो,

पाण-भोगण-विप्परि० : स्वप्न मे रात्रि भोजन किया हो,
जो मे देवसिओ : इन अतिचारो मे से मुझे जो कोई दिन
अइयारो कओ सबधी अतिचार लगा हो तो,

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘यगामसिज्जाए’ प्रश्नोत्तरी

प्र० • निद्रावस्था जब कि आत्मा स्वयं नही रहती,
तब अधिक निद्रा आ जाय या गाढ़ निद्रा आ जाय, तो उसमे
आत्मा का दोष क्या ? और उसका प्रतिक्रमण आवश्यक
क्यो ?

उ० • जिन आत्माओ में शीघ्र जगने की भावना, शीघ्र
जगने का सकल्प और प्रमाद की कमी होती है, उन्हे अधिक
निद्रा या जगने पर भी न जागे, ऐसी गाढ़ निद्रा नही आती ।
जिन आत्माओ मे शीघ्र जगने की भावना की मन्दता, सकल्प
की मन्दता तथा प्रमाद की अधिकता होती है, जो अति आहार
करते है, मृदु मोटी शय्या पर सोते हैं, प्राय उन्हे ही अधिक
निद्रा तथा गाढ़ निद्रा आती है । अतः, ‘अधिक निद्रा आना व
गाढ़ निद्रा आना’ आत्मा का ही दोष है और इसलिए उन दोषों
को मिटाने के लिए अधिक निद्रा और गाढ़ निद्रा का प्रतिक्रमण
भी आवश्यक है ।

प्र० : रात्रि में जब कि, नींद गाढ़ी आ रही हो, तब पसवाड़ा (करवट) बदलने आदि के समय यत्ना के लिए पूँजने आदि की क्रिया करना सरल कैसे हो ?

उ० मुख्य बात यह है कि, निद्रा को मर्यादित और श्रल्प कर देने पर पसवाड़े को बदलने आदि के प्रसंग ही कम हो जाते हैं। उसके पश्चात् 'जूं, खटमल, मच्छर, सचित्त रज, सचित्त वायु आदि को भी मेरे ही समान जीवन प्रिय है।' जब निद्रा में थोड़ी बाधा भी मुझे अप्रिय लगती है, तो उन्हें मरण कितना अप्रिय होगा ? 'इन विचारों को निरन्तर भावना से बल देने पर, निद्रा में भी सावधानी और यत्ना का विवेक सरल हो जाता है।

प्र० : अर्द्ध निद्रावस्था में जब कि, आत्मा स्ववश नहीं रहती, तब भोगादि आकुलता-व्याकुलता के दुःस्वप्न आ जायें, तो उसमें आत्मा का दोष क्या ? और उसका प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों ?

उ० : जो जागृत अवस्था में मन को, इन्द्रियों को तथा देह को वश में रखते हैं, ज्ञान ध्यान में मन-वचन-काया के योगों को लगाते हैं, उत्तम साधु-श्रावकों की पर्युपासना करते हैं, शुभ योग प्रवृत्ति वालों का अनुमोदन करते हैं तथा आहार व निद्रा मर्यादित रखते हैं, उन्हें भोगादि आकुलता-व्याकुलता के स्वप्न नहीं आते। जिनमें उपर्युक्त बातें नहीं होती, उन्हें ही प्रायः दुःस्वप्न आते हैं। अतः दुःस्वप्न आना आत्मा का ही दोष है, और इसलिए उन दोषों को मिटाने के लिए दुःस्वप्न प्रतिक्रमण भी आवश्यक है।

प्र० व्रतधारी या प्रतिमाधारी श्रावक को दिन में सोना नहीं चाहिए, अतः उन्हें दैवसिक प्रतिक्रमण में इस पाठ को बोलने की क्या आवश्यकता है ?

उ० . १. 'अर्द्ध निद्रित, पूर्ण निद्रित आदि अवस्थाओं के अतिचार भी आत्मा के दोषों से ही लगते हैं।' आदि सिद्धान्तों की श्रद्धा प्ररूपणा में अन्तर आया हो, तो उसके प्रतिक्रमण के लिए । जैसे कि—जिस दिन पौषध न किया हो, उस दिन भी ग्यारहवें पौषध व्रत का पाठ, ग्यारहवें पौषध व्रत की श्रद्धा प्ररूपणा में अन्तर आया हो, तो उसके प्रतिक्रमण के लिए बोला जाता है । २. दिन में बैठे-बैठे भी कभी नींद आ सकती है, ऐसे समय में लगे अतिचारों के प्रतिक्रमण के लिए । ३. उपसर्ग से रात्रि को नींद न आई हो, या दूसरों की रात्रि में अधिक सेवा करनी पड़ी हो, उससे नींद न आई हो, विहार अति उग्र हुआ हो, आदि कारणों में दिन में भी किसी को सोना पड़ जाता है । ऐसे समय में लगे अतिचारों के प्रतिक्रमण के लिए भी यह पाठ दैवसिक प्रतिक्रमण में बोलना आवश्यक है ।- ४. 'दिन में अकारण नहीं सोना' इस मर्यादा का उल्लंघन करके दिन में सो जाने पर तो यह पाठ दैवसिक प्रतिक्रमण में बोलना आवश्यक है ही ।



पाठ २८ अट्टाईसवाँ

२४. 'गोयरग्गचरियाए' गौचरी के
अतिचारों का प्रतिक्रमण पाठ†

पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
गोयरग्ग-चरियाए	: गोचरी (गाय चरने) के समान
भिक्षायरियाए	: भिक्षाचरी में अतिचार लगाये हो,

अविधि प्रवेग के अतिचार

उग्घाड-कवाड-	: आधे खुले हुए या अर्गला-शृखला
उग्घाडणाए	आदि रहित कपाट उघाडे हो,
साणा-वच्छा-दारा-	: श्वान-वच्छेदे-वच्चे को ठोकर दी हो
संघट्टणाए	या उनका स्पर्श-उल्लघन किया हो,

अप्रामुक्-अनेपणीय ग्रहण के अतिचार

मडि-पाहुडियाए	: दूसरे को दिया जाने वाला अग्रपिंड, या उसे हटवा कर शेष पिंड लिया हो,
वलि-पाहुडियाए	: वलि के लिए बना हुआ नैवेद्य या नैवेद्य लगने से पहले पिंड लिया हो,

† प्रतिमाद्यारी श्रावण तथा गौचरी की दया करने वाले श्रावकों को गौचरी लाने के पश्चात् ईयापथिक तथा गौचरी के अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के लिए 'इच्छाकारेण' 'तस्स उत्तरी' पढ़कर 'इच्छाकारेण' तथा इस 'गोयरग्गचरियाए' के पाठ का कायोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए ।

ठवरणा-पाहुडियाए	: भिखारी या साधु के लिए स्थापित भिक्षा ली हो,
सकिए	: निर्दोषता में शकावाली भिक्षा ली हो,
सहसागारे	: सहसा अनेषणीय भिक्षा ली हो,
अणोसरणाए	: कल्प्य-अकल्प्य की गवेषणा न की हो,
पाणा-भोयणाए	: प्राणा (अस) युक्त रसचलित भिक्षा ली हो,
बीय-भोयणाए	: बीजयुक्त या बीजमय भिक्षा ली हो,
हरिय-भोयणाए	: हरीयुक्त या हरीमय भिक्षा ली हो,
पच्छा-कम्मियाए	: दाता पीछे नया आरम्भ (भोजन) करे, हाथ-पाँव धोवे, ऐसी भिक्षा ली हो,
पुरे-कम्मियाए	: पहले हाथ पात्र धोवे, ऐसी भिक्षा ली हो,
अदिठ्ठ-हडाए	: दृष्टि न पहुँचे वहाँ से, अधेरे में से या दूर से लाई हुई भिक्षा ली हो,
दग-संसठ्ठ-हडाए	: सचित्त पानी सहित, भिक्षा ली हो या ऐसे हाथ पात्र से भिक्षा ली हो,
रय-संसठ्ठ-हडाए	: सचित्त रज सहित भिक्षा ली हो या ऐसे हाथ पात्र से भिक्षा ली हो,
परिसाडणियाए	: गिराते हुए लाई गई या दी जाती हुई भिक्षा ली हो,
परिठ्ठावणियाए	: परठने योग्य, भिक्षा ली हो या, दाता शेष द्रव्य फेंक दे, ऐसी भिक्षा ली हो,
ओसाहरा-भिक्खाए	: बार-बार या दीनतापूर्वक भिक्षा माँगी हो, या उत्तम पदार्थ माँगे हो,

ज उगमेणं	: यो जो उद्गम के आधाकर्मादि १६
उप्पायणोसणाए	: उत्पाद के धात्री आदि १६ दोष तथा एपणा के गकितादि १० दोष लगाये हो,
अपडिसुद्धं	: लगाकर अप्रति शुद्ध (अकल्पनीय)
पडिग्गहियं	: आहार ग्रहण किया हो,

परिभोगैपणा का अतिचार

परिभुत्त वा	: करके भोग भी लिया हो,
जन परिट्ठविय	: किन्तु परिस्थापनीय न परठा हो, तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

‘भोयरग्ग-चरियाए’ प्रश्नोत्तरी

प्र० : अनेपणीय भिक्षा आ जाने के पञ्चात् उसे परठना (त्यागना) आवश्यक क्यों ? इससे भिक्षा का अपव्यय नहीं होता ?

उ० : जो अनेपणीय जीवसहित हो और जिसमें से जीवों का निकालना अशक्य हो, तो उसे जीव रक्षा के लिए परठना आवश्यक है। जीव रक्षा के लिए देहत्याग भी अपव्यय नहीं है, तो भिक्षा त्याग अपव्यय कैसे हो सकता है ?

२. व्रती के लिए गृहस्थ ने भिक्षा बनाई हो और व्रती उसे ग्रहण कर भोग ले, तो इससे गृहस्थ के दोष का व्रती द्वारा अनुमोदन होना है, उस अनुमोदन के निवारण के लिए भी उसे परठना आवश्यक है।

३. अनेषणीय आहार लेकर भोग लेने पर गृहस्थ को यह विचार होता है कि 'मुझे थोड़ा दोष अवश्य लगा, पर मेरी भिक्षा ब्रती ने भोगी, इससे मुझे बहुत धर्म हुआ' इन विचारों से उममे दोषी आहार बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ती है और यदि ब्रती उसे परठ देता है, तो गृहस्थ को यह भाव उत्पन्न होता है कि - 'यदि मैंने भिक्षा में दोष लगाकर किसी प्रकार उन्हें दे भी दिया, तो वे उसे भोगते तो हैं नहीं, परठ देते हैं, तो मुझे व्यर्थ दोष क्यों लगाना ?' इस प्रकार उसमें भविष्य में दोषी भिक्षा बनाने की प्रवृत्ति नहीं चल पाती । 'भविष्य में उसकी दोषी प्रवृत्ति न चले ।' इसलिए भी अनेषणीय भिक्षा परठ देना आवश्यक है । इन आवश्यकताओं को देखते हुए भिक्षा परठना अपव्यय नहीं माना जा सकता ।

प्र० : आघातकर्म आदि ४२ दोष बताइए ।

उ० : इसके लिए सप्तमि गुप्ति सार्थ देखिये ।

प्र० : अतधारी तथा प्रतिमधारी श्रावक को 'रात्रि को गौचरी लाना नहीं चाहिए ।' अतः इस पाठ को रात्रि प्रातःकाल में पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

उ० १. श्रद्धाप्रवृत्ति की शुद्धि के लिए २. अब तक सूर्य उदय नहीं हुआ, या अब सूर्य अस्त हो चुका है', अति-प्रकाश, बादल आदि के कारण इसका ध्यान न रहे और गौचरी हो जाय, तो उसकी शुद्धि के लिए ३. मर्यादा उल्लंघन हो जाय, तो उसकी शुद्धि के लिए तथा ४. रात्रि को स्वप्न में गौचरी की हो और उसमें अतिचार लगे हो, तो उसकी शुद्धि आदि के लिए ।



पाठ २६ उन्तीसवाँ

२५. 'चाउक्कालं सज्झायस्स' स्वाध्याय और प्रतिलेखना के अतिचारों का प्रतिक्रमण पाठः

पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
चाउक्कालं	: चारो काल (चारो प्रहर, प्रतिलेखन
सज्झायस्स	काल, स्वाध्याय काल, भिक्षा काल,
अकरणयाए	अकाल आदि को छोड़ कर)
	स्वाध्याय न की हों,
उभस्रो कालं	: (प्रातः और सध्या) दोनों काल
भण्डोवगरणस्स	: भण्डोपकरण, (रजोहरण वस्त्र,
	पात्र, शय्या-सथारा उच्चार-प्रश्रवण-
	भूमिका आदि का
अप्पडिलेहणाए	: प्रतिलेखन न किया हो,
दुप्पडिलेहणाए	: या विधि से प्रमार्जन न किया हो,
अप्पमज्जणाए	प्रमार्जन न किया हो,
दुप्पमज्जणाए	या विधि से प्रतिलेखन न किया हो,
अइक्कमे, वइक्कमे,	: उससे जो अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अइयारे, अणायारे	: अतिचार, अनाचार लगा हो, यो

†प्रतिमाधारी श्रावक तथा पौषध, संवर या दया करने वाले श्रावकों को चारों काल स्वाध्याय करने के पश्चात् 'चाउक्कालं' (या 'आगमे तिविहे') का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए तथा उभयकाल प्रतिलेखन करने के पश्चात् भी 'चाउक्कालं' का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए ।

जो मे देवसिओ : मुझे जो कोई दिन संबधी अतिचार
अइयारी कओ लगा हो,

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘चाउक्काल’ प्रश्नोत्तरी

प्र० : दोनों काल प्रतिलेखन क्यों आवश्यक है ?

उ० : जैसे दिन भर में और रात भर में आत्मा में कोई न कोई दोष लग जाने की संभावना रहती है, और आत्मा में लगे उन दोषों को दूर करने के लिए दो बार प्रतिक्रमण आवश्यक है, वैसे ही दिन भर में और रात भर में वस्त्र, पात्र, रजोहरणादि में जीवों के प्रवेश हो जाने की संभावना रहती है, अतः उन प्रविष्ट जीवों की रक्षा के लिए उभयकाल प्रतिलेखन आवश्यक है ।

प्र० : अनाचार से तो व्रत भंग हो जाता है । क्या व्रत भंग का पाप ‘मिच्छा मि दुक्कड’ से दूर हो जाता है ?

उ० : अनजान आदि से जो स्वाध्याय-प्रतिलेखन आदि उत्तरगुण संबधी (छोटे) नियमों का भंग होता है, वह ‘मिच्छा मि दुक्कड’ इस हार्दिक प्रतिक्रमण से दूर हो जाता है । और जो जानते हुए नियमों का भंग होता है, वह नवकारसी (नमस्कार सहित) तप आदि करने से दूर होता है ।



पाठ ३० तीसवाँ

१६. 'तीस बोल' 'विस्तृत प्रतिक्रमण'

पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ, (समुच्चय)
एगविहे असंजसे	: एक प्रकार का असयम किया हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
दोहि बंधणेहि	: कर्म बाधने वाले दो बन्धन
राग-बंधणेणं	: राग बन्धन
दोस-बंधणेणं	: द्वेष बन्धन किये हों

पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
तिहि दंडेहि	: दण्डित करने वाले तीन दण्ड
मण-दंडेणं वय-दंडेणं	: मनदण्ड वचनदण्ड
काय-दंडेणं	: कायदण्ड किये हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
तिहि गुत्तीहि	: रक्षा करने वाली तीन गुप्ति
मण-गुत्तीए वय-गुत्तीए	: मनगुप्ति वचनगुप्ति
काय-गुत्तीए	: कायगुप्ति न की हों
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
तिहि सल्लेहि	: मोक्ष रोकने वाले तीन शल्य
माया-सल्लेण निधाणसल्लेणं	: माया शल्य, निदान शल्य
मिच्छा वंसण सल्लेणं	: मिथ्या दर्शन शल्य लगाये हों
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
तिहि गारवेहि	: भारी बनाने वाले तीन गर्व
इड्ढी गारवेणं रस गारवेणं	: १. ऋद्धि गर्व २ रसगर्व

साया गारवेणं	: साता गर्व किये हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
तिहि विराहणाहि	: तीन विराधनाएँ
णाण-विराहणाए	: ज्ञान विराधना
दंसण-विराहणाए	: दर्शन विराधना
चरित्त-विराहणाए	: चारित्र्य विराधना की हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
चउहि कसाएहि	: ससार वर्धक चार कषाय
कोह कसाएणं माण कसाएणं:	: क्रोध कषाय मान कषाय
माया कसाएणं	: माया कषाय
लोह-कसाएण	: लोभ कषाय की हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
चउहि सण्णाहि	: अभिलाषा रूप चार संज्ञाएँ
आहार-सण्णाए भय-सण्णाए	: आहार संज्ञा, भय संज्ञा
मेहुण-सण्णाए	: मैथुन संज्ञा
परिग्रह सण्णाए	: परिग्रह संज्ञा की हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
चउहि विकहाहि	: धर्म विरोधी चार विकथाएँ
इत्थी कहाए भत्त कहाए	: स्त्री-कथा, भक्त-कथा
राय कहाए देस कहाए	: राज-कथा, देश-कथा की हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
चउहि भाणेणं	: योग एकाग्रता रूप चार ध्यान
अट्ठेणं भाणेणं	: आर्त-ध्यान
रुद्धेणं भाणेणं	: रौद्र-ध्यान ध्याया हो
धम्मणेणं भाणेणं	: धर्म-ध्यान
सुक्केणं भाणेणं	: शुक्ल-ध्यान न ध्याया हो

पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
पंचहि किरियाहि	: कर्म बाँधने वाली पाँच क्रियाएँ
काइयाए अहिगरणियाए	: कायिकी, अधिकरणिकी
पाउसियाए	: प्राद्वेषिकी
पारितावरणियाए	: पारितापनिकी
पाणाइवाइयाए	: प्राणातिपातिकी क्रिया की हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
पचहि कामगुणोहि	: इन्द्रियो के पाँच काम गुण
सद्देणं रूवेणं, गंधेणं	: शब्द, रूप, गंध
रसेण फासेणं	: रस, स्पर्श भोगे हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
पंचहि ँसहव्वएहि	: पाँच महाव्रत
सव्वाओ ँपाणाइवायाओ	: सर्व प्राणातिपात से विरमण
वेरमणं	
सव्वाओ मुसावायाओ	: सर्व मृषावाद से विरमण
वेरमणं	
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ	: सर्व अदत्तादान से विरमण
वेरमणं	
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं	: सर्व मैथुन से विरमण
सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं	: सर्व परिग्रह से विरमण सम्यक्
	न श्रद्धा हो
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ
पंचहि समिएहि	: यत्ना प्रवृत्ति रूप पाँच समितियाँ
इरिया-समिए भासा-	: ईर्या समिति, भाषा

समिए एसणा-समिए	समिति, एषणा समिति
आयाण-भेड-मत्त-	: आदान भाण्ड मात्र
निवखेवणा-समिए	निक्षेपणा समिति
उच्चार-पासवण-खेल-	: उच्चार प्रश्रवण खेल
जल्ल-सिघाण-परिद्धा वणिगा	जल्लसिघाण परिस्था पनिका
समिए	समिति न की हो

पडिक्कमामि,	: प्रतिक्रमण करता हूँ,
छहि जीव-निकाएहि	छह जीवकाय
पुढवि-काएणं आउ-काएणं	: पृथ्वीकाय, अप्काय,
तेउ-काएणं वाउकाएण	: तेजस्काय, वायुकाय,
वणस्सइ-काएणं तस-काएणं	वनस्स तिकाय, तस काय सम्यक् न श्रद्धे हो

पडिक्कमामि छहि लेसाहि	: प्रतिक्रमण करता हूँ, कर्म-
	: चिपकाने वाली यह लेश्याएँ
१. किण्ह-लेसाए २. नील-	: १ कृष्णलेश्या, २ नील लेश्या
लेसाए ३ काउ-लेसाए	३ कापोत लेश्या की हो
४. तेउ-लेसाए ४. पउम-	: ४ तेजोलेश्या, ५ पद्मलेश्या,
लेसाए ६ सुवक्क लेसाए	६. शुक्ल-लेश्या न की हो
सत्तहि भय-टारोहि	: सात भय-स्थान

१. जातिमद, २ कुलमद, ३ बलमद, ४. रूपमद, ५. तपमद,
६ श्रुतमद, ७ लाभमद, ८ ऐश्वर्यमद किया हो,

नवहि बंभचेर-गुत्तीहि : नव ब्रह्मचर्य गुप्ति (बाड)

पहली बाड में ब्रह्मचारो पुरुष, स्त्री (रिणी स्त्री, पुरुष) पशु
नपुंसक रहित स्थान में रहे, सहित स्थान में नहीं रहे। यदि
रहे, तो चूहे को बिल्ली का दृष्टान्त। दूसरी बाड में ब्रह्मचारी

पुरुष स्त्री की कथा करे नहीं, करे, तो जीभ को नीवू और डमली का दृष्टान्त । तीसरी वाड में ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के साथ एक आमन पर बैठे नहीं, बैठे, तो आटे को कोले का दृष्टान्त तथा घी के घडे को अग्नि का दृष्टान्त । चौथी वाड में ब्रह्मचारी स्त्री के अगोपाग का निरीक्षण करे नहीं, करे, तो कच्ची आँख को सूर्य का दृष्टान्त । पाँचवीं वाड में ब्रह्मचारी टाटी भीत आदि के अन्तर में स्त्री-पुरुष के विषयकारी शब्द सुने नहीं, सुने, तो मयूर को मेघध्वनि का दृष्टान्त । छठी वाड में ब्रह्मचारी पहले के काम भोगो का चिन्तन करे नहीं, करे, तो जिनरक्षित को रत्नादेवी का दृष्टान्त तथा परदेशी को छाछ का दृष्टान्त । सातवीं वाड में ब्रह्मचारी पुरुष प्रतिदिन सरस आहार करे नहीं, करे, तो सन्निपात के रोगी को दूध और मिश्री का तथा राजा को आम का दृष्टान्त । आठवीं वाड में ब्रह्मचारी पुरुष सरस-नीरस आहार मर्यादा उपरात करे नहीं, करे, तो सेर की हाडी में सचासेर का दृष्टान्त । नववीं वाड में ब्रह्मचारी पुरुष शरीर आदि की सुश्रूषा-विभूषा करे नहीं, करे, तो रेक के हाथ में रत्न का दृष्टान्त । ये नववाड सम्यक् न श्रद्धी (पाली) हो

दसविहे समण-धम्मे : दश श्रमण धर्म (यति-धर्म)

१. खती (क्षमा) २. मुत्ती (निर्लोभता) ३. अज्जवे (ऋजुता, सरलता) ४. मद्दवे (मृदुता, कोमलता) ५. लाघवे (लघुता) ६. सच्चे (सत्य) ७. सजमे (सयम) ८. तवे (तप) ९. चियाए (त्याग) १०. वमचेर वासे (ब्रह्मचर्य वास) ये दश श्रमण धर्म सम्यक् न श्रद्धे (पाले) हो ।

एगारसहि उवासग- : ग्यारह उपासक (श्रावक) प्रति-
पडिमाहि माएँ सम्यक् न पाली हो,

१. चारसंहि : चारह भिक्षु (सगृह्य) प्रतिभाएँ सम्यक्
भिक्षु-पडिमार्गेह : न श्रद्धा हो,
२. तेरसंहि : तेरह (मे से बारह क्रियाएँ छोड़ी न
किरिया-ठाणोर्हि हो तथा तेरहवी) क्रिया सम्यक्
न श्रद्धा हो
३. चौदसंहि : जीव के १४ भेद या १४ गुणस्थान
भूयगामोर्हि : सम्यक् न श्रद्धा हो,
४. पण्णारसंहि : पन्द्रह परमार्थों करने जैसे पाप
परमाहम्मिर्हि किये हों,
५. सोलसंहि : श्री सूत्रकृतंग सूत्र के १६ अध्ययन
गाहा-सोलसर्हि सम्यक् न श्रद्धा हो
६. सत्तरसविहे : सत्रह प्रकार का असंयम किया
असंजमे हो,
७. अट्ठारसविहे : अट्ठारह प्रकार का अवहृचय सेवन
अवभे किया हो
८. एगूणवीसाए : श्री ज्ञाता सूत्र के १९ अध्ययन सम्यक्
गाय-ज्जभयरोर्हि न श्रद्धा हो
९. बीसाए : बीस असमाधि (उत्पन्न करने वाले)
असमाहि-ठाणोर्हि स्थान सेवन किये हों
१०. एगवीसाए : इक्कीस सबल (बड़े) दोष सेवन
सबलेर्हि किये हों
११. बावीसाए परिसेर्हि : धर्म हृदय और निर्जरा के लिए
चावीस परिषह न जीते हो
१२. तेवीसाए : श्री सूत्रकृतंग सूत्र के (१६+७) २३
सूयगड्जभयरोर्हि अध्ययन सम्यक् न श्रद्धा हो
१३. चौवीसाए देवेर्हि : चौबीस तीर्थकर या २४ देव सम्बन्ध
न श्रद्धा हो

- पणवीसाए भावणाहि : पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ
सम्यक् न श्रद्धी हो
- छव्वीसाए दसा-कप्प- : दशाश्रुतस्कंध, वृहत्कल्प और व्यवहार
ववहाराणं के (१०+६+१०)
- उद्देसण कालेहि : २६ अध्ययन सम्यक् न श्रद्धे हो
- सत्तावीसाए : सत्तावीस अनगार (साधु) गुण
अणगार-गुरोहि सम्यक् न श्रद्धे हो
- अट्ठावीसाए : आचाराग निशीथ के (२३+५) २८
आयार-प्पकप्पेहि अध्ययन सम्यक् न श्रद्धे हों
- एगुणतीसाए : उनतीस पापश्रुत का प्रयोग किया
पावसुय-प्पसंगेहि हो,
- तीसाए : तीस महामोहनीय स्थानों का सेवन
महा-मोहणीय-ट्ठारोहि किया हो
- एगतीसाए : इक्तीस सिद्ध के गुण सम्यक् न
सिद्धाइ-गुरोहि श्रद्धे हों
- वत्तीसाए जोग-सगहेहि : वत्तीस योग-संग्रह न किये हो
- तेत्तीसाए असायणाहि : तैंतीस आशातनाएँ की हो । या निम्न
- अरिहन्ताणं आसायणाए : अरिहन्तों की आशातना की हो
- सिद्धाण आसायणाए : सिद्धों की आशातना की हो
- आयरियाण आसायणाए : आचार्यों की आशातना की हो
- उवज्झायाण , , उपाध्यायों की आशातना की हो
- साहूणं आसायणाए : साधुओं की आशातना की हो
- साहूणीण आसायणाए : साध्वियों की आशातना की हो
- सावयाणं आसायणाए : श्रावकों की आशातना की हो
- सावियाण आसायणाए : श्राविकाओं की आशातना की हो
- देवाणं असायणाए : देवों की आशातना की हो

- देवीण आसायणाए : देवियो की आशातना की हो
- इहलोगस्स आसायणाए : इस लोक की आशातना की हो
- परलोगस्स आसायणाए : परलोक की आशातना की हो
- केवल-परणत्तस्स : केवली प्ररूपित धर्म की आशातना की हो
- धम्मस्स आसायणाए : देव मनुष्य असुर सहित सारे लोक की आशातना की हो ।
- सदेव-मणुयासुरस्स : देव मनुष्य असुर सहित सारे लोक की आशातना की हो ।
- लोगस्स आसायणाए : सब प्राण भूत जीव सत्त्वो की आशातना की हो
- सव्व-पाण-भूय-जीव : सब प्राण भूत जीव सत्त्वो की आशातना की हो
- सत्त ण आसायणाए : श्रुत की आशातना की हो
- कालस्स आसायणाए : श्रुतदेव (तीर्थंकर या गणधर) की आशातना की हो
- सुयस्स आसायणाए : श्रुतदेव (तीर्थंकर या गणधर) की आशातना की हो
- सुयदेवस्स आसायणाए : श्रुतदेव (तीर्थंकर या गणधर) की आशातना की हो
- वायणारियस्स : वाचनाचार्य (शास्त्र पढाने वाले) की आशातना की हो
- आसायणाए : वाचनाचार्य (शास्त्र पढाने वाले) की आशातना की हो
- ज वाइद्ध, वच्चामेलियं : यदि व्याविद्ध, व्यत्ययाम्भेडित
- हीणवखर, अच्चवखर : हीनाक्षर, अतिअक्षर
- पयहीण, विणयहीण : पदहीन, विनयहीन
- जोगहीण, घोसहीण : योगहीन या घोषहीन पढा हो
- सुट्ठु ? (s) दिण्णं : सुण्ठु ? (n) दिया हो
- दुट्ठु पडिच्छियं : दुण्ठु लिया हो
- अकाले कओ सज्झाओ : अकाल मे स्वाध्याय की हो
- काले न कओ सज्झाओ : काल मे स्वाध्याय न की हो
- असज्झाए सज्झाइय : अस्वाध्याय मे स्वाध्याय की हो
- सज्झाए न सज्झाइय : स्वाध्याय मे स्वाध्याय-न की हो

इन तैतीस बोल में जानने योग्य को नहीं जाने हों, छोड़ने योग्य को नहीं छोड़े हों और आदरने योग्य को नहीं आदरे हों तथा जिन महापुरुषों ने जानने योग्य को जाने हो, छोड़ने योग्य को छोड़े हों और आदरने योग्य को आदरे हों उनकी आशातना की हो तो,

तैस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

‘तैतीस बोल’ प्रश्नोत्तरो

प्र० : यह पाठ किसलिए है ?

उ० : श्रद्धा प्ररूपणा एवं स्पर्शना में आये हुए दोषों की निवृत्ति के लिए है ।

प्र० : श्रद्धा का दोष किसे कहते हैं ?

उ० : असंयम आदि जो त्यागने योग्य है, उन्हें त्यागने योग्य न समझना या आदरने योग्य समझना तथा गुप्ति आदि जो आदरने योग्य हैं, उन्हें आदरने योग्य न समझना या त्यागने योग्य समझना, एवं छह काय की विराघना से हटने के लिए और उनकी रक्षा के लिए जो छह काय आदि का ज्ञान आवश्यक है, उस ज्ञान को आवश्यक न समझना, श्रद्धा का दोष है ।

प्र० : प्ररूपणा का दोष किसे कहते हैं ?

उ० : ‘असंयम त्यागने योग्य नहीं—आदरने योग्य है’ इत्यादि प्ररूपणा करना, प्ररूपणा का दोष है ।

प्र० : स्पर्शना का दोष किसे कहते हैं ?

उ० :—आँच महाव्रत, ग्यारह उपासक प्रतिमा आदि जिन्हें स्वीकार किया है, उसका सम्यवस्पर्श न करना, उसमें अतिचार लगाना, स्पर्शना का दोष है।

प्र० : क्या त्यागने योग्य और आदरने योग्य बोल, 'जानने योग्य' नहीं हैं ?

उ० :—हैं। यदि उन्हें पहले जाना नहीं जायगा, तो उन्हें त्याग या आदर कैसे जायगा ?

प्र० : यदि ऐसा है, तो कुछ ही बोलों को जानने योग्य और शेष बोलों को त्यागने योग्य या आदरने योग्य क्यों कहा जाता है ?

उ० :—इसलिए कि १५ कुछ बोलों में केवल जानने की मुख्यता है, क्योंकि वे जानने के पश्चात् त्याग या आदर नहीं जाते। शेष बोलों में जानने की मुख्यता नहीं है, पर जानकर या तो त्यागने की मुख्यता है या आदरने की मुख्यता है।

प्र० : इन तैतीस बोलों में जानने योग्य बोल कितने हैं ?

उ० :—१. छह जीव निकाय २. चउदह जीव के भेद या गुरास्थान ३. पन्द्रह परमाधमिक ४. सूत्रकृतांग के सोलह अध्ययन ५. ज्ञाता के उन्नीस अध्ययन ६. बावीस परीषह ७. सूत्रकृतांग के तेवीस अध्ययन ८. चौबीस देव ९. दशा कल्प व्यवहार के २६ अध्ययन और १०. आचारांग, निशीथ के अट्ठावीस अध्ययन—ये दस बोल जानने योग्य हैं।

प्र० : इन तैतीस बोलों में त्यागने योग्य बोल कितने हैं ?

उ० :—१. एक असयम २. दो वध ३. तीन दण्ड ४. तीन शल्य ५. तीन गर्व ६. तृतीया विराधना ७. चारि कषाय ८. चार

सज्ञा ९ चार विकथा १०. पाँच कामगुण ११ सात भय १२. आठ मद १३ सत्रह असयम १४. अट्टारह अब्रह्म १५. बीस असमाधि १६ इक्कीस शवल दोष १७. उनतीस पापश्रुत १८. तीस महामोहनीय और १९. तैतीस आशातना—ये उन्नीस बोल त्यागने योग्य हैं

प्र० : इन तैतीस बोलो में आदरने योग्य बोल कितने हैं ?

उ० : १. तीन गुप्ति २ पाँच (अणुव्रत) महाव्रत ३. पाँच समिति ४. नव ब्रह्मचर्य गुप्ति ५. दश यति धर्म ६. ग्यारह उपासक प्रतिमा ७. बारह भिक्षु प्रतिमा ८ पच्चीस भावना ९ सत्तावीस अनगार गुण १०. इक्कीस सिद्धादि गुण और ११ वत्तीस योग सग्रह—ये ११ ग्यारह बोल आदरणीय हैं।

प्र० : इन तैतीस बोलो में, जिनमें कुछ त्यागने योग्य और कुछ आदरने योग्य, वो दोनों प्रकार के बोल हो, ऐसे मिश्र बोल कितने हैं ?

उ० : १ चार ध्यान २ छह लेख्या और ३. तेरह क्रिया स्थान, ये तीन बोल मिश्र हैं। क्योंकि चार ध्यान में १. आर्त, २. रौद्र, ये दो ध्यान त्यागने योग्य और १. धर्म २ शुक्ल, ये दो ध्यान आदरने योग्य हैं। लेख्या में १ कृष्ण २ नील, ३ कापोत, ये तीन लेख्याएँ छोड़ने योग्य और १. पीत २. पद्म ३ शुक्ल, ये तीन लेख्याएँ आदरने योग्य हैं तथा तेरह क्रियाओं में पहली अर्थदण्ड आदि १२ क्रियाएँ त्यागने योग्य और शेष तेरहवीं इर्यापथिक क्रिया आदरने योग्य है।

प्र० : सब बोलो का योग कितना हुआ ?

सूत्र-विभाग—३१ 'नमोचउवीसाए' निर्ग्रन्थ प्रवचन' का पाठ [१७५

उ० • दश ब ल जानने योग्य, उन्नीस बोल त्यागने योग्य, ग्यारह बोल आदरने योग्य और तीन बोल मिश्र, सब बोल (१०+१६+११+३=४३) त्रयालीस हुए।

प्र० तैतीस बोल, त्रयालीस बोल कैसे हुए ?

उ० • तीन के बोल, चार अधिक तथा चार और पाँच के बोल, तीन-तीन अधिक, यो सब (४+३+३)=१० बोल अधिक होने से।

प्र० • आशातना किसे कहते हैं ?

उ० : १ गुण होते हुए भी गुण-रहित बताना, २. दोष न होते हुए भी दोष-सहित बताना, ३. न्यून, अधिक या विपरीत प्ररूपणा करना, ४. अविनय अपकीर्ति करना, ५. विरुद्ध कार्य करना, ६. अशाता देना आदि।



पाठ ३१ इकतीसवाँ

१७. 'नमोचउवीसाए' 'निग्रन्थ प्रवचन' का पाठ

जैन धर्म के २४ चौबीस प्रवर्तकों को नमस्कार

गमो चउवीसाए	: नमस्कार हो (इस अवसर्पिणी काल
तित्थयराण	के) चौबीस तीर्थंकर
उसभाइ-महावीर	श्री ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी
पज्जवसाणाणं	तक को। (क्योंकि—जिनका)

जैन धर्म के १४ गुण

- इणमेव निगंथं : यही निर्ग्रन्थ (तीर्थंकरों का)
 पावयणं : प्रवचन (जैनधर्म)
 १ सच्चं : सत्य (हितकर व यथार्थ) है
 २ अनुत्तरं : अनुत्तर (सबसे बढकर) है
 ३ केवलियं : केवल (अद्वितीय-बेजोड) है
 ४ पडिपुणं : प्रतिपूर्ण (सर्वगुणयुक्त) है
 ५ नेयाउय : न्याय (म्याद्वाद सिद्धात) सहित है
 ६ संसुद्ध : संशुद्ध (शत प्रतिशत शुद्ध) है
 ७ सल्लगत्तरं : तीनो शल्यो को काटने वाला है
 ८ सिद्धिमगं : सिद्धिमार्ग (सिद्धिदाता) है
 ९ मुक्तिमगं : मुक्तिमार्ग (८ कर्म खर्पाने वाला) है
 १० निज्जाणमगं : निर्याणमार्ग (मोक्ष पहुँचाने वाला) है
 ११ निच्चाणमगं : निर्वाण मार्ग (सच्ची शांति देने वाला) है
 १२ अवितह : अवितथ (कभी भूठा न होने वाला या एक समान रहने वाला) है
 १३ अविस्संधि : अविस्संधि (महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा सदैव अमर) है
 १४ सव्व दुक्ख प्पहीण मगं : सभी दुखो का (सदा के लिए पूर्ण) नाश करने वाला है।

जैन धर्म के ५ पाँच फल

- इत्थं ठिया जीवा : इससे स्थित (इस जैन धर्म की श्रद्धा प्ररूपणा स्पर्शना करने वाले जीव
 १. सिज्झंति : सिद्ध (कृतकृत्य-सफल) बनते हैं

सूत्र-विभाग ३१. 'नमो चउवीसाए' 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' का पाठ [१७७

२. बुज्झति : बुद्ध (केवलज्ञानी बनते हैं)
 ३. मुच्चति : मुक्त (आठ कर्म रहित) बनते हैं
 ४. परिनिव्वायंति : परिनिर्वाण (सच्ची शांति) पाते हैं
 सध्व-दुवखाण- : सभी (कायिक-मानसिक) दुखों का
 भंत करेंति (सदा के लिए पूर्ण) अंत करते हैं ।

जैन धर्म की स्वीकृति

- त धम्मं : ऐसे उस (तीर्थंकर कथित, गुणयुक्त
 फलवान जैन) धर्म की
 १. सद्वहामि : श्रद्धा (विश्वास) करता हूँ
 २. पत्तिमामि : (उसके प्रति) प्रीति (प्रेम) करता हूँ
 ३. रोएमि : (उसे ग्रहण करने की) रुचि करता हूँ
 ४. फासेमि : (प्रत्याख्यान लेकर) स्पर्श करता हूँ
 ५. पालेमि : (अन्त तक चिरतिचार) पालता हूँ
 ६ अणुपालेमि : (बार बार या पूर्व पुरुषों ने जैसे उसे
 पाला तदनुसार) अनुपालता हूँ
 तं धम्मं सद्वहतो : उस धर्म की श्रद्धा करते हुए
 पत्तिमंतो : प्रीति (या प्रतीति) करते हुए
 रोयतो, फासतो : रुचि करते हुए, स्पर्श करते हुए
 पालतो, अणुपालंतो : पालते हुए, अनुपालते हुए

जैन धर्म के प्रति अभ्युत्थान

- तस्स धम्मस्स : उस (जैन) धर्म की
 केवल पणत्तस्स : जो केवली प्ररूपित है
 अब्भुट्ठिओमि : उठ कर खड़ा होता हूँ
 आराहरणा : आराधना (करने) के लिए

विरओमि	: विरत होता (हटता) हूँ
विराहणाए	: विराधना (करने) मे
१. असंजमं	: (१७ प्रकार के) असयम को त्यागने
परियाणामि	योग्य जानकर देश से त्यागता हूँ
संजमं	: (१७ प्रकार के) सयम को
उवसंपवज्जामि	देश से स्वीकार करता हूँ
२. अबंभ	: (१८ प्रकार के) अब्रह्मचर्य को त्यागने
परियाणामि	योग्य जानकर देश से त्यागता हूँ
वंभं	: (१८ प्रकार के) ब्रह्मचर्य को
उवसंपवज्जामि	देश से स्वीकार करता हूँ
३. अकण्पं	: अकल्पनीय को त्यागने योग्य जान-
परियाणामि	कर देश से त्यागता हूँ
कण्पं	: कल्पनीय को
उवसंपवज्जामि	देश से स्वीकार करता हूँ
४. अण्णाणं	: अज्ञान (ज्ञानअभाव व मिथ्या ज्ञान)
परियाणामि	को त्यागने योग्य जानकर त्यागता हूँ
नाणं उपसंपवज्जामि	: सम्यग्ज्ञान को स्वीकार करता हूँ
५. अकिरियं	: अक्रिया (क्रिया अभाव व मिथ्या क्रिया)
परियाणामि	को त्यागने योग्य जानकर त्यागता हूँ
किरिय	: सम्यक् क्रिया को
उवसंपवज्जामि	स्वीकार करता हूँ
मिच्छत्त	: मिथ्यात्व (श्रद्धाअभाव व मिथ्याश्रद्धा)
परियाणामि	को त्यागने योग्य जानकर त्यागता हूँ
सम्मत्त	: सम्यक्त्व (सम्यक्श्रद्धा) को
उवसंपवज्जामि	स्वीकार करता हूँ
अवोहि	: आगामी भवो मे बोधि (सम्यक्त्व)
परियाणामि	दुर्लभ हो, ऐसी क्रिया को त्यागता हूँ

सूत्र-विभाग— ३१ नमो चउवोसाए' 'निर्गन्ध प्रवचन' का पाठ [१७६

बोहि	: आगामी भवो में बोधि (सम्यक्त्व)
उवसपवज्जामि	सुलभ हो, ऐसी क्रिया स्वीकारता हूँ
उम्मग्ग	: उन्मार्ग (ससार मार्ग और कुमार्ग)
परियाणामि	को त्यागने योग्य जानकर त्यागता हूँ
मग्ग	: (सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप
उवसंपवज्जामि	रूप मोक्ष के सम्यग्) मार्ग को स्वीकारता हूँ।

अशेष (सम्पूर्ण) सक्षिप्त प्रतिक्रमण

जं संभरामि	: जिन अतिचारो का स्मरण हो रहा है
जं च न संभरामि	: और जिन का स्मरण नहीं हो रहा है
जं पडिक्कमामि	: जिनका प्रतिक्रमण कर रहा हूँ
जं च न पडिक्कमामि	: और जिनका प्रतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ।

तत्तस्स सव्वस्स	: उन सभी
देवसियस्स अइयारस्स	: दिन सदधो अतिचारो का
पडिक्कमामि	: प्रतिक्रमण करता हूँ

चयोकि मैं

समणो ऽह	: मैं श्रमण (श्रावक हूँ)
संजय-	: क्योंकि (पाप कर्म छोड़कर) सयत्त (श्रावक) बना हूँ, वह ऐसे
विरय-	: वर्तमान का सवर कर विरत बना हूँ
पडिहय-	: भूत का प्रतिक्रमण कर प्रतिहत बना हूँ
पच्चवत्थाय-	: भविष्य का प्रत्याख्यान कर

पावकम्मे	: प्रत्याख्यात पापकर्म वाला बना हूँ
अणियाणो	: मैं निदान (मोक्ष के अतिरिक्त अन्य फल की कामना से) रहित हूँ
दिट्ठि संपन्नो	: सम्यग्दृष्टिसंपन्न हूँ
मायामोसं विवज्झिओ	: कपट भूठ से रहित हूँ

ऐसी दशा में किये हुए किसी पाप को छुपाना, उसका प्रतिक्रमण न करना या विस्मृत पाप के प्रति अनादर करना मेरे लिए कैसे उचित है ? अतः मैं सभी पापों की आलोचना करके उनका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

जैन धर्म पालको को नमस्कार

अड्ढाइज्जेसु दीव	: अढाई द्वीप
समुद्देसु	: (और दो) समुद्रों की
पण्णारससु	: पन्द्रह
कम्मभूमिसु	: कर्मभूमियों में (मुझ से छोटे या बड़े)
जावंति केइ साहू	: जितने भी कोई साधू है
रयहरण-गुच्छग-	: (जो वेश से) रजोहरण, गोच्छा-पूजणी
(मुह पोत्तिय)	: ('मुखवस्त्रिका' गुच्छग का पाठान्तर)
पडिग्गह-धारा	: पात्र आदि के धारी हैं (तथा गुण से या कारणवश वेश रहित केवल)
पंच-महव्वय-धरा	: पाँच महाव्रत धारी हैं
अट्ठारस-सहस्स	: अट्ठारह सहस्र (हजार)
शीलंग-रह-धारा	: शीलांग रूप रथ के धारी हैं
अवस्ययायार	: अक्षत (निरतिचार) आचार वाले

चरित्ता : चारित्रवान् है
 ते सन्वे- : (ऐसे वेश-गुण युक्त) उन सभी को
 सिरसा मणसा : शिर (काया) से, मन से और
 'मत्थएणवदामि' : वचन से 'मत्थएण वदामि' कहते ।
 हुए तीनों योगों से वन्दना करता हैं ।

'नमो चउन्वीसाए' प्रश्नोत्तरी

प्र० : श्रद्धा आदि को दृष्टान्त से समझाइए ।

उ० : जैसे किसी विश्वसनीय पुरुष के इस कथन पर कि 'यह वैद्य 'सर्वश्रेष्ठ' है ।' वैद्य को सर्वश्रेष्ठ मानना 'श्रद्धा' है । उस वैद्य के द्वारा सभी रोगियों को पूर्ण नीरोग होते देखकर वैद्य की सर्वश्रेष्ठता का निश्चय होना 'प्रतीति' है । स्वयं नीरोग बनने के लिए उसकी औषधि लेने की भावना होना 'रुचि' है । उसकी औषधि को हाथ में लेना और मुँह में रखना 'स्पर्शना' है । उसकी औषधि को पेट में उतारना 'पालना' है । पथ्य का पालन करना तथा नीरोग न होने तक औषध लेते रहना 'अनुपालना' है ।

प्र० : अट्टारह सहस्र शीलांग रथ क्या है ?

उ० : क्षमा आदि दश श्रमण धर्म (यति धर्म) हैं । इनके पालक साधु पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और अजीव, इन दश का असयम नहीं करते, अतः दश को दश से गुणने पर सौ $10 \times 10 = 100$ हुए । वे पाँच इन्द्रियों को वश करके इनका असयम नहीं करते, अतः सौ को पाँच से गुणा करने पर पाँच सौ $100 \times 5 = 500$ हुए । तथा वे चार सज्ञा का निरोध करके इनका असयम नहीं करते, अतः पाँच सौ को

चार से गुणा करने पर दो सहस्र $५०० \times ४ = २०००$ हुए। तथा साधु तीन करण व तीन योग से इनका असयम नहीं करते, अतः दो सहस्र को दो बार तीन-तीन गुणा करने पर अट्ठारह सहस्र हुए $२,००० \times ३ = ६,००० \times ३ = १८,०००$ । इन्हीं को 'अट्ठारह सहस्र शीलांग रथ' कहते हैं।

प्र० : नमस्कार मंत्र में 'नमो लोए सव्व साहूण' द्वारा लोक के सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। वहाँ रजोहरणादि जैन वेश और महाव्रतादि जैन गुण वाले साधु को नमस्कार और जैन वेश और जैन गुण रहित साधु को नमस्कार नहीं करना, ऐसा भेद नहीं किया है। फिर यहाँ ऐसा भेद क्यों किया है ?

उ० : 'नमो लोए सव्व साहूण' में रजोहरणादि जैन वेश और पाँच महाव्रतादि जैन गुण युक्त जैन साधुओं को तथा जैन वेश और जैन गुण रहित अजैन साधुओं को, सभी को नमस्कार किया गया है।' ऐसी श्रद्धा या प्ररूपणा सत्य नहीं है। 'नमो लोए सव्व साहूण' में जो सभी साधु लिए हैं, वे रजोहरणादि जैन वेश और पाँच महाव्रत आदि जैन गुणधारी जितने भी साधु हैं, उन्हीं सब साधुओं को लिया है। नमस्कार मंत्र 'मंत्र' है। मंत्र में भाव अधिक और शब्द अल्प होते हैं, अतः वहाँ शब्दों में यह भेद नहीं किया है। परन्तु उन अल्प शब्दों में भी भाव यही है कि 'जो जो भी जैन वेश व जैन गुणयुक्त साधु है या कारणवश जैन वेश न भी हो, पर जैन गुणयुक्त अवश्य हो, उन्हीं सब साधुओं को नमस्कार हो।' अतः नमस्कार मंत्र में और इस पाठ में कोई भेद नहीं है।

प्र० : ऐसे कौन से कारण हैं, जब जैन गुण युक्त साधु जैन वेश युक्त नहीं होता ?

उ० : १ मरुदेवी, माता के समान जिन्हें भाव साधुत्व आने के पश्चात् मुक्तिगमन में अधिक विलम्ब न होने के कारण वेश, पहनना आवश्यक न हो, २ भरतजी के समान जिन्हें भाव साधुत्व आने के पश्चात् वेश पहनने में कुछ समय लग गया हो, ३ किसी चोर ने वस्त्र चुरा लिये हो, या ४ जहाँ जैन वेशधारी का विचरण निषिद्ध हो, वह प्रदेश पार करना हो, आदि कारण ऐसे हैं, जब जैनगुण युक्त साधु जैनवेश युक्त नहीं होता ।

प्र० : जैन साधु गुण किसे कहते हैं ?

उ० : सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेश्वरो ने वास्तविक सुसाधु के जो गुण माने हो ।



पाठ ३२ बत्तीसवाँ

विधि : पाठ ३३ में आनेवाली 'खामेमि सच्चै जीवा' आदि गाथाएँ, भूतकाल में श्रावक सूत्र या श्रमण सूत्र के ग्रन्थ में दिये जाने वाले 'इच्छामि खमासमणो' से पहले बोली जाती थीं । अब भी कई लोग उसी स्थान पर उन गाथाओं को बोलते हैं । उन गाथाओं के पश्चात् 'इच्छामि खमासमणो' देने पर चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक समाप्त हो जाता है । पर भूतकालीन आचार्यादिकों ने वन्दना और क्षमापना का अधिक संयोजन किया है ।

निम्न वन्दना के लिए 'वन्दना की आज्ञा है ।' कहकर वन्दना की आज्ञा ली जाती है । फिर दोनों घुटनों को मोड़कर

भूमि पर लगाये जाते हैं। फिर नमस्कार मंत्र पढ़कर निम्न वदनाएँ बोली जाती हैं।

पाँच पदों की वन्दनाएँ

पहले पद में श्री अरिहन्त भगवान् । (ये एक काल में) जघन्य (कम से कम) (महाविदेह क्षेत्र में) बीस, उत्कृष्ट (अधिक-से-अधिक) (महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा) एक सौ साठ १६० तथा (पन्द्रह कर्म भूमि की अपेक्षा) एक सौ सित्तर देवाधिदेव तीर्थंकर होते हैं। अभी वर्तमान काल में बीस विहरमान (विचरते हुए) तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। (अरिहन्त भगवान्) एक हजार आठ १००८ लक्षण के धारक, चौतीस अतिशय व पैतीस अतिशययुक्त वाणी से विराजमान, चौंसठ इन्द्रों के वन्दनीय, अट्कारह दोष रहित,

- | | |
|------------------|--|
| १. अनन्त ज्ञान | : केवलज्ञान-सम्पूर्ण ज्ञान |
| २. अनन्त दर्शन | : केवलदर्शन-सम्पूर्णदर्शन |
| ३. अनन्त चारित्र | : क्षायिक सम्प्रवृत्त व यथाख्यात चारित्र |
| ४. अनन्त बलवीर्य | : अनन्त शक्ति (ये चार गुण आत्मिक और आभ्यन्तर हैं, जो चार घाति कर्म क्षय होने से उत्पन्न होते हैं।) |
| ५. दिव्यध्वनि | : जो सभी को अपनी अपनी भाषा में परिणामती है और ४ कोस तक मुनाई देती है |
| ६. भा-मण्डल | : चानो ओर प्रकाश का घेराव |
| ७. स्फटिक मिहासन | : जिस पर विराजने में भगवान् अवसर दिखाई देते हैं। |

- ८ अशोक वृक्ष : जो भगवान के ऊपर छाया रहता है ।
 ९. कुसुमवृष्टि : जो देव कृत, घुटने प्रसाग और अचित होती है
 १०. देव दुन्दुभि : जिसे देवता विहार के समय भगवान के आगे-आगे बजाते चलते हैं ।
 ११ तीन छत्र : जो भगवान के एक के ऊपर एक होते हैं
 १२. दो चमर : जिसे दो देव दोनों और बीजते हैं ।
 (ये पौद्गलिक और बाह्य गुण हैं, जो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होते हैं ।

ये आठ गुण सहित व पुरुषाकार-पराक्रम के धारक हैं ।
 तथा सामान्य केवली जघन्य दो करोड़ और उत्कृष्ट नव करोड़ (होते हैं) जो १. केवल ज्ञान २ केवल दर्शन के धारक, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता (३. क्षायिक सम्यक्त्व-यथाख्यात चरित्र और ४. अनन्त धलवीर्य—ये चार आत्मिक गुण सहित) हैं ।

सर्वेय नमो श्री अरिहन्त, करमों का किया अन्त,
 हुआ सो केवलधत, करुणा भण्डारी है ।

अतिशय चौतीस धर, पैतीस वाणी उच्चार,
 समभावे नर नार, पर उपकारी है ।

शरीर सुन्दरकार, सूरज सो झलकार,
 गुण है अनन्तसार, दोष परिहारी है ।

कहत है तिलोकरिख, मन वच काय करी,
 लुली लुली (भुक-भुक कर) बार बार, वन्दना हमारी है ॥१॥

ऐसे श्री अरिहन्त भगवन् । आपको दिवस सम्बन्धी
 अचिनय आशातना की हो, तो हे अरिहन्त भगवन् ! मेरा
 अपराध बार बार क्षमा करिये ।

हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर तिकबुत्तो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ ।

‘तिकबुत्तो आयाहिणं . . . मत्थएण वदामि ।

आप मागलिक हो, उत्तम हों । हे स्वामिन् ! हे नाथ !
आपका इस भव, परभव, भव-भव मे सदा काल शरण हो ।

दूसरे पद मे सिद्ध श्री भगवान्

- १ वे तीर्थसिद्ध : जो तीर्थ के सद्भाव मे सिद्ध हुए
- २- अतीर्थ सिद्ध : जो तीर्थ स्थापना के पहले या तीर्थ विच्छेद के पीछे तीर्थ के अभाव में सिद्ध हुए
- ३ तीर्थङ्कर सिद्ध : जो तीर्थ की स्थापना करके सिद्ध हुए
- ४- अतीर्थङ्कर सिद्ध : जो सामान्य केवली होकर सिद्ध हुए
- ५- स्वयंबुद्ध सिद्ध : जो गुरु या वृषभादि निमित्त के बिना स्वयं बोध पाकर सिद्ध हुए
- ६- प्रत्येकबुद्ध सिद्ध : जो निमित्त से बोध पाकर सिद्ध हुए
- ७- बुद्धबोधित सिद्ध : जो गुरु से बोध पाकर सिद्ध हुए
- ८- स्त्रीलिङ्ग सिद्ध : जो स्त्री का शरीर पाकर सिद्ध हुए
- ९ पुरुषलिङ्ग सिद्ध : जो पुरुष का शरीर पाकर सिद्ध हुए ।
- १०- नपुंसक लिङ्ग सिद्ध : जो नपुंसक शरीर पाकर सिद्ध हुए ।
- ११ स्वलिङ्ग सिद्ध : जो जैन साधु के वेष मे सिद्ध हुए
- १२- अन्यलिङ्ग सिद्ध : जो अजैन साधु के वेश मे सिद्ध हुए
- १३ गृहस्थलिङ्ग सिद्ध : जो गृहस्थ वेष मे सिद्ध हुए
- १४- एकसिद्ध : जो अपने समय में अकेले सिद्ध हुए
- १५- अनेक सिद्ध : जो अपने समय मे स्वयं को मिलाकर दो या तीन या यावत् १०८ सिद्ध हुए

इन पञ्चह भेद या अन्य चौदह भेद से अनन्त सिद्ध हुए हैं ।

जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुःख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकुर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, वहाँ (एत्र) ज्योति में (अन्य) ज्योति (ज्यो, एक क्षेत्र में अनन्त सिद्ध) विराजमान है । सकल कार्य सिद्ध करके (अर्थात्) आठ कर्म खपाकर (क्षय कर) मोक्ष पहुँचे हैं ।

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| १. अनन्त ज्ञान | : ज्ञानावरणीय क्षय से उत्पन्न हुआ |
| २. अनन्त दर्शन | : दर्शनावरणीय क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ३. अनन्त सुख | : वेदनीयकर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ४. क्षायिक सम्यक्त्व | : मोहनीयकर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ५. अटल अवगाहना | : आयुष्यकर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ६. अमूर्ति | : नामकर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ७. अगुरुलघु | : गोत्रकर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |
| ८. अनन्तवीर्य | : अन्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ |

—ये अठ (आत्मिक) गुण सहित हैं ।

सबैया सकल करम टाल, वश कर लियो काल,
मुगति मे रह्या माल (आनद मे भूलना), आत्मा को तारी है ।
देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव (राजा) सदा ही क्षायिक
भाव, भये अविकारी हैं । अटल अचल रूप, आवे नहीं भव
कूप, अनूप स्वरूप ऊप, ऐसे सिद्ध (पद) धारी है । कहत है
तिलोक रिख, बताओ ए वास प्रभु, सदा ही उगते सूर,
वदना हमारी है ॥२॥

ऐसे श्री सिद्ध भगवन् ! क्षमा करिये ।

हाथ जोड़ मान मोड़ नमस्कार करता हूँ ।

तिक्खुतो आयाहिण ॥ ॥ मत्थएण वदामि ।
आप मागलिक हो ॥ ॥ ॥ ॥ सदा काल शरण हो ।

तीसरे पद में श्री आचार्यजी महाराज । १-५ पाँच महाव्रत पालते हैं, ६-१० पाँच आचार (ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार तपाचार, वीर्याचार) पालते हैं, ११-१५ पाँच इन्द्रिय जीतते हैं १६-१९ चार कषाय टालते हैं, २०-२८ नव वाड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं, २९-३६ पाँच समिति-तीन गुणि विशुद्ध आराधते हैं, यो छत्तीस गुण सहित हैं ।

- अथक्क आठ सम्पदा : सम्पत्ति, ऋद्धि,
१. आचार सम्पदा : १ सयम मे ध्रुव योगी २ निरभिमान
३. विचरते हुए और ४. बडपन्न युक्त
२. श्रुत सम्पदा : १ बहुश्रुत, २ परिचित्त श्रुत ३.
विचित्र श्रुत और ४. विशुद्धघोष युक्त,
३. शरीर सम्पदा : भरे पूरे, अलज्जनीय, स्थिर सहनन
और पाँचो इन्द्रिय युक्त शरीर वाले
४. वचन सम्पदा : आदेय वचन, मधुर वचन, निष्पक्ष
वचन और असदिग्ध वचन युक्त
५. वाचना सम्पदा : सम्यक् पढाते हैं, स्थिर कराते हैं, पूरा
पढाते है और रहस्य समझाते हैं ।
६. मति सम्पदा : १. अवग्रह, २. ईहा, ३. अपाय, और
४. धारणा सम्पन्न
७. प्रयोगमति सम्पदा : १. निजी योग्यता, २. परिषदा, ३.
क्षेत्र और ४ विषय, को देखकर
वाद करते हैं ।

६. संग्रह परिज्ञा : १ चातुर्मास योग्य क्षेत्र का,
२ पीठादि के संग्रह का, ३ यथा समय
कार्य का और ४. गुरुओं के मान का
ध्यान रखते हैं ।

और ६. शिष्य को : १. आचार से, २. श्रुत से, ३. धर्म
योग्य बनाना प्रभावना से और ४. दोष विशुद्धि से
इन नव बोलों के प्रत्येक के चार भेद, यों छत्तीस गुण सहित हैं ।

सर्वथा गुण है छत्तीसगुर, धरत धरम ऊर, मारत करम
क्रूर, सुमति विचारी है । शुद्ध सो आचारवन्त, सुन्दर है रूप
कन्त, भण्णा है सब ही सिद्धान्त, वाचणी सुप्यारी है । अधिक
मधुर वेण, कोई नहीं लोपे केण (कथन), सकल जीवों का सैण,
(स्वजन) किरति अपारी है । कहत है तिलोकरिख, हितकारी
देते सीख, ऐसे आचारज ताकू वन्दना हमारी है ॥३॥

ऐसे आचार्यजी महाराज ! न्याय पक्ष वाले, भद्रिक
परिणामी, परम पूज्य, कल्पनीय अचित्त वस्तु को लेने वाले
सचित्त के त्यागी, वैरागी महागुणी, गुणों के अनुरागी, सौभाग्य
हैं ।

ऐसे श्री आचार्य जी महाराज क्षमा करिये ।
हाथ जोड़ मान मोड़ नमस्कार करता हूँ ।
तिक्खुत्तो आयाहिण्ण मत्थएण वदामि ।
आप मांगलिक हो सदा काल शरण हो ।

चौथे पद में श्री उपाध्यायजी महाराज

ग्यारह (बारह) अंग : हाथ आदि अंगों के समान मुख्य सूत्र

बारह उपांग	: अगुली आदि उपांगो के समान, अंग सूत्रो के किसी एक अंश के विवेचक गौण सूत्र
चरण सत्तरी	: चरण (चारित्र) के ७० सित्तर बोला
करण सत्तरी	: करण (क्रिया) के ७० सित्तर बोला

ये (११+१२+१+१=२५ या १२+१२+१=२५) पच्चीस गुण सहित हैं।

ग्यारह अंग के पाठ अर्थ सहित सम्पूर्ण जानते हैं, १४. पूर्व (बारहवे दृष्टिवाद नामक अंग*) के (भी) पाठक हैं (वर्तमान काल की अपेक्षा) निम्नोक्त बत्तीस सूत्रो के ज्ञाता हैं।

ग्यारह अंग

१. आचारांग	: जिसमे आचार का वर्णन है
२. सूत्रकृतांग	: जिसमे विचार (मत) का वर्णन है

‘पाँच महाव्रत पालते हैं, चार कषाय टालते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सम्पन्न हैं, नव वाड सहित ब्रह्मचर्य पालते हैं, दस प्रकार यति (साधु) धर्म पालते हैं दश प्रकार की वैयावृत्य करते हैं, बारह भेद से तपश्चर्या करते हैं, सत्रह भेद से संयम पालते हैं।’ ये चरण के (५+४+३+६+१०+१०+१२+१७=७०) सित्तर बोल हुए।

‘पाँच इन्द्रिय जीतते हैं, पाँच समिति, तीन गुप्ति विशुद्ध आराधते हैं, चारों प्रकार का पिण्ड (आहार, शय्या, वस्त्र, पात्र,) विशुद्ध (४२ दोष टाल कर) ग्रहण करते हैं; चार प्रकार का अभिग्रह (द्रव्य से क्षेत्र से, काल से, भाव से) करते हैं. बारह साधु प्रतिमाएँ धारण करते हैं, बारह भावनाएँ भाते हैं, २ पच्चीस भेद से प्रतिलेखन करते हैं। ये करण के (५+५+३+४+४+१२+१२+२५=७०) सित्तर बोल हुए।

* जिसमे जैन-अर्जन सभी शुद्ध-अशुद्ध दृष्टियों का कथन था।

३. स्थानांग (ठाणांग) : जिसमे नव तत्वों की स्थापना है
४. समवायांग : जिसमे नव तत्वों का निर्णय है
५. भगवती : जिसमे नव तत्वों की व्याख्या है
६. ज्ञाताधर्म कथा : जिसमे दृष्टांत व धर्मकथाएँ हैं
७. उपासक दशांग : जिसमे दश श्रावकों का वर्णन है
८. अंतकृत (अतगड) : जिसमें मोक्ष गये हुए साधुओं का वर्णन है
९. अनुत्तरोप-पातक (अनुत्तरोववाई) : जिसमे अनुत्तर विमान में गये हुए साधुओं का वर्णन है ।
१०. प्रश्नव्याकरण : जिसमे आश्रव सवर का वर्णन है
११. विपाक सूत्र बारह उपांग : जिसमे शुभ-अशुभ कर्मफल का वर्णन है ।
१. औपपातिक (उववाई) : जिसमे देवलोक में कौन कहाँ पैदा होता है ? इसका वर्णन है
२. राजप्रश्नीय : जिसमे राजा प्रदेशी के आत्मवाद सबधी प्रश्न और केशीमुनि के उत्तर हैं ।
३. जीवाभिगम : जिसमे जीव सबधी विविध वर्णन है ।
४. प्रज्ञापना : जिसमे विविध विषयों का वर्णन है ।
५. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति : जिसमे जम्बूद्वीप सबधी वर्णन है ।
६. चन्द्रप्रज्ञप्ति : जिसमे चन्द्र सबधी वर्णन है
७. सूर्यप्रज्ञप्ति : जिसमे सूर्य सबधी वर्णन है
८. निरयावलिका : जिसमे नरक गये, उनका वर्णन है
९. कल्पावतंसिका : जिसमे देवलोक गये, उनका वर्णन है
१०. पुष्पिका : जिसमे सम्यक्त्व आदि की विराधना करके देवलोक में देव बने, उनका वर्णन है ।

१६. वैराग्यवान् : राग द्वेष रहित होते हैं,
 २०. मन समाहरणता : मन वश में रखते हैं,
 २१. वचन समाहरणता : वचन वश में रखते हैं,
 २२. काय समाहरणता : काय वश में रखते हैं,
 २३. ज्ञानसम्पन्नता : सम्यग्ज्ञान सहित होते हैं,
 २४. दर्शन सम्पन्नता : सम्यग्दर्शन सहित होते हैं,
 २५. चारित्र सम्पन्नता : सम्यक्चारित्र सहित होते हैं,
 २६. वेयण- : (भूख, प्यास, रोग, आतंक आदि)
 अहियासण्या : अशाता वेदनीय को अति सहन
 करते हैं
 २७. मारणांतिय- : मरणांतिक कष्ट को भी अति सहन
 अहियासण्या करते हैं या मारने वाले के प्रति भो
 द्वेष नहीं करते हैं ।

पाँच आचार पालते हैं, छह काय की रक्षा करते हैं, सात कुव्यसन छोड़ते हैं, आठ मद छोड़ते हैं, नव वाड सहित ब्रह्मचर्य पालते हैं, दश प्रकार यति (साधु) धर्म पालते हैं, बारह भेद से तपश्चर्या करते हैं, सत्रह भेद से सयम पालते हैं, अट्ठारह पापों को त्यागते हैं, बावीस परीषह जीतते हैं, तीस महामोहनीय कर्म निवारते हैं, तैंतीस आशातना टालते हैं, बयालीस दोष टाल कर आहार-पानी लेते हैं, सैंतालीस दोष टाल कर भोगते हैं, बावन अनाचार टालते हैं, बुलाने से आते नहीं हैं, निमन्त्रण से जीमते नहीं हैं, सचित्त के त्यागी हैं, अचित्त के भोगी हैं, केशों का हाथ से लोच करना, नंगे पैर चलना आदि कायवर्ज्य करते हैं और मोह ममता रहित हैं ।

सवैया—आदरी सयम भार, करणी करे अपार, समिति-
 गुपति धार, विकथा निवारी है ॥ जयणा करे छह-काय, सावध

न बोले वाय, बुझाई कषाय लाय, किरिया भण्डारी है। ज्ञान भरो आठो याम, लेवे भगवन्त नाम, धरम को करे काम, ममता कूं मारी है। कहत है तिलोकरिख, करमो का टाले विख, ऐसे मुनिराज ताकूं वन्दना हमारी है ॥५॥

ऐसे साधु जी महाराज क्षमा करिये ।

हाथ जोड मान मोड नमस्कार करता हूँ ।

तिखुत्तो आयाहिण मत्थएण वदामि ।

आप मार्गलिक हो सदा काल शरण हो ।

विधि : पाँच पदों की वन्दना के पश्चात् कोई-कोई धर्माचार्य की और कोई-कोई पाँच परमेष्ठि की समुच्चय तथा धर्माचार्य की वन्दना निम्न पाठों से करते हैं ।

पाँचो पद मे पाँच परमेष्ठि भगवान् । १. अरिहन्त देव १२ बारह गुण सहित, २. सिद्धदेव ८ आठ गुण सहित, ३. आचार्यजी ३६ छत्तीस गुण सहित ४ उपाध्यायजी २५ पच्चीस गुण सहित और ५. साधुजी २७ गुण सहित—ये सब १०८ गुण सहित ।

सवैया—नमूं १ अरिहन्त, नमूं २ सिद्ध, ३. नमूं ३ आचारज ।

नमूं ४ उवज्जाय, नमूं ५. साधु अणगार ने ।

नमूं सब केवली ने, थविर ने, तपसी ने ।

नमूं कुल, गण, सध, साधु गुणधार ने ।

नमूं सब गुणवन्त, ज्ञानवन्त ध्यानवन्त ।

शीलवन्त तपवन्त, क्षमा गुण सार ने ।

ऋषि लालचद कहे, नमूं पाँचो पद ही को ।

१ नमूं, २. नमूं, ३ नमूं ४. नमूं, ५. नमूं श्री नवकार ने ॥

ऐसे श्री पच परमेष्ठि भगवान् . . सदा काल शरण हो ।

- ११ पुष्पचूलिका : जिसमे देवियाँ बनी, उनका वर्णन है
 १२. वृष्णिदशा : जिसमे यदुवशी साधुओं का वर्णन है
 चार मूलसूत्र
 १. उत्तराध्ययन : जिसमे भगवान की अन्तिम वार्णी है
 २. दशवैकालिक : जिसमे संक्षिप्त साध्व्याचार है
 ३. नन्दीसूत्र : जिसमे पाँच ज्ञान का वर्णन है
 ४. अनुयोगद्वार : जिसमे शास्त्र प्रवेश की पद्धति है
 चार छेद सूत्र
 १. दशाश्रुतस्कध : जिसमें अममात्रि आदि का वर्णन है
 २. बृहत्कल्प : जिसमे साधुओं के कल्प का वर्णन है
 ३. व्यवहार : जिसमे साधुओं के व्यवहार का वर्णन है
 ४. निशीथ : जिसमे अतिचारो का प्रायश्चित्त है
 और बत्तीसवाँ 'आवश्यक सूत्र' तथा अन्य अनेक ग्रन्थ के ज्ञाता
 सात, नय : मुख्य रूप से एक धर्म का ग्राही विचार
 चार, निक्षेप : समझने के लिए विषयो का विभाग
 निश्चय : भीतरी वास्तविक दृष्टि
 व्यवहार : बाहरी औचित्य की दृष्टि
 चार प्रमाण : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम

और स्वमत परमत के ज्ञाता मनुष्य या देवता कोई भी विवाद मे जिनको छलने मे समर्थ नहीं, जिन नहीं, पर जिन समान, केवली नहीं, पर केवली समान हैं ।

सवेया पढत ग्यारह अग, करमो सू करे जग (युद्ध), पाखडी (वादी) को मान भग, करण हुशियारी है ।

धेवदे पूरव धार, जानत आगमसार, भविष्यन (जन) के सुखकार, भ्रमता निवारी है। पढावे भविक जन, स्थिर कर देत मन, तप कर तावे (तपावे) तन, ममता को मारी है। कहत है तिलोकरिख, ज्ञान भासु परतिख, (प्रत्यक्ष) ऐसे उपाध्याय ताकू चन्दना हमारी है ॥४॥

ऐसे उपाध्यायजी महाराज, मिथ्यात्वरूप अन्धकार के नाशक, सम्भक्ति रूप उद्योत के कर्त्ता, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करने वाले, सारण (विस्मृत पाठ का स्मरण कराने वाले) चारण (पाठ की अशुद्धि का निवारण करने वाले) धारण (नये पाठ को धरने वाले) इत्यादि अनेक गुण सहित हैं।

ऐसे उपाध्यायजी महाराज ! क्षमा करिये।

हाथ जोड़ सन मोड़ नमस्कार करता हूँ।

तिक्खुत्तो आयाहिणं भत्थएणं वदामि।

आप मागलिक हो सदा काल शरण हो।

पाँचवें पद में श्री सर्व साधुजी महाराज।

अढाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र रूप लोक में जघन्य दो सहस्र (‘‘हजार’) करोड़, उत्कृष्ट नव सहस्र (हजार) करोड़ जयवन्त विचरते हैं।

१-५ पाँच महाव्रत पालते हैं, ६-१० पाँच इन्द्रिय जीतते हैं
११-१४ (‘उदय में आई हुई’) चार कषाय टालते हैं

१५. भाव के सच्चे : समय को अन्तरात्मा से पालते हैं,

१६. करण के सच्चे : तीनों करणों से पालते हैं,

१७. योग के सच्चे : तीनों योगों से पालते हैं,

१८ क्षमावान् : कषाय उदय में आने नहीं देते हैं,

१६. वैराग्यवान् : राग द्वेष रहित होते हैं,
 २०. मन समाहरणता : मन वश में रखते हैं,
 २१. वचन समाहरणता : वचन वश में रखते हैं,
 २२. काय समाहरणता : काया वश में रखते हैं,
 २३. ज्ञानसम्पन्नता : सम्यग्ज्ञान सहित होते हैं,
 २४. दर्शन सम्पन्नता : सम्यग्दर्शन सहित होते हैं,
 २५. चारित्र सम्पन्नता : सम्यक्चारित्र सहित होते हैं,
 २६. वेयण-
 अहियासणया : (भूख, प्यास, रोग, आतंक आदि)
 : अशांता वेदनीय को अति सहन
 करते हैं
 २७. मारणांतिय-
 अहियासणया : मरणांतिक कष्ट को भी अति सहन
 करते हैं या मारने वाले के प्रति भो
 द्वेष नहीं करते हैं ।

पाँच आचार पालते हैं, छह काय की रक्षा करते हैं, सात कुव्यसन छोड़ते हैं, आठ मद छोड़ते हैं, नव वाड सहित ब्रह्मचर्य पालते हैं, दश प्रकार यति (साधु) धर्म पालते हैं, बारह भेद से तपश्चर्या करते हैं, सत्रह भेद से सयम पालते हैं, अट्ठारह पापों को त्यागते हैं, बावीस परीषह जीतते हैं, तीस महामोहनीय कर्म निवारते हैं, तैंतीस आशातना टालते हैं, बयालीस दोष टाल कर आहार-पानी लेते हैं, सैंतालीस दोष टाल कर भोगते हैं, बावन अनाचार टालते हैं, बुलाने से आते नहीं हैं, निमन्त्रण से जीमते नहीं हैं, सच्चित्त के त्यागी हैं, अचित्त के भोगी हैं, केशो का हाथ से लोच करना, नगे पैर चलना आदि कायवर्त्तन करते हैं और मोह ममता रहित हैं ।

सवैया—आदरी सयम भार, करणी करे अपार, समिति-
 गुपति धार, विकया निवारी है । जयणा करे छह-काय, सावक

न बोले वाय, बुझाई कषाय लाय, किरिया भण्डारी है। ज्ञान भण्डे आठो याम, लेवे भगवन्त नाम, घरम को करे काम, ममता कूँ मारी है। कहत है तिलोकरिख, करमो का टाले विख, ऐसे मुनिराज ताकूँ वन्दना हमारी है ॥५॥

ऐसे साधु जी महाराज क्षमा करिये ।
 हाथ जोड मान मोड नमस्कार करता हूँ ।
 तिवबुत्तो आयाहिण मत्थएण वदामि ।
 आप मार्गलिक हो सदा काल शरण हो ।

विधि : पाँच पदों की वन्दना के पश्चात् कोई-कोई धर्माचार्य की और कोई-कोई पाँच परमेष्ठि की समुच्चय तथा धर्माचार्य की वन्दना निम्न पाठो से करते हैं ।

पाँचों पद में पाँच परमेष्ठि भगवान् । १. अरिहन्त देव १२ बारह गुण सहित, २. सिद्धदेव ८ आठ गुण सहित, ३. आचार्यजी ३६ छत्तीस गुण सहित ४ उपाध्यायजी २५ पच्चीस गुण सहित और ५. साधुजी २७ गुण सहित—यों सब १०८ गुण सहित ।

सवैया—नमूँ १ अरिहन्त, नमूँ २ सिद्ध, ३. नमूँ ३ आचारज ।
 नमूँ ४ उवज्झाय, नमूँ ५. साधु अणगार ने ।
 नमूँ सब केवली ने, थविर ने, तपसी ने ।
 नमूँ कुल, गण, सघ, साधु गुणधार ने ।
 नमूँ सब गुणवन्त, ज्ञानवन्त ध्यानवन्त ।
 शीलवन्त तपवन्त, क्षमा गुण सार ने ।
 ऋषि लालचद कहे, नमूँ पाँचो पद ही को ।
 १ नमूँ, २. नमूँ, ३ नमूँ ४. नमूँ, ५. नमूँ श्री नवकार ने ॥
 ऐसे श्री पंच परमेष्ठि भगवान् ... सदा काल शरण हो ।

अरिहन्त आचार्य उपाध्याय साधु या श्रावक श्राविका पद में श्री धर्माचार्यजी (अपने धर्माचार्य का नाम ग्रहण करे। धर्म उपदेश के दाता, सम्यक्त्व रूप रत्न के दाता, ज्ञान रूप नेत्र के दाता, संसार सागर से तिराने वाले, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले, हृदय के हार के समान, मस्तक के मुकुट के समान, कान के कुण्डल के समान, आँख की कोकी के समान, रत्न की पेटी के समान, कल्पवृक्ष के समान, चिन्तामणि के समान, आदि अनेक उपमा सहित अनन्त अनन्त उपकारी महापुरुष।

गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात,
गुरु भूप गुरु भ्रात, गुरु हितकारी हैं।
गुरु रवि, गुरु चंद्र, गुरु देव गुरु इन्द्र,
गुरु दिया चिदानन्द, गुरु पद भारी है ॥
गुरु दिया ज्ञान ध्यान, गुरु दिया दान मान,
गुरु देवे मोक्ष स्थान, सदा उपकारी है।
कहत है तिलोक रिख, भली भली दिवी सीख,
पल पल गुरुजी को, वन्दना हमारी है।

ऐसे श्री धर्माचार्यजी सदाकाल शरण हो।

विधि : श्रावक सूत्र पढ़ने वाले निम्न दोहे सीधे पल्यंकादिक आसन से बैठ कर पढ़ते हैं तथा श्रमण सूत्र पढ़ने वाले खड़े होकर पढ़ते हैं।

॥ दोहे ॥

अनन्त चौवीसी जिन नमूँ, सिद्ध अनन्त करोड़।
केवल ज्ञानी गणधरा, वन्दूँ युग कर जोड़ ॥१॥

दो करोड केवल घरा, विहर-मान जिन वीस ।
 सहस्र युगल कोटि तथा साधु नमूं निश-दीस ॥२॥
 धन धन साधु साध्वी, धन धन है जिन धर्म ।
 जो सुमरण पालन करे, क्षय हो आठो कर्म ॥३॥
 अरिहन्त सिद्ध समरू सदा, आचारज उवज्भाय ।
 साधु सकल के चरण को, वन्दूं शीश नमाय ॥४॥

वंदना प्रश्नोत्तरी

प्र० अरिहन्त उपकार की दृष्टि से ही बड़े हैं, आत्मिक गुणों की दृष्टि से तो सिद्ध बड़े हैं, फिर अरिहन्त के गुण अधिक क्यों ? और सिद्ध के गुण कम क्यों ?

उ० : अरिहन्त के जो बारह गुण हैं, उसमें, पहले के चार गुण ही आत्मिक गुण हैं, शेष बारह गुण तो उपकार सबधी हैं । और सिद्ध के सभी आठो ही गुण, आत्मिक गुण हैं, अतः अरिहन्त के आत्मिक गुणों से, सिद्धों के आत्मिक गुण अधिक ही हैं, कम नहीं ।

प्र० : आचार्य श्री के जो पहले छत्तीस गुण बताए हैं, वे सामान्य साधुओं में भी मिलते हैं, फिर उनमें विशेषता क्या है ?

उ० : आचार्य श्री में वे गुण, सभी सामान्य साधुओं की अपेक्षा प्रायः अधिक विशुद्ध रूप में मिलते हैं, अतः वे विशेषतायुक्त होते हैं । दूसरी प्रकार के जो छत्तीस गुण बताए हैं, उनसे तो उनमें स्पष्टतया विशेषता दिखायी देती ही है ।

प्र० उपाध्याय श्री, जब सामान्य साधुओं से विनिष्ठ होते हैं, तब उनमें साधुओं से गुण कम क्यों ?

उ० : चरण सत्तरी, करण सत्तरी में, बहुत गुणों को संग्रहित कर दिया है। उन बोलों को पृथक् रूप में गिनने पर उपाध्याय श्री में साधुओं से गुण कम नहीं रहते।

प्र० : सिद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं होते हैं ?

उ० : क्योंकि, वे, शरीर रहित, मोक्ष में पधारे हुए होते हैं, अतः वे किसी को धर्म उपदेश नहीं देते; इस कारण वे किसी के धर्म आचार्य नहीं होते।

प्र० : श्रावक श्राविका धर्माचार्य कैसे हो सकते हैं ?

उ० : जो भी धर्म का उपदेश देकर सम्यक्त्व प्रदान करे, उन्हें यहाँ धर्माचार्य कहा है। धर्म उपदेश, श्रावक श्राविका भी अन्य को देते हैं, इसलिए वे भी धर्माचार्य हो सकते हैं।

प्र० : श्रावक धर्माचार्य का शास्त्रीय उदाहरण दीजिए।

उ० : औपपातिक सूत्र में अंबड (सन्यासी) श्रावक के शिष्यों ने अपने धर्मोपदेशदाता अंबड को 'धर्माचार्य' कहा है।



पाठ ३३ तैतोसवाँ

विधि : पिछले दोहे पढ़ने के पश्चात् आगे भी श्रावक सूत्र पढ़ने वाले बैठे-बैठे ही 'आयरिय उवज्झाए' आदि तीन गाथाएँ, श्रावक-श्राविकाओं को खमाने का पाठ, चौरासी लाख जीव-योनि खमाने का पाठ, 'खामेमि सव्वे जीवा' आदि दो गाथाएँ और अट्टारह पापस्थानक कहते हैं, तथा श्रमण सूत्र पढ़ने वाले खड़े-खड़े ही निम्न पाठों को क्रमबद्ध पढ़ते हैं ।

'खामेमि सव्वे जीवा' खमाने का पाठ

[आयरिय उवज्झाए	: आचार्य उपाध्याय (आदि बड़ों पर)
सीसे	: शिष्य (आदि छोटे पर)
साहम्मिए	: (तथा) स्वधर्मी (समान पुरुषों पर)
कुल	: कुल (जो एक आचार्य परम्परा के)
गणे अ ।	: या गण (अनेक आचार्य परम्परा के हैं उन) पर
जे मे केई	: जो मने कोई भी
कसाया	: क्रोध आदि कषाये की हो (तो)
सव्वे	: (उसके लिए मैं उन) सभी को
तिविहेण	: (मन वचन काया इन) तीनों योगों से
खामेमि ॥१॥	: खमाता हूँ (क्षमायाचना करता हूँ)
सव्वस्स	: (इसी प्रकार) सम्पूर्ण
समण-	: श्रमण (साधु-साध्वी श्राविक-श्राविका)
संघस्स; भगवओ	: संघ भगवान् को
अंजलिं करिअ सीसे ।	: अजलि करके सिर पर

सव्वे खमावइत्ता,	: सभी को खमाकर,
खमामि	: खमता हूँ (क्षमा प्रदान करता हूँ)
सव्वस्स	: सभी (आचार्य से संघ पर्यन्त) को
अहयपि ॥२॥	: मैं भी ॥२॥
सव्वस्स जीवरासिस्स,	: (इसी प्रकार) सम्पूर्ण जीवराशि को
भावओ	: भाव सहित
धम्म-निहिय	: (क्षमा) धर्म में रखकर
नियचित्तो ॥	: अपने चित्त को
सव्वे खमावइत्ता,	: सभी को खमाकर
खमामि	: खमता हूँ (क्षमा प्रदान करता हूँ)
सव्वस्स अहय पि ॥३॥]	: सभी (जीव राशि) को मैं भी ॥३॥
खामेमि सव्वे जीवा	: खमाता हूँ, सभी जीवों को (इसलिए)
सव्वे जीवा खमंतु मे	: सभी जीव खमे मुझे (मुझे क्षमा दें)
मिस्सि मे	: (क्योंकि) मैत्री है मेरी
सव्व भूएसु	: सभी जीवों से (परन्तु)
वेर मज्झं ए केणई ॥४॥	: वैर मेरा नहीं है किसी से भी ॥४॥
एवमहं, आलोइय-	: इस प्रकार मैं अपनी आलोचना,
निदिय- गरहय-	: निन्दा, गद्दी और
दुगुंछिय सम्मं ।	: जुगुप्सा (घृणा) सम्यक् प्रकार से करके
तिविहेण	: (मन वचन काया इन) तीनों योगों से
पडिवकंतो	: पापों से प्रतिक्रमण करके
चदामि	: वन्दना करता हूँ,
जिणे चउव्वीस ॥५॥	: चौबीसों जिनेश्वरों को ॥५॥

श्रावक-श्राविकाओं को खमाने का पाठ

अठ्ठाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र में मनुष्य तिर्यञ्च श्रावक-श्राविका,
बाहर तिर्यञ्च श्रावक-श्राविका दान देते हैं, शील पालते हैं,

संप्रसाद करते हैं, शुद्ध भावना भाते हैं, संवर करते हैं, पौषध करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तीन मनोरथ चिन्तवते हैं, चौदह नियम चितारते हैं, जीवादिक नव पदार्थ जानते हैं, श्रावक के इक्कीस गुण करके युक्त, एक व्रतधारी, यावत् बारह व्रतधारी, भगवान् की आज्ञा में विचरते हैं, ऐसे बड़ो से हाथ जोड़, पैरों में पड करके क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करें, आप क्षमा करने योग्य हैं और शेष सबसे समुच्चय क्षमा मांगता हूँ ।

चौरासी लाख जीवयोनि खमाने का पाठ

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अण्काय, सात लाख तेजस्काय, सात लाख वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख द्वीन्द्रिय, दो लाख त्रीन्द्रिय, दो लाख चतुरिन्द्रिय, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यश्च पंचेन्द्रिय, चार लाख देवता, चौदह लाख मनुष्य—ऐसे चार गति में $(७+७+७+७+१०+१४+२+२+२+४+४+४+१४=८४)$ चौरासी लाख जीव-योनि के सूक्ष्म बादर, अपर्याप्त-पर्याप्त जीवों में से किसी जीव का हिलते-चलते, उठते-बैठते, सोते-जागते हनन किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, तो अठारह लाख चौबीस हजार एक सौ बीस [१८,२४,१२०] प्रकार से तत्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

कुल कोटि खमाने का पाठ

पृथ्वीकाय के बारह लाख, अण्काय के सात लाख, तेजस्काय के तीन लाख, वायुकाय के सात लाख, वनस्पतिकाय के अट्ठाईस लाख, द्वीन्द्रिय के सात लाख, त्रीन्द्रिय के आठ लाख, चतुरिन्द्रिय के नव लाख, जलचर के साढ़े बारह लाख, स्थलचर

के दश लाख, खेचर के बारह लाख, उरः परिसर्प के दश लाख, भुज परिसर्प के नव लाख, नारक के पच्चीस लाख, देवता के छब्बीस लाख, मनुष्य के बारह लाख, ऐसे $(१२+७+३+७+२८+७+८+६+१२॥+१०+१२+१०+६+२५+२६+१२=१,६७,५०,०००)$ एक करोड़ साठे सत्यानवें लाख, कुल कोटि जीवों की विराधना की हो, तो दिन मबधी तस्सा मिच्छा मि दुवकडं ।

॥चौथा आवश्यक सनाहा॥

‘प्रश्नोत्तरी’

प्र० : वहाँ वन्दना किसे कहा है ?

उ० : अरिहन्त आदि गुणवान् जीवों के गुणों का स्मरण और स्तुति करते हुए नमस्कार करने को ।

प्र० : वन्दना और क्षमापना में क्या अन्तर है ?

उ० : यहाँ विशेष कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि दोनों में क्षमायाचना का भाव ही मुख्य है ।

प्र० : तब दोनों को पृथक् क्यों किया गया ?

उ० : इसलिए कि, वन्दना में प्रायः वन्दना के शब्द अधिक हैं और क्षमापना के शब्द अल्प हैं तथा क्षमापना में प्रायः क्षमापना के ही शब्द विशेष हैं ।

प्र० : जब कि वन्दना में ‘क्षमापना का ही भाव मुख्य है’, तब उसमें ‘क्षमापना के शब्द कम क्यों और वन्दना के शब्द अधिक क्यों ?’

उ० : 'अपने से बड़े पूज्य पुरुषों से क्षमायाचना, उनके गुणगान करते हुए और उनका विनय करते हुए करनी चाहिए।' यह बताने के लिए ।

प्र० : 'क्षमापना' प्रतिक्रमण आवश्यक में क्यों रक्खी गई ?

उ० : हमने १. जो दूसरे जीवों का अविनय अपराध करके हिंसा का पाप किया तथा २. दूसरों के द्वारा हमारे प्रति अपराध किये जाने पर हमने जो क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, वे दोनों पाप क्षमापना से दूर होते हैं, इसलिए ।

प्र० : ये दोनों पाप तो अट्टारह पाप के प्रतिक्रमण से ही दूर हो जाते हैं, तब पृथक् क्षमायाचना क्यों की जाती है ?

उ० : '१. हिंसा से हटना और कषाय का उपशम करना' ये दोनों जैन धर्म के आचार में मुख्य हैं । इसलिए इन दोनों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रतिक्रमण करना इष्ट है । क्षमापना में, जीवों के हृदय से हिंसा से हटाने की और कषाय उपशम करने की अद्भुत शक्ति है । अतः उक्त दोनों की प्राप्ति के लिए पृथक् क्षमायाचना की जाती है ।

प्र० : हम क्षमा याचना करें, पर सामने वाले क्रोधो जीव क्षमा न दे, तो ?

उ० : हार्दिक क्षमायाचना और बार-बार क्षमायाचना से प्रायः सामने वाले का क्रोध उपशान्त हो जाता है और वह क्षमा प्रदान कर देता है । कदाचित् वह क्षमा प्रदान न भी करे, तो क्षमायाचना करने वाला तो क्षमायाचना करने से पापमुक्त बनता ही है ।

प्र० : नित्य क्षमायाचना करे, पर वैर विरोध करना, न छोड़ें, तो ?

‘उ० : स्थूल (बड़े) वैर विरोध तो छोड़ने ही चाहिए । अन्यथा क्षमायाचना का ‘चाहिए उतना लाभ’ नहीं हो सकता । यदि कदाचित् कर्म उदयवश न छूट सके, तो हार्दिक क्षमायाचना से लाभ ही है, क्योंकि ऐसी क्षमायाचना करने वाले को वैर विरोध का पाप वँधेगा, पर चिकना पाप नहीं वँधेगा ।

प्र० : जीव-योनि किसे कहते हैं ?

उ० : जीवो के उत्पत्ति स्थान को ।

प्र० : पृथ्वी-कायादि के मूल भेद कितने हैं ?

उ० : चार स्थावर के ३५०-३५०, प्रत्येक वस्स्पति के ५००, साधारण वनस्पति और मनुष्य के ७००-७००, तीन विकलेन्द्रिय के १००-१०० तथा शेष नारक, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और देवता के २००-२००, मूल भेद है ।

प्र० : मूल भेद ध्यान में रखने का सरल उपाय क्या है ?

उ० : ‘एक लाख के पीछे ५० मूल भेद होते हैं ।’ ‘यह स्मरण रखना ।

प्र० : पृथ्वीकाय आदि के ३५० आदि मूल भेद ७,००,००० आदि उत्तरभेद कैसे बनते हैं ?

उ० : इन मूल ३५० आदि भेदों को क्रमशः $५ \times २ \times ५ \times २०००$, से गुना करने पर, या इनके परस्पर गुणन से होने वाली ८×५ संख्या से गुणन करने पर बनते हैं ।

प्र० : इस प्रकार गुणन क्यों किया जाता है ?

उ० : क्योंकि, प्रत्येक मूल भेद के पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस, आठ स्पर्श और पाँच सस्थान के भेद से नाना उत्तर भेद होते हैं ।

प्र० : १८, २४, १२० प्रकार कैसे बनते हैं ?

उ० : ससारी जीवों के ५६३ भेदों को क्रमशः $१० \times २ \times ३ \times ३ \times ३ \times ६$ से गुणा करने पर या इनके परस्पर गुणन से होने वाली ३२४० संख्या से गुणन करने पर बनते हैं ।
($५०६३ \times ३२४० = १८, २४, १२००$)

प्र० : इस प्रकार गुणन क्यों किया जाता है ?

उ० : क्योंकि, जीवों की विराधना अभिहया इत्यादि दस प्रकारों से होती है, राग-द्वेष इन दो कारणों से होती है । तीन करण तीन योग से होती है और भूत, भविष्यत् वर्तमान-इन तीन काल में होती है तथा इनकी विराधना अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और आत्मा इन छह की साक्षी से 'मिच्छा मि दुक्कड द्रिया जाता है ।

प्र० : कुलकोटि किसे कहते हैं ?

उ० : नाना जीव-योनियों में होने वाले जीवों के कुल (वश) के प्रकारों को ।



पाठ ३४ चौतीसवा

पाँचवाँ आवश्यक

विधि : चौथा आवश्यक पूरा होने पर 'पहला सामायिक दूसरा चतुर्विंशतिस्तव, तीसरी वन्दना, चौथा प्रतिक्रमण—ये चार आवश्यक पूरे हुए, पाँचवे आवश्यक की आज्ञा है।' यह कहकर पाँचवे आवश्यक की आज्ञा लें। दो प्रतिक्रमण करने वाले चतुर्मासी और सावत्सरी के दिन पहले प्रतिक्रमण में चार आवश्यक पूरे हो जाने पर पाँचवाँ और छठा आवश्यक नहीं करते, सीधे ही दूसरा प्रतिक्रमण आरम्भ करते हैं।

फिर निम्न कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का पष्ठ पढ़ें। फिर नमस्कार मंत्र, करेमि भंते, इच्छामि ठामि काउसर्गं और तस्स उत्तरी पढकर लोगस्स का कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग में कुछ की मान्यता अनुसार दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण में चार, पाक्षिक प्रतिक्रमण में आठ, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में बारह तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण में बीस लोगस्स का ध्यान करना चाहिए। और कुछ की मान्यतानुसार दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण में चार, पाक्षिक प्रतिक्रमण में बारह, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में बीस और सावत्सरिक प्रतिक्रमण में चालीस लोगस्स और दो नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए।†

† इस विषय में वर्धमान श्रमण सघ के नियम के पालने वालों को ४, ८, १२, २० लोगस्स का ध्यान करना चाहिए।

फिर नमस्कार मन्त्र गिन कर कायोत्सर्ग पाले और पुनः एक प्रकट नमस्कार मन्त्र और लोगस्स पढ़े । पीछे पहले बताई हुई विधि के अनुसार दो 'इच्छामि' खमासमणो पढ़े ।

॥ पांचवा आवश्यक समाप्त ॥

कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का पाठ

इच्छामि शं भते तुवर्मेह : चाहता हूँ, हे भगवन् ! आपके द्वारा
 अब्रभणुणाए समाणे : आज्ञा मिलने पर
 देवसिय- : दिन सबधी
 पायच्छित्त- : प्रायश्चित्त (स्थान, अतिचारो) की
 विसोहरणत्थं- : विशुद्धि करने के लिए
 करेमि, काउसगं । : करता हूँ, कायोत्सर्ग ।

‘कायोत्सर्ग’ प्रश्नोत्तरी

प्र० : कायोत्सर्ग आवश्यक में सदा समान संख्या में लोगस्स का ध्यान क्यों नहीं किया जाता ?

उ० इसलिए कि 'दैवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण में पिछले लगभग १५ मुहूर्त (१२ घण्टे) जितने अल्प समय में लगे अतिचारो की ही शुद्धि करनी होती है, अतः उस शुद्धि के लिए मात्र चार लोगस्स का ही छोटा ध्यान पर्याप्त होता है । पर पाक्षिक प्रतिक्रमण में पन्द्रह दिनों में लगे अनिचारो की शुद्धि करनी होती है, अतः चार लोगस्स से तीगुने या दूने (१२ या ८) लोगस्स का बड़ा ध्यान आवश्यक होता है तथा चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में चार महीने में लगे अतिचारो की शुद्धि करनी

होती है, अतः चार लोगस्स से पाँच गुने या तिगुने (२० या १२) लोगस्स का विशेष बड़ा ध्यान आवश्यक होता है तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण में वर्ष भर में लगे अतिचारो की शुद्धि करनी होती है, अतः चार लोगस्स से दश गुने (दो नमस्कार मंत्र रूप शिखर सहित) या पाँच गुने (२० या ४०) लोगस्स का बहुत बड़ा ध्यान आवश्यक होता है ।



पाठ ३५ पैतीसवाँ

छठा आवश्यक

‘पाँचवाँ आवश्यक समाप्त हो जाने पर वन्दन करके पहला सामायिक, दूसरा चउवीसत्थव, तीसरी वन्दना, चौथा प्रतिक्रमण, पाँचवाँ कायोत्सर्ग—ये पाँच आवश्यक पूरे हुए । छठे आवश्यक की आज्ञा है ।’ यह कह कर छठे आवश्यक की आज्ञा ले ।

फिर मन में सूर्योदय उपरांत नमस्कारसहित (नवकारसी) आदि जो वन सके, उसे करने की धारणा करे । जहाँ तक हो सके, सम्पूर्ण रात्रि के लिए चतुर्विधाहार (चउविहाहार) की धारणा करें । यदि न धने, तो अल्प-से-अल्प आधी रात तक त्रिविधाहार (तिविहाहार) और शेष रात्रि के लिए चतुर्विधाहार की धारणा करे । प्रातःकाल के ‘रात्रिक प्रतिक्रमण’ में, सध्या के ‘दैवसिक प्रतिक्रमण’ में जो प्रत्याख्यान धारणा किये थे, उनमें भावना और अवसर के अनुसार वृद्धि करे तथा १४ नियम या अहिंसादि सक्षेप के नियमों को धारणा करे ।

फिर यदि मुनिराज विराजते हो, तो—'मत्थएण वदामि।' 'पञ्चवखारा कराइये।' यह कहकर, प्रत्याख्यान मांगे। यदि चे न हो और बड़े श्रावकजी हो, तो 'बड़े श्रावकजी ! प्रत्याख्यान कराइये।' यह कहकर प्रत्याख्यान मांगें। यदि दोनों ही न हो, तो फिर 'अरिहत सिद्ध की साक्षी से तथा गुरुदेव की आज्ञा से' यह कहकर 'समुच्चय प्रत्याख्यान' के पाठ से स्वयं प्रत्याख्यान करें।

मुनिराज आदि प्रत्याख्यान करावें, तो जब वे प्रत्याख्यान के अन्त में 'वोसिरे' कहे, तब स्वयं 'वोसिरामि' शब्द का उच्चारण करें। फिर 'तहत्' (तथेति = वैसा ही स्वीका है।) यह कहकर पहली सामायिक आदि अन्तिम पाठ पढ़े। फिर नीचे दाहिना घुटना भूमि पर और बाया घुटना खड़ा रखकर विधि सहित दो 'नमोत्थुण' दे।

॥ छठा आवश्यक समाप्त ॥

फिर मुनिराज विराजते हो, तो बड़े श्रावक वन्दना करवें, उसके पश्चात् क्रम से विधि सहित उन्हें वन्दना करे, सुखसाता पूछे और क्षमायाचना करें। यदि न हो, तो पूर्व या उत्तर दिशा में झुह करके महावीर स्वामी या सीमधर स्वामी को तथा अपने धर्माचार्य को वन्दना करे। फिर सभी स्वधर्मों बन्धुओं से हाथ जोड़ शीज झुका क्षमापना करे। चाप में चौबीसी आदि स्तवन का उच्चारण करे।

'समुच्चय प्रत्याख्यान' का पाठ

जगण् सूरै

: (रात्रि को तिविहाहार, चउ
विविहाहार आदि जो किया, उस

परचात् अगला पिछला काल मिला
कर) सूर्य उदय से लेकर

१. गठि-सहियं (अन्यसहित) : जब तक मैं अपने कपड़े डोरी आदि की
गाठ बधी रखूँ, या

२. मुट्ठि-सहियं (मुष्टिसहित) मुट्ठी को बधी रखूँ या

३. नमुक्कार-सहियं : एक मुहूर्त और उसके उपरांत एक
(नमस्कार सहित) नमस्कार मात्र न गिनूँ या

४. पोरिसियं (पौरुषी) : एक प्रहर दिन न आवे या

५. साड्डु-पोरिसियं : डेढ़ प्रहर दिन न आवे, तब तक
तिविह पि : (पानी को छोड़ शेष) तीनों प्रकार के

चउव्विह पि आहारं : (या) चारों प्रकार के आहार-
१. असण २. पाणं अन्न (अन्न विगय) पानी (जल)

३ खाइमं ४. साइमं : खाद्य (फल, मेवा, औषधि) और स्वाद्य

अपनी अपनी धारणा प्रमाणे (यै या अन्य) पच्चवखाण

(पच्चवखामि) : (का प्रत्याख्यान करता हूँ)

अन्नत्थणाभोगेणं : इन आकारों (आगारों) को छोड़कर

(अन्यत्र अनाभोग) : प्रत्याख्यान की स्मृति न रहे या

सहसागारेणं : अकस्मात् मुह मे वर्षा की वृद्ध आदि
(सहसाकार) चली जाय या कोई बलात् मुह में
रूँस दे, या

महत्तरा-गारेणं : महत्तर अर्थात् किये हुए प्रत्याख्यान
(महत्तराकार) में विशेष निर्जरा का अवसर उपस्थित
होने पर महत्तर अर्थात् बड़े को
आज्ञा हा जाय, या

सव्व-सनाहि- : शीघ्र प्राणनाशकारी विशूचिकर
वत्तियागारेण (हैजा) आदि रोग या सर्पदंश आदि

(सर्व-समाधि-
प्रत्यायाकार)

हो जाय, उसे भिटाकर समाधि पाने
के लिए औषधि आदि लेना पड़े (या
अन्य किसी कारण से आहार करना
पड़े, तो मेरा प्रत्याख्यान भग्य नहीं
होया, इस प्रकार मैं)

वोसिररनि

: (अपनी आहार आत्मा को) वोसि-
राता हूँ ।

समुच्चय का पाठ

पहलो सामायिक, दूसरा चतुर्विंशतिस्तव, तीसरी वन्दना,
चौथा प्रतिक्रमण, पाँचवाँ कायोत्सर्ग, छठा प्रत्याख्यान—इन छह
आवश्यकों में जानते अनजानते जो कोई अतिचार दोष लगा
हो और पाठ उच्चारण करते अक्षर, व्यञ्जन, मात्रा, अनुस्वार,
पद आदि आगे-पीछे, उलट-पलट, न्यून-अधिक कहा हो, तो
दिन सबधी तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

१. मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, २. अव्रत का प्रतिक्रमण,
३. प्रमाद का प्रतिक्रमण, ४. कषाय का प्रतिक्रमण,
५. अशुभयोग का प्रतिक्रमण, इन पाँच प्रतिक्रमण में से कोई
प्रतिक्रमण न किया हो, तथा चलते, फिरते, उठते, बैठते,
पढ़ते, गुणते, जानते, अनजानते, १. ज्ञान, २. दर्शन, ३. चारित्र्य,
४. तप सम्बन्धी कोई दोष लगा हो, तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

१. गये काल का प्रतिक्रमण, २. वर्तमान काल की
सामायिक और ३ आगामी काल का पच्चवखाण, इनमें जो
कोई दोष लगा हो, तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

१. शम, २. संवेग, ३. निर्वेद, ४ अनुकम्पा और
 ५. आस्तिकता (आस्था)—ये पाँच व्यवहार समकित के लक्षण
 हैं। इनको मैं धारण करता हूँ।

‘प्रश्नोत्तरी’

प्र० : ‘मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण’ किन पाठों से होता है।

उ० : मुख्यतया ‘दर्शनसम्यक्त्व’ के पाठ से, अट्टारह पाप
 के ‘मिथ्यादर्शन शल्य’ इस पाठ से तथा पच्चीस ‘मिथ्यात्व’
 आदि के पाठ से होता है।

प्र० : ‘अव्रत का प्रतिक्रमण’ किन पाठों से होता है ?

उ० : मुख्यतया ‘इच्छामि ठाएमि’ के पचण्हमणुव्याण’
 आदि पाठ से, पाँच अणुव्रतो के पाठ से तथा अट्टारह पाप के
 ‘हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह’ के पाठ से होता है।

प्र० : ‘प्रमाद और अशुभयोग का प्रतिक्रमण’ किन पाठों
 से होता है ?

उ० : मुख्यतया ‘इच्छामि ठाएमि’ के ‘तिण्ह गुत्तीण’ आदि
 पाठ से, गुणव्रतो के और शिक्षावतो के पाठ से, अट्टारह पाप
 के ‘कलह’ आदि पाठ से, १४. समूच्छिम के पाठ से तथा पगाम
 सिज्जाए, गोयरग्ग-चरियाए, चाउक्काल सज्झायस्स, आदि के
 पाठ से होता है।

प्र० : ‘कषाय का प्रतिक्रमण’ किन पाठों से होता है ?

उ० : मुख्यतया ‘इच्छामि ठाएमि’ के ‘चउण्ह कसायाण’
 के पाठ से, तथा अट्टारह पाप के ‘क्रोध, मान, माया, लोभ,
 इत्यादि के पाठ से होता है।

प्र० : आगामी काल के प्रत्याख्यान का प्रतिक्रमण कैसे होता है ?

उ० यदि आगामी काल के प्रत्याख्यान श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, सम्यक्तया पाठोच्चारण के साथ तथा शुद्ध भाव आदि से साथ धारण न किये हो, तो उसका प्रतिक्रमण होता है ।

‘रात्रि-भोजन त्याग’ निबन्ध

छठे प्रत्याख्यान आवश्यक मे जो ‘नमस्कार सहित’ (नवकारसी) आदि प्रत्याख्यान बताये है, उनके पूर्व मे रात्रि भोजन का त्याग मुख्य रूप से समाया हुआ है, अतः रात्रि भोजन के त्याग पर विचार किया जाता है ।

१. सूक्त : १. ‘अहो निच्च तवोकम्म, एगभत्त च भोयण’ जो रात्रि भोजन न करके केवल एक (दिन) भक्त ही करता है, अहो, वह धन्य है ।’ क्योंकि उसकी प्रत्येक अहोरात्रि तपयुक्त व्यतीत होती है ।—वश० । २. रात्रि भोजन न करने वाले का, प्रतिवर्ष मे छह मास जितना समय तपोमय बन कर सार्थक हो जाता है । ३. वैष्णव मतानुसार जो रात्रि भोजन का नित्य त्याग करता है, उसे तीर्थ यात्रा करने जितना फल होता है ।

२. उद्देश्य : रात्रि भोजन से मुह के द्वारा जीवो की विराघना के कारण होने वाली भाव महा हिंसा को टालना और तपोमार्ग मे प्रवेश करना ।

३. स्थान : आचार्यों ने, रात्रि भोजन के त्याग का स्थान ‘सातवें उपभोग परिभोग व्रत’ मे बताया है । उनका कथन है कि

‘जैसे भोजन में काम आने वाले द्रव्यों की जाति, संख्या, भार आदि से प्रमाण करना, सातवें व्रत में आता है, वैसे ही ‘मैं उन द्रव्यों को रात्रि में नहीं खाऊँगा’ इस प्रकार काल से प्रत्याख्यान करना, भी सातवें व्रत में आता है ।’

४ प्रकार : रात्रि भोजन का त्याग नाना प्रकार से हो सकता है, जैसे— १. यावज्जीवन के लिए रात्रि को चारों आहार का त्याग या २. पानी को छोड़कर शेष तीन आहार का त्याग या ३. पानी और स्वाद्य को छोड़कर शेष दो आहार का त्याग । अथवा वर्ष में पर्व तिथियों को या “ “ “ इतने दिनों तक रात्रि को ४. चार, ५. तीन या ६. दो आहार का त्याग ।

५. लाभ : १. रात्रि भोजन करने वाले, गरम-गरम भोजन करने की इच्छा आदि के कारण प्रायः रात्रि को भोजन बनाते हैं या बनवाते हैं । उस समय दीपक के मन्द प्रकाश से— दिखाई न देने वाले, अर्थात् सूर्य के तीव्र प्रकाश से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव-जन्तु कई बार मर जाते हैं । कुछ बार पूरे अन्धेरे में भोजन बनाने पर तो बड़े-बड़े जीव-जन्तु भी मर जाते हैं । रात्रि भोजन के त्याग से रात्रि में भोजन कम बनता है, जिससे अहिंसा का लाभ होता है । २. ३. रात्रि भोजन के त्याग से, माता-पिता, साथी-स्वजन आदि से चोरी-छिपे रात को होटल आदि में चाय-पकौड़ो, मिठाई आदि खाने का स्वभाव तथा उस अवसर में उनके सामने झूठ बोलने का स्वभाव छूटता है । ४. रात्रि भोजन से होने वाले अब्रह्मचर्य सम्बन्धी विकार, जैसे— भोग भावना, अति भोग, दुःस्वप्न, आदि नहीं होते । ५. सारे दिन भर तथा रात्रि को भी बहुत अधिक समय तक धन कमाने की तृष्णा मन्द पड़ती है । ६. रात्रि भोजन के अभाव में जो

लम्बी या बार बार यात्राएँ असम्भव या कठिन होती हैं, वे सकती हैं। ७. १० भोजन के काम में आने वाले द्रव्यों का काल से यावज्जीवन के लिए या प्रतिदिन के लिए परिमाण होता है। ८ दिन में भोजन बनाने और करने की अनुकूलता होते हुए भी, रात्रि भोजन के व्यसन के कारण जो रात्रि में भोजन बनाया और किया जाता है, और इस प्रकार अनर्थ दण्ड लगाया जाता है, वह छूटता है। ९ जब घर का एक प्राणी रात्रि भोजन करता है, विशेषतया मुखिया प्राणी रात्रि भोजन करता है, तो धीरे धीरे अन्य प्राणी भी रात्रि भोजन की ओर भुक्तते हैं। इससे उसके स्वयं के और अन्य के जीवन में से सायकाल की सामायिक प्रतिक्रमण आदि की क्रियाएँ दूर होती हैं और कुछ भावना वाले जीवों को अन्तराय पड़ती है। ये दूषण दूर होते हैं। ११. रात्रि भोजन के व्यसन से उपवास, पौषध, सवर आदि में आने वाली असमर्थता नहीं आती। १२ सायकाल में भी साधुदान का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि भोजन के त्याग से बारह ही 'व्रतों को लाभ पहुँचता है।

लौकिक लाभ—वैद्यक ग्रन्थों में बताया है कि १ रात्रि को पाचक ग्रन्थियाँ आदि सकुचित हो जाती हैं, अतः रात्रि भोजन से भोजन बराबर पचता नहीं है। २ बार बार रात्रि भोजन करने से अजीर्ण रोग हो जाता है। ३ रात्रि भोजन करने से वीर्यपात होकर शक्ति घटती है। ४ सूर्य प्रकाश में भोजन करने से जो पुष्टि मिलती है। रात्रि भोजन में सूर्य प्रकाश नहीं मिलने से, वह पुष्टि नहीं मिलती। ५ रात्रि भोजन करते समय मक्खी आदि स्पष्ट और शीघ्र दिखाई नहीं देती और खाने में आ जाती है। मक्खी खाने में आ जाने से व्रत, कीड़ी में

बुद्धिनाश और पित्ती, मकड़ी से कोढ़, जूँओ से जलोदर, बाल से स्वर भग, इस प्रकार विभिन्न वस्तुएँ रात्रि-भोजन के साथ मे खाने मे आ जाने पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते है। इत्यादि रात्रि भोजन मे कई हानियाँ हैं, जो रात्रि भोजन त्याग से टल जाती है।

पारलौकिक लाभ—विना कारण रुचिपूर्वक रात्रि भोजन करने वाले, अगले जन्मो मे कौआ, उत्तू, बिल्ली, गीध, सूअर, साँप, बिच्छू, गोह आदि रात्रि-भोजी, अभक्ष्य भोजी और घृणित भोजी पशु-पक्षी आदि बनते है। तथा नियमपूर्वक दृढ रहकर रात्रि-भोजन का त्याग पालने वाले देव और वहाँ से आर्य मनुष्य बनते है।

६. कर्त्तव्य 'सूर्य उदय नही हुआ या अस्त हो चुका है।' इसका विशेष ध्यान रखना। सूर्योदय के पश्चात् नमस्कार सहित तथा सूर्यास्त के ५-१० मिनट पूर्व 'दिवस चरम' का प्रत्याख्यान करना, जिसमे रात्रि-भोजन त्याग मे दोष लगने की सभावना न रहे। सायकाल भोजन अति मात्रा मे नही करना, जिससे रात्रि को विशेष प्यास न लगे। तथा पानी अतिमात्रा मे नही पीना, जिससे भविष्य मे रात्रि को अवास्तविक प्यास न लगे तथा स्वास्थ्य विकृत न हो। जहाँ दिन रहते भोजन मिलने की सभावना न हो, वहाँ के लिए पहले से विवेक रखना तथा, यथा शक्य रात्रिनिर्मित न खाना।

७. भावना • सूक्तादि पर विचार करना 'मुनियो के समान रात को लाया हुआ और रात्रि मे रक्खा हुआ भोजन भी न करने वाला कब बनगा।' यह मनोरथ करना। रात्रि

सूत्र-विभाग—३६ दश प्रत्याख्यानो के पृथक्-पृथक् पाठ [२१७

भोजन त्याग की अपूर्णता का खेद करना । निरन्तर मास-मास का तप वाले तपस्वियो के जीवन चरित पर ध्यान देना ।



पाठ ३६ छत्तीसवाँ

दश प्रत्याख्यानो के पृथक्-पृथक् पाठ

१. 'नमस्कार सहित' का प्रत्याख्यान पाठ

उगाए सूर्य	: सूर्य उदय से लेकर
१. नमोक्कार सहियं	: १. मुहूर्त $\frac{1}{4}$ दिन और एक नमस्कार
पञ्चक्खामि	: उच्चारण काल तक पञ्चक्खता हूँ

चउव्विह पि आहारं—१. असणं २. पाणं ३. खाइमं
४. साइमं । १. अन्नत्थणा-भोगेणं २. सहसागारेणं ।
वोसिरामि ।

२. 'पौरुषी' का प्रत्याख्यान पाठ

उगाए सूर्य	: सूर्य उदय से लेकर
पोरिसि (पौरुषी)	: एक प्रहर अर्थात् $\frac{1}{2}$ दिन तक या
सट्ट-पोरिसि (सार्द्ध)	: डेढ़ प्रहर अर्थात् $\frac{3}{4}$ दिन तक

पञ्चक्खामि । चउव्विहं पि आहारं—१. असणं
२. पाणं ३. खाइमं ४. साइमं । १. अन्नत्थणा-भोगेणं २. सहसा-गारेणं

३. पच्छन्न-कालेणं : मेघ, आंधी, पर्वत आदि के कारण
(पच्छन्न-काल) सूर्य अदृश्य होने से, या घड़ी आदि के
अभाव से
४. दिसामोहेणं : या अन्य दिशा में पूर्व दिशा की
(दिशा-मोह) भ्रान्ति के कारण 'सूर्य बहुत ऊपर
चढ़ गया' इस समझ से, या घड़ी
आदि देखने में भ्रान्ति हो जाने से
५. साहु-वयणेणं : या प्रामाणिक पुरुष के कथन में
(साधु-वचन) भ्रान्ति रह जाने से या घड़ी आगे
होने से काल का ज्ञान शुद्ध न होने
पर काल से पहले आहार ग्रहण
हो जाय तो आकार (आगार) तथा

६. महत्तरा-गारेणं ७ सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं ।
वोत्तिरामि ।

३. 'पूर्वार्ध' का प्रत्याख्यान पाठ

- उगाए सूर्य : सूर्य उदय से लेकर
पुरिमड्डं (पूर्वार्ध) : दो प्रहर अर्थात् ३ दिन तक या
अवड्डं (अपार्ध) : तीन प्रहर अर्थात् ३ दिन तक

पच्चक्खामि-चउच्चिह पि आहारं—१. असण २. पारणं
३. खाइमं ४. साइमं । १. अन्नत्थणा-भोगेणं २. सहसा-गारेणं
३. पच्छन्न-कालेणं ४. दिसा-मोहेणं ५. साहु-वयणेणं ६.
महत्तरा-गारेणं ७. सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं । वोत्तिरामि ।

'पौष्णी' और 'पूर्वार्ध' के प्रत्याख्यान का पाठ प्रायः
समान है । 'पूर्वार्ध' का प्रत्याख्यान विशेष काल का होने से,

उसमे 'महत्तर-आकार' विशेष रक्खा है तथा 'पौरुषी' का काल अल्प होने से उसमे 'महत्तर-आकार' नहीं रक्खा है। 'नमस्कार सहित' का काल अति अल्प होने से उसमे 'प्रच्छन्न-कालादि' चार आकार भी नहीं रक्खे हैं।

४. 'एकाशन' का प्रत्याख्यान पाठ

एगासणं : दोनो पुत (नितब; कटि और जघा
(एकाशन) के मध्य भाग) को बिना हिलाए एक
आसन से एक बार भोजन उपरात

पच्चक्खामि । तिविह पि आहारं—१. असणं २. खाइमं
३. साइम (अथवा) चउव्विह पि आहार—१ असण २ पाणं
३. खाइमे ४ साइमं । १ अन्नत्थणाभोगेणं २ सहसागारेण

३ सागारियागारेण : (साधु के लिए सभी गृहस्थ, तथा
(सागारिका-कार) गृहस्थों के लिए क्रूर दृष्टि वाले,
लोभी, जुगुप्सनीय आदि पुरुष, जिसके
सामने भोजन नहीं किया जाता,
उसके लिए स्थान परिवर्तन करना
पड़े।

४. आउंटण पसारणेण : दोनो पुतो के अतिरिक्त अगो को
(आकुचन प्रसारण) सिकौड़, प्रसारू, हिलाऊँ,

५. गुरु अम्भुट्ठाणेण : (साधु के लिए बड़े या पाहुने साधु,
(गुरु अभ्युत्थान) तथा गृहस्थ के लिए कोई भी) साधु
आने पर उनके विनय के लिए उठना
पड़े।

पारिट्ठावणियागारेण : लाया हुआ आहार बच जाय तो,

(परिस्थापनिकाकार) परठने की विराधना को टालने के लिए उसे भोगना पड़े, तो आगार तथा

७. महत्तरागारेणं ८. सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं ।
वोसिरामि ।

५. 'एकस्थान' का प्रत्याख्यान पाठ

एक्कासणं (एकाशन) : भोजन के लिए हाथ और मुँह जितना
एगट्ठाणं (एकस्थान) हिलता है, उसके अतिरिक्त अन्य
अगो को हिलाये बिना एक बार
भोजन उपरात

पच्चक्खामि । तिविह पि आहारं—१. असणं २. खाइमं
३. साइमं । (अथवा) चउव्विहं पि आहारं—१. असणं २. पाणं
३. खाइमं ४. साइमं । १. अन्नत्थणा-भोगेणं, २. सहसागारेणं
३. सागारिया-गारेण, ४. गुरु-अब्भुट्ठाणेण, ५. पारिट्ठावणिया-
गारेणं, ६. महत्तरागारेणं, ७. सव्वसमाहि-वत्तिया-गारेणं ।
वोसिरामि ।

'एकाशन' और 'एक-स्थान' का प्रत्याख्यान पाठ प्रायः
समान है । भोजन के समय अगो के सिकोड़ने पसारने का
आगार 'एकाशन' में है और 'एक-स्थान' में नहीं । यही दोनों
प्रत्याख्यानों में अन्तर है ।

६. 'आयंवल' का प्रत्याख्यान पाठ

आयंवलं : लवण-मिर्च आदि सस्कार तथा दूध
(आचाम्ल) आदि विगय रहित, एक अचित्त
धान्य का एक बार भोजन उपरात

पञ्चकखामि । : तीन या चारो आहार का 'एकाशन'
या 'एकस्थान' सहित त्याग करता हूँ ।

१. अन्नत्थणाभोगेणं २. सहसागारेण

३. लेवा-लेवेण (लेपालेप) : पात्र, कुडछी, हाथ आदि, जो पहले लेप युक्त थे, उन्हें निर्लेप करते हुए भी उनमें कुछ लेप रह जाय, ऐसे अल्प लेप वाले पात्रादि से दिया हुआ आहार करूँ

४. उक्खित्त-विवेगेणं (उत्क्षिप्त-विवेक) : गुडादि के ऊपर या नीचे रखी रोटी आदि को गुडादि से भिन्न करके दे, उसमें गुड़ आदि का अल्प लेप रह जाय, वह आहार करूँ

५. गिहत्थ-ससट्ठेणं (गृहस्थ-ससृष्ट) : गृहस्थ ने आहार बनाने के पहले या पीछे जिस आहार में नमक आदि मिला दिया हो, या अति अल्प मात्रा में विगय लगा दी हो, वह आहार करूँ, तो आहार तथा

६. पारिट्ठावणिया-गारेणं ७. महत्तरागारेणं ८. सन्व-समाहि-वत्तिया-गारेण । वोसिरामि ।

७. 'निर्विकृतिक' का प्रत्याख्यान पाठ

निव्विगइयं (निर्विकृतिक) : १ पिण्ड या घार की या २. अवगाहिम (कडाई) की पाचो विगय रहित या इच्छित विगय रहित एक बार भोजन उपरांत

पच्चवखामि : तीन या चारो आहार का 'एकाशन,
या 'एकस्थान सहित' त्याग करता हूँ।

१. अन्नत्थणाभोगेण २. सहसागारेण ३. लेवा-लेवेण
४. गिहत्थ-संसट्ठेण ५. उक्खित्त-विवेगेण

६. पडुच्च-मक्खिएण : सर्वथा रूखी न रहे, इसलिए रोटी
(प्रतीत्य-अक्षित) आदि पर साधारण लेप लगा हो,
दाल में छमका हो, शाक में खटाई
हो, उसका या छाछ आदि का
आहार करू, तो आगार तथा

७. पारिट्ठावणिया-गारेण ८. महत्तरा-गारेण ९. सच्च-
समाहि-वत्तिया-गारेण । वोसिरामि ।

'आयविल' और 'निर्विकृतिक' का प्रत्याख्यान पाठ प्रायः
समान है। 'निर्विकृतिक' में लवण-मिर्च आदि सस्कार का
तथा विगय के साधारण लेप का उपयोग हो सकता है, परन्तु
आयविल 'मे नहीं हो सकता।' यही दोनों प्रत्याख्यानों में अन्तर
है। वैसे 'निर्विकृतिक' में सामान्यतया लूखी रोटी और छाछ
ही खाई जाती है।

८ 'उपवास' का प्रत्याख्यान पाठ

उग्गए सूरे : सूर्योदय से लेकर
अभत्तट्ठं (अभक्तार्थ) : चतुर्थ भक्त या उपवास

पच्चवखामि । तिविहं पि आहार १. असण २. खाइमं
३. साइमं (अथवा) चउच्चिहं पि आहार १. असणं २. पाण
३. खाइमं ४. साइमं । १. अन्नत्थणाभोगेण २. सहसागारेण
३. पारिट्ठावणियागारेण

४. महत्तरा-गारेणं ५. सव्व-समाहि-वत्तिया-गारेणं ।
वोसिरामि ।

६ 'अभिग्रह' का प्रत्याख्यान पाठ

गठिसहियं, मुट्टिसहियं : गाठ न खोलूं, मुट्ठी न खोलूं या
अभिग्रहं (अभिग्रह) : अमुक द्रव्य, अमुक क्षेत्र मे, अमुक
काल मे, अमुक रीति से न मिले, तब
तक मन में निर्धारित समय तक

पच्चवखामि । तिविह पि आहारं—१. असरां २. खाइमं
३. साइमं (अथवा) चउव्विह पि आहार—१. असरां २. पाणं
३. खाइम ४. साइमं । १. अन्नत्थणा-भोगेणं । २. सहसागारेणं
३. महत्तरा-गारेणं ४. सव्व-समाहिवत्तिया-गारेणं । वोसिरामि ।

'उपवास' और 'अभिग्रह' का प्रत्याख्यान पाठ प्रायः
समान है। 'उपवास' मे 'पारिट्ठावणियागार' है और अभिग्रह
मे नहीं है। दोनों प्रत्याख्यानो मे आगार सम्बन्धी यही
अन्तर है।

'१ लेवा-लेवेण २ उक्खित्त-विवेगेणं ३. गिहत्य-ससट्ठेण
और ४. पारिट्ठावणिया-गारेण'—ये चारो आगार १. साधु
के लिए, २ प्रतिमाधारी श्रावक के लिए तथा ३. दो करण
तीन योग से गौचरी की दया करने वाले श्रावको के लिए है।
घर मे भोजन बन जाने के पश्चात् या ऐसी ही अन्य परिस्थितियों
मे 'आयंबिल-निव्विगइय' का भाव उत्पन्न होने पर, सामान्य
गृहस्थ के लिए भी 'लेवा-लेवणं' आदि तीन आगार होते हैं,
अतः उन्हें 'आयंबिल-निव्विगइ' के लिए नया आरम्भ न करने
का विवेक रखना चाहिए।

प्रत्याख्यान पारने का पाठ

विधि : एक नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके जिस प्रत्याख्यान को पारना हो, उसका नाम बोलते हुए निम्न पाठ पढ़े ।

- पञ्चवखाणं कये : जो प्रत्याख्यान किया
 तं, पञ्चवखाणं : उस, प्रत्याख्यान का
 सम्मं काएणं : सम्यक् रूप में, काया से
 १. फासियं : (आरभ में प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ कर) स्पर्श किया
 २. पालियं : (मध्य में आहार छोड़ कर) पालन किया
 ३. सोहियं : (लगे हुए अतिचारों की आलोचना करके) शुद्ध किया
 ४. तीरियं : (अन्त में नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके) तीर पर पहुँचाया
 ५. किट्टियं : (गुण का) कीर्तन किया (इस प्रकार)
 आराहिय : (यथाशक्य) आराधन किया
 आणाए अणुपालियं : आज्ञा के अनुसार अनुपालन किया
 भवइ : (फिर भी यदि कोई त्रुटि रही हो,
 जं च न भवइ : और जो अनुपालन न हुआ हो, तो
 तस्स मिच्छा मि दुक्कडं : उसका मिथ्या हो मेरा पाप ।

अर्थ, मोचार्य, प्रश्नोत्तर, निबंध और प्रासंगिक जानकारी सहित

—श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र समाप्त—



इति १. सूत्र-विभाग समाप्त



१. तत्त्व-विभाग

षष्ठीस बोल के स्तोक (थोकड़े) के शेष बोल साथ

१, २, ३, ४, ५, ६, १०, १४, १८, १९, २२ और २३ वा - यो बारह बोल 'सुबोध जैन षाठमाला—भाग १' में दिये जा चुके हैं । इसमें शेष रहे हुए—

६, ७, ८, ११, १२, १३, १५, १६, १७, २०, २१, २४ और २५वां बोल—यो तेरह बोल दिये हैं ।

छठा बोल : 'दश प्राण'

प्राण : जिनके मिलने से जीव जन्मे, जिनके रहने से जीव जीवित रहे और जिनके विछुड़ने से जीव मर जाय ।

१. श्रोत्रेन्द्रिय बलप्राण, २. चक्षुरिन्द्रिय बलप्राण, ३. घ्राणेन्द्रिय बलप्राण, ४. रसेन्द्रिय बलप्राण, ५. स्पर्शेन्द्रिय बलप्राण, ६. मनोबल-प्राण, ७. वचनबल-प्राण, ८. काय बलप्राण, ९. श्वासोच्छ्वास बल-प्राण और १०. आयुष्य बल-प्राण ।

इनमें से १. स्पर्शेन्द्रिय बलप्राण, २. काय-बल-प्राण, ३. श्वासोच्छ्वास बलप्राण और ४ आयुष्य बल-प्राण—ये चार प्राण-एकेन्द्रियों को होते हैं । द्वीन्द्रिय को रसेन्द्रिय बल-प्राण और वचन

बल-प्राण मिलाकर छह, त्रिन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय बल-प्राण मिलाकर सात, चतुरिन्द्रिय को चक्षुरिन्द्रिय बल-प्राण मिलाकर आठ अंशरी पञ्चेन्द्रिय को श्रोत्रेन्द्रिय बल-प्राण मिलाकर नव, तथा संज्ञी पचेन्द्रिय को मनोबल-प्राण मिलाकर दश 'घले-प्राण' होते हैं ।

सातवाँ बोल : 'पाँच शरीर'

शरीर : उत्पत्ति समय से ही प्रतिक्षण जीर्णशीर्ण होने वाला ।

१. औदारिक शरीर : १. दुर्गन्धमय तथा सड़ने वाले रक्त, मास, हड्डी आदि से बना शरीर । २ सर्वश्रेष्ठ सार पुद्गलो से बना उदार (उत्तम) शरीर; जैसे-तीर्थंकरों का शरीर, भगवांनों का शरीर । ३ वैक्रिय और आहारक की अपेक्षा असार पुद्गलो से बना शरीर, जैसे-सामान्य तिर्यञ्च-भानुष्यो का शरीर । ४. अवस्थित रूप से सबसे बड़ी अवगाहना (कद, लम्बाई, चौड़ाई ऊँचाई) वाला उदार-(मोटा) शरीर; जैसे वनस्पति का शरीर । ५. 'प्रदेश अल्प किन्तु अवगाहना बड़ी' ऐसा शरीर, जैसे भण्डी का शरीर ।

२. वैक्रिय शरीर : १. मुरूप, कुरूप, एक, अनेक, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, दृश्य, अदृश्य आदि अनेक रूपों में परिणत होने वाला (बदलने वाला) शरीर । २. दुर्गन्धमय तथा सड़ने वाले रक्त, मास, हड्डी आदि से रहित शरीर ।

३. आहारक शरीर : १. अन्यत्र विराजमान केवली भगवान् की सेवा में भेज कर प्रश्न पूछने के लिए या उनका अतिशय देखने के लिए बनाया जाने वाला या प्राणी-रक्षा तथा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों से बनाया जाने वाला शरीर २ स्फटिक

के समान अत्यन्त स्वच्छ उत्तम पुद्गलो से बना और मूँड हाथ से लेकर एक हाथ तक की अवगाहना वाला शरीर ।

४. तैजस शरीर : १. आहार को पचाने वाला व शरीर में उष्णता रखने वाला शरीर २. तेजोलब्धि से तेजोलेख्या निकालने में कारणभूत शरीर ।

५. कर्मण शरीर : १. आत्मा के साथ बँधे हुए कर्मों से बना हुआ कर्म-रूप शरीर, २. पचे हुए भोजन के रसादि को यथास्थान पहुँचाने वाला शरीर ।

इनमें से 'आहारिक शरीर' सभी तिर्यञ्च व मनुष्यों को होता है । 'वैक्रिय शरीर' सभी नरक-देवों को होता है, कुछ तिर्यञ्चों व मनुष्यों को भी होता है । 'आहारक शरीर' मात्र चौदह पूर्व धारी पुरुष साधु मनुष्यों को ही होता है । और 'तैजस' तथा 'कर्मण' शरीर सभी ससारी जीवों को अनादिकाल से होता है ।

आठवाँ बोल : 'पन्द्रह योग'

मन के चार, वचन के चार, काया के सात । योग १५ ।

योग : १. मन वचन और काया । २. मन वचन और काया का व्यापार (=प्रवृत्ति) । ३. मन वचन और काया के व्यापार से आत्मा में होने वाला परिस्पन्दन (=हलन चलन, कम्पन) विशेष ।

मन के चार योग

१. सत्य मनोयोग : १. जीवादि नव तत्त्वों के या जीवादि छह द्रव्यों के विषय में सत्य (=यथार्थ) विचार करना ।

२. मोक्ष की ओर ले जाने वाले हित-साधक विचार करना ।
३. निरवद्य (=हिंसादि पाप रहित) विचार करना ।

२. असत्य मनोयोग : १. जीवादि नव तत्त्वों के या जीवादि छह द्रव्यों के विषय में असत्य (=अयथार्थ, मिथ्या) विचार करना । २. ससार बढ़ाने वाले हित-विरोधी विचार करना । ३. सावद्य (हिंसादि पाप सहित) विचार करना । ४. क्रोधादि कषाय में आकर विचार करना ।

३. मिश्र (सत्यामृषा) मनोयोग : जिसमें सच झूठ दोनों हो, ऐसा मिश्र विचार करना । जैसे किसी वन में आम के वृक्षों की अधिकता हो और उसमें जामुन, कबीठ आदि वृक्षों की अल्पता हो, तो उसके विषय में 'यह आम का 'ही' वन है । ऐसा एकान्त विचार करना । उस वन में आम के वृक्ष होने से यह विचार सत्य भी है और जामुनादि के भी वृक्ष होने से यह विचार असत्य भी है । यदि उदाहरण के लिए दिये गये विचारों में 'ही' नहीं होता तो, वह विचार सत्य मनोयोग में माना जाता ।

४. व्यवहार (असत्यामृषा) मनोयोग : जिस में सच झूठ दोनों न हो या किसी विषय को सत्य या असत्य सिद्ध करने की भावना न हो, ऐसा विचार करना । जैसे—याचना, पृच्छना, आमन्त्रण आदि का विचार करना ।

वचन के चार योग

१. सत्यवचन योग (सत्य भाषा) २. असत्यवचन योग (असत्य भाषा) ३. मिश्र वचन योग (मिश्र भाषा) और ४. व्यवहार वचन योग (व्यवहार भाषा)

इन चारो वचनयोगो का अर्थ (भाषाओ का अर्थ) क्रमशः चारो मनोयोगो के अर्थ के समान है। केवल 'विचार' के स्थान पर 'वचन' समझना चाहिए।

काया के सात योग

१. औदारिक-योग : औदारिक शरीर का व्यापार।
२. औदारिक मिश्र-योग : वैक्रिय, आहारक या कार्मण से मिला हुआ औदारिक शरीर का व्यापार।
३. वैक्रिय योग : वैक्रिय शरीर का व्यापार।
४. वैक्रिय मिश्र-योग : औदारिक या कार्मण से मिले हुए वैक्रिय शरीर का व्यापार।
५. आहारक-योग : आहारक शरीर का व्यापार।
६. आहारक मिश्र-योग : औदारिक से मिले हुए आहारक शरीर का व्यापार।
७. कार्मणयोग : कार्मण शरीर का व्यापार।

इन पन्द्रह योगो मे से चार स्थावर-काय और असंज्ञी मनुष्य जीवो को १ औदारिक २ औदारिक मिश्र और ३ कार्मण—ये तीन योग होते हैं। वायुकाय को '४ वैक्रिय और ५ वैक्रियमिश्र' मिलाकर पांच योग होते हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, और असंज्ञी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय। को १ व्यवहार भाषा २ औदारिक ३ औदारिक मिश्र और ४ कार्मण—ये चार योग होते हैं। संज्ञी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियो को और साधुओं को छोड़कर शेष संज्ञी मनुष्यो को, 'आहारक और आहारक मिश्र' छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं। नारक और देवो को औदारिक और औदारिक मिश्र—ये दो योग और भी छोड़ कर शेष ग्यारह योग होते हैं। साधुओं मे १५ ही योग प्राप्त होते हैं।

ग्यारहवाँ बोल : 'चौदह गुणस्थान ।'

गुणस्थान : मोहनीयादि आठ कर्मों के कारण आत्मा के सम्यक्त्व आदि गुणो की न्यूनाधिक शुद्धि-अशुद्धि की अवस्था।

१. मिथ्यात्व गुणस्थान : मोहनोपकर्म के तीव्र उदय से होनेवाली मिथ्यादृष्टि अवस्था ।

२. सास्वादन गुणस्थान : अविरत सम्यग्दृष्टि की अवस्था से मिथ्यादृष्टि अवस्था की ओर गिरती हुई अवस्था ।

३. मिश्र गुणस्थान : कुछ मिथ्यादृष्टि और कुछ सम्यग्दृष्टि, —इस प्रकार मिलीजुली अवस्था ।

४. अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान : चारित्र रहित सम्यग्दृष्टि अवस्था ।

५. देशविरति (श्रावक) गुणस्थान : देश (=कुछ) चारित्र सहित श्रावक अवस्था ।

६. प्रमत्तसंयत (अप्रमादी साधु) गुणस्थान : सर्व (=सम्पूर्ण) चारित्र सहित, किन्तु प्रमादयुक्त, ऐसी साधु अवस्था ।

७. अप्रमत्तसंयत (=अप्रमादी साधु) गुणस्थान : प्रमादरहित साधु अवस्था ।

८. निवृत्ति (=नियद्वि) बादर सम्पराय गुणस्थान : बादर कषाय सहित ऐसी साधु अवस्था, जिसमें सम समयवर्ती सभी जीवों के अध्यवसाय विषम भी हो सकते हो ।

९. अनिवृत्ति (=अनियद्वि) बादर सम्पराय गुणस्थान : बादर कषाय सहित ऐसी साधु अवस्था, जिसमें सम समयवर्ती सभी जीवों के अध्यवसाय समान ही होते हो ।

१०. सूक्ष्म-सम्पराय गुण-स्थान : सूक्ष्म लोभ सहित साधु अवस्था ।

११. उपशान्त-मोहनीय गुण-स्थान : दवे हुए मोहनीय कर्म वाली साधु अवस्था ।

१२ क्षीण-मोहनीय गुण-स्थान : नष्ट हुए मोहनीय कर्म वाली साधु अवस्था ।

१३ सयोगी केवली गुण-स्थान : मन वचन काया के योग भी है तथा केवल ज्ञान भी है—ऐसा घातिकर्म रहित तथा अघाति कर्म सहित साधु अवस्था ।

१४. अयोगी केवली गुण-स्थान : मन वचन काया के योगो को रोक दिये है—ऐसी केवल ज्ञान वाली, घाति कर्म रहित तथा अघाति कर्म सहित साधु अवस्था ।

एक समय में एक जीव को एक ही गुण स्थान होता है । एकेन्द्रिय को मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय को अपर्याप्त अवस्था में पूर्वमव से साथ आया हुआ सास्वादान गुणस्थान भी हो सकता है । नारक, तथा देवों को पहले के चार गुणस्थान होते हैं । तिर्यङ्च पचेन्द्रियों को पहले के पाँच गुणस्थान होते हैं । मनुष्यों में सभी गुणस्थान हो सकते हैं । अभी इस युग में मात्र सात गुणस्थान हो सकते हैं । १४ वें गुणस्थान के पश्चात् जीव मोक्ष में चला जाता है ।

बारहवाँ बोल : 'पाँच' इन्द्रियों के २३ विषय और

२४० विकार

विषय : जिसको इन्द्रिय जाने ।

१. श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है । शब्द के तीन भेद :

१. जीव शब्द : जीव के मुह से निकला हुआ शब्द ।

२. अजीव शब्द : अजीव का शब्द, जैसे वीणा आदि का शब्द और ३ मिश्र शब्द = जीव के मुँह के द्वारा अजीव का निकला हुआ शब्द । जैसे बांसुरी आदि के शब्द । श्रोत्रेन्द्रिय के ये तीन मूल विषय । ये तीन शुभ तथा ये तीन अशुभ—यों श्रोत्रेन्द्रिय के उत्तर विषय १२ बारह ।

२ चक्षुरिन्द्रिय का विषय वर्ण है । वर्ण के पाँच भेद - १. कृष्ण (काला) २ नील (नीला) ३ रक्त (लाल) ४. पीत (पीला) और ५. श्वेत (सफेद) । चक्षुरिन्द्रिय के ये पाँच मूल विषय । ये तीन सचित्त, तीन अचित्त और तीन मिश्र—ये पन्द्रह । ये पन्द्रह शुभ और पन्द्रह अशुभ—ये श्रोत्रेन्द्रिय के उत्तर विषय ३० तीस ।

३. घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध है । गन्ध के दो भेद—१ सुरभिगन्ध (सुगन्ध) और २. दुरभिगन्ध (दुर्गन्ध) । घ्राणेन्द्रिय के ये दो मूल विषय । ये दो सचित्त, दो अचित्त और दो मिश्र—ये घ्राणेन्द्रिय के उत्तर विषय ६ छह ।

४. रसेन्द्रिय का विषय रस है । रस के पाँच भेद - १. तिक्त (=तीखा, जिसे आज कड़ुवा कहते हैं) २. कटु (कड़ुवा, जिसे आज तीखा कहते हैं) ३. कषाय (कषायला) ४. अम्ल (=खट्टा) और ५. मधुर (=मीठा) । रसेन्द्रिय के पाँच मूल विषय । ये पाँच सचित्त, पाँच अचित्त और पाँच मिश्र—ये पन्द्रह । ये पन्द्रह शुभ और पन्द्रह अशुभ—ये रसेन्द्रिय के उत्तर विषय ३० तीस ।

५. स्पर्शेन्द्रिय का विषय स्पर्श है । स्पर्श आठ हैं— १. कर्कश (खरदरा, जैसे पैर की ऐड़ी) २ मृदु (कोमल, मुहाँला, जैसे गले का तालु) ३. गुरु (भारी, जैसे हड्डी) ४. लघु (हलका,

जैसे केश) ५. शीत (ठण्डा, जैसे कान की लोल) ६. उष्ण (गरम, जैसे हृदय) ७. स्निग्ध (चिकना, जैसे आँख की कीकी) और ८. रूक्ष (रूखा, जैसे जीभ) । स्पर्शेन्द्रिय के आठ मूल विषय । ये आठ सचित्त, आठ अचित्त और आठ मिश्र—ये २४ । ये चौबीस शुभ और चौबीस अशुभ—यों स्पर्शेन्द्रिय के उत्तर विषय ४८ ।

श्रोत्रेन्द्रिय के तीन, चक्षुरिन्द्रिय के पाँच, घ्राणेन्द्रिय के दो, रसेन्द्रिय के पाँच, और स्पर्शेन्द्रिय के आठ—यों सब मूल विषय २३ तथा श्रोत्रेन्द्रिय के छह, चक्षुरिन्द्रिय के तीस, घ्राणेन्द्रिय के छह, रसेन्द्रिय के तीस और स्पर्शेन्द्रिय के अड़तालीस—यों सब उत्तर विषय १२० ।

विकार : आत्मा की विकृत (=अशुद्ध) अवस्था का परिणाम ।

इन उक्त (कहे हुए) १२० विषयों पर राग तथा १२० ही विषयों पर द्वेष—यों विकार के २४० भेद ।

ये पाँच इन्द्रियों के २३ विषय पुद्गल द्रव्य में ही होते हैं; अन्य पाँच द्रव्यों में नहीं । इनमें से श्रोत्रेन्द्रिय के तीन विषय छोड़कर शेष बीस विषयों का ही मुख्य रूप से पुद्गलों में व्यवहार होता है । पुद्गलों के वादर स्कन्ध में ये बीसों विषय (बीस बोल) मिल सकते हैं । किन्तु पुद्गलों के सूक्ष्म स्कन्ध में पहले के चार १ कर्कश, २ मृदु, ३ गुरु, ४ लघु—ये स्पर्श छोड़कर शेष १६ विषय (१६ बोल) ही मिल सकते हैं । जिनमें बीसों विषय मिल सकते हैं, उन्हें रूपी अष्टस्पर्शी (आठफरसी) कहा जाता है । तथा जिनमें १६ विषय मिल सकते हैं, उन्हें रूपी चतुःस्पर्शी (चारफरसी) कहा जाता है । रूपी चतु स्पर्शी और अरूपी पाँच द्रव्य, इन्द्रियों के विषय नहीं हैं । वे आत्मा और मन के विषय हैं ।

१३ वाँ बोल : 'दश मिथ्यात्व'

मिथ्यात्व : देव, गुरु, धर्म के सम्बन्ध में सम्यक्श्रद्धा का अभाव ।

१. जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व . जीव तत्त्व न माने या जड़ से उत्पन्न माने, या स्थावरजीव न माने, तो मिथ्यात्व लगता है ।

२. अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व : विश्व को भगवद्रूप माने, सूर्यादि को, मूर्ति-चित्रादि को भगवान माने, तो मिथ्यात्व लगता है ।

धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व : जैन धर्म को धर्म, अर्थात् केवली भाषित शास्त्र को सुशास्त्र न माने तो, मिथ्यात्व लगता है ।

४. अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व : अन्य धर्मों को धर्म अर्थात् अज्ञानी भाषित शास्त्र को सुशास्त्र माने, तो मिथ्यात्व लगता है ।

५. साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व : ५ महाव्रत, ५. समिति ३ गुप्ति धारी साधु को सुसाधु न माने तो, मिथ्यात्व लगता है ।

६. असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व : महाव्रतादि रहित, स्त्री परिग्रह सहित, असाधु को साधु माने तो, मिथ्यात्व लगता है ।

७ मोक्ष के मार्ग को ससार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व : सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप को या सवर-निर्जरा को या दान शील तप भाव को ससार का मार्ग माने तो मिथ्यात्व लगता है ।

८. ससार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व : मिथ्याश्रुत, मिथ्यादृष्टि, अव्रत और बाल तप को या आश्रव-बन्ध को मोक्ष का मार्ग माने, तो मिथ्यात्व लगता है ।

९ मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व : अरिहन्त-सिद्ध को कर्ममुक्त सुदेव न माने या मोक्ष तत्त्व को न माने, तो मिथ्यात्व लगता है ।

१०. अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व : कुदेवो को सुदेव माने, मोक्ष से पुनरागमन या अवतार माने तो, मिथ्यात्व लगता है ।

पन्द्रहवाँ बोल : 'आठ आत्मा'

आत्मा : १ ज्ञानादि पर्यायो मे सतत गमन करने वाला । २ जीव, चैतन्य, प्राणी ।

१. द्रव्यात्मा : भूत, भविष्यत् वर्तमान—तीनों कालवर्ती असंख्य प्रदेशी, द्रव्य रूप आत्मा ।

२. कषायात्मा : क्रोध, मान, माया, लोभ रूप, 'कषाय विशिष्ट' आत्मा ।

३. योगात्मा : मन, वचन, काया रूप, 'योग विशिष्ट' आत्मा ।

४. उपयोगात्मा : साकार (=पाँच ज्ञान तीन अज्ञान), अनाकार (=चार दर्शन) रूप, 'उपयोग विशिष्ट' आत्मा ।

५. ज्ञानात्मा : मतिज्ञानादि रूप; 'ज्ञान विशिष्ट' आत्मा ।

६. दर्शनात्मा : चक्षुदर्शनादि रूप, 'दर्शन विशिष्ट' आत्मा ।

७. चारित्रात्मा : सामायिक चारित्र आदि रूप, 'चारित्र विशिष्ट' आत्मा ।

८. वीर्य आत्मा : उत्थान (= कार्य करने के लिए उठ खड़ा होना) आदि रूप, 'वीर्य विशिष्ट' आत्मा ।

पहले और तीसरे गुणस्थान में ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा छोड़कर छह आत्माएँ, दूसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थान में ज्ञानात्मा मिलाकर सात आत्माएँ तथा छठे गुणस्थान से दशवें गुणस्थान तक चारित्रात्मा मिलाकर आठो ही आत्माएँ होती हैं । ग्यारहवें, बारहवें, और तेरहवें में कषायात्मा छोड़कर सात आत्माएँ, चौदहवें में योगात्मा भी छोड़कर छह आत्माएँ तथा सिद्धो में चारित्रात्मा और वीर्यात्मा भी छोड़कर शेष चार आत्माएँ होती हैं ।

सोलहवाँ बोल : 'चौबीस दण्डक'

दण्डक : १ व्याख्या करके समझाने के लिए विषय के बनाये गये विभाग । २. अपने किये गये कर्मों का जहाँ दण्ड भोगा जाता है, वे स्थान ।

१. सात नारक का एक दण्डक । सात नरक के नाम—
१ घर्मा (घम्मा), २ वंशा, ३. शैला, ४. अञ्जना,
५. रिष्टा (रिट्ठा), ६. मघा, ७. माघवती । सात नरक के
गोत्र (गुणयुक्त नाम) १. रत्नप्रभा, २. शर्करा प्रभा, ३. वालुका
प्रभा, ४. पक प्रभा, ५. धूम प्रभा, ६. तमःप्रभा, ७ तमः तम.
प्रभा (महातमः प्रभा) ।

२-११. दश भवन पतियों के दश दण्डक । दश भवन
पतियों के नाम—१. असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुवर्ण-
कुमार, ४. विद्युत्कुमार, ५. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार,
७. उदधिकुमार, ८. विशाकुमार, ९. पवनकुमार, १०. स्तनित-
कुमार ।

१२-१६. पाँच स्थावरो के पाँच दण्डक । पाँच स्थावरो के नाम—१. पृथ्वीकाय, २. अण्काय, ३. तेजस्काय, ४. वायुकाय, ५. वनस्पतिकाय ।

१७-१९. तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक । तीन विकलेन्द्रियो के नाम—१. द्वीन्द्रिय, २. त्रीन्द्रिय, ३. चतुरिन्द्रिय ।

२०. तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय का एक दण्डक । २१. मनुष्य का एक दण्डक । २२. वानध्यन्तर देवता का एक दण्डक । २३. ज्योतिषी देवता का एक दण्डक । २४. वैमानिक देवता का एक दण्डक । इस प्रकार चौबीस दण्डक हुए । $(१+१०+५+३+१+१+१+१+१=२४)$

नारक : नरकगति वाले जीव, जो अधोलोक में 'नरक' नामक स्थान में रहते हैं ।

भवनपति : अधोलोक के भवन नामक स्थान में रहने वाले देवता, जो सदा कुमारों के समान कातिमान और क्रीड़ा में तल्लीन रहते हैं ।

विकलेन्द्रिय : जिनको पाँचों इन्द्रियाँ पूरी न मिली हो । कही-कही एकेन्द्रिय को भी विकलेन्द्रिय माना गया है ।

तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय : तिर्यञ्च गति वाले ऐसे जीव, जिन्हें पाँचों इन्द्रियाँ पूरी मिली हो । जैसे—मछली, पशु, पक्षी, सर्प, नोलिया ।

सत्रहवाँ बोल : 'छह लेश्या'

लेश्या : १. मन, वचन, काया रूप योग के अन्तर्गत कषायों को उभारने वाला द्रव्य विशेष २. आत्मा पर कर्मों को चिपकाने वाली ।

१. कृष्णलेश्या : काजल के समान काले वर्ण वाली लेश्या । कृष्णलेश्यावाला, हिंसा भूठ आदि पाँच आश्रवो मे सदा लगा रहने वाला, मन वचन काया और पाँचो इन्द्रियो को विषय-विकारो मे फँसाये रखने वाला, निर्दय होकर छह कायो की तीव्र-परिणाम से हिंसा करने वाला, सबका शत्रु, गुण-दोष बिचारे बिना काम करने वाला और इस भव, परभव मे लगने वाले दुष्कर्मों के फल से न डरने वाला होता है ।

२. नीललेश्या : नीलमणि के समान नीले वर्ण वाली लेश्या । नीललेश्या वाला, दूसरो के गुणो को सहन न करने वाला कदाग्रही, तप-रहित, कुविचार और कुआचार वाला, पापो मे निर्लज्ज और गृद्ध, तथा सद्बोध देने पर द्वेष करने वाला और भूठ बोलने वाला होता है ।

३. कापोतलेश्या : कबूतर के समान भूरे वर्ण वाली लेश्या । कापोतलेश्या वाला, विचारने, बोलने और काम करने मे बाँका, बनावटी बातें आदि बनाकर अपने दोषो को ढकने वाला, द्वेषपूर्ण कठोर वचन बोलने वाला और दूसरो की उन्नति न सहने वाला होता है ।

४. तेजोलेश्या : अग्नि के समान लाल वर्ण वाली लेश्या । तेजोलेश्या वाला, अभिमान, चपलता, असत्य भाषण और कौतुहल रहित, विनय करने वाला, पाँच इन्द्रियो और तीनो योगो को वश मे रखने वाला, तपस्वी, प्रियधर्मा, दृढधर्मा, पाप से भय खाने वाला और मोक्ष चाहने वाला होता है ।

५. पद्मलेश्या : हल्दी के समान पीले वर्ण वाली लेश्या । पद्मलेश्या वाला, थोड़ी कषाय वाला, इन्द्रियो और योगो को वश मे रखने वाला, तपस्वी और थोडा बोलने वाला होता है ।

६. शुक्ललेश्या : दूध के समान श्वेत वर्णवाली लेश्या । शुक्ल लेश्या वाला, शुक्ल ध्यान ध्याने वाला, प्रशातचित्त, आत्मा का दमन करने वाला और वीतराग होता है ।

छहलेश्या का दृष्टान्त

यदि जामुन वृक्ष के फल खाने की इच्छा हो, तो कृष्णलेश्या वाला वृक्ष की जड़ काट कर खाना चाहेगा । नीललेश्या वाला बड़ी-बड़ी शाखाएँ काटकर खाना चाहेगा । कापोतलेश्या वाला छोटी-छोटी शाखाएँ काट कर खाना चाहेगा । तेजोलेश्या वाला फलों के गुच्छे तोड़कर खाना चाहेगा । पद्मलेश्या वाला गुच्छों से फल तोड़ कर खाना चाहेगा । शुक्ललेश्या वाला धरती पर पड़े फल खाकर ही सतोष करेगा ।

इन छह लेश्याओं में पहले की तीन अशुभ व अधर्म लेश्याएँ हैं । इन लेश्याओं में अशुभ गति का वध पड़ता है और मरते समय इन लेश्याओं के आने पर जीव अशुभ गति में जाता है । छह लेश्याओं में पिछली तीन लेश्याएँ शुभ व धर्म लेश्याएँ हैं । इन लेश्याओं में शुभगति का वध पड़ता है और मरते समय इन लेश्याओं के आने पर जीव शुभ गति में जाता है ।

एकेन्द्रिय, भवनपति व वान व्यन्तर में पहले की चार लेश्याएँ पाती हैं । विकलेन्द्रिय में पहले की तीन पाती हैं । ज्योतिष में तेजोलेश्या मिलती है । वैमानिक में पिछली तीन मिलती हैं । तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तथा मनुष्य में छहो मिलती हैं ।

बीसवाँ बोल : 'षट् (छह) द्रव्यके ३० भेद'

द्रव्य : १. भूत भविष्य वर्तमान—तीनों काल में रहने रहने वाला २. गुणों और पर्यायों का आवार ।

१ धर्मास्तिकाय के पाँच भेद

अर्थात् धर्मास्तिकाय पाँच बोलों से (=द्वारों से) जाना जाता है। १ द्रव्य से—एक द्रव्य। २. क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३ काल से—आदि अंत रहित। ४ भाव से—वर्ण रहित, गन्ध रहित, रस रहित और स्पर्श रहित, अर्थात् अरूपी है और असंख्य प्रदेशी है। ५. गुण से गति गुण (लक्षण से चलन गुण) पानी में मछली का दृष्टान्त। जैसे—गति करती हुई मछली को पानी, गति करने में सहायक है, वैसे ही गति करते हुए जीव तथा पुद्गलों को, धर्मास्तिकाय गति में सहायक है।

२ अधर्मास्तिकाय के पाँच भेद

अर्थात् अधर्मास्तिकाय पाँच बोलों से (=पाँच द्वारों से) जाना जाता है। १. द्रव्य से—एक द्रव्य। २. क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३. काल से—आदि अंत रहित। ४. भाव से—वर्ण रहित, गंध रहित, रस रहित और स्पर्श रहित अर्थात् अरूपी है और असंख्य प्रदेशी है। ५ गुण से - स्थिति गुण (लक्षण से स्थिर गुण) पथिक को छाया का दृष्टान्त। जैसे ठहरते हुए पथिक को छाया ठहरने में सहायक है, वैसे ही स्थिति करते हुए जीव तथा पुद्गलों को, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है।

३ आकाशास्तिकाय के पाँच भेद

अर्थात् आकाशास्तिकाय पाँच बोलों से जाना जाता है। १. द्रव्य से—एक द्रव्य। २ क्षेत्र से—लोकालोक प्रमाण। ३. काल से—आदि अंत रहित। ४. भाव से—वर्ण रहित, गंध रहित, रस रहित और स्पर्श रहित अर्थात् अरूपी है और अनंत प्रदेशी है। ५. गुण से—(लक्षण से) स्थान देने का गुण, भीत में खंटी का दृष्टान्त। जैसे—भीत में स्थान बनती हुई

खूटी को भीत स्थान देने में सहायक है; वैसे ही धर्मास्तिकायादि पाँचो द्रव्यो को, आकाशास्तिकाय स्थान देने में सहायक है ।

४. काल के पाँच भेद

१ द्रव्य से—अनंत द्रव्य । २. क्षेत्र से—अढ़ाई द्वीप प्रमाण । ३. काल से—आदि अंत रहित । ४. भाव से—वर्ण रहित, गंध रहित, रस रहित और स्पर्श रहित अर्थात् अरूपी है अप्रदेशी है । ५. गुण से—वर्तना गुण (लक्षण से—नई को जूनी बनावे, जूनी को नई बनावे) कपड़े को कैंची का दृष्टान्त । जैसे—परिवर्तन पाते हुए कपड़े को कैंची परिवर्तन में सहायक है, वैसे ही धर्मास्तिकायादि पाँचो द्रव्यो के परिवर्तन में, काल सहायक है ।

प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है ।

५. जीवास्तिकाय के पाँच भेद

अर्थात् जीवास्तिकाय पाँच बोलों से जाना जाता है ।

१. द्रव्य से—अनंत जीव द्रव्य । २ क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण । ३. काल से—आदि अन्त रहित । ४ भाव से—वर्ण रहित, गंध रहित, रस रहित, और स्पर्श रहित, अर्थात् अरूपी है और अनन्त प्रदेशी है । ५. गुण से—उपयोग गुण (लक्षण से चेतना गुण) । चन्द्रमा की कला का दृष्टान्त । जैसे—आवरण के कारण चन्द्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित होता है, वैसे ही ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के कारण आत्मा का उपयोग (=चेतना) गुण न्यूनाधिक प्रकट होता है ।

६. पुद्गलास्तिकाय के पाँच भेद

अर्थात् पुद्गलास्तिकाय पाँच बोलों से जाना जाता है ।

१ द्रव्य से—अनन्त द्रव्य । २. क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोकप्रमाण ।

३. काल से—आदि अन्त रहित । ४. भाव से—वर्णवान्, गंधवान्, रसवान् और स्पर्शवान् है, अर्थात् रूपी है और अनन्त प्रदेशी है । ५. गुण से—पूरण गलन गुण (सयोग वियोग लक्षणा) । बादल का दृष्टान्त । जैसे—बादल मिलते-बिखरते हैं, उसी प्रकार पुद्गल मिलते-बिखरते हैं ।

इक्कीसवाँ बोल : 'दो राशि'

राशि : ढेर, समूह, वर्ग, पुञ्ज

१ जीव राशि और २. अजीव राशि

जीवराशि के ५६३ भेद

नारक : के चौदह । सात के अपर्याप्ति और सात के पर्याप्ति ($७ \times २ = १४$) ।

तिर्यञ्च : के अड़तालीस । जिसमें एकेन्द्रिय के बावीस—पृथ्वीकाय के चार—१ सूक्ष्म पृथ्वीकाय और २ बादर पृथ्वीकाय, दो के अपर्याप्ति और दो के पर्याप्ति ($२ \times २ = ४$) । इसी प्रकार अग्नीकाय के चार ४, तेजस्काय के चार ४ और वायुकाय के चार ४, वनस्पतिकाय के छह—१. सूक्ष्म २. साधारण और ३. प्रत्येक, तीन के अपर्याप्ति और तीन के पर्याप्ति ($३ \times २ = ६$) । चिकलेन्द्रिय के छह—१. द्वीन्द्रिय २. त्रीन्द्रिय ३. चतुरिन्द्रिय; तीन के अपर्याप्ति और तीन के पर्याप्ति । ($३ \times २ = ६$) । पञ्चेन्द्रिय के बीस—१ जलचर २ स्थलचर ३ खेचर ४. उरः परिसर्प और ५. भुज परिसर्प, पाँच के सज़ी और पाँच के असज़ी दश ($५ \times २ = १०$)—दश के अपर्याप्ति और दश के पर्याप्ति, बीस ($१० \times २ = २०$) से तिर्यञ्च के अड़तालीस ($२२ + ६ + २० = ४८$) ।

एक करण दो योग के नव भंग—

जैसे '१२' में पहला अङ्क एक है और उसके पीछे दो का अङ्क जुड़ा है, वैसे ही पहले एक एक करण लेकर उसके पीछे दो-दो योग जोड़ने से ६ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कर्हंगा नहीं; मन से, वचन से; २. कर्हंगा नहीं, मन से, काया से; ३. कर्हंगा नहीं, वचन से, काया से। ४. कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से; ५. कराऊंगा नहीं; मन से, काया से, ६. कराऊंगा नहीं; वचन से, काया से। ७. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से; ८. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से; ९. अनुमोदूंगा नहीं, वचन से, काया से।

एक करण तीन योग के तीन भंग—

जैसे '१३' में पहला अङ्क एक है और उसके पीछे तीन का अङ्क जुड़ा है, वैसे ही पहले एक-एक करण लेकर उसके पीछे तीन-तीन योग जोड़ने से ३ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कर्हंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से। २. कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से। ३. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से।

दो करण एक योग के नव भंग—

जैसे २१ में पहला अङ्क दो है और उसके पीछे एक का अङ्क जुड़ा है; वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे एक-एक योग जोड़ने से ६ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कर्हंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; मन से; २. कर्हंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, वचन से; ३. कर्हंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; काया से।

४. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से; ५ कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से; ६. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; काया से। ७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, मन से, ८ कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, ९. कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं; काया से।

दो करण दो योग के नव भग -

जैसे '२२' में पहला अक दो है और उसके पीछे भी दो का ही अक जुड़ा है, वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे भी दो-दो योग जोड़ने से ९ भग बनते हैं। वे इस प्रकार से हैं—

१. कलूंगा नहीं, कराऊंगा । ; मन से, वचन से; २. कलूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से, काया से; ३. कलूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, वचन से, काया से। ४. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से; ५. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से; ६. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, काया से। ७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से; ८. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से; ९. कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, काया से।

दो करण तीन योग के तीन भंग -

जैसे '२३' में पहला अक दो है और उसके पीछे तीन का अक जुड़ा है, वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे तीन-तीन योग जोड़ने से ३ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कलूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से; २. कलूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से; ३. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से।

मनुष्य : के तीन सौ तीन । पन्द्रह कर्म भूमि, तीस अकर्म भूमि और छप्पन अन्तर्द्वीप, ये एक सौ एक ($१५ + ३० + ५६ = १०१$) । एक सौ एक गर्भज मनुष्य के अपर्याप्ति और पर्याप्ति, ये दो सौ दो हुए ($१०१ \times २ = २०२$) और एक सौ एक समूर्च्छिम मनुष्य के अपर्याप्ति, ये तीन सौ तीन ($२०२ + १०१ = ३०३$) ।

देवताओं : के एक सौ अट्ठानवे । दश भवनपति, पन्द्रह परमाधार्मिक, सोलह वान-व्यन्तर, दश त्रिजृम्भक, दश ज्योतिषी, तीन किल्बिषी, वारह देवलोक, नव लोकान्तिक, नव ग्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान—ये निन्यानवे, ($१० + १५ + १६ + १० + १० + ३ + १२ + ६ + ६ + ५ = ९६$) इनके अपर्याप्ति और पर्याप्ति—ये सब एक सौ अट्ठानवे ($९६ + ९६ = १९८$) ।

अजीवराशि के ५६० भेद

अरूपी अजीव के तीस भेद—धर्मास्तिकाय के तीन भेद १. स्कध, २. स्कध देश, ३. स्कध प्रदेश । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के, तीन-तीन भेद—ये नव तथा दशवाँ काल—($३ + ३ + १ = १०$) । एव धर्मास्तिकाय के पाँच भेद—१. द्रव्य, २. क्षेत्र, ३. काल, ४. भाव और ५. गुण । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के पाँच, आकाशास्तिकाय के पाँच और काल के पाँच—यो बीस भेद और हुए ($५ \times ४ = २०$) । इस प्रकार सब तीस भेद ($१० + २० = ३०$) रूपी अजीव के पाँच सौ तीस भेद—वर्ण के पाँच—१. काला, २. नीला, ३. लाल, ४. पीला और ५. सफेद । एक-एक के बीस-बीस भेद, यो वर्ण के सौ भेद हुए ($५ \times २० = १००$) । गन्ध के दो—१. सुरभिगन्ध और २. दुरभिगन्ध । एक-एक के

तत्त्व-विभाग—चौबीसवाँ बोल : 'करण-योग के ४६ भंग' [२४५

तेवीस-तेवीस भेद, यो गन्ध के छयालीस भेद हुए ($2 \times 23 = 46$) । रस के पाँच—१. तीखा, २. कड़वा, ३. कषेला, ४. खट्टा, ५. मीठा । एक-एक के बीस-बीस भेद—यो रस के सौ भेद हुए ($5 \times 20 = 100$) । स्पर्श के आठ—१. खरदरा, २. सुहाला, ३. भारी, ४. हल्का, ५. शीत, ६. उष्ण, ७. चिकना, ८. रूखा । एक-एक के तेवीस-तेवीस भेद—यो स्पर्श के एक सौ चौरासी भेद हुए ($8 \times 23 = 184$) । सस्थान के छह—१. परिमण्डल (चूड़ी या गेद के समान खाली गोल), २. वृत्त (थाली या लड्डू के समान भरा हुआ गोल), ३. त्र्यस (तिकौना), ४. चतुरस्र (चौकौन), ५. आयत (लम्बा) । एक-एक के बीस-बीस भेद—यो सस्थान के सौ भेद हुए ($5 \times 20 = 100$) ।

२४ वाँ बोल : 'करण-योग के ४६ भंग'

भग—विकल्प, भेद, प्रकार ।

एक करण एक योग के नव भंग—

जैसे '११' में पहला अङ्क एक है और उसके पीछे भी एक का ही अङ्क जुड़ा है, वैसे ही पहले एक-एक करण लेकर उसके पीछे भी एक-एक योग जोड़ने से ६ भंग बनते हैं । वे इस प्रकार हैं—

१. करूँगा नहीं, मन से; २. करूँगा नहीं, वचन से;
३. करूँगा नहीं, काया से । ४. कराऊँगा नहीं, मन से;
५. कराऊँगा नहीं, वचन से; ६. कराऊँगा नहीं, काया से ।
७. अनुमोदूँगा नहीं, मन से; ८. अनुमोदूँगा नहीं, वचन से;
९. अनुमोदूँगा नहीं, काया से ।

एक करण दो योग के नव भंग—

जैसे '१२' में पहला अङ्क एक है और उसके पीछे दो का अङ्क जुड़ा है, वैसे ही पहले एक एक करण लेकर उसके पीछे दो-दो योग जोड़ने से ६ भग वनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कल्लंगा नहीं; मन से, वचन से; २. कल्लंगा नहीं; मन से, काया से; ३. कल्लंगा नहीं, वचन से, काया से। ४. कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से; ५. कराऊंगा नहीं; मन से, काया से; ६. कराऊंगा नहीं; वचन से, काया से। ७. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से; ८. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से; ९. अनुमोदूंगा नहीं, वचन से, काया से।

एक करण तीन योग के तीन भंग—

जैसे '१३' में पहला अङ्क एक है और उसके पीछे तीन का अङ्क जुड़ा है, वैसे ही पहले एक-एक करण लेकर उसके पीछे तीन-तीन योग जोड़ने से ३ भग वनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कल्लंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से। २. कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से। ३. अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से।

दो करण एक योग के नव भंग—

जैसे २१ में पहला अङ्क दो है और उसके पीछे एक का अङ्क जुड़ा है; वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे एक-एक योग जोड़ने से ६ भग वनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; मन से; २. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; वचन से; ३. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; काया से।

४. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से; ५ कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से; ६. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; काया से। ७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, मन से, ८ कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, ९. कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं, काया से।

दो करण दो योग के नव भग —

जैसे '२२' में पहला अक दो है और उसके पीछे भी दो का ही अक जुड़ा है; वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे भी दो-दो योग जोड़ने से ९ भग बनते हैं। वे इस प्रकार से हैं—

१. कर्हूंगा नहीं, कराऊंगा । ; मन से, वचन से; २. कर्हूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; मन से, काया से; ३. कर्हूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; वचन से, काया से। ४. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से; ५. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से; ६. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, काया से। ७. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, ८. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, मन से, काया से; ९. कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, काया से।

दो करण तीन योग के तीन भग —

जैसे '२३' में पहला अक दो है और उसके पीछे तीन का अक जुड़ा है, वैसे ही पहले दो-दो करण लेकर उसके पीछे तीन-तीन योग जोड़ने से ३ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कर्हूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से, २. कर्हूंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से; ३. कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से।

तीन करण एक योग के तीन भंग—

जैसे '३१' में पहला अक तीन है और उसके पीछे एक का अक जुड़ा है, वैसे ही पहले तीन-तीन करण लेकर उसके पीछे एक-एक योग जोड़ने से ३ भग बनते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, मन से,
२. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, वचन से;
३. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, काया से।

तीन करण दो योग के तीन भंग—

जैसे ३२ में पहला तीन का अक है और उसके पीछे दो का अक जुड़ा है; वैसे ही पहले तीन करण लेकर पीछे दो योग जोड़ने से ३ भंग बनते हैं वे इस प्रकार हैं—

१. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से,
२. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, काया से,
३. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं; अनुमोदूंगा नहीं; वचन से, काया से।

तीन करण तीन योग का एक भंग—

जैसे ३३ में पहले तीन का अक है और उसके पीछे भी तीन का ही अक जुड़ा है, वैसे ही पहले तीन करण लेकर पीछे तीन योग जोड़ने से १ भग बनता है। वह इस प्रकार है—

१. कल्लंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं; मन से, वचन से, काया से।

एक करण एक योग से भंग ६, एक करण दो योग से भंग ६, एक करण तीन योग से भंग तीन, दो करण एक योग से भंग ६, दो करण दो योग से भंग ६, दो करण तीन योग से भंग ३, तीन करण एक योग से भंग ३, तीन करण दो योग से भंग तीन, तीन करण तीन योग से भंग १—यों सब भंग ४६ हुए। (६+६+३+६+६+३+३+३+१=४६)

यत्र

अंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३	६ अंक
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३	
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३	
भंग	६	६	३	६	६	३	३	३	१	४६ भंग

२५ वाँ बोल : 'पाँच चारित्र'

चारित्र—१. चारित्र—मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होने वाला विरति परिणाम २ सम्पूर्ण सावद्ययोगो का (= अट्टारह पापो का) प्रत्याख्यान ३. जिससे कर्म आते रुके ४ कही-कहीं जिससे सचित कर्मों का क्षय हो, उसे भी चारित्र माना गया है।

१. सामायिक चारित्र चार महाव्रत (१ सर्व प्राणातिपात विरमण २ सर्व मृषावाद विरमण ३ सर्व अदत्तादान विरमण ४ सर्व बहिर्द्धा-दान विरमण) वाला चारित्र।

२. छेदोपस्थापनीय चारित्र—जिसमे पहले की चार महाव्रत वाली दीक्षा पर्याय छेदकर (काट कर) पाँच महाव्रत वाली दीक्षा दी जाती है, ऐसा चारित्र।

३. परिहार विशुद्ध चारित्र—जिसमें परिहार नामक तप करके आत्मा को विशेष शुद्ध बनाई जाती है, ऐसा चारित्र ।

४. सूक्ष्म संपराय चारित्र—जहाँ केवल सूक्ष्म लोभ ही उदय में रहता है, ऐसे दशवे गुणस्थान में होने वाला चारित्र ।

५. यथा-ख्यात चारित्र—जहाँ मोहनीय कर्म उपशात या क्षीण हो जाता है, ऐसे ग्यारहवे से १४ वे गुणस्थान तक में होने वाला चारित्र ।

अर्थ, भावार्थ और प्रासंगिक टिप्पण सहित

पञ्चीस बोल का स्तोक समाप्त



रामो गणस्त

५ समिति ३ गुप्ति का स्तोक (थोकड़ा) साथ

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २४ चौबीसव अध्ययन मे पाँच समिति-तीन गुप्ति का अधिकार चला है । उस आधार से पाँच समिति-तीन गुप्ति का स्तोक कहते हैं ।

पाँच समिति के नाम—१. ईर्या समिति २. भाषा समिति ३. एषणा समिति ४. आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षेपणा समिति, ५. उच्चार-प्रश्रवण, खेल-सिंघाण-जल-परिस्थापनिका समिति ।

तीन गुप्ति के नाम—१. मनो गुप्ति, २. वचन गुप्ति, ३. काय गुप्ति ।

इन पाँच समिति-तीन गुप्ति को 'प्रवचन माता' बताई गई है । क्योंकि इन के पालन के उपदेश के लिए ही 'द्वादशांगी वाणी' (या 'चौदह पूर्व') तीर्थंकरो ने प्रकट की है ।

कही पाँच समिति-तीन गुप्ति को 'द्वादशांगी वाणी' (या चौदह पूर्व) का सार बताया गया है । क्योंकि द्वादशांग (या चौदह पूर्व) के ज्ञान का फल यही है कि 'जीव' पाँच समिति-तीन गुप्ति का पूर्णतया सम्यक् पालन करे ।

भूतकाल मे अनन्त भव्य जीव द्वादशांगी मे से केवल पाँच समिति-तीन गुप्ति ही जानकर तथा उसकी पूर्णतया सम्यक् पालना

करके मोक्ष चले गये हैं और भविष्य काल में भी इसी प्रकार अनन्त जीव मोक्ष में चले जायेंगे ।

इसलिए भव्य जीवों को 'पाँच समिति-तीन गुप्ति' के स्वरूप आदि को भली भाँति अवश्य जानना चाहिए और उसकी पूर्णतया सम्यक् आराधना करनी चाहिए ।

अथ समिति का स्वरूप

समिति : विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करना अर्थात् प्राणातिपात आदि पापों से बचने के लिए, आत्मा के उत्तम परेणामों से मन वचन काया की सम्यक् प्रवृत्ति करना ।

‘समिति में सम्यक् प्रवृत्ति करना, मुख्य माना है ।’ अतएव ‘समिति’ की यह परिभाषा की है । अन्यथा मन, वचन, काया की असम्यक् प्रवृत्ति रोकना और कायोत्सर्ग, मौन, उपवास आदि के द्वारा ‘सम्यक्-मिथ्या’ दोनों प्रवृत्तियाँ रोकना भी ‘समिति’ है ।

अथ पहली ईर्यासमिति का स्वरूप

ईर्या समिति : विवेकपूर्वक चलना अर्थात् ‘किसी जीव की विराधना न हो’, इसका उपयोग रख कर चलना ।

ईर्या समिति के चार कारण हैं—१. आलंबन २. काल ३. मार्ग और ४. यतना ।

१ आलंबन से—१. ज्ञान २. दर्शन और ३. चारित्र के लिये चले । अर्थात् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की रक्षा के लिए पुष्टि के लिए और वृद्धि के लिए ही चले, किन्तु अकारण या

इनसे भिन्न पर्यटन, इन्द्रियपोषण आदि किसी भी प्रयोजन के लिए एक पैर भी ऊपर न उठावे ।

२ काल से रात्रि को वर्जकर दिन को चले । ईर्या समिति का काल तीर्थकरो ने दिन का ही, इसलिए बताया है कि दिन में प्रकाश के कारण जीवों को देखते हुए और उनकी रक्षा करते हुए चलना सम्भव है । रात्रि को अन्धकार के कारण जीवों का देखना और उनकी रक्षा करना सम्भव नहीं, इसलिए तीर्थकरो ने रात्रि को चलने का निषेध किया है । उच्चार-प्रश्रवण आदि परट्टवना हो, शय्यातर (स्थानदाता) ने स्थान छोड़ देने के लिए कहा हो, या शीलभंग का भय, आदि हो, तो इन अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनों से रात्रि में भी मर्यादित गमन किया जा सकता है ।

३. मार्ग से उत्पथ को छोड़कर सुपथ में चले । ईर्या समिति का मार्ग तीर्थकरो ने सुपथ ही इसलिए बताया है कि सुपथ में पृथ्वीकाय (=मिट्टी) प्रायः अचित्त (=निर्जीव) रहती है, वनस्पतिकाय और व्रसकाय का प्रायः अभाव रहता है, जिससे १. सयम् विराधना नहीं होती तथा सुपथ में काँटे, कँकर, पत्थर नहीं होते, जिससे २ आत्मविराधना (अपने शरीर की विराधना) भी नहीं होती । उत्पथ में १. सयम विराधना और २ आत्म विराधना दोनों की सम्भावना रहती है, अतः तीर्थकरो ने उत्पथ में चलने का निषेध किया है ।

यतना से चार प्रकार की यतना से चले । १. द्रव्य यतना में—आँखों से छह काय के जीव तथा काँटे आदि अजीव पदार्थों को देखकर चले । २ क्षेत्र यतना में—शरीर प्रमाण (या युग प्रमाण, धूसरा प्रमाण) अर्थात् चार हाथ प्रमाण आगे की भूमि देखता हुआ चले । ३. कालयतना में—जब तक गमनागमन करे

तब तक । ४ भाव यतना मे-इन्द्रियों के पाँच विषय—१ शब्द, २. रूप, ३ गंध, ४. रस, ५. स्पर्श तथा स्वाध्याय के पाँच भेद—१. वाचना, २ पृच्छना, ३ परिवर्तना, ४ अनुप्रेक्षा, ५. धर्मकथा, इन दश बोलों को वर्जकर उपयोग सहित चले अर्थात् शब्दश्रवण, वाचनाग्रहण आदि न करता हुआ चले ।

ये दश ही बोल ईर्या समिति का उपघात (=नाश) करने वाले हैं, इसलिए तीर्थंकरों ने ईर्या समिति में इनका निषेध किया है । ईर्या समिति में साधु श्रावक को तन्मूर्ति (=तन्मुक्ति) और तत्पुरस्कार (तत्पुरस्कारे) होकर चलना चाहिए अर्थात् अपनी काया और मन के उपयोग को ईर्या में ही लगाते हुए चलना चाहिये ।

दूसरी भाषा समिति का स्वरूप

भाषा समिति : विवेकपूर्वक बोलना अर्थात् 'किसी जीव की विराधना न हो तथा असत्य या मिश्र भाषा का दोष न लगे', इसका उपयोग रखकर बोलना ।

भाषा समिति के चार भेद—१. द्रव्य २. क्षेत्र ३. काल और ४. भाव ।

१. द्रव्य से—असत्य और मिश्र भाषा सर्वथा न बोले । तथा सत्य और व्यवहार भाषा भी १. सावद्य (पाप सहित), २. सक्रिय (और क्रिया सहित, जैसे—) ३. कर्कश (कोमलता रहित), ४. कठोर (स्नेह रहित), ५. निश्चयात्मक (सन्देहयुक्त विषय में तथा निश्चययुक्त विषय में सन्देहात्मक), ६. छेद करी (छिद्र डालने वाली) ७. भेदकरी (भेद डालने वाली)

तथा द. वलेशकरी (वचन-युद्ध तथा मानसिक खेद पैदा करने वाली) इन आठ प्रकार को न बोले ।

२. क्षेत्र से—मार्ग में चलता हुआ न बोले । 'मार्ग में चलते हुए बोलने से ईर्यासमिति पूर्वक (नीचे जीव-अजीव देखकर) चलने में सम्यक् उपयोग नहीं रहता ।' इसलिए तीर्थंकरों ने मार्ग में चलते हुए बोलने का निषेध किया है ।

३. काल से—एक प्रहर रात्रि हो जाने के बाद सूर्योदय तक ऊँचे स्वर से (जोर से) न बोले । ऊँचे स्वर से बोलने से दूसरों की निद्रा में बाधा पड़ती है तथा ऊँचे स्वर से कुछ लोग प्रातः कालादि में शीघ्र जागृत होकर जीव-हिंसादि अट्टारह पापों में लग जाते हैं । इसलिए तीर्थंकरों ने एक प्रहर रात्रि हो जाने के बाद सूर्योदय तक ऊँचे स्वर से बोलने का निषेध किया है ।

४. भाव से—१ क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ, ५. हास्य, ६. भय, ७. मौखर्य (=वाचालता) और द. विकथा (=स्त्रीकथा आदि) इन आठ बोलों को वर्ज्यकर राग-द्वेष रहित तथा उपयोग सहित भाषा बोले । क्योंकि क्रोध आदि में आ जाने पर जीव सत्य और व्यवहार-भाषा का ध्यान नहीं रख पाता तथा असत्य और मिश्र भाषा बोल जाता है—जैसे १. क्रोध में पिता पुत्र को कह देता है कि 'तू' मेरा पुत्र नहीं है' । २. मान में गुणहीन मनुष्य भी कह देता है कि 'गुणों में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है ।' ३. माया में पुरुष, अपरिचित स्थान पर अपने पुत्रादिकों के विषय में कह देता है कि 'न तो मेरा यह पुत्र है और न मैं इसका पिता हूँ । ४. लोभ में वणिकादि, पराई वस्तु को भी अपनी कह देते हैं । ५. हास्य में

मनुष्य, मूर्ख को भी पण्डित कह देता है। ६ भय में, मनुष्य अकार्य करके भी कह देता है कि—‘मैंने वह अकार्य नहीं किया।’ ७. मौख्य में मनुष्य, सत्पुरुषों की भी निन्दा कर देता है। ८. विकथा में मनुष्य, कुरूप स्त्री को भी अद्वितीय सुन्दरी कह देता है। इसलिए तीर्थंकरों ने भाषा समिति में इन क्रोधादि आठ वोलों का निषेध किया है।

तीसरी एषणा समिति का स्वरूप

एषणा समिति : विवेकपूर्वक आहार लाना तथा करना अर्थात् किसी जीव की विराधना न हो और आघा-कर्म आदि ४७ दोषों में कोई दोष न लगे, इसका उपयोग रखकर आहार लाना तथा करना।

एषणा समिति के चार भेद—१ द्रव्य २ क्षेत्र ३ काल और ४ भाव। १ द्रव्य से—उद्गम के सोलह दोष, उत्पादन के सोलह दोष और एषणा के दस दोष, यो बयालीस ($१६ + १६ + १० = ४२$) दोषों को टालकर १. आहार २. उपधि (वस्त्र) ∴ शय्या (वसति) और ४. पात्र आदि की गवेषणा करें। २. क्षेत्र से—दो कोस के उपरान्त ले जाकर (या लाया हुआ) अशनादि न भोगे। ३. काल से प्रथम प्रहर में लाया हुआ अशनादि चौथे प्रहर में न भोगे। आहार को अधिक क्षेत्र तक तथा अधिक काल तक अपने पास रखने से और भोगने से साधु में १ आहार के प्रति परिग्रह वृत्ति और २ देह के प्रति ममता बढ़ती है तथा आहार को अधिक क्षेत्र तक ले जाने में और अधिक काल तक रक्षण करने में ३ ज्ञान दर्शन चारित्र्य की आराधना में मन्दता आती है। इत्यादि कारणों से तीर्थंकरों ने आहार को दो कोस उपरान्त ले जाकर तथा

प्रथम प्रहर का चौथे प्रहर तक रख कर भोगने का निषेध किया है। ४ भाव से—मण्डल के (=परिभोग के) ५. पाँच दोष वर्जकर, राग द्वेष रहित तथा उपयोग सहित अशनादि भोगे।

आहार के सैंतालीस ४७ दोष और उनकी परिभाषाएँ

उद्गम के १६ सोलह दोष की मूल गाथाएँ

आहाकम्मु^१-द्देसिय^२, पूइकम्मे^३ य मीसजाए^४ य ।
 ठवणा^५ पाहुडियाए^६, पाओअर^७ कोय^८ पामिच्चे^९ ॥१॥
 परियट्टिए^{१०} अभिहडे^{११}, उडिभन्ने^{१२} मालोहडे^{१३} इ य ।
 अन्धिज्जे^{१४} अनिसिद्धे^{१५}, अज्झोयरए^{१६} य सोलसमे ॥२॥

आघाकर्म^१ औद्देशिक^२, पूतिकर्म^३ मिश्रजात^४ च ।
 स्थापना^५ प्राभृतिका^६, प्रादुष्करण^७, क्रीत^८ प्रामृत्य^९ ॥१॥
 परिवर्तित^{१०} अभिहृत^{११}, उद्भिन्न^{१२} मालापहृत च^{१३} ।
 आच्छिद्य^{१४} अनिसृष्ट^{१५} अध्यवपूरक^{१६} सोलहवाँ ॥२॥

उद्गम दोष : साधु आहार आदि ग्रहण करे, उससे पहले ही, मुख्यतया गृहस्थ की ओर से साधु के लिए अग्रहार बनाने देने में लगने वाले दोष ।

१. आहाकम्म (आघाकर्म) • जो आहार आदि ले रहा है, उस साधु द्वारा अपने लिए बनाया हुआ आहार आदि लेना (और भोगना) ।

२. उद्देसिय (औद्देशिक) : अन्य साधु के लिए बनाया हुआ आहारादि लेना ।

३. पूङ्कम्मे (पूतिकर्म) : शुद्ध आहारादि में सहस्र घर के अन्तर से भी 'आधाकर्म' अशुद्ध आहारादि का अश मात्र भी मिला दिया हो, उसे लेना ।

४. मीसजाए (मिश्रजात) : गृहस्थ के लिए और (साधु के लिए) सम्मिलित बनाया हुआ आहारादि लेना ।

'आधाकर्म' आदि इन चारों आहार में साधु के लिए आरम्भ होता है, इसलिए ये चारों आहार आदि सदोष हैं ।

५. ठवणा (स्थापना) : साधु के लिए रखवा हुआ (बालक, भिखारी आदि के मागने पर भी जो उन्हें न दिया जाय, वैसा) आहारादि लेना ।

इस 'स्थापित' आहार से बालक आदि को अन्तराय पडती है, इसलिए यह आहार सदोष है ।

६. पाहुडिया (प्राभृतिका) : 'साधुओं को भी जीमनवार का आहारादि दान में दिया जा सके', इसलिए गृहस्थ ने जिस जीमनवार को समय से पहले या पीछे किया हो, उस जीमनवार का आहारादि लेना ।

इस आहार की निष्पत्ति में साधु भी निमित्त बना, इसलिए यह आहार सदोष है ।

७. पाओअर (प्रादुष्करण) : अयतना से कपाट आदि खोलकर या दीपक आदि जलाकर प्रकाश करके दिया जाता हुआ आहार आदि लेना ।

अयतना तथा अग्निविराधना आदि के कारण यह आहार सदोष है ।

८. कीय (क्रीत) : साधु के लिए खरीदा हुआ आहार आदि लेना ।

६. पामिच्चे (प्राप्त्य) : साधु के लिए उधार लिया हुआ आहार आदि लेना ।

१०. परियट्टिण (परिवर्तित) : साधु के लिए (कोई वस्तु देकर उसके) बदले में लिया हुआ आहार आदि लेना ।

‘क्रीतादि’ इन तीनों आहारों को लेने से भविष्य में उस दाता की तथा अन्य दाता की दान भावना मन्द पड़ सकती है और साधु की लालसा तीव्र हो सकती है, इसलिए ये तीनों आहार सदोष हैं ।

११. अभिहडे (अभिहत) : साधु के लिए तीन घर से अधिक अंतर से (दूरी से) सामने लाया हुआ आहार आदि लेना ।

‘आहार कहाँ से लाया जा रहा है ?’ यदि यह दिखाई न देता हो, तो तीन घर की दूरी से भी आहार लेना वर्ज्य है ।

‘इस अभिहत’ आहार में भी अनन्तर उक्त दोष संभव है तथा ‘साधु के लिए गृहस्थ-मार्ग में अत्यन्त से चले’ यह दोष भी संभव है; अतः यह आहार सदोष है ।

१२. उब्भिघ्ने (उद्भिन्न) : लेपन ढक्कन आदि अत्यन्त से खोल कर दिया हुआ (या पोछे जिसका लेपन ढक्कन आदि अत्यन्त से लगाया जाय, वैसा) आहार आदि लेना ।

पृथ्वीकाय आदि की विराधना के कारण, यह आहार सदोष है ।

१३. मालोहडे (मालापहत) : ऊँचे माले आदि विषम स्थान से कठिनता से निकाला हुआ आहार आदि लेना ।

ऐसा ‘मालापहत’ आहार देता हुआ दाता कभी गिर कर

अपग हो सकता है, तथा उसके गिरने से त्रस-स्थावर जीवों की विराधना हो सकती है; अतः यह आहार सदोष है ।

१४. अचिच्छज्जे (अच्छेद्य) : साधु के लिए निर्बल से छोना हुआ आहार आदि लेना ।

निर्बल को दुःख पहुँचने के कारण यह आहार सदोष है ।

१५. अणिसिट्ठे (अनिसृष्ट) : जिस आहार आदि के अनेक स्वामी हो, उसके अन्य स्वामियों की स्वीकृति न हुई हो, या उसका बँटवारा न हुआ हो, ऐसी दशा में उस आहार आदि को लेना ।

अन्य स्वामियों की चोरी के कारण यह आहार सदोष है ।

१६. अज्झोयरए (अध्यवपूरक) : पहले बनते हुए जिस आहारादि में, साधुओं के लिए नई सामग्री मिलाई हो (ऊरी हो), वैसा आहार आदि लेना ।

यह 'अध्यवपूरक' आहार भी आधाकर्मादि के समान आरम्भ वाला होने से सदोष है ।

उत्पादना के १६ सोलह दोष की मूल गाथाएँ

घाई^१ दूई^२ निमित्ते^३ आजीव^४ वणीमगे^५ तिगिच्छा^६ य ।
कोहे^७ मारो^८ माया^९, लोभे^{१०} य हवन्ति दस एए ॥
पुव्विं-पच्छा-संथव^{११}, विज्झा^{१२} मंत^{१३} चुण्ण^{१४} जोगे^{१५} य ।
उप्पायणाइं दोसा, सोलसमे मूलकम्मे^{१६} य ॥

घात्री^१ दूति^२ निमित्त^३, आजीव^४ वनीपक^५ चिकित्सा^६ च ।
क्रोध^७ मान^८, माया^९, लोभ^{१०} ये सब हुए दश ॥१॥
पहले पीछे सस्तव^{११}, विद्या^{१२} मन्त्र^{१३} चूर्ण^{१४} योग^{१५} च ।
सोलहवा मूलकर्म^{१६} ये सब हैं उत्पादना दोष ॥२॥

उत्पादना दोष : आहार आदि ग्रहण करते समय मुख्यतया साधु की ओर से साधु को लगने वाले दोष ।

१. धाई (धात्री) : धाय का काम करके अर्थात् बच्चो को खिलाने पिलाने आदि का काम करके आहार आदि लेना ।

२. दूई (दूति) : दूति का काम करने अर्थात् सन्देश को पहुँचाने-लाने का काम करके आहार आदि लेना ।

धाय आदि काम करने से १. साधु के भिक्षुकपन मे और २ साधुत्व मे कमी आती है तथा ३. उतने समय तक ज्ञान दर्शन चारित्र्य की आराधना मे बाधा पडती है, अत ये दोनो आहार सदोष है ।

३. निमित्ते (निमित्त) : बाह्य निमित्तो से १ भूत २. भविष्य ३. वर्त्तमान काल के १ लाभ २. अलाभ ३ सुख ४. दुख ५ जीवन ६ मरण को बतलाकर या निमित्त सिखलाकर आहार आदि लेना ।

लाभादि बता कर आहार लेने मे १ भिक्षुकपन मे कमी आती है, २ ससार प्रवृत्ति बढती है, ३ जीव विराधना सभव है और ४ बताया हुआ निमित्त मिथ्या होने पर गृहस्थ को रोषादि सभव है, इसलिए यह आहार सदोष है ।

४. आजीव : अपने जाति कुल सम्बन्ध आदि को प्रकट करके आहार आदि लेना ।

इसमे भी भिक्षुकपन मे कमी आती है ।

५ वरणीमगे (वनीपक) : रक-भिखारी के समान काया से दीनता प्रकट करके, वचन से दीन भाषा बोल कर तथा मन मे दीनता लाकर आहार आदि लेना ।

साधु 'भिक्षु' अवश्य है, पर 'दीन' नहीं। अतः दीनता करके आहार लेना दोष है।

६. तिगिच्छे (चिकित्सा) चिकित्सा करके आहार आदि लेना।

चिकित्सा करने से भी १ भिक्षुकपन में कमी आती है २ जीव विराधना सम्भव है तथा ३. नीरोग न होने पर गृहस्थ को रोष सम्भव है, अतः यह आहार सदोष है।

७. कोहे (क्रोध) : क्रोध करके गृहस्थ को शाप आदि का भय दिखला कर आहार लेना।

८. माणे (मान) : मान करके गृहस्थ को अपनी लब्धि आदि दिखला कर, आहार आदि लेना।

९. माया : कपट करके अन्य रूप वेश आदि दिखलाकर आहार आदि लेना।

१०. लोहे (लोभ) : लोभ करके मर्यादा से अधिक तथा श्रेष्ठ आहार आदि लेना।

कषाय करके आहार लेने के कारण, ये चारों आहार सदोष हैं।

११. पुर्व्विं-पच्छा-संथव (पूर्व पश्चात् संस्तव) : अधिक आहार प्राप्ति के लिए दाता को दान से पहले या पीछे भाट के समान प्रशंसा करना।

इससे भिक्षुकपन में कभी आने से, यह आहार सदोष है।

१२ विज्जा (विद्या) : जिसको अधिष्ठात्री देवी हो, या जो साधना से सिद्ध हो, उसका प्रयोग करके या उसे सिखला करके आहार आदि लेना ।

१३. मंते (मन्त्र) : जिसका अधिष्ठाता देव हो या जो बिना साधना अक्षर विन्यास मात्र से सिद्ध हो, उसका प्रयोग करके या उसे सिखला करके आहार आदि लेना ।

१४ चुष्णा (चूर्ण) : अदृश्य होना, मोहित करना, स्तम्भित करना आदि बातें जिससे हो सके, ऐसे अस्त्रनादि का प्रयोग करके या सिखला करके आहार आदि लेना ।

१५ जोग (योग) : जिसका लेप करने पर, आकाश में उड़ना, जल पर चलना, आदि बातें हो सके, ऐसे पदार्थ का प्रयोग करके या सिखला कर के आहार आदि लेना ।

१६. मूलकम्मे (मूलकर्म) : गर्भ स्तम्भन, गर्भाधान, गर्भपात आदि बातें जिससे हो सके, ऐसी जड़ी बूटी, या सामान्य जड़ी बूटी दिखला करके आहार आदि लेना ।

इन 'विद्या' आदि पाँचों में भी निमित्त के समान दोष सभव होने से, ये पाँचो आहार भी सदोष है ।

एषणा के १० दश दोष की गाथा

संक्रिय^१ मविख्य^२ निदखत्त^३, पिहिय^४ साहरिय^५ दायगुम्मीसे^६ ।
अपरिणय^७ लिप्त^८ छड्डिय,^९ एसण दोसा दस हवंति ॥१॥
शक्ति^१ अक्षित^२ निक्षित^३, पिहित^४ सहत्त^५ दायको^६ न्मिआ^७ ।
अपरिणत्त^८ लिप्त^९ छदित^{१०} दश है एषणा दोष ॥१॥

एषणा दोष : साधु और गृहस्थ दोनों की ओर से गौचरी में लगाने वाले दोष ।

१ संकिय (शंकित) : 'यह आहार आदि प्रासुक-एषणीय है या नहीं ?' ऐसी शंकावाला आहार आदि (जब तक शका दूर न हो, उससे पहले) लेना ।

'शंकित' आहार 'अप्रासुक-अनेषणीय' भी हो सकता है; इसलिए यह आहार सदोष है ।

२. मक्खिय (अक्षित) : १. दाता २ दान के-पात्र या ३ दान के द्रव्य, संचित पृथ्वी, पानी, अग्नि या वनस्पति से सघट्टे युक्त (स्पर्श युक्त, छुए हुए हो) तो १ उस दाता से या २ उस दान के पात्र से या ३. वे द्रव्य लेना ।

३. निक्खिय (निक्षिप्त) : १ या दान के पात्र या दान के द्रव्य, संचित पृथ्वी आदि पर हो, तो १. उस दाता से या २. उस दान के पात्र से या ३ वे द्रव्य लेना ।

४. पिहिय (पिहित) : १. दाता या २. दान के पात्र या ३ दान के द्रव्य के ऊपर संचित पृथ्वी आदि हो, तो १ उस दाता से या २ उस दान पात्र से या ३. वे द्रव्य लेना ।

५. साहिरिय (साहृत) : १. दाता संचित पृथ्वी आदि के सघट्टे को दूर करके या संचित पृथ्वी आदि से उतर कर या संचित पृथ्वी आदि को उतार कर दान दे, या दान के पात्र या दान के द्रव्यो को सघट्टे से हटाकर या संचित पृथ्वी आदि पर से उठाकर या उन पर रहे संचित पृथ्वी आदि को उतार कर दे तो आहार लेना ।

तत्त्व विभाग—‘पाँच समिति तीन गुप्ति का स्तोक’ [२६५]

पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, और वायुकाय की विराधना के कारण ये अक्षितादि चारो आहार सदोष हैं।

६. दायग (दायक) : जो दान देने योग्य न हो, उनसे आहार लेना, जैसे—घर में अकेला अबोध बालक हो, उससे आहार लेना या अन्धे, लुले, लगडे अन्य की सहायता के बिना दान दें, उनसे आहार लेना या, छह मास से अधिक काल की गर्भवती स्त्री बैठी हुई उठकर या खड़ी हुई बैठकर दान दे तो, उससे दान लेना।

घर के बड़े, कृपण-लोगों को खेद, षट्काय की विराधना तथा गभस्थ जीव को पीडा आदि की सभावना के कारण यह आहार सदोष है।

७. उन्मीसे (उन्मिश्र) : सचित्त मिश्रित आहार आदि लेना।

८. अपरिणय (अपरिणत) : पूरा अचित्त न बना हुआ आहार आदि लेना।

पूर्ण प्रासुक - (निर्जीव, अचित्त) न होने के कारण ये दोनों आहार सदोष हैं।

९. लित्त (लिप्त) : सचित्त मिट्टी जल आदि से तत्काल लीपी हुई भूमि पर चलकर दिया हुआ आहारादि लेना।

पृथ्वीकाय और अष्काय की विराधना के कारण यह आहार सदोष है।

१०. छड्डिय (छर्दित) : घुटने से अधिक ऊपर से बूद आदि गिराते हुए दिया जाता हुआ आहार आदि लेना।

वायुकाय की विराधना तथा गिरने से षट्काय की विराधना संभव होने से यह आहार सदोष है।

मण्डल के ५ पाँच दोष

इंगाले^१ धूमे^२ संजोयणा^३ पमाणे^४ कारणे^५ ।

अंगार^१ धूम^२ संयोजना^३ प्रमाण^४ कारण^५ ।

मण्डल दोष : आहार करते समय लगने वाले दोष ।

१. इंगाले (अंगार) : प्रासुक एषणीय अशनादि में रागी बनकर उसकी सराहना करते-करते उसे भोगना ।

२. धूमे (धूम) : प्रासुक एषणीय अशनादि में द्वेषी बन कर उसकी निन्दा करते हुए उसे भोगना ।

क्रमशः राग और द्वेष के कारण ये दोनों दोष माने गये हैं ।

३. संजोयणा (संयोजना) : किसी द्रव्य में मनोज्ञ रूप, गंध, रस (स्वाद), या स्पर्श उत्पन्न करने के लिए, उसमें अन्य द्रव्यों को मिलाकर भोगना । विषय-लोलुपता के कारण यह दोष माना गया है ।

४. पमाणे (प्रमाण) : जितनी भूख हो, उस प्रमाण से उपरान्त अशनादि भोगना ।

सामान्यतः स्वस्थ, सबल और युवावस्था वाले पुरुष के लिए ३२ बत्तीस कवल, स्त्री के लिए २८ कवल और नपुंसक के लिए २४ कवल, यह आहार का प्रमाण माना गया है । प्रमाण उपरान्त आहार, प्रमाद और विकार का कारण होने से दोष माना है ।

५. कारणे (कारण) : बिना कारण आहार करना या बिना कारण आहार छोड़ना ।

आहार त्याग के छ. कारण की गाथा

बेयण^१ बेयावच्चे^२, इरियट्ठाए^३ य संजमट्ठाए^४ ।

तह पाण वत्तियाए^५, छट्ठं पुण धम्मचिंताए^६ ॥१॥

वेदना^१ वैयावृत्य^२ इयार्थ^३ सयमार्थ^४ च ।

तथा प्राण धारणार्थ^५ धर्मचिन्तार्थ^६ है छठा ॥१॥

१. वेदना (वेदना) : क्षुधा वेदनीय को शांत करने के लिए आहार करे ।
२. वैयावृत्ते (वैयावृत्य) : आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान, तपस्वी स्थविर (वृद्ध) आदि की वैयावृत्य के लिए आहार करे ।
३. इरिय (इर्या) : इर्या शोधकर चलने के लिए आहार करे ।
४. संजम (संयम) : सयम निर्वाह के लिए आहार करे ।
५. पाण (प्राण) : १० दश प्राणों की रक्षा के लिए आहार करे ।
६. धम्मचिन्ता (धर्मचिन्ता) : स्वाध्याय ध्यान आदि करने के लिए आहार करे ।

आहार त्याग के ६ छह कारण की गाथा

आयके^१ उवसग्गे^२, तित्तिक्खया बंभचेर गुत्तीसु^३ ।

पाणिक्खा^४ तवहेउ^५, सरीर वोच्छेयणंटाए^६ ॥१॥

आतक^१ उपसर्ग^२ ब्रह्मचर्य-रक्षा^३ तथा ।

प्राणिदया^४ तपहेतु^५, तथा अनशन^६ हेतु ॥१॥

१. आयंके (आतंक) : शरीर में रोगादि उत्पन्न हो जाने से आहार त्यागे ।
२. उवसग्गे (उपसर्ग) : उपसर्ग या परीषद् उत्पन्न हो जाने से आहार त्यागे ।
३. बंभेचरगुती (ब्रह्मचर्य-गुति) : ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आहार त्यागे ।

४. प्राण (प्राण) : प्राण भूत जीव सत्त्व की दया के लिए
आहार त्यागे ।
५. तप (तप) : उपवासादिक तप करने के लिए
आहार त्यागे ।
६. शरीर बोधेय (शरीर व्यबच्छेद) : सलेखना सथारा सहित समाधि मरण
के लिए आहार त्यागे ।

चौथी आदान निक्षेपणा समिति का स्वरूप

आदान-भाण्ड-मात्र निक्षेपणा समिति : विवेकपूर्वक वस्त्रपात्रादि को उठाना रखना अर्थात् किसी जीव की विराधना न हो, इसलिए विधि सहित प्रतिलेखना प्रमार्जना का उपयोग रखकर वस्त्र पात्रादि उठाना रखना । आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षेपणा समिति के चार भेद—१. द्रव्य २. क्षेत्र ३. काल ४. भाव ।

१. द्रव्य से—भाण्डादि उपकरण यतना से उठावे और यतना रखे । अर्थात् दिन में पहले उपकरण देखकर और आवश्यकता हो, तो पूज कर फिर शीघ्रता रहित उठावे तथा भूमि को पहले देखकर और आवश्यकता हो, तो पूजकर फिर उपकरण को शीघ्रता रहित, शब्द न हो—इस प्रकार भूमि पर रखे तथा रात्रि को उपकरण पूजकर उठावे और भूमि को पूजकर भूमि पर रखे । देखने की आज्ञा इसलिए है कि—‘तस स्थावर जीव दिख जाने पर उपकरण उठाते-रखते हुए उन जीवों की पूजकर रक्षा की जा सकती है तथा पूजने की आज्ञा इसलिए है कि उन्हें पूजकर दूर करने से उनकी रक्षा हो जाती है । शीघ्रता न करने की आज्ञा इसलिए है कि १. शीघ्रता न करने से सहसा किसी नये जीव की नीचे आकर

मरने की सभावना नहीं रहती। २ अपने शरीर पर भी अकस्मात् चोट पहुँचने की सभावना नहीं रहती तथा वायुकाय की अयतना नहीं होती।

२. क्षेत्र से—भाण्डादि उपकरण इधर उधर बिखरा हुआ न रखें तथा गृहस्थी के घर पर भी न रखें। उपकरणों को इधर उधर बिखरा हुआ रखने से १. उनमें शीघ्र जीव प्रवेश की सम्भावना रहती है, २. पैरों से बार-बार अयतना का प्रसंग आता है तथा ३. अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि कई दोषों के वर्जन के लिए तीर्थकरो ने उपकरणों को बिखीरे हुए रखने का निषेध किया है। गृहस्थ के घर उपकरण रखने से साधुता में ममता, प्रमाण उपरात परिग्रह और गृहस्थ वृत्ति उत्पन्न होने की आशंका रहती है, इत्यादि कई कारणों से तीर्थकरो ने गृहस्थों के घर पर रखने का निषेध किया है।

३. काल से—सभी उपकरणों की यथा समय उभयकाल प्रतिलेखन करें। रात्रि में जीवों की हुई विराघना की आलोचना के लिए तथा उपकरण में प्रविष्ट हुए जीवों की रक्षा के लिए प्रातः काल सूर्योदय होने के पश्चात् प्रतिलेखना करे तथा दिन में हुई विराघना की आलोचना के लिए तथा प्रविष्ट जीवों की रक्षा के लिए सूर्यास्त होने के पहले प्रतिलेखन करे।

४. भाव से—राग द्वेष उत्पन्न करने वाली उपधि तथा प्रमाण उपरांत उपधि न रखें और प्रमाणोपेत उपधि को रागद्वेष रहित तथा उपयोग सहित भोगे। १. बहुमूल्य, २. श्वेत वर्ण को छोड़कर अन्य वर्ण वाले, ३. धातु-निर्मित आदि उपकरण रागद्वेष उत्पन्न करने में निमित्त हैं। अतः इन उपकरणों को रखने का निषेध किया है।

साधु के लिए ७२ हाथ तथा साध्वी के लिए ६६ हाथ वस्त्र का प्रमाण माना है। पात्र का प्रमाण ४ चार माना है। इसके उपरान्त वस्त्र पात्र रखना तीर्थंकरों ने ममता का कारण व परिग्रह कहा है।

उपधि अर्थात् उपकरण के दो भेद।

१. औघिक : जिन्हें सामान्यतः सभी साधु साध्वियाँ अपने पास सदा ही रखते हैं, जैसे मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि।

२ औपग्रहिक : जिन्हें यतना और वृद्धावस्था आदि कारणों से कुछ ही साधु साध्वियाँ रखते हैं, जैसे दण्ड, पाट आदि।

पाँचवी परिस्थापनिका समिति का स्वरूप

उच्चार - प्रश्रवण - खेल - सिंघाण - जल्ल - परिस्थापनिका समिति : विवेकपूर्वक उच्चारादि परदृवना ('फिर से ग्रहण न करे' इस प्रकार त्यागना) अर्थात् किसी जीव की विराधना हो, इसलिए स्थंडिल के दश दोष टालने का उपयोग रखकर न उच्चारादि परदृवना।

उच्चारण-प्रश्रवण-खेल-सिंघाण-जल्ल-परिस्थापनिका समिति के चार भेद—१. द्रव्य २. क्षेत्र ३. काल और ४. भाव।

१. द्रव्य से—उच्चारादि परिस्थापन योग्य द्रव्य, असंस्थावर जीव देखकर और पूँजकर परिस्थापन करे—परिस्थापना योग्य आठ द्रव्यों के नाम—१. उच्चार = मल, २. प्रश्रवण = मूत्र, ३. खेल = मूँह से निकलने वाला श्लेष्म, ४. सिंघाण = नाक से निकलने वाला श्लेष्म, ५. जल्ल = शरीर का मल, ६. आहार = अप्राप्तुक अनेषणीय शरीर प्रतिकूला अशनादि ७. उपधि =

जीर्ण पात्रादि, द. देह = निर्जीव शरीर, तथा ऐसे ही अन्य लोच किए हुए केशादि ।

२. क्षेत्र से—अनापात आदि दश बोल शुद्ध स्थण्डिल में (परिस्थापना भूमि में) उच्चारादि का परिस्थापन करे ।

स्थण्डिल के दश बोल की गाथाएँ

अणावाय^१ मसंलोए परस्सणुवघाइए^२ ।
समे^३ अशुसिरे वा वि, अचिर काल^४ कयम्मिय ।
विच्छिन्ने^५ दूरावगाढे^६, आसन्ने^७ बिलवज्जिए^८ ।
तसप्राण^९ बीय रहिए, उच्चाराइणि वोसिरे ।

अनापात^१ असलोक, पर अनुपघातिक^२ ।
सम^३ अशुषिर^४ तथा अचिर कालकृत मे^५ ।
विस्तीर्ण^६ दूरावगाढ^७, आसन्न-बिल वर्जित^{८-९} ।
अस प्राण^९ बीज रहित, मे मलादि त्याग करे ।

१. अणावायमसंलोए (अनापात असंलोक) : जहाँ लोगो का आना जाना न होता हो, तथा लोगो की दृष्टि न पड़ती हो, वहाँ परिस्थापन करे ।

२. परस्सणुवघाइए - (परानुपघातिक) : जहाँ परिस्थापन करने से १. संयम का उपघात (छह काय विराधना) २. आत्मा का उपघात (शरीर विराधना) तथा ३ प्रवचन उपघात (शासन की निन्दा) न हो, वैसी भूमि में वहाँ परिस्थापन करे ।

३. समे (सम) : जहाँ ऊँची-नीची विषम भूमि न हो, वहाँ परिस्थापन करे ।

४. अशुषिरे (अशुषिर) : जहाँ कीटजन्य पोली भूमि न हो तथा घास पत्ते आदि से ढँका भूमि न हो, वहाँ परिस्थापन करे।

५. अचिरकाल कयम्मिय (अचिर काल कृत) : जिसे अचित्त हुए इतना अधिक समय नहीं हुआ हो कि वह पुनः सचित्त बन जाय, ऐसी भूमि हो; वहाँ परिस्थापन करे।

६. विच्छिन्ने (विस्तीर्ण) : जो परिस्थापन योग्य भूमि कम-से-कम एक हाथ लम्बी-चौड़ी हो वहाँ, परिस्थापन करे।

७. दूरमोगाढे (दूरावगाढ़) : जो भूमि कम-से-कम चार अँगुल नीचे तक अचित्त हो, वहाँ परिस्थापन करे।

८. णासन्ने (अनासन्न) : जहाँ ग्राम नगर आराम उद्यानादि निकट न हो, वहाँ परिस्थापन करे।

९. बिलवज्जिए (बिल वर्जित) : जहाँ चूहे आदि के बिल न हो, वहाँ परिस्थापन करे।

१०. तसपाण बीय रहिए (त्रसप्राणबीज रहित) = जहाँ द्वीन्द्रयादि त्रस प्राणी तथा बीज और उपलक्षण से सभी एकेन्द्रिय स्थावर प्राणी न हो, वहाँ परिस्थापन करे।

३. काल से—दिन में देखकर और रात्रि को पूंजकर परिस्थापन करे। तथा मात्रक (=मल-मूत्र के पात्र) और परिस्थापन भूमि की सायंकाल दिन रहते प्रतिलेखना करे।

सायंकाल दिन रहते मात्रक और परिस्थापना भूमि की प्रतिलेखना करने से मात्रक में यदि जीव आ गये हो, तो उन्हें

दूर किया जा सकता है तथा परिस्थापना भूमि में यदि जीव हो गये हो, तो परिस्थापना भूमि बदली जा सकती है ।

प्रतिलेखन न करने पर १. उनमें रहे जीवों की विराधना हो सकती है, २ उन जीवों से आत्म विराधना हो सकती है एवं परिस्थापना भूमि की विषमता से तथा काटे आदि से भी आत्म विराधना हो सकते हैं इसलिए तीर्थंकरों ने सायंकाल दिन रहते हुए ही दोनों की प्रतिलेखना करने का आदेश दिया है ।

४. भाव से—परिस्थापन के लिए जाते समय आवस्सिया २ (=आवश्यक, मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ) यो कहकर जावे । परिस्थापन भूमि की शकेन्द्र सहाराज की आज्ञा ले । फिर दिन हो, तो परिस्थापन भूमि को देखे और रात्रि हो, तो परिस्थापन भूमि को पूंजे (=प्रमार्जन करे) । फिर चार अंगुल ऊँचे से यतना सहित परिस्थापन करे । परिस्थापन करके 'वोसिरामि वोसिरामि' (=त्यागता हूँ) यो कहे । फिर उपाश्रय में प्रवेश करते समय निसीहिया २ (=नषेधिकी, मैं आवश्यक कार्य करके आ गया हूँ) यो कहे । अन्त में परिस्थापना के निमित्त इर्यापथिक का कायोत्सर्ग करे ।

॥ इति समिति स्वरूप समाप्त ॥

अथ गुप्ति का स्वरूप

गुप्ति : प्राणातिपात आदि पापों से बचने के लिए आत्मा के उत्तम परिणामों से मन-वचन-काया की अशुभ प्रवृत्ति रोकना ।

'गुप्ति में अशुभ प्रवृत्ति रोकना मुख्य माना है ।' अनएव गुप्ति की यह परिभाषा की है । अन्यथा मन-वचन-काया को

१०. विणय (विनय) : (अभ्युत्थान=बड़ो के आने उठकर खड़ा होना आदि दश प्रकार की) विनय करता हुआ जीव करता है ।

११. आवस्सए (आवश्यक) : उभय काल उपयोग सि दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण करता हुआ जीव करता ।

१२. सीलव्वए (शील-व्रत) : लिए हुए (महाव्रत अणुव्रत रूप) मूलगुण प्रत्याख्यान तथा (समिति-भुक्ति गुणव्रत-शिक्षाव्रत अथवा नमस्कार सहित आदि रूप) उत्तम प्रत्याख्यान अतिचार रहित शुद्ध (निर्मल) पालता हुआ जीव करता है ।

१३. खण लव (क्षण लव) : थोड़ा भी प्रमाद न कर हुआ (अर्थात् प्रतिक्षण वैराग्यभाव रखता हुआ, धर्म-शु ध्यान ध्याता हुआ तथा आर्त-रौद्र ध्यान वर्जित हुआ) जीव करता है ।

१४. तव (तप) : एकान्तर, मास-मासक्षमण (तप) अ विकृष्ट (बड़ी) तपश्चर्या करता हुआ जीव करता है ।

१५. चियाए (त्याग) : (द्रव्य से गौचरी में आधाव आदि आये हुए अशुद्ध आहार आदि को परिद्वृता हुआ त भाव से क्रोध आदि को त्यागता हुआ और) द्रव्य से प्रा ण्णणीय आहार आदि त भाव से ज्ञान आदि सुपात्र को हुआ जीव करता है ।

१६. वेयावच्चे (वैयावृत्य) : (अरिहन्त वैयावृत्य अ दश प्रकार की) वैयावृत्य करता हुआ जीव करता है

१७. समाहि : छह काय जीवो को अभयदान देकर समाधि उत्पन्न करता हुआ जीव करता है ।

१८. अपुव्व नाण गहणे (अपूर्व ज्ञानग्रहण) नित्य नया-नया सूत्रज्ञान कण्ठस्थ करता हुआ तथा अर्थज्ञान धारण करता हुआ जीव करता है ।

१९. सुयभेत्ती (श्रुतभक्ति) :- जिनवाणी की (१. हृदय से श्रद्धा आदि बहुमान, २. वचन से गुणकीर्तन तथा, ३. काया से नमस्कार आदि) भक्ति करता हुआ जीव करता है ।

२०. पवयण पभावणया (प्रवचन प्रभावना) : धर्मकथा वाद आदि से प्रवचन प्रभावना (ग्राम नगर आदि में मिथ्यात्व की उत्थापना और सम्यक्त्व की स्थापना) करता हुआ जीव करता है ।

॥ इति २ तत्त्व विभाग समाप्त ॥

शुभ प्रवृत्ति करना और एकाग्रता, मीन, कायोत्सर्ग आदि के द्वारा 'शुभ-अशुभ' दोनों प्रवृत्तियाँ रोकना भी 'गुप्ति' है ।

अथ मनोगुप्ति का स्वरूप

मनोगुप्ति : प्राणातिपात आदि पापों से बचने के लिए आत्मा के उत्तम परिणामों से मन की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना ।

मनोगुप्ति के चार भेद—१. द्रव्य २. क्षेत्र ३. काल ४. भाव ।

१. द्रव्य से—असत्य और मिश्र इन दोनों अशुभ संक्लिष्ट मनोयोगों को रोके और सत्य और व्यवहार इन दो शुभ विशुद्ध मनोयोगों की प्रवृत्ति करे ।

२. क्षेत्र से—सब क्षेत्र में । अशुभ मनोयोग रोके और शुभ मनोयोग में प्रवृत्ति करे ।

३. काल से—यावज्जीवन तक या जिस समय मनोयोग में प्रवृत्ति करे, उस समय अशुभ मनोयोग रोके और शुभ मनोयोग में प्रवृत्ति करे ।

४. भाव से—१. सरम्भ (सारम्भ), २. समारम्भ और ३. आरम्भ वाले मनोयोगों को वर्ज (छोड़) कर राग द्वेष रहित तथा उपयोग सहित अनारंभी मनोयोगों की प्रवृत्ति करे ।

१. सरम्भ (सारंभ) : किसी प्राणी को परितापना (पीडा) देने या मारने का अध्यवसाय (सकल्प) करना ।

† चारों मनोयोगों की परिभाषा इस पुरतक के पृष्ठ २८८ पर देखिये ।

तत्त्व-विभाग—‘पाँच समिति तीन गुप्ति का स्तोक’ [२७५

२. समारंभ : किसी प्राणी को परितार्पना देना ।

३. आरंभ : किसी प्राणी को मार देना ।

४. अनारंभ : किसी भी प्राणी को परितार्पनों न पहुँचे तथा मृत्यु न हो, ऐसी विशुद्ध शुभ प्रवृत्ति करना ।

१ मन का सरंभ : ‘मैं इसे परितार्पना दूँ या मारूँ ।’
ऐसा मानसिक सक्लिष्ट (अशुभ) ध्यान करना ।

२. मन का समारंभ : किसी प्राणी को मानसिक सक्लिष्ट (अशुभ) ध्यान द्वारा परितार्पना देना ।

३. मन का आरंभ : किसी प्राणी को मानसिक सक्लिष्ट (अशुभ) ध्यान द्वारा मार देना ।

४. मन का अनारंभ : किसी प्राणी को परितार्पना न पहुँचे तथा मृत्यु न हो, ऐसी मन की विशुद्ध (शुभ) प्रवृत्ति करना ।

दूसरी वचन गुप्ति का स्वरूप

वचन गुप्ति : प्राणातिपात आदि पापों से बचने के लिए, आत्मा के उत्तम परिणामों से, वचन की अशुभ प्रवृत्तियाँ रोकना ।

वचन गुप्ति के चार भेद—१ द्रव्य २ क्षेत्र ३ काल ४ भाव ।

१ द्रव्य से—असत्य और मिश्र इन दोनों अशुभ वचन योगों को रोके एवं सत्य और व्यवहार इन दो शुभ वचन योगों की प्रवृत्ति करे ।†

† चारों वचन योगों की परिभाषा, इसी पुस्तक के २३० पृष्ठ पर देखिये ।

२. क्षेत्र से—सब क्षेत्र में (अशुभ वचन योग रोके शुभ वचन योग में प्रवृत्ति करे ।)

३. काल से—यावज्जीवन तक या जिस समय योग में प्रवृत्ति करे, उस समय (अशुभ वचन योग रोके शुभ वचन योग में प्रवृत्ति करे ।)

४. भाव से—१ संरंभ २. समारंभ और ३ अवाले वचन योग को वर्ज (छोड़) कर राग-द्वेष रहित उपयोग सहित अनारंभी वचन योग की प्रवृत्ति करे ।

१. वचन का संरंभ 'मैं इसे परितापना दूंगा मारूंगा ।' ऐसा वाणी से संकलित (अशुभ) शब्द बोलना ।

२. वचन का समारंभ : किसी प्राणी को वाणी संकलित (अशुभ) मंत्र, जाप आदि के द्वारा परितापना देना ।

३. वचन का आरंभ : किसी प्राणी को वाणी संकलित (अशुभ) मंत्र, जाप आदि के द्वारा मार देना ।

४. वचन का अनारंभ : किसी प्राणी को परितापन पहुँचे तथा मृत्यु न हो, ऐसी वचन की विशुद्ध (शुभ) प्रवृत्ति करना ।

तीसरी कायगुप्ति का स्वरूप

कायगुप्ति : प्राणातिपात आदि पापों से वचने के विना आत्मा के उत्तम परिणामों से, काया की अशुभ प्रवृत्ति रोकना ।

तत्त्व-विभाग— पाँच समिति तीन गुप्ति का स्तोक' [२७७

कायगुप्ति के चार भेद—१. द्रव्य २. क्षेत्र ३. काल
४. भाव ।

१. द्रव्य से—१. गमन (=चलने में) २. स्थान (=खड़े रहने में) ३. निषीदन (=बैठने में) ४. त्वग्चर्तन (=पासा पलटने में, सोने में) ५. उल्लघन (=देहली आदि छोटी ऊँचाई नीचाई लांघने में) ६. प्रलंघन (=खाड, शिला, लकडा आदि बड़ी ऊँचाई नीचाई लाघने में) ७. सर्व इन्द्रिय काय योग योजन में (अधिक क्या कहे ? इत्यादि सभी प्रकार के इन्द्रिय और काया के व्यापार में) अशुभ काययोग को रोके, शुभ काय योग की प्रवृत्ति करे ।

२. क्षेत्र से - सब क्षेत्र में (अशुभकाय योग रोके और शुभ काय योग में प्रवृत्ति करे ।

३. काल से—यावज्जीवन तक या जिस समय काय योग में प्रवृत्ति करे, उस समय (अशुभ काय योग को रोके और शुभ काय योग की प्रवृत्ति करे ।)

४. भाव से - उपयोग सहित आरभ, सरंभ और समारभ वाले काय योग को वर्ज (छोड़) कर (राग-द्वेष रहित तथा उपयोग सहित) अनारभी काय योग की प्रवृत्ति करे ।

१. काया का सरभ : किसी प्राणी को परिताप देने या मारने के लिए हाथ, शस्त्र आदि उठाना ।

२. काया का समारभ : किसी प्राणी को हाथ, शस्त्र आदि चलाकर परित्यापना देना ।

३. काया का आरभ : किसी प्राणी को हाथ, शस्त्र आदि से मार देना ।

१०. विणय (विनय) : (अभ्युत्थान=बड़ो के आने पर उठकर खड़ा होना आदि दश प्रकार की) विनय करता हुआ जीव करता है ।

११. आवस्सए (आवश्यक) : उभय काल उपयोग सहित दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण करता हुआ जीव करता है ।

१२. सीलव्वए (शील-व्रत) : लिए हुए (महाव्रत या अणुव्रत रूप) मूलगुण प्रत्याख्यान तथा (समिति-गुप्ति या गुणव्रत-शिक्षाव्रत अथवा नमस्कार सहित आदि रूप) उत्तरगुण प्रत्याख्यान अतिचार रहित शुद्ध (निर्मल) पालता हुआ जीव करता है ।

१३. खण लव (क्षण लव) : थोड़ा भी प्रमाद न करता हुआ (अर्थात् प्रतिक्षण वैराग्यभाव रखता हुआ, धर्म-शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ तथा आर्त-रौद्र ध्यान वर्जना हुआ) जीव करता है ।

१४. तव (तप) : एकान्तर, मास-मास क्षमण (तप) आदि विकृष्ट (बड़ी) तपश्चर्या करता हुआ जीव करता है ।

१५. चियाए (त्याग) : (द्रव्य से गौचरी में आधाकर्मी आदि आये हुए अशुद्ध आहार आदि को परिटुवता हुआ तथा भाव से क्रोध आदि को त्यागता हुआ और) द्रव्य से प्रासुक एषणीय आहार आदि तत्त्व भाव से ज्ञान आदि सुपात्र को देता हुआ जीव करता है ।

१६. वेयावच्चे (वैयावृत्य) : (अरिहन्त वैयावृत्य आदि दश प्रकार की) वैयावृत्य करता हुआ जीव करता है ।

तत्त्व-विभाग—तीर्थङ्कर नाम गौत्र उपार्जन के २० बोल [२८१

१७. समाहि : छह काय जीवो को अभयदान देकर समाधि उत्पन्न करता हुआ जीव करता है ।

१८. अपुव्व नाण गहणे (अपूर्व ज्ञानग्रहण) : नित्य नया-नया सूत्रज्ञान कण्ठस्थ करता हुआ तथा अर्थज्ञान धारण करता हुआ जीव करता है ।

१९. सुयभत्ती (श्रुतभक्ति) :- जिनवाणी की (१. हृदय से श्रद्धा आदि बहुमान, २. प्रवचन से गुणकीर्तन तथा, ३. काया से नमस्कार आदि) भक्ति करता हुआ जीव करता है ।

२०. पवयण पभावणयो (प्रवचन प्रभावना) : धर्मकथा वाद आदि से प्रवचन प्रभावना (ग्राम नगर आदि में मिथ्यात्व की उत्थापना और सम्यक्त्व की स्थापना) करता हुआ जीव करता है ।

॥ इति २ तत्त्व विभाग समाप्त ॥

४. काया का अनारंभ : किसी प्राणी को परितापना न पहुँचे तथा मृत्यु न हो, ऐसी काया की विशुद्ध (शुभ) प्रवृत्ति करना ।

पुर्वोक्त आठ प्रवचन माताओं की जो मुनि पूर्णतया सम्यक् पालना करता है, वह ससार से शीघ्र मुक्त हो जाता है ।

अर्थ, भावार्थ और प्रासंगिक जानकारी सहित

॥ इति पाँच समिति तीन गुप्ति का स्तोक समाप्त ॥



‘तीर्थङ्कर नाम गोत्र उपार्जन के २० बोल’

अरहंत^१-सिद्ध^२-पवयण^३,-गुरु^४-थेर^५-बहुस्सुए^६ तवस्सोसु^७ ।
 वच्छल्लया य तेसि, अभिवख-णाणोवओणे^८ य ॥१॥
 दंसण^९-विणए^{१०}-आवस्सए^{११} य सीलव्वए^{१२} निरइयारो ।
 खण-लव^{१३}-तव^{१४}-च्चियाए^{१५}, वेयावच्चे^{१६} समाहि^{१७} य ॥२॥
 अपुव्व-नाण-गहणे^{१८}, सुयभीत्ती^{१९} पवयणे पभावणया^{२०} ।
 एएहि कारणेहि, तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥३॥

ज्ञाता धर्मकथा ८ वां अध्ययन ।

१. अरिहत वच्छल्लया (अरिहन्त वत्सलता) : अरिहन्त भगवान् का (१. हृदय से, श्रद्धा आदि बहुमान २. वचन से) गुणकीर्तन (तथा ३. काया से नमस्कार आदि भक्ति) करता हुआ जीव करोड़ों भवों के संचित कर्म वृन्द (राशि) को क्षय करता है तथा यदि उत्कृष्ट रसायन (भाव) आवे, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करता है ।

तत्त्व-विभाग—तीर्थङ्कर नाम गोत्र उपाजर्जन के २० बोल [२७६

२. सिद्ध वच्छल्लया (सिद्ध वत्सलता) : सिद्ध भगवान का करता है ।

३. पवयण वच्छल्लया (प्रवचन वत्सलता) : प्रवचन का (अर्थात् जैन धर्म या चतुर्विध सघ का) करता है ।

४. गुरु वच्छल्लया (गुरु वत्सलता) : गुरुजी का (अर्थात् आचार्य श्री जी का तथा उपाध्याय श्री जी का) करता है ।

५. थेरवच्छल्लया (स्थविर वत्सलता) : (२० वर्ष से अधिक चारित्र पर्याय वाले) स्थविर मुनिराजो का करता है ।

६. बहुस्सुय वच्छल्लया (बहुश्रुत वत्सलता) : (आचाराग निशीथ आदि के सूत्र अर्थ तथा दोनो के ज्ञाता) बहुश्रुत मुनिराजो का करता है ।

७. तवस्सी वच्छल्लया (तपस्वी वत्सलता) : (एकान्तर, मास-मास क्षमण (तप) आदि विकृष्ट (बडी) तपश्चर्या करने वाले) तपस्वी मुनिराजो का करता है ।

८. अभिक्खणाणोवओगे (अभीक्षण ज्ञानोपयोग) : सीखे हुए पुराने ज्ञान की बार-बार पृच्छता, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा करता हुआ (पूछता, फेरता और सोचता हुआ) जीव करता है ।

९. दसण (दर्शन) : सम्यक्त्व को अतिचार रहित शुद्ध (निर्मल) पालता हुआ जीव करता है ।

१०. विणय (विनय) : (अभ्युत्थान=बड़ी के आने पर उठकर खड़ा होना आदि दश प्रकार की) विनय करता हुआ जीव करता है ।

११. आवस्सए (आवश्यक) : उभय काल उपयोग सहित दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण करता हुआ जीव करता है ।

१२. सीलव्वए (शील-व्रत) : लिए हुए (महाव्रत या अणुव्रत रूप) मूलगुण प्रत्याख्यान तथा (समिति-गुप्ति या गुणव्रत-शिक्षाव्रत अथवा नमस्कार सहित आदि रूप) उत्तमगुण प्रत्याख्यान अतिचार रहित शुद्ध (निर्मल) पालता हुआ जीव करता है ।

१३. खण लव (क्षण लव) : थोड़ा भी प्रमाद न करता हुआ (अर्थात् प्रतिकक्षण वैराग्यभाव रखता हुआ, धर्म-शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ तथा आर्त-रौद्र ध्यान वर्जना हुआ) जीव करता है ।

१४. तव (तप) : एकान्तर, मास-मास क्षमण (तप) आदि विकृष्ट (बड़ी) तपश्चर्या करता हुआ जीव करता है ।

१५. चियाए (त्याग) : (द्रव्य से गौचरी में आधाकर्मी आदि आये हुए अशुद्ध आहार आदि को परिद्वेषता हुआ तथा भाव से क्रोध आदि को त्यागता हुआ और) द्रव्य से प्रासुक एषणीय आहार आदि तथा भाव से ज्ञान आदि सुपात्र को देता हुआ जीव करता है ।

१६. वेयावच्चे (वैयावृत्य) : (अरिहन्त वैयावृत्य आदि दश प्रकार की) वैयावृत्य करता हुआ जीव करता है ।

१७. समाहि : छह काय जीवो को अभयदान देकर समाधि उत्पन्न करता हुआ जीव करता है ।

१८. अपुण्व नाण गहरो (अपूर्व ज्ञानग्रहण) • नित्य नया-नया सूत्रज्ञान कण्ठस्थ करता हुआ तथा अर्थज्ञान धारण करता हुआ जीव करता है ।

१९. सुयभुक्ती (श्रुतभक्ति) : जिनवाणी की (१ हृदय से श्रद्धा आदि बहुमान, २ प्रवचन से गुणकीर्तन तथा, ३ काया से नमस्कार आदि) भक्ति करता हुआ जीव करता है ।

२०. पवयण पभावणया (प्रवचन प्रभावना) : धर्मकथा वाद आदि से प्रवचन प्रभावना (ग्राम नगर आदि में मिथ्यात्व की उत्थापना और सम्यक्त्व की स्थापना) करता हुआ जीव करता है ।

॥ इति २ तत्त्व विभाग समाप्त ॥